दसम माला, खंड 14, अंक 16

बुधवार, 29 जुलाई, 1992
7 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बीसवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 14, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 16, बुधवार, 29 जुलाई, 1992/7 श्रावण, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 305 से 309	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	25—270
तारांकित प्रश्न संख्या : 310 से 315 और 317 से 324	25—41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3120 से 3242, 3244 से 3274, 3276 से 3293 और 3295 से 3355	41—267
नियम 193 के अधीन चर्चा	270—283 और 286—364
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	270
श्री ए० आर० अन्तुले	279
श्री चन्द्र शेखर	282
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	286
श्री कमालुद्दीन अहमद	290
महन्त अवैद्य नाथ	292
श्री मणि शंकर अय्यर	296
श्री पी० जी० नारायणन	299
श्री चित्त बसु	301
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	302

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

श्री इन्द्र जीत 304
श्री सूरज मंडल 307
श्री इम्चा लम्बा 308
श्री गुमान मल लोढा 310
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य 314
श्री अन्बारासु इरा 317
श्री याइमा सिंह युमनाम 319
आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री 321
श्री सोमनाथ चटर्जी 323
श्री रवि राय 331
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 333
श्री लाल कृष्ण आडवाणी 343
श्री पी० वी० नरसिंह राव 359

सभा पटल पर रखे गए पत्र 284—285

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 286
बारहवां और तेहरवां प्रतिवेदन

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य 364—366

(एक) आयकर अधिनियम के अधीन रियायत

श्री रामेश्वर ठाकुर 364

(दो) श्रीनगर में हमले और डोडा कस्बे में स्थिति

श्री एम० एम० जैकब 365

नियम 377 के अधीन मामले 366—370

(एक) मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में चाय और काफी के बागान लगाने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन लाल झिकराम 366

(दो) केरल को चावल की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

प्रो० के० वी० थामस 367

(तीन) सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए आरंभ की गई योजनाओं का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री मंगलराम प्रेमी 367

	विषय	पृष्ठ
(चार)	मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर बसे किसनों को दिए गए कर्जों को माफ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामेश्वर पाटीदार	368
(पांच)	कानपुर नगर और देहात को प्रदूषण मुक्त सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री केशरी लाल	368
(छः)	उड़ीसा के सम्बलपुर में सभी सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन स्टुडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	369
(सात)	उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में रेलवे कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विश्वनाथ शास्त्री	369
(आठ)	पुलचिंतला बेलेसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिए जाने और इसे पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	369

लोक सभा

बुधवार, 29 जुलाई, 1992/7 श्रावण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे एक भूतपूर्व साथी श्री कल्याण सिंह कलवी के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री कलवी 1989-91 के दौरान राजस्थान के बाडमेर निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं लोक सभा के सदस्य थे। 1990-91 के दौरान वे केन्द्रीय मन्त्री परिषद् के भी सदस्य रहे और ऊर्जा मंत्री का पद संभाला।

इस सभा में आने से पूर्व श्री कालवी ने राजस्थान राज्य की प्रमुखता से सेवा की। वह 1978-80 के दौरान तथा पुनः 1985-89 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। वह विधान सभा के विभिन्न समितियों के पदों पर रहे। मंत्री के रूप में उन्होंने 1978-80 के दौरान कृषि, पशुपालन और डेरी विकास विभागों का पद संभाला।

एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के नाते वह हमेशा दुःखी तथा जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखते थे।

श्री कालवी ने अनेक यात्राएं की थीं तथा वह खेलकूद में बहुत रुचि लेते थे।

श्री कल्याण सिंह कालवी का निधन 27 जुलाई, 1992 को दिल का भारी दौरा पड़ने से बंबई में हुआ। वे 59 वर्ष के थे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरा साथ देगी।

सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़े होंगे।

11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.04 म० पू०

[अनुवाद]

उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई

*305. **श्री रामेश्वर पाटीदार** † :

डा० जी० एल० कनोजिया :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को कोयले की कम सप्लाई के कारण उनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के क्या नाम हैं; और

(ग) प्रभावित उद्योगों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) वर्ष 1991-92 के लिए कोयले की संशोधित मांग 235.2 मि० टन निर्धारित की गई थी। इसकी तुलना में वास्तविक आपूर्ति 222.85 मि० टन की गई थी जो कि 94.4 प्रतिशत संतोषप्रदता को दर्शाती है। अतः वर्ष 1991-92 के दौरान संशोधित मांग को पूरा करने में 5.6% की कमी रही। इसी तरह यथा अनुपात मांग अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के लिए 58.31 मि० टन का आंकलन किया गया था, जिसकी तुलना में 53.98 मि० टन आपूर्ति की गई, जो कि 92.5% संतोषप्रदता तथा 7.5% कोयले की कमी को दर्शाता है। वर्ष 1991-92 में कमी मुख्यतः इस्पात तथा सीमेंट उद्योगों तक सीमित रही।

कोयला कंपनियों ने उपभोक्ताओं की कोयले की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने के लिए कई कदम उठाए हैं। कोयले की आपूर्ति किए जाने की पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं को सुधारू बनाया जा रहा है। उपभोक्ता अपनी कोयले की आवश्यकताओं को सड़क द्वारा बिना किसी प्रायोजन के विनिर्दिष्ट कोलयरियों से एक बार में 1000 मी० टन तक पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, पिटहैड स्टाक से वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को तरजीह देते हुए उपभोक्ताओं को 20 मि० टन कोयले की पेशकश भी की जा रही है। कोयले स्टाकयार्डों को सक्रिय किया जा रहा है। इसके अलावा, कोयला उपभोक्ताओं की विशिष्ट शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ता परिषदें स्थापित की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : सभापति महोदय, मैंने अपने प्रश्न के "क" खण्ड में पूछा है कि उद्योगों में कोयले की कम आपूर्ति के कारण कितने प्रतिशत उत्पादन में गिरावट आई ? मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि साढ़े 7 प्रतिशत आपूर्ति कम की गई है। यदि साढ़े 7 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति कम की हुई है, तो इसके कारण उत्पादन में कितने करोड़ रुपये की हानि हुई है, मंत्री जी यह बताने की कृपा करें ?

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कोयले की कम आपूर्ति से औद्योगिक उत्पादन में वास्तव में कोई कमी नहीं आई है। 1991-92 का वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। यह सही है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है, जब जून, 1991 में हमारी सरकार आई थी तब औद्योगिक उत्पादन 3 प्रतिशत था किन्तु वर्ष फरवरी तक औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर बढ़ी है। अतः वह प्रवृत्ति अब रुक गई है। मैंने कोयले में भारी कमी का विशेष उल्लेख नहीं किया है। कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी का प्रतिशत बताना बहुत कठिन है।

इसलिए मैंने स्वीकार किया है कि कोयले की आपूर्ति में कमी हुई है। लेकिन यह बताना कठिन है कि उद्योगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश्वर पाडीयार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इसके उपयोग करने की दृष्टि से प्रक्रिया में सुधार करने की बात कही है। क्या कोयले की आपूर्ति कोयला पहुंचाने की प्रक्रिया में केवल सुधार करने से काम चल जाएगा ? क्या उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने की जरूरत नहीं है ? अमरीका, जर्मनी और आस्ट्रेलिया में 17 प्रतिशत प्रति व्यक्ति उत्पादन प्रतिशत का होता है, भारत में केवल दशमलव 6 प्रतिशत होता है। इस दृष्टि से क्या हम उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कोशिश करेंगे ? इसके साथ-साथ रिपोर्ट आई है कि रेलवे विभाग ने समय पर कोयला नहीं पहुंचाया जिसके कारण कोयले की आपूर्ति में भी कमी रही। क्या आपका विभाग और रेलवे विभाग समन्वय करके इसकी पूर्ति करने की कोशिश करेगा ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं। 1991-92 में उत्पादन में आठ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है। आशा है उत्पादन और बढ़ेगा। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि रेलवे के साथ अधिक समन्वय होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही अधिकतर कोयला उपभोक्ताओं तक पहुंचता है।

श्री वसुदेव आचार्य : यह प्रश्न तो ऐसा है मानो वस्तु को ऐसी जगह ले जाना जहां वह पहले से ही बहुतायत में है। कोयले का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो रहा है। हम कौंकिंग कोल का भी आयात कर रहे हैं। हमारे देश में असम तथा बिहार में कोयले का पर्याप्त भंडार है।

कोयले का आयात कम करने के लिए, जिस पर हम प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्या कोयला वाशरीज को आधुनिक बनाने का कोई कार्यक्रम है ताकि कोयले में राख की मात्रा कम की जा सके और देश में दुर्लभ विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए आयात कम किया जा सके।

श्री पी० ए० संगमा : अभी कुछ समय तक चालीस से पचास लाख टन कोकिंग कोल का आयात जारी रखना पड़ेगा। इसे बहुत कम नहीं किया जा सकता। हमारा अधिकतर कोयले का भंडार बिहार में झरिया क्षेत्र में है जहां पर दुर्भाग्यवश बार-बार जमीन के अन्दर की आग की समस्या रही है जिसे अब हम बहुत व्यवस्थित ढंग से हल कर रहे हैं। इससे निपटने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है। हम इसके लिए साधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत आशा है कि 18 वर्ष से चल रही जमीन के अन्दर की आग की यह समस्या अब हल हो जाएगी।

दूसरे पूर्वोत्तर और राज्यों में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कोकिंग कोल के बड़े भंडार पाए गए हैं। हम इन क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं। हाल में बोड-गोलोई कोकिंग कोल परियोजना असम में शुरू की गई है। हम अरुणाचल प्रदेश में नागपुंग नाम के स्थान पर कोयले की खानें खोलने का प्रयास कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश मेघालय कोकिंग कोल निजी हाथों में है। किन्तु हम उसे भी संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के कोकिंग कोल या गैर कोकिंग कोल की आपूर्ति हेतु दूसरा परिष्करण करना बहुत आवश्यक है। हमारा इरादा है कि भविष्य में अधिक से अधिक संख्या में वाशरीज खोली जाएं और विद्यमान वाशरियों को आधुनिक बनाया जाए। चूंकि सरकार के सामने कुछ वित्तीय संकट है इसलिए हमने निर्णय किया है कि वाशरीज लगाने में निजी पूंजी निवेश की अनुमति दी जाए। इसीलिए कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। यह राज्य सभा में पारित हो गया है और अब यह इस सभा के सामने आया है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह कैसे हुआ कि हालांकि विकास दर में लगभग 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मांग में उस स्तर तक तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है। किन्तु फिर भी कमी बनी हुई है।

कोयला क्षेत्र में आरम्भ की गई नई प्रणाली 'भुगतान करो और माल ले जाओ' का विभिन्न उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कतिपय उद्योगों और सरकारी क्षेत्र में भी विद्युत संयंत्रों और तलचर उर्वरक संयंत्र तथा विद्युत और ताप विद्युत केन्द्रों जैसे कई संयंत्रों की पहले भुगतान करके कोयला अपने संयंत्र को ले जाने की असमर्थता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कई उद्योग बन्द हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आएं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : यह देखने में आया है कि कोयला ले जाने से पहले भुगतान करने में अपनी असमर्थता के कारण कुछ उद्योग बन्द हो गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रणाली के कारण कोयले की वर्ग-वार, ग्रेड-वार, बी ग्रेड, एस ग्रेड, निम्न ग्रेड कोयले आदि की कितनी मांग रही है ? उच्च और बेहतर ग्रेड का कोयला उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें । मंत्री महोदय वह सभी बातें जानते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मुझे खेद है कि मेरे पास कोयले के ग्रेड-वार मांग के आंकड़े नहीं हैं। किन्तु कोयले की मांग बढ़ रही है । उदाहरण के लिए 1991-92 में कुल मांग 23.9 करोड़ टन थी । 1992-93 के चालू वर्ष की मांग 24.73 करोड़ टन है । इस प्रकार मांग में वृद्धि हुई है और उसी अनुपात में हम उत्पादन में भी वृद्धि कर रहे हैं । जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है । 1991-92 में हमारी विकास दर 8.3 प्रतिशत थी । हम चालू वर्ष में भी यह लक्ष्य प्राप्त करने की आशा करते हैं । अब जहां तक नगद भुगदान करके माल उठाने की प्रणाली का संबंध है यह पहली अक्तूबर से आरम्भ की गई थी और अभी जारी है । शायद बिजली बोर्डों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है । किन्तु वह कुछ-न-कुछ प्रबन्ध कर रहे हैं । वही प्रणाली जारी है और हमारा इरादा इसे जारी रखने का है और इसके परिणामस्वरूप कोल इण्डिया की भुगतान स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है ।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : बिजली की कमी की स्थिति में कोयला प्रचुर मात्रा में सप्लाई किया जाना चाहिए ।

[हिन्दी]

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पर्याप्त कोयला भंडार रहते हुए भी उत्पादन में कमी है । विदेशों में कोयला खानों से 80 फीसदी कोयला मशीनों से निकाला जाता है जबकि हमारे देश में 80 फीसदी कोयला हाथ से निकाला जाता है । यही खास वजह है कि इसके उत्पादन में कमी हो रही । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको मद्देनजर रखते हुए कोयला खदानों का आधुनिकीकरण करने पर विचार करेगी ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : दो प्रकार का खनन होता है । एक खुले मुंह वाला खनन होता है जहां अधिकतम उपस्कर और मशीनों का इस्तेमाल होता है । दूसरे हम जमीन के नीचे खनन करते हैं जहां खुले मुंह वाली खनन से अधिक श्रम शक्ति का इस्तेमाल होता है । यह सच है कि आज भारत खुले मुंह वाली खनन से अधिक उत्पादन कर रहा है और कोल इण्डिया में हमारी श्रम शक्ति का 32 प्रतिशत खुली मुंह वाली खानों में काम कर रहा है और कुल उत्पादन का 68 प्रतिशत उत्पादन कर रहा है । इसलिए मशीनरी से अधिक उत्पादन हो रहा है । किन्तु हमें बेरोजगारी की स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा ।

अब हम अपनी भूमिगत खानों में उत्पादन को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं जो पिछले 20 वर्षों से 6 करोड़ टन के आस-पास रहा है और हम उसे बढ़ाने में असफल रहे हैं । मैं माननीय

सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह ऐसा क्षेत्र है जहां हमें अपने मानव संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा और अधिक उत्पादन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के दो पहलू हैं, एक है उत्पादन से सम्बन्धित और दूसरा है कि उद्योगों में आपूर्ति की कमी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्पादन के कारण से ह्रास होने का सी० एम० पी० डी० आई० के द्वारा जो डिजाइन और प्लान बनाकर दिया जाता है, वह डिजाइन और प्लान जिस प्रोजेक्ट के बारे में दिया जाता है, उसके अनुसार कोल इण्डिया उसको इम्पलीमेंट नहीं करती है, जिसके कारण कोयले के उत्पादन में ह्रास होता है। दूसरी सरफेस, जहां तक इण्डस्ट्रीज में आपूर्ति करने का सवाल है, क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि उत्पादन का जो लक्ष्य रखा जाता है, वह साल के अन्त में कोयले का उत्पादन नहीं कर पाते हैं और पदाधिकारी लोग पत्थर और मिट्टी को कोयला बताकर ऊपर से कोयला ढककर उसका ओवर एस्टीमेट दिखाते हैं, कई लाख मिलियन टन उसको ओवर एस्टीमेट शो करते हैं और डिमाण्ड पीछे बढ़ती है.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंडल जी आपका क्या प्रश्न है ?

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या कोयले की उद्योगों में आपूर्ति की प्रायोरिटी है और क्या कोल इण्डिया का एक विंग है, वह विजिलेंस विंग क्या इन बिन्दुओं पर कोल इण्डिया की जांच करता है और उसमें अनियमितताएं पाई हैं कि नहीं और अगर पाई गई हैं तो उसमें सुधार करने का सरकार का कौन-सा प्रयास है और सी० एम० पी० डी० आई० के डिजाइन और प्लान के आधार पर वह वर्क प्रोजेक्ट पर विचार कराने का विचार रखती है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : कोयले की उपलब्धता का कोई अभाव नहीं है। यहां तक कि आज पहली जुलाई को भी हमारी कोयला खदानों के बाहर 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन कोयला पड़ा है। इसलिए उपलब्धता की अधिक समस्या नहीं है। समस्या है उसे भेजने की, समस्या है उसकी ढुलाई की। हमारी रेलें इसकी ढुलाई के लिए अधिकतम प्रयास कर रही हैं। परन्तु उनकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। खाद्यान्नों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं की ढुलाई जैसे दूसरे अधिक प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। परन्तु कभी-कभी रेल वैगनों की कमी के कारण ही सप्लाई में व्यवधान नहीं पड़ता है परन्तु उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई में व्यवधान पड़ने के अन्य कारण भी हैं। यहां मैं माननीय सदस्य का सहयोग चाहूंगा क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे देश में कोयला पहुंचाने में उपभोक्ताओं की सहायता कर सकते हैं। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि : 'आप जो चाहे करिए परन्तु भविष्य में आर्थिक नाकेबन्दी मत करिए।'

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*306. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी निवेश में कमी की गई है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप इन उपक्रमों की कार्यक्षमता और लाभ में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उपक्रमों की कार्यनिष्पादन क्षमता और लाभ में और अधिक वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री० पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) विवरण सभा-पटल पर रखा है।

(क) से (ग) जिन उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित हैं, उन उद्यमों में सामान्य शेयरों तथा ऋणों के रूप में किए गए पूंजीनिवेश एवं लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है—

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	पूंजीनिवेश			शुद्ध लाभ/हानि		
		1990-01	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एयर इंडिया	134007	125032	122849	8123	7089	4331
2.	एयर इंडिया चार्टर्स लि०	5	5	5	1	—1	0
3.	भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	27845	28547	25021	12781	12257	10433
4.	भारतीय रूई निगम लि०	10063	10063	10063	6285	2324	856
5.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम	5000	5000	5000	—14073	35	—910
6.	हिन्दुस्तान एंटीबॉयोटिक्स लि०	13468	12880	9146	79	225	—235
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	5338	8495	9516	3197	2954	1731
8.	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	39496	37148	41431	12014	20026	17390
9.	भारतीय होटल निगम लि०	9489	9044	8091	—1374	—935	—648

10.	इंडियन ऑयल ब्लेंडिंग लि०	755	755	660	361	120	109
11.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०	58152	47092	18762	73004	67454	51433
12.	इंडियन रेअर अर्थ्स लि०	13598	13198	12791	76	213	—726
13.	इंडो होक्को होटल्स लि०	214	215	221	—16	1	—8
14.	लुब्रिज़ोल इंडिया लि०	1963	2134	987	855	801	769
15.	महाराष्ट्र एंटीबॉयोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	385	385	353	—65	—47	—106
16.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लि०	4161	4714	5254	219	—210	33
17.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लि०	2178	2182	1918	471	458	41
18.	मझगांव डॉक लि०	49582	45600	45214	321	—313	—1669
19.	खनिज गवेषण निगम लि०	6379	6064	5643	—456	574	393
20.	भारतीय राष्ट्रीय बाइसिकल निगम	4014	3060	2486	—1820	—986	—829
21.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि०	1379	1158	1114	—25	—40	55
22.	नेटेका (उत्तर महाराष्ट्र) लि०	26047	24647	21948	—1436	—2276	—3754
23.	नेटेका (दक्षिण महाराष्ट्र) लि०	29366	29366	17395	—3299	—3299	—4675
24.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	80931	85250	89271	4076	4881	6995

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लि०	6030	5416	4773	—864	—777	—818
26.	भारतीय नौवहन निगम लि०	137167	124657	121605	9525	10110	5453
27.	विदेश संचार निगम लि०	6000	6000	13847	7858	7201	6422
28.	वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	110187	101758	82690	—9540	—3094	—1593

(घ) काम में आने वाली सामग्री की कीमतों में वृद्धि, क्षमता का कम उपयोग, बिजली की कमी, अतिरिक्त जनशक्ति, बकाया ऋणों पर अधिक ब्याज, मांग की कमीबेशी होना आदि उद्यमों द्वारा उठाए गए घाटे/कम लाभ के कारण हैं। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्यम विशेष के बारे में, सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग तथा उद्यम द्वारा कार्रवाई की जाती है। किए गए कुछ उपाय ये हैं—आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं, वित्तीय, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र को बेचने का सरकार विचार कर रही है क्या ? अगर ऐसा विचार किया गया है तो इसका परिणाम कामगारों के ऊपर क्या होने वाला है, इसका उत्तर कृपया दें ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : महोदय, सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बेचने का इस समय हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : यहोदय, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ, जो कि काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को अच्छी तरह से जानते हैं, जो क्षेत्र उद्योग न रहने के कारण बहुत पिछड़ा रहने वाला है, उस क्षेत्र के वास्ते बम्बई हाई से गैस की पाइपलाइन डालकर उस पर आधारित कोई सार्वजनिक उपक्रम वहां पर स्थापित करने का विचार सरकार कर रही है या वह कब तक होगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसमें से नहीं निकलता है ।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : वह पिछड़ापन दूर करने के वास्ते कुछ उपक्रम लगाने का विचार कर रही है क्या ? दूसरे सरकार ने जो अभी लिखित उत्तर में·····

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कुछ भी पूछने से पिछड़ापन दूर नहीं होगा ।

श्री विलासराव नागनाथराव मुंडेवार : ख—सरकार ने जो लिखित उत्तर में बताया है कि पिछले वार्षिक वर्ष से कुछ उद्योगों के पूंजी निवेश में कमी की गई है तो उसके क्या कारण हैं, उस कमी की वजह से कामगारों के ऊपर क्या असर हुआ है और जिन उद्योगों के नाम हैं, जैसे भारत अंकेलेसरिया कारपोरेशन इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, लुब्रीफोल इण्डिया लिमिटेड, सैंगवीज ओर इण्डिया लिमिटेड, यह जो क्षेत्र है, इसमें पूंजी निवेश में जो कमी की गई है इसके क्या कारण हैं और इसका परिणाम कामगारों के ऊपर क्या होने वाला है ?

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : महोदय, जहां तक महाराष्ट्र राज्य का संबंध है, वे भाग्यशाली हैं कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयों में किए गए निवेश के संबंध में अन्य राज्यों की तुलना में उनका प्रथम स्थान है । महाराष्ट्र में 28 सरकारी क्षेत्र की रजिस्टर्ड इकाइयां हैं । इनमें से 11 इकाइयां घाटे में जा रही हैं; सात इकाइयां गत तीन वर्षों से निरन्तर घाटे में जा रही हैं । इन सात इकाइयों में से पांच रुग्ण इकाइयां हैं और इन पांच में से दो को पहले ही बी० आई० एफ० आर० को सौंप दिया गया है ।

जहां तक विशेष क्षेत्रों में उनके क्षेत्रीय पिछड़ेपन के कारण निवेश का संबंध है, सरकार की नीति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कोई इकाई स्थापित करने से पूर्व तकनीकी आर्थिक संभाव्यता

के बारे में एक अध्ययन किया जाता है। यदि तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता होती है तो तब उसके साथ-साथ क्षेत्रीय पिछड़ेपन के असंतुलन पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि महाराष्ट्र बहुत ही लक्की है। बहुत सारे सार्वजनिक उद्योग ऐसे हैं, जिनमें घाटा चल रहा है। उनमें से एक है—भारतीय होटल निगम लिमिटेड, इसमें गत तीन वर्षों से घाटा होता रहा है और जैसी कि आपने फीगर्स भी दी है। आपने अपने जवाब में कहा है—कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे—आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापन संबंधी योजनायें, वित्तीय, प्रबंधकीय तथा संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि। मेरा पहला सवाल है—भारतीय होटल निगम लिमिटेड के बारे में कौन से उपाय किए जा रहे हैं? दूसरा सवाल है—राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में भी घाटा होता रहा है और इसके लिए आप कौन से उपाय कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को पुनर्जीवित करने या उन्हें आधुनिक बनाने का संबंध है, यह समय-समय पर किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। औद्योगिक इकाइयां हैं। औद्योगिक इकाइयों में, यह स्वाभाविक है कि पुनर्निर्माण, वित्त पोषण, श्रमिक बल को न्यायोचित बनाने का कार्य किया जाता है। सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की विशिष्ट योजनाएं, उद्यम विशिष्ट योजनाएं तैयार की जाती हैं। जहां तक भारत होटल निगम का संबंध है, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में विचार कर रहा है और उद्यम विशिष्ट योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि इस निगम को पुनर्जीवित किया जा सके।

श्री संदीपान भगवान थोरात : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें घाटे में चल रही हैं और मंत्री महोदय ने अपने विवरण में इसका कारण पूर्ण क्षमता उपभोग में वृद्धि और विद्युत की कमी बताया है। विवरण में उदाहरण दिए गए हैं। अब मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की इन मिलों पर किए गए प्रशासनिक व्यय का प्रतिशत क्या है। एक बात तो यह है। दूसरी, बात यह है कि रूई आदि की आदान लागत में कितनी वृद्धि है।

श्री पी० के० थुंगन : जहां तक किसी इकाई को रुग्ण कहने का संबंध है, तो जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, कारण तो अनेक हैं। उनमें से कुछ हैं, फालतू जनशक्ति, उच्च मजदूरी का बोझ, आदान लागत वृद्धि, पुराना संयंत्र और मशीन, विद्युत की कमी, गैर-सरकारी कम्पनियों से कड़ी प्रतियोगिता, निम्न क्षमता उपयोग, बकाया ऋण पर ब्याज की ऊंची दर, मांग में उतार-चढ़ाव, आदि।

माननीय सदस्य ने जो विशेष आंकड़े पूछे हैं वे इस समय तो मेरे पास नहीं हैं। महाराष्ट्र में 28 इकाइयां और उद्यम हैं, इनमें से प्रत्येक का ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महाराष्ट्र की सरकारी क्षेत्र की 28 इकाइयों में निवेशित

राशि तथा लाभ और हानि, दोनों प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ इकाइयों को अनिवेशित किया गया है और उनके शेयर म्यूचअल निधि को बेच दिए गए हैं। इससे प्राप्त धनराशि के बारे में कुछ भ्रम है।

मेरा विशिष्ट प्रश्न है, इनमें से कुछ इकाइयों को महाराष्ट्र सरकार से मूलतः सस्ती दरों पर या नाममात्र की दरों पर भूमि प्राप्त हुई थी, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर भूमि की कीमत के मामले में उनकी परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराने का है, क्योंकि उनमें से कइयों के पास करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि है, ताकि वास्तविक परिसम्पत्तियों और निवेश का पता लगाया जा सके।

श्री पी० के० चुंगन : जहां तक अपनियोजन का संबंध है, चूंकि माननीय सदस्य ने इसका उल्लेख किया है, मैं माननीय सभा को बताना चाहूंगा कि 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों, जो कुल शेयरों का 8 प्रतिशत है, का अपनियोजन किया गया है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की आस्तियों के मूल्य का संबंध है, मैं पूर्ण रूप से माननीय सदस्य से सहमत हूं। यह एक प्रकार का सुझाव है और हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे।

अरब देशों को बच्चों की तस्करी

*307. **श्री एन० डेनिस† :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत से दुबई को ऊंट दौड़ के लिए बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(घ) अरब देशों को की जा रही बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सतर्क उत्प्रवास अधिकारियों द्वारा 21-6-1992 को की गई जांच-पड़ताल के दौरान इन्दिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली पर दो बंगलादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 419/420/468/471/365/367/373/120 बी और विदेशी नागरिक अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत मामले दायर किए गए थे। इससे इस बात का पता चला कि इन दो अभियुक्तों को दुबई की यात्रा के लिए जिस व्यक्ति ने प्रबंध किया था

यह स्पष्ट ऊंट दौड़ के लिए बालकों का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से बालकों को भारत तथा अन्य पड़ोसी देशों से खाड़ी देशों को भेजने में शामिल था।

सरकार इस समस्या से अवगत है और बच्चों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में जाने वाले यात्रियों की कड़ी जांच करके इसे रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठा रही है।

श्री एन० डेनिस : उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि दो बंगलादेशी व्यक्तियों को 21-6-1992 को गिरफ्तार किया गया है। अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण यह भी है और इस केसों के माध्यम से ऐसा किया जा रहा है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या पासपोर्ट और उत्प्रवास अधिकारियों को उस समय जांच पड़ताल और छानबीन करने के लिए कड़े आदेश जारी किए जाएंगे जब सात से दस वर्ष की आयु-वर्ग के बच्चों को उनके माता पिता के नियंत्रण के बिना बाहर विदेश ले जाया जाता है।

श्री पवन सिंह घाटोवार : सरकार उन मामलों में पासपोर्टों की, जहां बच्चे मां-बाप के साथ यात्रा करते हैं, छान-बीन करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कई बार यह अत्यन्त कठिन हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति बच्चे के साथ यात्रा कर रहा होता है, वह बच्चे के माता-पिता होने और कई बार बच्चे का संरक्षक होने का भी दावा करता है। इस वजह से यह छानबीन करना अत्यंत कठिन हो जाता है कि वह बच्चा उस अमुक व्यक्ति का है या नहीं। परन्तु फिर भी हवाई अड्डे पर इन बातों की जांच करने के लिए सभी सम्भव आदेश दिए जाते हैं।

श्री एन० डेनिस : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की छानबीन की है कि विदेशों के लिए इन बच्चों की तस्करी किन प्रयोजनों के लिए की जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर में जो प्रयोजन बताये गए हैं वे वास्तव में उनसे अन्यथा है। बच्चों की तस्करी को दास व्यापार की आधुनिक प्रणाली कहा गया है। बच्चों का ऊंट दौड़ के लिए जॉकी के रूप में इस्तेमाल करना खतरनाक है। सात और इससे कम आयु-वर्ग के छोटे बच्चों का इस प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतः क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं और बच्चों को ऊंट दौड़ के लिए जॉकी के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री पवन सिंह घाटोवार : महोदय, मध्य-पूर्व के देशों में बच्चों को परम्परागत ढंग से ऊंट दौड़ के लिए इस्तेमाल करने की प्रथा है। ये बच्चे उन देशों के गरीब परिवारों के होते हैं। लेकिन उनके आर्थिक विकास के पश्चात् उन्होंने अब सूडान, यमन, पाकिस्तान, बंगलादेश और हाल में भारत से बच्चों की तस्करी की शुरूआत की है। वे दौड़ के लिए बच्चों को ऊंट की पीठ पर बांध देते हैं और ऐसा विश्वास है कि जब बच्चे रोते हैं तो ऊंट तेजी से भागता है। भारत सरकार इस बात के लिए हर सम्भव कदम उठा रही है जिससे हमारे देश से बच्चों की अधिक संख्या में तस्करी न हो।

हमें इस मामले का 26 जून को दिल्ली के इन्दिरा गांधी हवाई अड्डे पर पता चला। दो बंगलादेशी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के पश्चात् इस मामले की सूचना तुरन्त पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ की और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ

करने पर पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर भी छापा मारा—यह एक गेस्ट हाउस से भी बढ़कर थी—और उस गेस्ट हाउस में उन्होंने दो महिलाओं को दो अन्य बच्चों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनसे कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी प्राप्त किए।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर में बताया है कि हाल में खेल दौड़ के लिए खाड़ी देशों को बच्चों की तस्करी की घटनाओं का पता चला है। भारत और अन्य पड़ोसी देशों से बच्चों को कुछ लोगों के मनोरंजन के लिए मरु-साम्राज्य को भेजा जाता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस अत्यन्त खराब काम को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या असर हुआ है, और मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उन देशों में भारतीय दूतावासों को पीड़ित बच्चों का पता लगाने के लिए कोई निर्देश दिए गए हैं। यदि हां, तो उन बच्चों की सहायता के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, यह प्रश्न काफी हद तक विदेश मंत्रालय से संबंध रखता है। बेहतर होगा कि हमें इस प्रश्न पर विचार करने के लिए थोड़ा समय मिले, मैं विदेश मंत्रालय को निदेश दूंगा कि वे इस संबंध में अधिक ब्यौरा प्राप्त करें और इसके पश्चात् मैं सदस्यों को सूचित करूंगा। श्रम मंत्री स्वयं भी उससे ज्यादा कुछ बताने में समर्थ नहीं होंगे जो कुछ उन्होंने बताया है। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह अधिक तफसील के लिए हमें और थोड़ा समय दें ···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस सम्बन्ध में और प्रश्न पूछना चाहेंगे या हम इस प्रश्न को कल अथवा परसों के लिए स्थगित कर दें।

(व्यवधान)

श्री पी०वी० नरसिंह राव : एक या दो दिन में यह सम्भव नहीं है। यह हमारे निष्कर्ष से सम्बन्धित प्रश्न है कि वास्तव में क्या कुछ हो रहा है। एक या दो मामलों का यहां पता चला है। जब तक हमें सारे तथ्य नहीं मिल जाते हैं तब तक हम वास्तव में पूरी कहानी नहीं सुना सकते। यह राजनयिक सम्बन्धों का मामला है। आप कृपया हमें थोड़ा और समय दीजिए। हम कोई बात छिपाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक मंत्रालय की ओर से उत्तर देना एकतरफा होगा; अधूरा होगा। मैं वस्तुस्थिति को पूर्ण रूप से बताना चाहूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, यह लॉ एण्ड आर्डर का भी मामला है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए अब आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जो कुछ प्रधानमन्त्री जी ने कहा है उसको ध्यान में रखते हुए

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सहमत हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : तब तक सरकार भी उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएगी। यह एक गम्भीर मामला है तथा यह जानकर निराशा होती है कि पूरा प्रश्न केवल पर ही घटना से सम्बन्धित है। लगातार ऐसा ही व्यवहार होता आ रहा है। यह एक बहुत ही बुरा व्यवहार है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। कुछ सदस्यों से सूचनाएं आने दीजिए।...(व्यवधान) मैं उन्हें स्वीकृत कर लूंगा।

श्रीमती सुशीला गोपालन : यह एक आदत-सी बन गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मान लिया है। आप सूचना दीजिए...(व्यवधान) मैंने कहा है कि मैं सूचना को स्वीकार कर लूंगा। कृपया सूचना दीजिए।

श्रीमती विलकुमारी भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। बचाए गए बच्चों के बारे में यह प्रश्न केवल विदेश मन्त्रालय से ही सम्बन्धित नहीं है किन्तु इसका सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से भी है। बच्चों को तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभी सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करे तथा जब भी इस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा की जाए तो उस समय इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार रहे...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, बच्चों के अलावा दिल्ली में महिलाओं के भी अड्डे हैं जिनको तस्करी के लिए बाहर भेजते हैं।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

थोरियम भण्डार से यूरेनियम प्राप्त किया जाना

*308. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि देश में थोरियम खनिज भण्डारों से यूरेनियम-233 भी प्राप्त होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां। थोरियम के कुदरती रूप में कोई यूरेनियम-233 मौजूद नहीं होता है। तथापि, जब उसे न्यूक्लियर रिएक्टर में किरणित किया जाता है तो थोरियम का कुछ भाग यूरेनियम-233 में परिवर्तित हो जाता है जिसे हासिल किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। ऊर्जा के उत्पादन के लिए थोरियम का उपयोग करने की दिशा में अनुसंधान और विकास का कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग में सक्रिय रूप से किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने यूरेनियम-233 पर आधारित एक लघु रिएक्टर तैयार किया है। ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना के पहले यूनिट में प्रारम्भिक क्रोड थोरियम बंडलों द्वारा भरा गया है ताकि एक समान स्तर पर विद्युत प्राप्त की जा सके।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में दिया गया है कि थोरियम में कुदरती रूप में कोई यूरेनियम-233 मौजूद नहीं होता, मगर ऊर्जा के उत्पादन के लिए थोरियम का उपयोग करने की दिशा में अनुसंधान और विकास कार्य परमाणु ऊर्जा विभाग में सक्रिय रूप से किया जा रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने यूरेनियम-233 पर आधारित एक लघु रिएक्टर तैयार किया है। इस रिएक्टर में इसका उपयोग करने के बाद कितनी बिजली पैदा हो सकती है और इन्टरनेशनल मापदण्ड के मुताबिक क्या वह प्रयोग इकोनामिकली वायबल हो सकता है ? इसकी कॉस्ट बैनेफिट रेशो क्या आ रही है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह परीक्षण का दौर है।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम् : महोदय, यह परीक्षण का दौर है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम अपने यूरेनियम भण्डारों से सामान्यतः इसकी स्थापना की अनुमति दे देंगे। सामान्य तौर पर हम लगभग 10,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किन्तु फास्ट ब्रीडर प्रौद्योगिकी तथा थोरियम से उत्पादित यूरेनियम-238 का उपयोग करके हम 3,50,000 मेगावाट तक विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए इसकी भारी गुंजाइश है।

30 मेगावाट वाला कामिनी प्रायोगिक संयन्त्र अभी परीक्षण के दौर में है। यह निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन की एक अत्यधिक कुशल इकाई है।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : माननीय अध्यक्ष महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में सरकार क्या करना चाहती है ? तथा कितना यूरेनियम-233 का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना में करने का इरादा है ? इससे कितनी बिजली बन सकती है और इस देश में बिजली बनाने

के जो दूसरे तरीके हैं, उपाय हैं, उस तुलना में यह बिजली क्या फायदेमन्द हो सकती है ?

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, जहां तक आठवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि 1992 से 1996 तक की अवधि के दौरान हमारे यहां लगभग 1120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की इकाइयां होंगी ।

जहां तक यूरेनियम-233 का सम्बन्ध है, इसे वाणिज्यिक नहीं बनाया है । यह अभी एक परीक्षण रिएक्टर है । इसलिए इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि हम कितना उत्पादन कर पायेंगे ।

[हिन्दी]

श्री प्रतापराव बी० भोंसले : अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि हमारे देश में बिजली उत्पादन के जो दूसरे उपाय हैं या माध्यम हैं उस तुलना में यह बिजली क्या फायदेमन्द हो सकती है ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : डैफिनेटली फायदेमन्द होगी ।

[अनुवाद]

किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि कितना उत्पादन किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह अभी भी परीक्षण के दौर में है ।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष जी, यूरेनियम में रेडियो धर्मिता होती है । यूरेनियम-233 की उपलब्धि भी बहुत सीमित है और दुनिया में जहां-जहां यूरेनियम की उच्च-धर्मिता का यूरेनियम है और यदि हमको अपनी टैक्नोलौजी के लिए आवश्यकता होती तो हमको आयात करना पड़ता ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत टेक्नीकल प्रश्न है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं साइंस का विद्यार्थी हूं और यह मेरा विषय है । मैं इसके अन्दर तक जा सकता हूं जैसे—डिसइंटिग्रेशन या रीस्ट्रक्चर तक···(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्योंकि यह उच्च रेडियो धर्मिता का पदार्थ है और हमारे देश में विद्युत उत्पादन या अन्य क्षेत्रों में इस थोरियम का भंडार कितना है और इसके असेसमेंट के बारे में सरकार ने कोई जानकारी प्राप्त की है और यदि जानकारी प्राप्त की है तो इसकी उपलब्धता पूर्ण क्षमता से प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन चाहिए, अगर मिनिस्टर रेडी हैं तो ठीक है ।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : यदि वे चाहते हैं तो मैं उन्हें जानकारी दे सकता हूं । मेरे

पास सूचना उपलब्ध हैं। हमारे उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार राज्यों के समुद्र तटों तथा भीतरी भागों में लगभग 45 लाख टन मोनाजाइट में लगभग 410,000 से 220,000 टन तक थोरियम आक्साइड उपलब्ध है।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : एम्सपेरीमेंट स्टेज में कब तक पूरा कर लेंगे, वह जानकारी प्राप्त करनी है।

अध्यक्ष महोदय : उनको बहुत समझाना पड़ेगा, उनके चैम्बर में मिलिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां कहीं भी यूरेरियम के भण्डार उपलब्ध हैं तथा उनका दोहन किया जा रहा है क्या वहां पर स्वास्थ्य को होने वाले खतरों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से इस बात की आशंका है कि जहां नए भण्डार उपलब्ध हैं तथा उनका दोहन किया जा रहा है, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं या उनसे जो रेडियो धर्मिता उत्पन्न होती है वह हानिकारक हो सकती है। तो क्या सरकार द्वारा इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां तो क्या इस बारे में जनसाधारण को बताया जा सकता है या नहीं ?

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : महोदय, इस प्रश्न के लिए मुझे अलग सूचना की आवश्यकता है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम

*309. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** :
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के लम्बे समय से रुग्ण चले आ रहे 47 उपक्रमों को बन्द करने/उनका निजीकरण करने का प्रस्ताव है, जैसा कि 19 मई, 1992 के "बिजनस स्टेंडर्ड" में समाचार छपा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपक्रमों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य रुग्ण उपक्रमों को भी कोई आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) केवल 31-3-91 तक की अवधि की जानकारी ही उपलब्ध है और उसके अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 54 रुग्ण औद्योगिक उद्यम हैं जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के पास भेजे जाने योग्य हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल नवीकरण/पुनर्स्थापन सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिए इन मामलों की जांच करेगा । इन रुग्ण उद्यमों के पुनर्गठन के कारण सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा-तन्त्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना भी कर दी गई है ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : अध्यक्ष महोदय, उद्योग राज्य मन्त्री ने जो बताया है तो उसके अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 54 उद्योग बीमार हैं । लेकिन मन्त्री महोदय ने "सी" के उत्तर में बहुत होशियारी के साथ नंबर नहीं बताया है । मैंने यह पूछा है—

[अनुवाद]

"इन उपक्रमों में कितने श्रमिक कार्य कर रहे हैं ।"

[हिन्दी]

बिल्कुल साफ कर दिया है, नहीं बताया है । इन्होंने सभी मामलों को बी० आई० एफ० आर० पर छोड़ने को कह दिया है । मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि कुछ उद्योगों में कर्मचारियों को हटाने का नोटिस दिया गया है और उसके कारण से उन उद्योगों में कुछ जगह इसकी चिंता बहुत बढ़ती जा रही है । साथ-साथ यह भी कहा गया है कि नेशनल रिनुअल फंड क्रिएट करके जो रि-स्ट्रक्चरिंग करना है तो क्या जो शख्स दो साल के बाद रिटायर होने वाले हैं उनको भी ट्रेनिंग देंगे ? इसका कोई समय निर्धारित होना चाहिए कि कितने वर्ष तक के लोगों को ट्रेनिंग देंगे, कितने वर्ष तक काम कर रहे लोगों को नहीं हटाएंगे, इन सब चीजों पर आपको विचार करके बताना चाहिए और मेरा अनुरोध है कि आप स्पष्ट रूप से बताएं कि एक भी सिक उद्योग, जिसकी चर्चा आपने की है, उसके किसी भी कर्मचारी को किसी भी कारण से नौकरी से नहीं हटाया जाएगा । दूसरा यह है कि उनका रि-स्ट्रक्चरिंग करना है तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए अभी से व्यवस्था होनी चाहिए । जिन लोगों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं उनकी संख्या बतायें और जिनके ऊपर इसका असर हुआ है उनकी भी तादाद बतायें ?

अध्यक्ष महोदय : ये सारे प्रश्न के रूप में हैं, यह समझकर बतायें ।

[अनुवाद]

श्री पी० के० थुंगन : मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा और मैं आशा करता हूं कि वे संतुष्ट हो जाएंगे । जैसा कि मैंने कहा था, केन्द्रीय सरकार की 54 रुग्ण औद्योगिक इकाइयां हैं । इन इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 3.33 लाख है । माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने प्रश्न (ग) का उत्तर नहीं दिया है । मैंने जो 'प्रश्न नहीं उठता' कहा है यह इसलिए

कहा है क्योंकि प्रश्न 47 इकाइयों से सम्बन्धित था। मैंने 47 इकाइयों के आंकड़े नहीं दिए हैं। मैंने 54 इकाइयों के आंकडे दिए हैं अर्थात् 3.33 लाख कर्मचारी।

जहां तक छंटनी के नोटिस दिए जाने का सम्बन्ध है, मुझे केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की किसी भी इकाई से ऐसी किसी सूचना की जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम श्रमिकों के कल्याण के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो देश के लिए सम्पदा का सृजन करते हैं। अतः हम उनके बारे में अत्यधिक सोचते हैं। परन्तु इसके साथ-साथ, यदि मुझे ऐसा कहने का अधिकार है, तो कहूंगा कि हम इन सभी रुग्ण इकाइयों को अपने पास नहीं रख सकते। हमें उन्हें पुनर्जीवित करना होगा और उनके पुनरुद्धार के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए हमने अपनी नई औद्योगिक नीति में कहा है कि ये रुग्ण इकाइयां बी० आई० एफ० आर० को सौंपी जानी चाहिए। नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् हमने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम में संशोधन किया है। अब तक हमने 54 में से 33 इकाइयों को पहले ही बी० आई० एफ० आर० को सौंप दिया है और शेष को जल्दी ही सौंप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि रुग्ण इकाइयों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वित्तीय बोझ और अन्य खर्चों का भार श्रमिकों पर नहीं पड़ना चाहिए। अतः केन्द्रीय सरकार ने एक सुरक्षा तंत्र तैयार किया है और राष्ट्रीय नवीकरण कोष की घोषणा की गई है। हम अभी भी इस सम्बन्ध में तौर तरीकों का निर्धारण कर रहे हैं और श्रम मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति तत्सम्बन्धी ब्यौरों का अध्ययन कर रही है। इस समिति ने 6 छोटी खण्डीय समितियां भी बनाई हैं और ये समितियां भी इन सभी पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने सम्बन्धित परामर्शदात्री समिति के कुछ संसद सदस्यों की एक समिति गठित की है। सभी विवरणों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि एक सहमति प्राप्त की जा सके क्योंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति माने जाने वाले श्रमिकों पर पड़ने वाला बोझ राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। इसी कारण हम इस सम्बन्ध में आम सहमति को प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बताया है, उसके अनुसार भिलाई में हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन कम्पनी है। वहां पर कुछ कर्मचारियों को काम में जाने के लिए नोटिस दिया गया है। क्या मैं मंत्री महोदय से आश्वासन प्राप्त कर सकता हूं कि जो नोटिस दिया गया है, उनको वापिस लिया जाएगा? दूसरी बात यह है कि यह जो बी० आई० एफ० आर० कमेटी को सौंपा गया है, क्या उसमें यूनियन के प्रतिनिधियों को भी प्रचुर मात्रा में प्रतिनिधित्व देने का मौका दिया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री पी० के० चुंगन : बी० आई० एफ० आर० श्रमिकों को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है, बी० आई० एफ० आर० प्रबन्धकों का दृष्टिकोण भी सुनेगा और बी० आई० एफ० आर० निश्चित रूप से विशेष त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों/दृष्टिकोणों को भी ध्यान

में रखेगा; इसी कारण से हम यह सब कार्य कर रहे हैं।

जहां तक किसी इकाई विशेष में छंटनी का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कहा है कि हम किसी की छंटनी नहीं करेंगे परन्तु सरकार का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यक्रम अवश्य है। अत: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत यदि कुछ श्रमिक स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं अथवा यदि प्रबन्धक स्वेच्छा से उन्हें सेवानिवृत्त करना चाहते हैं तो यह एक आपसी समझौते की बात है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान प्रश्न के भाग (घ) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न का भाग (घ) इस प्रकार था : "क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य रुग्ण उपक्रमों को भी कोई आर्थिक सहायता देने पर सरकार विचार कर रही है।" मैं "अन्य" को रेखांकित कर रहा हूं क्योंकि अभी गत सप्ताह ही एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 30 और इकाइयां बी० आई० एफ० आर० के सुपर्द किए जाने योग्य हैं। अत: यह मेरे अनुपूरक प्रश्न की बजाए मूल प्रश्न का हिस्सा होना चाहिए जिसका उन्हें उत्तर देना चाहिए। अब, जहां तक अनुपूरक प्रश्न का सम्बन्ध है, यह साधारण प्रश्न का एक भाग है। वे हमसे उस मूल प्रश्न से अनुपूरक प्रश्न पूछने की अपेक्षा नहीं कर सकते जिसका कि उन्होंने उत्तर देने से इन्कार कर दिया। वे केवल भागों में उत्तर देते हैं। वह सच नहीं हो सकता। मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि रुग्णता की सम्पूर्ण समस्या यह है कि श्रमिकों को मशीनों का अंग माना जाता है और वे मशीनों की तरह ही गौण हैं; उन्हें कभी भी मशीनों का विशेषज्ञ नहीं माना जाता है। अत: उन्हें चुनाव करने, निर्णय करने और यहां तक कि सुझाव देने का भी अधिकार नहीं दिया जाता है। मैं जानता हूं कि समस्याएं हैं। अपना प्रश्न पूछने से पहले मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। मैं बताऊंगा कि वे इकाइयां रुग्ण कैसे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया नहीं। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस समय आप सभी बातों को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं मात्र आपको तथ्य पेश कर रहा हूं। भारतीय टायर निगम के पास टायरों का ढ़ेर लगता जा रहा है क्योंकि उत्पादन शुल्क की अदायगी न करने के कारण वे उसे बेच नहीं सकते। मैसर्स बंगाल इमयुनिटि के संदर्भ में, सरकार ने उसे बैंक के मार्फत 31 मार्च तक उधार देने के बदले कुछ गारन्टी प्रदान की है, जिसे इतने····· ···अवधि तक बढ़ाया गया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां कई अन्य माननीय सदस्य हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं। आप, कृपया अपने प्रश्न पर आयें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : क्या मंत्री महोदय इकाई स्तर पर हुए त्रिपक्षीय परामर्श के आधार पर रुग्ण एककों को पुन: स्थापित करेगी और उनको बन्द नहीं करेगी। मैं आपको सुझाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ठोस प्रश्न है; इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री पी० के० चुंगन : मैं अब उत्तर देने के पहले कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। उन 54 रुग्ण औद्योगिक एककों के अतिरिक्त, 13 और ऐसे रुग्ण एकक हैं जो बी० आई० एफ० आर० को उल्लिखित किए जाने वाले एककों की श्रेणी में नहीं आते। अतः, मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं, सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के विशिष्ट उद्यम प्रस्ताव हैं। सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय उसे फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि बी०आई०एफ०आर० में दर्ज करवाने के पश्चात् ही पैकेज प्रारम्भ किया जा सकता है।

बी०आई०एफ०आर० एक पैकेज मात्र है जिसका प्रयोग एककों को फिर से चालू करना या बंद करना या अन्य कार्य करना है।

इसी तरह सम्बन्धित विभाग या मंत्रालय इस प्रकार पुनर्जीवित करने की योजना तैयार कर सकते हैं। इस तरह का प्रयोग जारी है। यह एक सतत् किया जाने वाला प्रयोग है। कभी-कभी रुग्ण एककों की संख्या में वृद्धि होती है तो कभी-कभी लाभ देने वाले एककों में।

माननीय सदस्य ने भारतीय टायर निगम के बारे में पूछा है तथा वह यह भी जानते हैं कि हम इसके लिए कितने इच्छुक हैं और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि यदि वह और कोई सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उनके अनेक ऐसे सुझावों का अनुसरण कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है।

श्री मुमताज अंसारी : माननीय मंत्री महोदय ने नई औद्योगिक नीति पर बल देने के साथ-साथ उन्होंने अपने वक्तव्य में मात्र 54 रुग्ण उद्योगों की बात कही है। लेकिन दिनांक 8 जुलाई के **दी स्टेट्समैन** में प्रकाशित एक समाचार—विश्व बैंक के एक गोपनीय दस्तावेज में प्रकाशित 58 ऐसे सरकारी क्षेत्र की एककों की बात कही गई है जिसे भारत सरकार रुग्ण मानती है तथा उन सभी 58 रुग्ण एककों को बन्द करने करने के लिए उत्सुक है। इन सभी रुग्ण एककों को बंद करने से कम-से-कम 30 खरब रुपये का नुकसान है। इसके साथ-साथ 3,50,000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा में दिए गए वक्तव्य पर विश्वास करते हैं। क्या यह वास्तविकता है ?

श्री मुमताज अंसारी : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस 30 खरब रुपये को इंतजाम सरकारी खजाने से किया जाएगा या विश्व-बैंक से उधार लिया जाएगा ? क्या सरकार धीरे-धीरे निजीकरण करने पर विचार कर रही है या वह निजीकरण की विचार-धारा को एकदम से अपनाना चाहती है। अर्जेंटीना, ब्रिटेन और अन्य विकसित देशों में इसका अनुभव बहुत खराब रहा है; वह दुर्भाग्यकारी सिद्ध हुआ है। माननीय मंत्री द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपके प्रश्न को निश्चित रूप दे सकता हूं ? उन्होंने कहा है कि 58 रुग्ण एककों को बन्द किया जा रहा है। क्या यह सच है ?

श्री पी०के० चुंगन : नहीं महोदय।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सार्वजनिक बीमार उद्योगों में 3,33,000 कामगार एवं कर्मचारी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसमें से दो लाख कामगार एवं कर्मचारी सिर्फ एन०टी०सी० में हैं। एन०टी०सी० के कर्मचारी एवं कामगारों की छंटनी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दो लाख कर्मचारी एवं कामगार जो एन०टी०सी० में हैं उनको बचाने के लिए, उनकी छंटनी रोकने के लिए कोई विशेष प्रावधान है ?

[अनुवाद]

श्री पी०के० थुंगन : हम राष्ट्रीय कपड़ा निगम सहित सभी रुग्ण एककों के बारे में चिंतित हैं। इसलिए विभिन्न उपचारात्मक उपायों का प्रश्न नही उठता। हम निश्चित ही चिंतित हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन्होने कहा कि इंजीनियरिंग उद्योग को बन्द करने का सरकार का प्रस्ताव नहीं है। मैं स्पेसेफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बिहार में हटिया में हैवी इंजीनियरिंग उद्योग और बरौनी और सिंदरी में खाद के कारखानों को बन्द करने का क्या सरकार का प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

श्री पी०के० थुंगन : ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ माननीय सदस्य तथा देश के भीतर तथा बाहर के लोगों में तालाबंदी का एक हौवा बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से हम लोग बी०आई०एफ०आर० के दिशा-निर्देश के बारे में बात कर रहे हैं। अभी किसी भी एकक को बन्द नहीं किया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : हिन्दुस्तान उर्वरक के बारे में क्या कहना है ?

(व्यवधान)

महोदय, आप इस पर एक विस्तृत चर्चा की अनुमति दें। सरकार ने पहले ही अनेक एककों को बन्द कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। आप अभी बैठ जायें। हम सोचेंगे कि क्या करना है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यों के लिए नियत राशि

*310. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने आठवीं योजना में प्रत्येक राज्य को क्षेत्रवार कितनी-कितनी धनराशि का नियतन किया है और इस प्रयोजनार्थ क्या मानदंड अपनाया गया;

(ख) किन-किन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इन प्राथमिकताओं की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या आठवीं योजना की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) प्रत्येक राज्य के लिए योजना परिव्यय का आकार राज्य के निजी संसाधनों, राष्ट्रीय विकास परिषद् में स्वीकार किए गए मानदण्ड पर आधारित केन्द्रीय सहायता की उपलब्धता तथा राज्य में क्रियान्वित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के आधार पर बढ़ाई जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक क्षेत्रक तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार परिव्ययों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं :

(1) विद्युत परिवहन, संचार सहित आधारभूत संरचना,

(2) कृषि उत्पाद के विविधीकरण सहित कृषि,

(3) स्वास्थ्य

(4) शिक्षा

(5) साक्षरता

(6) कमजोर वर्गों के लिए पीने योग्य जल, आवास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों सहित बुनियादी आवश्यकताएं, और

(7) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार।

इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य पृथक स्कीमें तैयार करता है।

योजना की प्राथमिकताएं तय करने में सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन डी सी), जिसके सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सदस्य हैं, में इन प्राथमिकताओं को अंतिम रूप से तय किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिनांक 23-24 दिसम्बर, 1991 को हुई 43 वीं बैठक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दिशात्मक पत्र का अनुमोदन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिनांक 22-23 मई, 1992 को हुई अपनी बैठक में योजना प्रारूप का अनुमोदन किया था।

विवरण

आठवीं योजना 1992-93 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं व्यापक क्षेत्र-वार परिव्यय

(1991-92 की कीमतों पर करोड़ रु०)

क्र० सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	कृषि सम्बद्ध क्रियाकलाप सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	ग्रामीण विकास	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	ऊर्जा (आई० आर० ई० पी० सहित)	उद्योग एवं खनिज
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2844.58	532.97	450.00	3043.62	272.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	180.96	36.32	0.00	151.96	24.49
3.	असम	976.61	186.66	11.84	1196.85	322.76
4.	बिहार	3977.39	1089.92	77.33	2149.13	458.14
5.	गोवा	178.75	14.60	0.00	55.75	36.20
6.	गुजरात	4188.00	421.20	0.00	2678.50	667.00
7.	हरियाणा	966.68	119.30	20.00	1711.84	220.47
8.	हिमाचल प्रदेश	349.35	74.20	00.0	810.25	75.75
9.	जम्मू और कश्मीर	536.02	96.80	216.50	1180.28	194.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	कर्नाटक	3079.24	427.50	575.00	3046.50	984.00
11.	केरल	1352.50	303.97	2.50	1238.00	810.00
12.	मध्य प्रदेश	3232.59	523.49	0.00	3581.80	465.72
13.	महाराष्ट्र	4177.11	1712.61	216.56	4582.71	814.46
14.	मणिपुर	245.49	14.50	0.00	187.45	39.80
15.	मेघालय	149.26	37.59	10.67	172.23	42.70
16.	मिजोरम	83.10	130.25	0.00	104.00	45.25
17.	नागालैंड	109.50	96.50	10.50	60.80	49.00
18.	उड़ीसा	3723.03	402.35	0.00	2647.70	785.70
19.	पंजाब	1151.60	187.29	50.91	2429.00	162.92
20.	राजस्थान	2880.36	1021.76	84.00	3255.48	535.55
21.	सिक्किम	69.00	11.80	0.00	135.50	20.80
22.	तमिलनाडु	1413.15	446.00	0.00	3020.00	550.00
23.	त्रिपुरा	279.00	73.75	90.00	121.25	64.60
24.	उत्तर प्रदेश	4670.45	1569.15	290.00	7006.26	569.30
25.	पश्चिम बंगाल	1521.73	682.78	144.35	3024.72	1074.78
26.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			4500.00*		
	जोड़—क राज्य	42135.35	10213.26	6750.16	47291.58	9284.89

1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.83	2.20	0.00	64.72	6.90
2.	चंडीगढ़	4.82	5.00	0.00	55.40	2.84
3.	दादरा और नगर हवेली	21.55	2.63	0.00	5.51	3.25
4.	दमन और दीव	9.49	0.55	0.00	7.47	2.76
5.	दिल्ली	88.35	21.25	0.00	1223.50	30.00
6.	लक्षद्वीप	25.20	1.89	0.00	15.51	3.40
7.	पांडिचेरी	53.90	5.58	0.00	102.40	48.71
	जोड़—ख संघ राज्य क्षेत्र	239.14	42.10	0.00	1474.51	97.86
	कुल जोड़ : (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	42374.49	10255.36	6750.16	48766.09	9382.75

क्र० सं०	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	परिवहन	संचार	विज्ञान और प्रौद्यो०	पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण (वानिकी एवं वन जीवन सहित)	सामाजिक सेवाएं	अन्य	जोड़
1	2	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1153.54	0.00	2.00	68.42	2066.53	65.84	10500.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	343.93	0.00	0.47	47.34	321.63	47.90	1155.00
3.	असम	294.86	0.00	4.62	116.99	1642.04	108.77	4662.00
4.	बिहार	1462.61	0.00	7.82	190.60	2918.54	668.62	13000.0
5.	गोवा	107.45	0.00	3.00	11.30	297.10	56.85	761.00
6.	गुजरात	640.00	9.00	5.50	309.50	2255.40	325.90	11500.00
7.	हरियाणा	391.38	0.00	6.62	123.70	1968.80	171.21	5700.00
8.	हिमाचल प्रदेश	328.15	3.00	2.75	211.85	748.15	198.55	2502.00
9.	जम्मू और कश्मीर	880.60	0.00	1.90	107.60	1226.00	160.30	4000.00
10.	कर्नाटक	448.00	0.00	8.00	209.76	3260.25	261.75	12300.00
11.	केरल	433.00	0.00	21.93	98.05	1077.18	122.87	5460.00
12.	मध्य प्रदेश	429.26	0.00	6.41	212.58	2079.01	569.14	11100.00

13. महाराष्ट्र	1731.72	0.00	5.68	504.64	4187.13	587.38	18520.00
14. मणिपुर	160.60	0.00	4.00	24.00	255.90	47.26	979.00
15. मेघालय	207.29	0.00	1.93	61.91	274.63	70.79	1029.00
16. मिजोरम	103.10	0.00	1.95	31.30	212.45	52.60	763.00
17. नागालैंड	161.70	0.00	1.00	28.90	225.80	100.30	844.00
18. उड़ीसा	592.90	0.00	45.56	112.01	1543.76	146.99	10000.00
19. पंजाब	357.84	0.00	7.50	60.28	1887.48	275.18	6570.00
20. राजस्थान	783.97	0.00	7.00	339.51	2461.62	130.75	11500.00
21. सिक्किम	85.00	0.00	2.50	19.00	167.90	38.50	550.00
22. तमिलनाडु	707.00	0.00	10.00	215.00	3779.65	59.20	10200.00
23. त्रिपुरा	105.00	0.50	2.25	27.25	350.30	16.10	1130.00
24. उत्तर प्रदेश	1902.53	0.00	10.00	379.54	4009.20	593.57	21000.00
25. पश्चिम बंगाल	575.15	0.00	18.33	143.13	2372.31	202.72	9760.00
26. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम							4500.00
जोड़—क राज्य	13786.58	12.50	188.72	3654.16	41588.76	5079.04	179985.00
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	394.05	0.00	1.35	25.25	131.41	22.49	685.00
2. चंडीगढ़	16.45	0.00	0.15	8.60	298.01	8.73	400.00
3. दादरा और नगर हवेली	6.76	0.00	0.38	8.00	26.66	5.26	80.00

1	2	8	9	10	11	12	13	14
4.	दमन और द्वीव	11.97	0.00	0.40	1.10	22.32	8 94	65.00
5.	दिल्ली	660.00	0.00	0.30	9.35	2334.50	132.75	4500.00
6.	लक्षद्वीप	42.14	0.48	1.28	0.85	24.04	5.21	120.00
7.	पांडिचेरी	29·82	0·00	0.13	2.67	140.76	13.03	400.00
	जोड़—ख संघ राज्य क्षेत्र	1161·99	0.48	3.99	55·82	2977.70	196.41	6250·00
	कुल जोड़ (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)	14948.57	12.98	192.71	3709·98	44566·46	5275.45	186235.00

*विशेष क्षेत्र कार्यक्रम : एनईसी—1160.00, टीएसपी—1250.00 एचएडीपी—1450.00 बीएडीपी—640.00 जोड़—4500.0.

[अनुवाद]

कलकत्ता में कोयले की कमी

*311. श्री सनत कुमार मंडल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और इसके आसपास के उपनगरों में कोयले की कमी के कारण बार-बार और काफी देर तक बिजली बन्द रहती है;

(ख) यदि हां, तो कोयले की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यहां सप्लाई किया जा रहा कोयला घटिया किस्म का होता है; और

(घ) कलकत्ता की विद्युत उत्पादक यूनिटों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, नहीं । पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था स्थायी संयोजित समिति (अल्पावधि) द्वारा अनुमोदित तिमाही संयोजन के आधार पर की जाती है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल में कार्यरत किसी भी तापीय विद्युत गृह से कोयले के अभाव के कारण विद्युत के उत्पादन में कमी होने के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के तापीय विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता सामान्यतः उनके डिजाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप रही है । किन्तु कोयले के बड़े आकार में होने तथा कोयले के साथ अवशिष्ट सामग्री के मिश्रित होने के संबंध में कुछ शिकायतें मिलती रही हैं ।

(घ) विद्युत उपयोगिताओं को कोयले की आपूर्ति में अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में, प्राथमिकता दी जा रही है । कोयले के प्रेषण पर दैनिक आधार पर प्रबोधन किया जाता है और कोयले की आपूर्ति का नियमित रूप में सुनिश्चिय किए जाने के लिए, जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं ।

[हिन्दी]

खाद्य सहायता

*312. आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत द्वारा रूस, अफगानिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों को गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक देश को मद-वार कितनी-कितनी खाद्य सहायता प्रदान की गई और इसका मूल्य कितना-कितना था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष	देश	मद	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1989-90	अफगानिस्तान	चाय चीनी वनस्पति	190.8	1.5
1990-91	अफगानिस्तान	गेहूं	1300	0.99
	रूस	चावल	20000	14.3
	(भूतपूर्व सोवियत संघ)	अन्य खाद्य पदार्थ	—	2.7
	श्रीलंका	बाल आहार	—	0.01 (लगभग)
1991-92	अफगानिस्तान	चाय वनस्पति तेल चीनी दुग्ध चूर्ण गेहूं	50318	11.74
	बंगलादेश	चावल	5000	3.06
		बिस्कुट दाल गुड़ चूरा	149.27	0.16(लगभग)
	रूस (भूतपूर्व सोवियत संघ)	चावल	(भेजा जा रहा है)	2.5
		अन्य खाद्य पदार्थ	(जुटाए जा रहे हैं)	2.5
	मालदीव	गेहूं का आटा चावल चीनी	800 915 790	1.44

[अनुवाद]

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय युद्ध बंदी

*313. श्री मोहन रावले :

श्री कमल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय युद्धबंदी अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं;

(ख) भारतीय मूल के अन्य कितने व्यक्ति वहां की जेलों में हैं;

(ग) क्या सरकार को पाकिस्तान की जेलों में भारतीय युद्ध बंदियों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार संबंधी खबरों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) पाकिस्तान की जेलों से भारतीय युद्ध बन्दियों और भारतीय मूल के अन्य कैदियों को शीघ्र रिहा कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(च) गत दो वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच कितने युद्ध बंदियों का आदान-प्रदान किया गया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) उपलब्धि सूचना के अनुसार माना जाता है कि इस समय 54 लापता भारतीय रक्षा कार्मिक और तकरीबन 936 असैनिक कैदी पाकिस्तान की जेलों में हैं।

(ग) जी हां। सरकार ने इस सम्बन्ध में अखबारों में छपी खबरें देखी हैं।

(घ) और (ङ) सरकार कई अवसरों पर सभी भारतीय कैदियों की रिहाई और शीघ्र वापसी के प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाती रही है। ये प्रयत्न जारी हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि कोई भी भारतीय रक्षा कार्मिक उनकी हिरासत में नहीं हैं।

(च) जून, 1990 और जुलाई, 1991 में दो अलग-अलग अदला-बदलियों में 95 भारतीय असैनिक कैदियों को छुड़ाया गया और पाकिस्तान के 64 असैनिक कैदियों को वापिस भेजा गया। मार्च, 1991 और अप्रैल, 1992 के बीच सरकार ने पाकिस्तानी हिरासत से 181 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया और बदले में भारत में नजरबंद 380 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन करना

*314. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वहां श्रमिकों की छंटनी करने और उनकी घाटे वाली गतिविधियों को बंद करने हेतु एक विस्तृत पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए कुछ विदेशी परामर्शदाताओं की सेवाएं शुल्क के आधार पर प्राप्त की हैं;

(ख) क्या इन परामर्श-सेवाओं के लिए धनराशि विश्व बैंक ने दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परामर्शदाताओं द्वारा किन-किन उपक्रमों के बारे में परामर्श दिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० चुंगन) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रमुख उद्यमों के पुनर्गठन हेतु विदेशी परामर्शदाताओं को नियुक्त किया गया है। सरकारी उद्यमों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिए उत्पादित मालों की गुणवत्ता में सुधार लाने, लागत को कम करने तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन

हेतु सरकारी उद्यमों के कार्य-प्रचालनों को पूर्णतः युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा अध्ययन प्रायोजित किए गए थे। कुछ मामलों में अध्ययन हेतु विश्व बैंक द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई है तथा कुछ मामलों में विश्व बैंक के माध्यम से विदेशी सरकारों ने आर्थिक सहायता प्रदान की है।

महाराष्ट्र में जल संरक्षण कार्यक्रम

*315. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें राज्य में वर्ष 1992-93 में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जल संरक्षण कार्यक्रमों के लिए और गांवों में पाइप से जल सप्लाई योजनाओं तथा राजीव गांधी टैक्नालोजी मिशन कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों अभ्यावेदनों पर केन्द्र सरकार की अलग-अलग प्रतिक्रिया क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) चूंकि उपलब्ध संसाधनों का आवंटन पहले ही निर्धारित किया जा चुका है अतः दोनों अभ्यावेदनों में अतिरिक्त धनराशि के लिए किए गए अनुरोध पर, अतिरिक्त निधियां अथवा बचत राशि उपलब्ध होने की दशा में ही विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोग

*317. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अफगानिस्तान में भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ बातचीत की गई है/की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के संबंध में जो भारत वापस आना चाहते हैं, क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) भारतीय मूल के अफगान राष्ट्रिकों की जान और माल की हिफाजत करना अफगानिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके साथ कई अवसरों पर यह मामला उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को उठाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) काबुल में अनिश्चितता का वातावरण होने के कारण सरकार भारतीय मूल के उन अफगान राष्ट्रिकों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है; जो भारत आने के इच्छुक हैं, उनके लिए भारत में रहने के लिए वीसा शीघ्र प्रदान करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

फिजी के साथ राजनयिक संबंध

*318. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिजी में नई सरकार बनने के बाद उसके साथ राजनयिक सम्बन्ध पुन: स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में बेरोजगारी

*319. श्री के० प्रधानी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43 वें दौर के अनुसार रोजगार और बेरोजगारी पर अद्यतन सर्वेक्षण 1987-88 में किया गया था जिसमें उड़ीसा में बेरोजगारी का सामान्य मुख्य स्तर 4.66 प्रतिशत था। राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के अलावा जनसंख्या के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों के बीच त्वरित आर्थिक विकास का समान रूप से वितरण, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम प्रधान कार्यों के सृजन के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना कि काम में लगे अधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादनकारी परिसम्पत्ति सिद्ध हों तथा राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके बेरोजगारी की समस्या से निपटा जाए। राज्य सरकार द्वारा परिकल्पित रोजगार कार्यनीति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा सरकार द्वारा परिकल्पित रोजगार कार्यनीति

(1) शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार के लिए स्वरोजगार स्कीमें।

(2) विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारों की दक्षता में सुधार के लिए और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें।

(3) स्वरोजगार स्थापित करने के लिए एसईईयूवाई, टीआरवाईएमईएम इत्यादि जैसे कार्यक्रमों को संगठित करना।

(4) रोजगारोन्मुखी परियोजनाओं के लिए उद्यमशीलता को आकृष्ट करने हेतु सहायता के रूप में प्रोत्साहन, प्रबंधकीय सहायता, विपणन सहायता आदि प्रदान करना।

(5) जॉब ट्रेनिंग दिए जाने के बाद इंजीनियरी कार्यों में बेरोजगार इंजीनियर स्नातकों को लगाना, ताकि वे अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें।

(6) स्नातक इंजीनियरों को "ख" वर्ग के ठेकेदारों के रूप में पंजीकृत करना और "ग" वर्ग तथा इससे नीचे के कम से कम 20 प्रतिशत कार्य उनके लिए आरक्षित करना।

(7) बैंक वित्तीय सहायता से स्थापित किए गए अपने उद्योगों में स्नातक इंजीनियरों को स्व-रोजगार।

(8) अपूर्ण रोजगार तथा जन-शक्ति की समस्या वाले ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना जहां आपात आधार पर कुछ रोजगार सृजनकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं।

(9) ठेकेदारों द्वारा मानदंडों के अनुसार स्नातक तथा डिप्लोमाधारी इंजीनियरों को रोजगार।

(10) चिकित्सा स्नातकों को प्राइवेट क्लीनिक और नर्सिंग होम खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।

(11) कृषि स्नातकों को निजी कृषि-सेवा केन्द्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करना।

(12) महिलाओं को आशुलिपिक, प्राथमिक पाठशाला अध्यापक, दूरभाष प्रचालक, हाऊस कीपर, कम्प्यूटर डाटा एन्ट्री आपरेटर्स, स्वागतकर्ता जैसे कार्यों में लगाना।

(13) अतिरिक्त ग्रामीण श्रमिकों का उपयोग करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था को सफल करना।

(14) असंगठित क्षेत्रों में और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आई आर डी पी तथा अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की क्षमता और कार्यक्षेत्र का विस्तार करना।

(15) कृषि उत्पाद विपणन की सहायता सहित ग्रामीण बेरोजगारों को और अधिक शामिल करने के लिए नकद फसलों पर अधिक बल देते हुए फसलों के उगाए जाने की विधि में विविधीकरण।

(16) अन्य प्रोत्साहनों तथा सहायता सहित ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ कुटीर, खादी उद्योग में स्वरोजगार।

(17) कम पूंजी से अधिक रोजगार सृजन के लिए रेशम-पालन उद्योग, फल-संरक्षण तथा खाद्यान्न प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रोत्साहन देना ।

(18) विभागीय तथा स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से शुरू किए जाने वाले सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत पौध लगाने के कार्यों में ग्रामीण श्रमिकों के लिए मजदूरी रोजगार तथा वाणिज्यिक बागानों जैसे चाय, काफी, इत्यादि के लिए मजदूरी रोजगार का प्रावधान करना ।

(19) कम व्यस्त मौसम के दौरान भवन-निर्माण तथा सड़कों के निर्माण कार्यक्रमों में ग्रामीण और शहरी श्रमिकों को लगाना जिससे मौसमी बेरोजगारी को हटाए जाने पर ध्यान दिया जा सके ।

(20) उपरोक्त के अतिरिक्त, वृत्ति भोगी इंजीनियरों की एक स्कीम 1990 से चल रही है जिसके माध्यम से 1468 बेरोजगार डिग्रीधारी इंजीनियरों को 2,000 रु० मासिक समेकित पारिश्रमिक पर रोजगार प्रदान किया गया है ।

(21) शिक्षाकर्मी और शिक्षा सेवकों का सृजन किया गया है जो शिक्षित बेरोजगारों के लिए अध्यापक के रूप में कार्य कर सकते हों ।

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची

*320. **श्री अनिल बसु :**
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची वित्तीय सहायता प्राप्त न होने के कारण वास्तव में बन्द होने की स्थिति में पहुंच गई है, जैसा कि दिनांक 2 जून, 1992 के "टेली-ग्राफ" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय सहायता कब तक दिये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी इस संबंध में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार की बजटीय कठिनाइयों के कारण, इस वर्ष बजट प्रावधान से अधिक अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना कठिन है ।

(अ) और (ङ) जी, हां। भारी उद्योग विभाग के पूर्व सचिव, डा०जी०जी० कपूर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति, हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा अपने कुमकदार के लिए प्रस्तुत, टर्न अराउन्ड प्लान की जांच कर रही है।

(च) एच०ई०सी० के लिए अपेक्षित निधियां जुटाने के लिए, बैंकों से बातचीत की गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को लाइसेंस देना

*321. श्री राजेश कुमार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इलैक्ट्रॉनिक इकाइयों की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को लाइसेंस देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) दिनांक 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार, सामरिक इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र तथा रंगीन टी० वी०, वीडियो कैसेट रिकार्डरों, सी० डी० प्लेयरों, टेपरिकार्डरों और सूक्ष्म तरंग चूल्हों के विनिर्माण को छोड़कर इलैक्ट्रॉनिकी क्षेत्र में इकाइयों की स्थापना के लिए किसी भी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों में भी जारी किए जाने वाले लाइसेंसों की संख्या की सीमा से संबंधित कोई प्रतिबंध नहीं है, अतः इलैक्ट्रॉनिकी इकाइयों की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमकर्त्ताओं के लिए अलग से लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

*322. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम में संशोधन करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) यह मामला इस समय सरकार के विचाराधीन है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ठेके

*323. श्री वसुदेव आचार्य :
श्री अमल दत्त :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों की सरकारें केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को ठेके देने के मामले में इनकी उपेक्षा कर रही हैं जैसा कि 5 जून, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि ठेके केवल इन्हीं उपक्रमों को मिलें ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आर्थिक सुधार कार्यक्रम

*324. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री शरद यादव :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक सुधार कार्यक्रम के कारण अब तक रोजगार के कुल कितने अवसर कम हुए हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और पिछले वर्ष के अन्त तक की बेरोजगार लोगों की संख्या की तुलना में यह कम है अथवा अधिक है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए यदि कोई नीति बनाई गई है तो वह क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) आर्थिक सुधारों के पैकेज की सरकार द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है और रोजगार स्थिति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व है ।

(ग) आठवीं योजना में परिकल्पित रोजगार नीति आगामी दस वर्षों के अन्त तक पूर्ण रोजगार स्थिति प्राप्त करने की है ।

कोयले के लिए विश्व बैंक से ऋण

3120. श्री एम० जे० राठवा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक कितनी धन-राशि देने के लिए सहमत हुआ है :

(घ) अब तक कितनी धन-राशि मिली है;

(ङ) शेष धन-राशि कब तक मिल जायेगी; और

(च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस ऋण-राशि को किन-किन विकास योजनाओं पर खर्च किया जायेगा ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० ओ० श्यामनोड) : (क) से (च) विश्व बैंक के ऋण द्वारा निम्नलिखित कोयला परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

क्र० सं०	परियोजना	ऋण राशि मिलियन अमेरिकी डालर में	उपयोग की गई राशि (31-3-92 तक मिलियन अमेरीकी डालर)
1.	दुधिचुआ ओ० का० प० नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०	109.00	85.65
2.	ब्लाक-II ओ० का० प० बी० सी० सी० एल० (झरिया कोकिंग कोयला परियोजना)	57.5	50.29
3.	सोनपुर बाजारी, ओ० का० प० ई० सी० एल०	114.8	2.21
4.	बेकरा ओ० का० प०, एस० ई० सी० एल०	65.2	41.23

उपरोक्त वर्णित चालू परियोजनाओं के अलावा विश्व बैंक के एक मिशन को इन आगों हेतु संभव उपाय ढूंढने के लिए नैदानिक अध्ययन को वित्त-पोषित किए जाने के लिए झरिया खान की आगों के संबंध में अभी हाल ही में अवगत कराया गया है ।

अभी तक विश्व बैंक से कोई नया ऋण प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुम्बई हज समिति

3121. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई हज समिति अपना कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद भी उसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाकर कार्य करती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति का पुनर्गठन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस समिति का पुनर्गठन कब तक किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने हज समिति अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक पेश किया जायेगा;

(च) क्या सरकार का हज समिति अधिनियम के संबंध में कोई नया कानून बनाने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हज समिति अधिनियम के अनुसार हज समिति बम्बई की कार्यावधि की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं । हज समिति के पुनर्गठन पर अच्छे हज प्रबन्ध के संदर्भ में विचार किया जाएगा ।

(घ) से (छ) हज समिति अधिनियम, 1959 को बदलने के लिए सरकार एक उपयुक्त कानून पर विचार कर रही है । तथापि चूंकि इस संबंध में परामर्श अभी समाप्त नहीं हुआ है इसलिए ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर

3122. श्री विजय एन० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रम ऐसे क्या कदम उठा रहे हैं जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकें ?

उद्योग मंत्रालय (भारी विभाग उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पदों के सृजन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । सरकारी उपक्रमों में नए पदों का सृजन आवश्यकता के आधार पर किया जाता है जिसमें नए पूंजी निवेश अथवा कार्य-व्यापारों के विस्तार/विविधीकरण आदि हेतु पूंजीनिवेश शामिल हो सकते हैं ।

पेंशन में वृद्धि करने संबंधी नीति

3123. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पेंशन भोगियों को महंगाई राहत देने तथा वेतन और महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते सहित वेतन संरचना तथा पेंशन भोगियों की महंगाई राहत का निर्धारण समय-समय पर स्थापित वेतन आयोगों द्वारा किया जाता है। कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना और महंगाई भत्ते तथा पेंशनभोगियों की महंगाई राहत चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं।

[हिन्दी]

बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

3124. **श्री ललित उरांव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई तथा इस संबंध में अब तक कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के प्रयोग के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अब तक लगभग कुल 14.73 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग के लिए सहायता भी देती है। बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर जल तापन प्रणालियां, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां जैसी विभिन्न प्रकार की अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियां तथा युक्तियां उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रही हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार की नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों और युक्तियों के संबंध में उपलब्धियों की स्थिति विवरण-"क" में दी गई है।

(ख) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों का प्रबोधन तथा फीडबैक कार्य राज्य सरकारों/कार्यान्वयन अभिकरणों, विभिन्न कार्यक्रमों में संलग्न तकनीकी संस्थाओं सौर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नमूना आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा, बायोगैस और उन्नत चूल्हा कार्यक्रमों के लिए नमूना सर्वेक्षण का कार्य एक स्वतन्त्र अभिकरण राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा भी किया जा रहा है।

विवरण

बिहार में विभिन्न प्रकार की नई तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत प्रणालियों तथा युक्तियों के संबंध में उपलब्धि की स्थिति

क्र० सं०	कार्यक्रम/प्रणालियां तथा युक्तियां	31-3-92 तक संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	2	3
1.	बायोगैस संयंत्र	68,000 से अधिक

1	2	3
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	16
3.	उन्नत चूल्हा	6.73 लाख
4.	औद्योगिक सौर जल तापन प्रणालियां	64
5.	सौर कुकर	366
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां	500 से अधिक
7.	जल पम्पन पवन चक्कियां	252
8.	पवन मानचित्रण केन्द्र	6
9.	ऊर्जाग्राम	9
10.	बायोमास गैसीफायर	1

[अनुवाद]

क्षयरोग रोधी औषधि की कमी

3125. **श्री प्रकाश बी० पाटील** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में क्षयरोग रोधी औषधियों की कमी है और गत छः महीनों के दौरान इनके मूल्यों में छः गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्षयरोग रोधी कौन-कौन-सी औषधियां बाजार में उपलब्ध हैं और कौन-कौन-सी नहीं हैं; और

(ग) ऐसी औषधियों के मूल्यो में कमी लाने तथा इन्हें बाजार में उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) कुछ स्थानिक क्षेत्रों में कुछ ब्राण्डों के सूत्रयोगों की कमी के मामलों को छोड़कर, जिनकी चिकित्सीय समतुल्य वैकल्पिक औषधें समान्यतया उपलब्ध थीं, इन औषधों में से किसी औषध की आम कमी सरकार की जानकारी में नहीं आई । सरकार निगरानी रखती है और देश के किसी भाग में जब भी इनकी कमी की सूचना मिलती है तो विशिष्ट ब्राण्डों के उत्पादकों से निश्चित रूप से सम्पर्क करती है ताकि कमियों पर काबू पाया जा सके ।

मोनोजाइट और जिरकॉन की खोज

3126. **कुमारी पद्मा देवी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मोनोजाइट और जिरकॉन आदि के भंडारों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में प्रत्येक खनिज का कितना-कितना भंडार उपलब्ध है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग ने देश के पुलिस और अंतःस्थलीय प्लेसरों में मोनाजाइट, जिरकॉन, इल्मेनाइट, रूटाइल और गार्नेट के निक्षेपों का पता लगाया है । प्रत्येक खनिज के भंडारों के संबंध में आंकड़े, संलग्न विवरण में दिये गए हैं ।

विवरण

राज्य	निक्षेप का प्रकार	भंडार (मिलियन टन)				
		मोनाजाइट	जरकॉन	इल्मेनाइट	रूटाइल	गार्नेट
केरल	पुलिन प्लेसर	0.312	1.470	18.493	1.555	0.740
	झील और समुद्री तल	0.450	0.523	9.053	0.457	0.010
तमिलनाडु	पुलिन प्लेसर	0.508	1.409	20.912	1.784	4.951
	अंतःस्थलीय प्लेसर	0.742	6.376	51.426	2.621	11.145
आन्ध्र प्रदेश	पुलिन प्लेसर	0.261	1.252	11.402	0.458	5.221
उड़ीसा	पुलिन प्लेसर	0.865	1.077	35.902	1.338	25.386
महाराष्ट्र	पुलिन प्लेसर	—	0.001	2.347	—	—
पश्चिम बंगाल	अंतःस्थलीय प्लेसर	1.219	0.386	2.087	0.192	—
बिहार	अंतःस्थलीय प्लेसर	0.221	0.085	0.744	0.011	—
कुल		4.558	12.579	152.366	8.416	47.453

सिन्दरी उर्वरक संयन्त्र को अर्थक्षम बनाना

3127. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के सिंदरी एकक को अर्थक्षम बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया अपने सिन्दरी एकक में चरण-I पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित कर रही है, जिसमें केपटिव पावर संयंत्र में पुनरुद्धार कार्य, औद्योगिक उत्पाद संयंत्रों का पुनरुद्धार आदि अन्तर्गस्त है। जब कभी निधियां उपलब्ध होंगी और पुनरुद्धार कार्य आरंभ किया जाएगा।

नीम आधारित जैव कीटनाशक का उत्पादन

3128. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि नीम में जैव कीटनाशी के गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो नीम से जैव कीटनाशी पदार्थ के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) यह ज्ञात हुआ है कि "नीम" में कुछ कीटनाशी यौगिक होते हैं और नीम के बीजों से कीटनाशी विनिर्मितियों के निर्माण की जानकारी इण्डियन इंस्टिट्यूट आंफ केमिकल टेक्नोलाजी, हैदराबाद और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे द्वारा स्वदेश में विकसित की गई है। देश में औद्योगिक एककों को इसका लाइसेंस पहले ही दे दिया गया है।

डिब्बाबंद वस्तुओं के मूल्य

3129. **श्री बी० देवराजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिब्बाबंद वस्तुओं के मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन डिब्बाबंद वस्तुओं के नाम तथा इनके उत्पादकों के नाम क्या-क्या हैं ?

(ग) क्या इन डिब्बाबंद वस्तुओं के उत्पादक बड़ी मात्रा में माल खरीदने पर भारी छूटें तथा अन्य प्रोत्साहन दे रहे हैं; और

(घ) इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ाते समय इस पहलू की पूर्ण उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में पैकिंग सामग्री के मूल्यों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं लगाया गया है। तथापि, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के तहत अनुसूचित थोक दवाओं के सूत्रण (फार्मूलेशन) तथा उनकी पैकिंग सामग्री के मूल्यों पर नियंत्रण है। प्रशासनिक रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया है कि पैकिंग सामग्री की लागत में वृद्धि समग्र स्फीतिकारी स्थितियों के कारण आवश्यक हो गई थी। उन्होंने आगे सूचित किया है कि किसी सूत्रण के मूल्य को नियत/संशोधित करते समय, सूत्र निर्माता द्वारा अपने दावे के समर्थन हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद पैकिंग सामग्री की लागत की अनुमति दी जाती है, लेकिन यह पैकों के विभिन्न आकारों के लिए अपनाई गई आंतरिक उच्चतम सीमा के अधीन होती है। ये उच्चतम सीमाएं औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर नियत और संशोधित की जाती हैं। इस सम्बन्ध में औसत लागत निकालने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा किये जाने वाले अध्ययन में सूत्रों के विनिर्माताओं, पैकिंग सामग्री के सप्लायरों से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में मौके पर जांच की जाती है। औषधि-सूत्रण में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री की लागत के संबंध में सरकार का निर्णय औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर आधारित होता है जो गोपनीय स्वरूप की हैं।

गुजरात में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले

3130. डा० के० डी० जेस्वानी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) कितने मामलों में जांच कार्य अब भी लम्बित है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 1989 से 1992 (30-6-1992 तक) तक गुजरात राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 178 मामले दर्ज किए गए।

(ख) 30-6-1992 को 178 मामलों में से 70 मामले जांच के लिए लम्बित हैं।

एच० बी० ओ० सी० में आग लगने की घटना

3131. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्रखंडूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एच० बी० ओ० सी० की दिल्ली इकाई में कुछ दिन पूर्व आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस घटना के कारण कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या आग लगने की इस घटना की जांच कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त एकक द्वारा अर्जित लाभ तथा उठाई गई हानि का ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां । हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के वनस्पति एकक के गोदाम में, जिसका प्रयोग कच्चा माल और तैयार उत्पादों के भण्डारण के लिए किया जाता था, 27 अप्रैल, 1992 को रात लगभग 00.35 बजे आग लगने की एक घटना घटी थी । तथापि, इस क्षेत्र में विनिर्माण संबंधी कोई गतिविधि नहीं की जाती ।

(ख) से (घ) आग लगने की उक्त घटना की जांच की गई है । आग लगने के सही कारण का पता नहीं चल सका है । यह संदेह है कि आग कपड़ों के विनिर्माण और भण्डारण के लिए एक निजी पार्टी के निकटवर्ती शोरूम/गोदाम में लगी तथा संभवतः कुछ जलते हुए टुकड़े हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के गोदाम पर गिरे जिससे भंडार में रखे तेल के टीनों में आग लग गई । हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के किसी कर्मचारी को दोषी नहीं ठहराया गया है ।

(ङ) गत तीन वर्षों में हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल्स कार्पोरेशन के दिल्ली एकक का लाभ और हानि का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	लाभ/हानि (रु०)
1988-89	78,94,618.09
1989-90(—)	47,33,622.31
1990-91	31,369.77

त्रिपक्षीय समिति

3132. श्री अशोक आनन्द राव देशमुख : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रम समस्या के सम्बन्धित पहलुओं की जांच के लिए एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम तथा निवेश पद क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) श्रमिकों तथा अन्य संबंधित मामलों को प्रभावित करने वाली समस्याओं पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने तथा उस बारे में समुचित सिफारिशें करने के लिए सरकार ने एक विशेष त्रिपक्षीय समिति का गठन किया है । समिति के गठन संबंधी विवरण संलग्न है ।

विवरण

समिति का गठन निम्नानुसार है :

(I)	सरकार	
	(क) केन्द्रीय सरकार	स्थानों की संख्या
	1. श्रम मंत्रालय	1
	2. उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)	1
	3. उद्योग मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम विभाग)	1
	4. वित्त मंत्रालय	1
	5. योजना आयोग	1
	कुल	5
(II)	नियोजक	
	(i) भारतीय नियोजक परिषद	8
	(ii) अखिल भारतीय निर्माता संगठन	2
	कुल	10
(III)	कर्मकार	
	1. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस	3
	2. भारतीय मजदूर संघ	2
	3. हिन्द मजदूर सभा	1
	4. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (एस० एस०)	1
	5. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस	1
	6. सेन्टर ऑफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स	1
	7. राष्ट्रीय श्रम संगठन	1
	कुल	10

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बन्द मिलें

3133. **श्री हरिकेवल प्रसाद** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अनेक मिलें/कारखाने बन्द पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने बन्द पड़े हैं और इससे कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं;

(ग) ये मिलें मिल-वार कब से बन्द पड़ी हैं; और

(घ) इन्हें फिर से चलाये जाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली का विकास

3134. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के विकास का ब्यौरा क्या है तथा पहली पीढ़ी के इन्सैट-1 की क्षमता क्या है; और

(ख) हमारे वैज्ञानिक इन्सैट-1बी, इन्सैट-1सी तथा इन्सैट-1डी के प्रक्षेपण में कहां तक सफल रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट) प्रणाली दूरसंचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान के क्षेत्रों में प्रचालनात्मक उपग्रह सेवाएं प्रदान करती है । संक्षेप में, उपग्रह संचार के क्षेत्र में सारे भारत में स्थापित 137 भू-केन्द्र 4000 से भी अधिक द्वि-मार्गी टेलीफोन परिपथ उपलब्ध कराते हैं । कई केप्टिव नेटवर्क प्रचालनात्मक हैं । इस समय दो बृहत् संदेशवाहक नेटवर्क है, जो 700 से अधिक वी-सैट को आधार प्रदान करते हैं । सुदूर और पर्वतीय क्षेत्रों तथा द्वीप के समुदायों को मुख्य भूमि से जोड़ा गया है । इन्सैट ने देश के कोने-कोने में टी० वी० की उपलब्धता को संभव बनाया है । इन्सैट ने उच्च गुणवत्ता वाले ध्वनी चैनलों सहित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों का नेटवर्क संभव बना दिया है । इन्सैट मौसम विज्ञानीय प्रतिबिम्बिकियों ने अधिक सरल और अधिक सही रूप में मौसम की भविष्यवाणी करना संभव बना दिया है । इन्सैट आपदा चेतावनी प्रणाली, चक्रवाती आपदा के निवारण के लिए अत्यन्त उपयोगी रही है ।

(ख) इन्सैट-1 शृंखला के उपग्रहों का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की एयरो स्पेस कंपनी द्वारा किया गया है । इन्सैट-1बी को अगस्त, 1983 में अमरीकी अन्तरिक्ष शटल द्वारा छोड़ा गया

था तथा यह सात वर्षों से भी अधिक समय से अत्यन्त भली प्रकार कार्य कर रहा है। आज भी इन्सैट-1बी के सभी नीतभार चालू हालत में है, यद्यपि इसकी उच्च कक्षीय आनति के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। इन्सैट-1सी उपग्रह को जुलाई, 1988 में एरियन-4 राकेट द्वारा प्रमोचित किया गया था, लेकिन इसकी पॉवर बस में आयी खराबी तथा इस एक घटना की विसंगति के कारण इसका पृथ्वी से सम्पर्क टूट जाने के फलस्वरूप यह कक्षा में असफल हो गया। इन्सैट1-डी को जून, 1990 में डेल्टा राकेट (अमरीका) द्वारा छोड़ा गया था।

[हिन्दी]

भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की जनसंख्या के बारे में सिफारिश

3135. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने इस बीच जनसंख्या के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशें विभिन्न संस्थाओं/एजेन्सियों को आवश्यक टिप्पणी के लिए भेजी गई हैं, जिन पर बाद में अंतर्मंत्रालयी कार्य दल द्वारा आगामी अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विचार किया जाता है।

विवरण

बड़ौदा में आयोजित 79वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सत्र की "जनसंख्या" संबंधी मुद्दों पर सिफारिशें

1. जनसंख्या नियोजन के संबंध में देश में जागरूकता पैदा करने और प्रेरित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाए। इस नेटवर्क में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे समाचारपत्रों तथा गैर-सरकारी संगठनों के विज्ञान पत्रकार होने चाहिएं। इस कार्यक्रम को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा परियोजना के रूप में शुरू किया जाए।

2. गणितीय शब्दावली में जनसंख्या गतिकी पर गहन अध्ययनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता की जाए।

3. जनसंख्या नियंत्रण संबंधी जननात्मक जीव विज्ञान पर गणितीय माडलन अध्ययनों को प्रोत्साहन और समर्थन दिया जाए।

4. कुछ विश्वविद्यालयों में जनसंख्या गतिकी अध्ययन केन्द्रों को स्थापित किया जाए।

5. वर्तमान में, परिवार नियोजन में, बंध्यकरण संबंधी कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है जो केवल बड़ी उम्र (30 वर्ष से ऊपर) की विवाहित महिलाओं को आकर्षित करता है और इसीलिए इस कार्यक्रम का जनसांख्यिकीय प्रभाव सीमित रह गया है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम में बल गर्भनिरोध के अस्थायी तरीकों की वकालत करते हुए युवा दम्पत्तियों पर दिया जाए, जिनमें अधिक जनन क्षमता होती है।

6. परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता अथवा प्रभाव को मानने के लिए एक सूचक के रूप मे दम्पत्ति सुरक्षा दर अपनी वैधता खो रही है क्योंकि दम्पत्ति सुरक्षा दर तथा जनन क्षमता दरों के बीच भिन्नता बढ़ रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम में कार्यनीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिसमें उन विवाहित महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा जिनमें उच्च प्रजनन क्षमता है। यह नोट किया गया कि इस प्रकार का निर्धारण संभव है यदि यह कार्यक्रम उन सभी माताओं का जो शिशुओं को यथाशीघ्र जन्म देती हैं, पता लगा लेता है और उन्हें मातृ शिशु स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक सेवाएं उपलब्ध कराता है। परिवार नियोजन के जन्म-आधारित दृष्टिकोण के बेहतर प्रभाव पड़ने की आशा की जा सकती है क्योंकि यह उन सभी महिलाओं पर ध्यान देता है जिन्होंने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो और जिन्होंने उच्च जनन क्षमता होने के कारण स्वयं को चुना हो।

7. आंकड़ों को थोड़ा-थोड़ा करके एकत्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह महंगा पड़ता है तथा जरूरी नहीं है कि आंकड़ों की गुणवत्ता बढ़े। सांख्यिकीय मॉडल, विशेषकर मानव उत्पत्ति के मॉडल उन अनेक अभिलक्षणों को सामने लाने में लाभकारी हो सकते हैं जो कि सदैव दिखाई नहीं देते हैं परन्तु जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का मूल्यांकन करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं।

8. परिचर्चाओं से इस आवश्यकताओं की पुष्टि होती है कि जनसंख्या वृद्धि में समग्र कमी प्राप्त करने के लिए जन्म के बीच फासले के साथ ही पहले जन्म के समय आयु बढ़ाई जाए।

9. कुछ राज्यों की जनन-क्षमता संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण स्पष्ट तौर पर कौशल-निर्माण की 6 से 18 वर्ष की उम्र में पुरुष और स्त्री दोनों में शिक्षा की उपयोगिता को उजागर करता है। इससे महिलाओं में विवाह की आयु को बढ़ाने तथा महिलाओं में उत्तरदायित्वपूर्ण मातृत्व की भावना विकसित करने में सहायता मिलेगी।

10. देश के लोक-साहित्य वर्णित तथा प्राकृतिक पादप स्रोतों से प्राप्त अनेकानेक औषधियों के बारे में सूचित किया गया है कि उनमें परिवर्तनशील जनन क्षमता रोधी होती है। इन औषधियों को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिएं क्योंकि ग्रामीण लोगों द्वारा इनके अधिक स्वीकार किए जाने की संभावना है।

11. भारत की जनसंख्या (वर्तमान में लगभग 86 करोड़) सर्वाधिक गम्भीर समस्या है। सभी दृष्टिकोणों से, जन्म दर को घटाने के अवश्य प्रयास किए जाने चाहिएं।

12. जहां "जनसंख्या नियंत्रण" प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं वहीं "मौजूदा जनसंख्या के विकास" की समस्या का हल करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में विकास स्कीमों/परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की उपयोगिता को प्रतिपादित किया जाना चाहिए।

13. यद्यपि विज्ञान ने जन्म नियन्त्रण के लिए अनेक भौतिक और रासायनिक विधियां उपलब्ध कराई हैं लेकिन ग्रामीण जनता में उनके प्रयोग और वांछित परिणामों को यहां तक एक सीमित मात्रा में भी प्राप्त करना तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि ग्रामीण महिलाओं को सही उम्र में अच्छी तरह समझा-बुझा न दिया जाए।

14. मानव जनसंख्या को भार न समझकर एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा के रूप में देखा जाना चाहिए।

15. गुणवत्ता सुधार उपाए जनसंख्या नियन्त्रण के लिए बेहतर उपाय है, न कि रासायनिक गोलियां या शारीरिक अन्तराक्षेप, जो कि लोगों को या तो स्वीकार्य नहीं है या उनका प्रयोग और वितरण दोषपूर्ण है।

16. मनुष्य तथा पशुधन में जनसंख्या नियन्त्रण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पद्धति) को बढ़ावा देना और विकसित करना।

17. जन्म नियन्त्रण और अच्छे स्वास्थ्य की जानकारी के प्रचार के लिए विस्तार क्रिया-पद्धतियों का परिष्कार करना आवश्यक है।

18. उन घरेलू उपायों की खोज करने संबंधी अनुसंधान प्रयास जारी रखे जाने चाहिए जो कि किफायती हों और जन्म नियन्त्रण टीकों सहित जनन क्षमता नियन्त्रण के लिए आसानी से उपलब्ध हों।

19. ग्रामीण जनता की आबादी के स्थिरीकरण की समस्याओं से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ करना होगा। विश्वविद्यालयों में कार्य कर रहे पी० एच० डी० उम्मीदवारों में से कुछ को इसके लिए उपयुक्त विषयों का चयन करने के प्रति प्रोत्साहित किया जाए।

20. यह स्पष्ट है कि वर्ष 2000 तक पूर्वानुमानित 100 करोड़ की जनसंख्या के लिए अब हमें आयोजना करनी है। यह जरूरी है कि अल्प निवेशों के साथ अति व्यापक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। शहरों की ओर पलायन को कम करने के लिए रोजगार के अवसरों का विस्तार किया जाना चाहिए। कम्प्यूटरों के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना मानव की एक गहन क्रिया है और इसमें रोजगार पैदा करने की अच्छी क्षमता है। सिफारिश की जाती है कि एक व्यापक एवं फैले हुए शैक्षणिक प्रयास को संगणन और सॉफ्टवेयर विकास सिखाने के लिए आरम्भ किया जाए।

21. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के निम्नलिखित वर्गों के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की एक प्रणाली होनी चाहिए :

(क) पहले बच्चे के जन्म को स्थगित रखने के लिए युवा विवाहित महिलाएं।

(ख) बच्चों के जन्म के बीच फासला रखने के लिए युवा माताएं।

22. जिन माता पिता की केवल लड़कियां हैं, उन्हें आवास एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

23. अमीनोसिन्टेसिस का प्रयोग लिंग-निर्धारण के लिए नहीं किया जाए अपितु विशिष्ट लक्षणों के पश्चात् केवल आनुवंशिक असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाए।

24 जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम में स्वास्थ्य और यौन शिक्षा अनिवार्य न हो तो अत्यावश्यक अवश्य होनी चाहिए।

25. छोटे परिवार के फायदों तथा बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल पर शिक्षा प्राप्ति के साधनों के बारे में सुदूर क्षेत्रों की जनसंख्या को शिक्षित करने के लिए उत्तम संचार साधन भी दूरदर्शन के प्रयोग का पता लगाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण उद्योग

3136. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े तथा मध्यम रुग्ण उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्योगों में राज्यवार कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में कितना घाटा हुआ;

(घ) 1991-92 के दौरान राज्यवार कितने उद्योगों की स्थिति में सुधार हुआ; और

(ङ) इन उद्योगों के कार्यक्रम में सुधार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1991-92 के लेखाओं की लेखा परीक्षा की जा रही है तथा इन्हें अगले बजट सत्र के दौरान वार्षिक सर्वेक्षण, 1991-92 में संसद में प्रस्तुत किया जाना है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सम्बद्ध उद्यम, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुरूप कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

ब्यौरा	31-3-1991 तक कर्मचारियों की संख्या	लाभ/हानि		
		1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1. सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपोरेशन लि०	217	(—) 108	(—) 147	(—) 153
असम				
2. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि०	112	(—) 198	(—) 198	(—) 145
बिहार				
3. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०	3195	(—) 1159	(—) 1121	(—) 862
4. भारी इंजीनियरी निगम लि०	18824	(—) 9951	(—) 3362	1253
गुजरात				
5. नेटेका (गुजरात) लि०	15903	(—) 2195	(—) 2788	(—) 3950
हरियाणा				
6. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	12125	(—) 8826	(—) 4274	(—) 4642
कर्नाटक				
7. मध्वया नेशनल पेपर मिल्स लि०	1088	(—) 571	(—) 648	(—) 1033

1	2		3		4		5
8. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं गोवे) लि०	16035	(—)	846	(—)	766	(—)	2067
9. भारत गोल्ड माइन्स लि०	10387	(—)	3529	(—)	3637	(—)	1242
10. किंगनयन इंडस्ट्रीज लि०	360	(—)	45	(—)	45	(—)	46
केरल							
11. कोचीन शिपयार्ड लि०	2706	(—)	2097	(—)	2771	(—)	2974
मध्य प्रदेश							
12. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि०	17839	(—)	1978	(—)	1838	(—)	4466
महाराष्ट्र							
13. महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	204	(—)	65	(—)	47	(—)	106
14. राष्ट्रीय साईकिल निगम लि०	1022	(—)	1820	(—)	986	(—)	829
15. रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि०	3073	(—)	864	(—)	777	(—)	818
16. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	14600	(—)	1436	(—)	2276	(—)	3754
17. नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	17101	(—)	3299	(—)	3299	(—)	4675
नागालैंड							
18. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि०	1255	(—)	2024	(—)	2333	(—)	2394

	उड़ीसा						
19.	उड़ीसा ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	89	(—)	58	(—)	31	(—)	27
	उत्तर प्रदेश						
20.	मास्क फम्स एंड कंजेक्शंस लि०	1962	(—)	259	(—)	919	(—)	2616
21.	स्क्वर्ब्स इंडिया लि०	3091	(—)	4825	(—)	4289	(—)	3721
22.	डेयरी एंड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०	1986	(—)	1870	(—)	1610	(—)	1404
23.	कानपुर टेक्सटाइल्स लि०	2957	(—)	452	(—)	362	(—)	505
24.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	16022	(—)	3237	(—)	2948	(—)	3048
25.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	10759	(—)	3537	(—)	3062	(—)	3107
26.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	2007	(—)	361	(—)	442	(—)	282
27.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि०	6616	(—)	1566	(—)	1566	(—)	180
28.	यू० पी० ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	364	(—)	129	(—)	128	(—)	47
	पश्चिम बंगाल						
29.	बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	1668	(—)	946	(—)	848	(—)	705
30.	बंगाल इम्युनिटी लि०	1695	(—)	591	(—)	587	(—)	740

1	2		3		4		5
31. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि०	989	(—)	486	(—)	425	(—)	367
32. बीको लॉरी लि०	1144	(—)	236	(—)	238	(—)	856
33. भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लि०	581	(—)	1040	(—)	864	(—)	720
34. भारत प्रोसेज एंड मैकेनिकल इंजी० लि०	915	(—)	837	(—)	692	(—)	679
35. ब्रेथवेट एंड कंपनी लि०	5534	(—)	539	(—)	567	(—)	629
36. भारतीय साइकिल निगम लि०	2950	(—)	2855	(—)	3071	(—)	1645
37. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०	1205	(—)	818	(—)	535	(—)	517
38. भारतीय टायर निगम लि०	3735	(—)	1418	(—)	1195	(—)	991
39. वेबर्ड (इंडिया) लि०	431	(—)	137	(—)	100	(—)	103
40. नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार एवं उड़ीसा) लि०	16269	(—)	3729	(—)	2968	(—)	3914
41. इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	34758	(—)	13355	(—)	13808	(—)	11955
42. नेशनल जूट मैन्यु० कंपनी लि०	31139	(—)	3321	(—)	5640	(—)	5579
43. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०	2653	(—)	2712	(—)	1942	(—)	1453
44. माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कंपनी लि०	7076	(—)	4278	(—)	1808	(—)	1125
45. भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लि०	766	(—)	195	(—)	226	(—)	211
46. हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	2003	(—)	449	(—)	519	(—)	287

47.	बड्से जूट एंड एक्सपोर्ट लि०	245	(—)	85	(—)	66	(—)	111
48.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम दिल्ली	4240	(—)	2392	(—)	1492	(—)	1017
49.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०	10474	(—)	23145	(—)	16979	(—)	15638
50.	भारतीय उर्वरक निगम लि०	10530	(—)	16835	(—)	14680	(—)	19123
51.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	7143	(—)	7856	(—)	7903	(—)	4668
52.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लि०	950	(—)	744	(—)	375	(—)	453
53.	राष्ट्रीय बीज निगम लि०	2151	(—)	899	(—)	391	(—)	290
54.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम लि०	28	(—)	35	(—)	17	(—)	6
	जोड़	333081	(—)	147288	(—)	124599	(—)	121622

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जवाबदेही

3137. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीनस्थ सरकारी क्षेत्र के एककों के निराशाजनक कार्य-निष्पादन के लिए उच्च अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने हेतु सरकार ने कदम उठाये हैं;

(ख) क्या एककों के निदेशक मंडल, मुख्य अधिकारियों तथा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों सहित सभी स्तरों पर समान रूप से ऐसी जवाबदेही लागू होती है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सभी स्तरों पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० चुंगन) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रबन्ध निदेशक मंडल के मार्गदर्शन और नियन्त्रण में कार्य करता है, जिसके प्रति वह जवाबदेह है। बदले में निदेशक मंडल अंशधारकों के प्रति जवाबदेह होता है। प्रबन्ध निदेशक के मार्गदर्शन में कम्पनी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अपनी आवधिक बैठकों में और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन की समीक्षा अंशधारकों की वार्षिक साधारण बैठकों अथवा असाधारण बैठकों अथवा विशेष बैठकों में की जाती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार निदेशक मंडल और अंशधारकों द्वारा कार्रवाई की जाती है। अंशधारक के रूप में सरकार कंपनी के संयुक्त संगम अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग, निदेशकों के कार्यनिष्पादन और आचरण को देखते हुए, प्रबन्ध निदेशक सहित निदेशकों को नियुक्त करने अथवा बर्खास्त करने में करती है।

तीन रिएक्टरों का बन्द होना

3138. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) के तीन रिएक्टर जून, 1992 में बन्द थे;

(ख) यदि हां, तो ये रिएक्टर कितने दिन बन्द रहे और उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या उनके इस तरह बन्द होने के कारण अस्पतालों और उद्योगों के प्रयोग में आने वाले रेडियो आइसोटोपों की कमी हो गई थी; और

(घ) सरकार द्वारा रिएक्टरों को भविष्य में इस प्रकार बन्द न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में लगे दो अनुसंधान रिएक्टरों नामत: "साइरस" और "ध्रुव" को जून, 1992 में इसलिए अस्थाई रूप से बन्द करना पड़ा कि वे संयंत्र प्रचालक जिनको इन रिएक्टरों के सहायक संयंत्र क्षेत्रों में तैनात रहना जरूरी होता है, अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे।

(ख) साइरस रिएक्टर को 11-6-1992 और 25-6-1992 के बीच 15 दिन के लिए बंद रखना पड़ा, यह वह अवधि थी जिसमें संयंत्र प्रचालक अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। ध्रुव रिएक्टर को केवल छः दिन के लिए बन्द करना पड़ा क्योंकि इस रिएक्टर को संयंत्र क्षेत्रों पर तैनात इंजीनियरों की सहायता से चलाने के बारे में नियामक प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद इस रिएक्टर का परिचालन 17-6-92 से पुनः शुरू कर दिया गया।

(ग) एक हफ्ते के लिए ऐसे कुछ आइसोटोपों, जिनकी हस्तक्षमों में इसलिए साप्ताहिक आधार पर आवश्यकता होती है कि उन आइसोटोपों की अर्ध-आयु कम होती है, की सप्लाई में बहुत ही सीमित कमी हुई। तथापि, ध्रुव रिएक्टर को चूंकि छः दिनों के भीतर ही पुनः चलाना शुरू कर दिया था, अतः आइसोटोपों की सप्लाई तुरंत शुरू कर दी गई। उपभोगों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले आइसोटोपों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आई थी।

(घ) इन रिएक्टरों के डिजायन में सुरक्षा संबंधी अनेक विशिष्टताएं यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल की गई हैं कि इस प्रकार की किसी भी असामान्य स्थिति में "सुरक्षा" के मामले में कोई समझौता न किया जाए। इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि प्रचालक हड़ताल पर नहीं जाएंगे लेकिन जैसाकि प्रदर्शित किया गया है, रिएक्टर का सुरक्षित रूप से प्रचालन सुनिश्चित करने के वास्ते दूसरे सुप्रशिक्षित इंजीनियरों को नियोजित करके वैकल्पिक व्यवस्था का सहारा लिया जाएगा।

दक्षिणी ध्रुव के अभियान

3139. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने दक्षिणी ध्रुव की खोज के लिए कितने अभियान चलाए तथा इन अभियानों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इन अभियानों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या-क्या रहीं;

(ग) एक अभियान की औसत लागत कितनी थी;

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने अभियान चलाने की योजना है;

(ङ) क्या इन अभियानों की लागत को पूरा करने के लिए आठवीं योजना में अपेक्षित वित्तीय प्रावधान रखा गया है; और

(च) भारतीय अभियान दल ने दक्षिणी ध्रुव के किस क्षेत्र को अध्ययन के लिए चुना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) अब तक अंटार्कटिक को ग्यारह भारतीय वैज्ञानिक अभियान भेजे जा चुके हैं। इन अभियानों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(1) प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के उद्देश्य से अंटार्कटिक अभियान में अनेक विधाओं को शामिल करना।

(2) अभियान को भेजने के लिए उपयुक्त जलयान को किराए पर लेना।

(3) विभिन्न अनुसंधानों को करने के लिए अंटार्कटिक में भारतीय केन्द्र मैत्री पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था और रख-रखाव करना।

(4) कार्य के प्रस्तावित कार्यक्रम और संभारात्मक आवश्यकताओं की छान-बीन करने के बाद एक उच्चस्तरीय चयन समिति द्वारा दल का चयन तथा पिछले अभियानों में सम्पादित कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को पूरा करने के लिए अपेक्षित समय निर्धारित करना।

(ख) अंटार्कटिक अभियानों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख संलग्नक में किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के अभियानों की औसत लागत (लगभग) 13 करोड़ रुपये है जिसमें जलयान को किराये पर लेने तथा भारतीय केन्द्र के रख-रखाव की लागत शामिल है।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान पांच अभियान भेजने की योजना है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

(च) इस समय अंटार्कटिक में ड्रोनिंग मोड लैंड के श्रिमाचार और बोल्थाट प्रदेशों में अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

विवरण

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. अवसंरचना

(1) पहला अभियान अंटार्कटिक में पहुंचा और भारत में ध्रुवीय विज्ञान पर अध्ययन प्रारम्भ हुए। एक लकड़ी की शरण कुटिया का निर्माण किया गया और एक वायु मौसम अभिलेखन केन्द्र को अधिष्ठापित किया गया।

(2) स्थायी भारतीय केन्द्र "दक्षिण गंगोत्री" की स्थापना 1984 में की गई। प्रथम शीतकालीन कार्य आरम्भ हुआ। भारत और दक्षिण गंगोत्री के बीच उपग्रह संचार व्यवस्था की स्थापना की गई।

(3) दक्षिण गंगोत्री केन्द्र की वारण्टी अवधि समाप्त होने पर उसे बन्द कर दिया गया और श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं की चट्टानों पर वर्ष 1989 में एक स्थायी केन्द्र "मैत्री" की पूरी तरह चालू किया गया।

(4) मैत्री केन्द्र 25 व्यक्तियों हेतु रहने के स्थान, प्रयोगशाला सुविधाओं, रसोईघर प्रसाधन, व्यायामशाला तथा उपग्रह और एच०एफ० दोनों संचार सुविधाओं से सज्जित है।

2. वैज्ञानिक कार्य

भूमि विज्ञान

1. भूविज्ञान

(1) लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए अंटार्कटिक में संपूर्ण श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं और वोल्थाट प्रदेशों का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया है।

(2) इस प्रदेश का एक संपूर्ण भूवैज्ञानिक मानचित्र उपलब्ध है।

(3) प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए चट्टानों के कई नमूने एकत्र किए गए।

2. भूभौतिकी

(1) श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं तथा वोल्थाट प्रदेशों की पीटरमन श्रृंखलाओं का भूभौतिक सर्वेक्षण पूरा किया गया।

(2) भारात्मक विश्लेषण और भू-रसायन के लिए चट्टानों के नमूने एकत्र किए गए।

3. भू-चुम्बकत्व

(1) पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन और चुम्बकीय प्राचलों का निरन्तर अभिलेखन करना।

4. स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

(1) श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं में कई स्थानों पर भूगणितीय नियंत्रण बिन्दुओं की स्थापना की गई और श्रिमाचार पर्वत श्रृंखलाओं का स्थलाकृतिक मानचित्रण किया गया।

वायुमण्डलीय विज्ञान

(1) मौसमविज्ञान प्राचलों का संग्रह और ओजोन होल परिघटना का अध्ययन।

(2) संभार कार्मिकों की सहायता के लिए मौसम वैज्ञानिक आंकड़े और शिविर सुविधाओं की स्थापना।

(3) ग्रहीय परिसीमा स्तर का अध्ययन और ट्रेस गैसों के विश्लेषण के लिए वायु के नमूनों को एकत्र करना।

जीव विज्ञान

(1) अंटार्कटिक को जाते हुए समुद्र वैज्ञानिक आंकड़ों का संग्रह।

(2) मैत्री केन्द्र के पास की झीलों से एकत्र किए गए नमूनों का अध्ययन।

(3) शैवाल संग्रह और पुरातन जीवन रूपों को समझने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग नीली हरी शैवाल का अध्ययन।

पर्यावरणीय शारीरिकी

(1) शीत और एकाकी परिस्थितियों में मानव चयापचयज (मेटाबोलिज्म) और मनो-वैज्ञानिक आचरण का अध्ययन करना। भारत की चरम मौसमावस्थाओं में इन आंकड़ों का प्रयोग उपयोगी रहेगा।

प्रायोगिक जलवायु कृषि

(1) मैत्री में पादप गृह की स्थापना की गई है और कुछ पौधे अर्थात टमाटर, गाजर, खीरा उगाए गए।

3. भूमण्डलीय

(1) परामर्शक की हैसियत से अंटार्कटिक संधि की सदस्यता।

(2) अंटार्कटिक अनुसंधान वैज्ञानिक समिति की सदस्यता।

(3) अंटार्कटिक से सम्बद्ध सभी अन्तर राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय सहभागिता।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर द्वारा चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं चलाना

3140. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का विचार केरल के कृषकों की सहायता करने के लिए और अधिक चलती-फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) कि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) के पास इस समय केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किसानों को मृदा परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्योगमंडल में एक चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके अतिरिक्त फैक्ट की दो स्थाई मृदा परीक्षण प्रयोग-शालाएं हैं जिसमें से एक उद्योगमण्डल में और दूसरी त्रिची तमिलनाडु में है। इस समय और अधिक चलती-फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए कम्पनी के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग कुछ और मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शीघ्र आरम्भ करने के लिए फैक्ट को लिख रहा है।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग

3141. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग को वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि का निर्धारण किया गया है;

(ख) खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये लघु तथा कुटीर उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) इन उद्योगों का राज्यवार वार्षिक उत्पादन कितना है;

(घ) घाटे में चलने वाले तथा लाभ कमाने वाले ऐसे एककों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ङ) वर्ष 1992-93 के दौरान राज्यवार किन-किन स्थानों पर खादी के और अधिक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) खादी तथा ग्रामोद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(छ) अन्य राज्यों की तुलना में इन उद्योगों की प्रतिशतता मध्य प्रदेश में कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) केन्द्र सरकार ने योजना के तहत खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र को वर्ष 1992-93 के लिए 191 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

(ख) खादी तथा 96 ग्रामोद्योग खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के कार्यक्षेत्र में आते हैं। ये कार्यक्रम 30 राज्य/संघ शासित क्षेत्र के वी आई बोर्डों, 2320 पंजीकृत संस्थाओं तथा 29813 सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। इन संस्थाओं तथा समितियों के राज्यवार वितरण विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) 990-91 के दौरान के वी आई क्षेत्र में राज्यवार वार्षिक उत्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जहां तक खादी का संबंध है, यह बिना लाभ हानि के आधार पर चल रही है। ग्रामोद्योग संबंधी कार्यक्रम 5 लाख से अधिक व्यक्तियों व हजारों संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इसलिए लाभ और हानि उठाने वाले एककों की संख्या संबंधी सूचना देना कठिन है।

(ङ) के वी आई सी की खादी तथा पोलीवस्त्र योजना के तहत 1992-93 के दौरान देश भर में 639 एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(च) वर्ष 1990-91 के दौरान के वी आई क्षेत्र में सृजित रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(छ) वर्ष 1990-91 के दौरान मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योगों का उत्पादन में हिस्सा लगभग 2.5 प्रतिशत और रोजगार में 2 प्रतिशत था।

विवरण-I

कार्यान्वयनकारी एजेंसियों का राज्यवार वितरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंजीकृत संस्थाएं	सहकारी स
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	131	2032

1	2	3	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—
3.	आसाम	37	296
4.	बिहार	90	3110
5.	गोआ	8	—
6.	गुजरात	235	897
7.	हरियाणा	68	1338
8.	हिमाचल प्रदेश	11	421
9.	जम्मू और कश्मीर	20	1090
10.	कर्नाटक	225	1399
11.	केरल	107	2117
12.	मध्य प्रदेश	58	931
13.	महाराष्ट्र	67	2136
14.	मणिपुर	16	309
15.	मेघालय	—	9
16.	मिजोरम	—	—
17.	नागालैंड	4	—
18.	उड़ीसा	26	3521
19.	पंजाब	21	786
20.	राजस्थान	138	1863
21.	सिक्किम	—	—
22.	तमिलनाडु	81	3013
3.	त्रिपुरा	2	—
4.	उत्तर प्रदेश	711	4196
25.	पश्चिम बंगाल	254	260
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	—

अ
प्रश्न
के लि
[हिन्दी

1	2	3	4
27.	चण्डीगढ़	—	15
28.	दिल्ली	15	24
29.	लक्षद्वीप	—	—
30.	पाण्डिचेरी	—	—

विवरण-II

वर्ष 1990-91 के लिए के बी आई क्षेत्र का राज्यवार वार्षिक उत्पादन

(रु० लाखों में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आन्ध्र प्रदेश	12,792.67
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.78
3.	आसाम	324.92
4.	बिहार	11,972.92
5.	गोआ	379.37
6.	गुजरात	8,226.65
7.	हरियाणा	4,925.22
8.	हिमाचल प्रदेश	4,124.58
9.	जम्मू और कश्मीर	5,175.35
10	कर्नाटक	12,323.53
11.	केरल	8,094.00
12.	मध्य प्रदेश	5,867.23
13.	महाराष्ट्र	34,902 24
14.	मणिपुर	1,646.97
15.	मेघालय	578.91
16.	मिजोरम	486.13
17.	नागालैंड	261.74
18.	उड़ीसा	2,448.53

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1,06,539.74
19.	पंजाब	9,822.00
20.	राजस्थान	18,041.63
21.	सिक्किम	157.75
22.	तमिलनाडु	33,756.78
23.	त्रिपुरा	1,614.65
24.	उत्तर प्रदेश	37,026.56
25.	पश्चिमी बंगाल	9,193.86
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.00
27.	चण्डीगढ़	296.07
28.	दादरा और नगर हवेली	0.64
29.	देहली	1,549.84
30.	दमण दिव	—
31.	पाण्डिचेरी	288.24
	योग	2,18,401.56

विवरण-III

वर्ष 1990-91 के लिए के वी आई क्षेत्र का राज्यवार वार्षिक उत्पादन रोजगार

(व्यक्ति लाखों में)

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
1.	आंध्र प्रदेश	3.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.01
3.	आसाम	1.02
4.	बिहार	3.27
5.	गोआ	0.03
6.	गुजरात	0.86
7.	हरियाणा	0.73
8.	हिमाचल प्रदेश	0.54
9	जम्मू और कश्मीर	0.73

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	
10.	कर्नाटक	1.59
11.	केरल	1.99
12.	मध्य प्रदेश	0.88
13.	महाराष्ट्र	4.04
14	मणिपुर	0.34
15.	मेघालय	0.08
16.	मिजोरम	0.04
17.	नागालैंड	0.05
18.	उड़ीसा	1.70
19.	पंजाब	1.39
20.	राजस्थान	3.80
21.	सिक्किम	0.03
22.	तमिलनाडु	9.43
23.	त्रिपुरा	0.42
24.	उत्तर प्रदेश	9.57
25.	पश्चिम बंगाल	2.67
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.01
27.	चण्डीगढ़	0.01
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	देहली	0.15
30.	दमन दिव	—
31.	पांडिचेरी	0.05
	योग	48.50*

*गोबर गैस के संबंध में राज्य सरकार के अधीन 0.05 सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

केरल में बन्द पड़े औद्योगिक एकक

3142. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बन्द पड़े औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं तथा ये कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) ये कब से बन्द पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन औद्योगिक एककों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) इन्हें कब तक चालू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन एककों के बन्द होने के कारण कितने कर्मचारी और मजदूर बेरोजगार हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क), (ख) और (ङ) अद्यतन सूचनाओं के अनुसार वित्तीय कठिनाइयों और उत्पादों की मांग की कमी के कारण 18-11-91 तक पांच औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी थीं, जिससे 417 कर्मकार प्रभावित हुए। संलग्न विवरण में ब्यौरे दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) इन औद्योगिक इकाइयों को पुनरुज्जीवित करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शर्तों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर बैंकों तथा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्वास पैकेज तैयार किये गये हैं ।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के संबंध में, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को रुग्ण इकाइयों के संबंध में उपचारी उपायों के निर्धारण और प्रवर्तन के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

विवरण

क्रम० सं०	इकाई का नाम और स्थान	बन्द होने की तारीख	प्रभावित श्रमिकों की संख्या	बन्द होने का कारण
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स जानसो सोफ्टड्रिंक्स अरूर, अलेप्पी	28-1-89	19	
2.	मैसर्स कालिएम्ट मांड में स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, छेलाम्राम, मालापुरम	1-4-89	268	वित्तीय अभाव

1	2	3	4	5
3.	मैसर्स वी० आई० पी० सी० फूडस, पालुरूथी, कोचीन	1-11-90	80	मांग की कमी
4.	होटल यमुम, स्वरोजरोड, थ्रिस्सुर-1	15-4-91	27	वित्तीय अभाव
5.	टी० डी० इंडस्ट्रीज अम्बाल्लुर, पुडुक्काड, थ्रिस्सुर	18-11-91	23	—

स्रोत : श्रम ब्यूरो, शिमला ।

उपलब्ध कोयले का वर्गीकरण

3143. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उपलब्ध कोयले का किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है;

(ख) क्या कोयले के वर्गीकरण में कोई खामियां हैं;

(ग) क्या इन खामियों का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० डी० न्यामगौड़) : (क) भारतीय कोयले को दो बड़ी श्रेणियों अर्थात कोककर कोयला और अकोककर कोयला में श्रेणीकृत किया गया है । कोककर कोयले को उसकी कोकिंग गुणवत्ता के आधार पर पुन: प्राइम, मध्यम और अर्ध-कोककर श्रेणियों में उप-श्रेणीकृत किया गया है । अकोककर कोयले को उनके "उपयोगी तापीय क्षमता" के आधार पर पुन: सात ग्रेडों में ग्रेड "ए" से ग्रेड "जी" तक उप-श्रेणीकृत किया गया है ।

(ख) से (घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (वी० आई० सी० पी०) ने यह सिफारिश की है कि अकोककर कोयले की ग्रेडिंग उपयोगी तापीय क्षमता की बजाय सकल कैलोरीय क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए । केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, भारतीय मानक ब्यूरो, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, आदि के विशेषज्ञों को शामिल करके कोयला नियंत्रक के संयोजन में एक तकनीकी दल की स्थापना की गई है जो कि कोयले के ग्रेडिंग की वर्तमान प्रणाली में जांच करेगा ।

[हिन्दी]

खादी भवन

3144. **श्री आनन्द अहिरवार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में खादी ग्रामोद्योग भवन खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो ये भवन किन-किन देशों में खोले जायेंगे और क्या इस संबंध में उन देशों की शर्तें केन्द्रीय सरकार को स्वीकार्य होंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

बीड़ी मजदूरों के लिए टी० बी० अस्पताल

3145. श्री आयनल अबेदिन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल के धुलियां और मुर्शिदाबाद में टी० बी० अस्पताल के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यह कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य को पूरा करने में संशोधित रूप में अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (घ) धुलिया में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 5.03 करोड़ रुपए की लागत का प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय संस्वीकृति जारी कर दी गई है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जिसको यह कार्य सौंपा गया है, ने अपनी कार्य-योजना प्रस्तुत कर दी है । योजना की स्वीकृति के पश्चात स्थल पर वास्तविक कार्य आरम्भ किया जायेगा । इस परियोजना हेतु इस वर्ष के लिये 70 लाख रुपए की व्यवस्था की गयी है ।

टेल्को के वाहनों का मूल्य

3146. श्री गुरुदास कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेल्को ने अपने सभी वाहनों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) कम्पनी ने सूचित किया है कि उन्होंने 25-6-1992 से दो मॉडलों की मूल कीमत में वृद्धि कर दी है अर्थात टाटा एस्टेट की कीमत में 9,300 रु० तथा टाटा सियरा की कीमत में 7700 रु० ।

पश्चिमोत्तर हिमालय के लिए पारिस्थितिकी विकास प्राधिकरण

1347 श्रीमती विमल कुमारी भण्डारी : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र की पद्धति पर पश्चिमोत्तर हिमालय के लिए कोई पारिस्थितिकी विकास प्राधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके उद्देश्य क्या होंगे; और

(ग) उक्त प्राधिकरण के निदेश पद क्या होंगे ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

कम्प्यूटर व्यावसायिक

3148 श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटर मेंटीनेंस कंपनी (सी० एम० सी०) में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यरत कंप्यूटर व्यावसायिकों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उनमें से कितने व्यावसायिक कम्पनी छोड़ कर चले गए हैं;

(ग) उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री एंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी० एम० सी० लिमिटेड में कार्य कर रहे कम्प्यूटर पेशेवरों की संख्या इस प्रकार है :

तारीख तक	कम्प्यूटर पेशेवरों की संख्या
31-3-90	1381
31-3-91	1334
31-3-92	1471

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कम्पनी छोड़ने वाले पेशेवरों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :

वित्तीय वर्ष	कम्प्यूटर पेशेवरों की संख्या जिन्होंने कंपनी छोड़ दी
अप्रैल '89—मार्च '90	209
अप्रैल '90—मार्च '91	220
अप्रैल '91—मार्च '92	188

(ग) कम्पनी छोड़ने के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) भारत में प्रतिस्पर्धी कम्पनियां निजी क्षेत्र में हैं और वे बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम हैं।

(2) विदेशों में नौकरियां, जहां मिलने वाला वेतन भारत में मिलने वाले वेतन की तुलना में काफी अधिक है।

(3) उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना।

(घ) निर्यात की परियोजनाएं बढ़ाने पर विदेशों में नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से सी० एम० सी० लिमिटेड की नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है।

जैव गैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हे

3149. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के राजकोट और जामनगर जिलों के विभिन्न गांवों, कस्बों और नगरों में कितने जैव गैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हे किन-किन स्थानों पर लगाये गये;

(ख) इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी वितरित की गई और कितनी खर्च की गई;

(ग) उक्त स्थानों पर अब तक कितने जैव गैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हे लगाये गये हैं;

(घ) 1 जुलाई, 1992 से 31 दिसम्बर, 1993 के दौरान उक्त स्थानों पर ऐसे कितने संयंत्र और चूल्हे लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जैव गैस संयंत्र और धुआंरहित चूल्हों को लगाने के लिए कितनी राजसहायता, अनुदान और सहायता प्रदान की गई है और इसको स्वीकृत करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना" के अंतर्गत 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान गुजरात के जामनगर जिले में क्रमशः 805, 1775 और 1951 संयंत्र तथा राजकोट जिले में 800, 1455 और 2575 संयंत्र सैकड़ों गांवों में स्थापित किए गए। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत इसी अवधि के दौरान जामनगर में 2616, 1314 तथा 1020 और राजकोट में 8008, 6129 तथा 3723 उन्नत चूल्हे स्थापित किए गए।

(ख) 1989-90 से 1991-92 के वर्षों के दौरान राज्य नोडल अभिकरण को कुल लगभग 19.91 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत तथा अग्रिम रूप से संवितरित की गई और जिसमें से अभिकरण ने राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में जामनगर में कुल 1.04 करोड़ रुपए तथा राजकोट में लगभग 1.18 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इसके

अलावा, राज्य सरकार ने भी पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए राज्य आर्थिक सहायता दी है। उन्नत चूल्हों के लिए, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य नोडल अभिकरणों को 1989-90 से 1991-92 के दौरान 158.57 लाख रुपए की कुल राशि स्वीकृत की गई थी। राज्य नोडल अभिकरणों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जामनगर तथा राजकोट जिलों में क्रमशः 2.48 लाख रुपए तथा 8.30 लाख रुपए व्यय किए हैं।

(ग) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत 1981-82 से 1991-92 के दौरान जामनगर और राजकोट जिलों में क्रमशः कुल लगभग 6100 और 8840 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एक अलग कार्यक्रम के अन्तर्गत, जामनगर और राजकोट में संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी क्रमशः दो और तीन परियोजनाएं अब तक पूरी हो गई हैं। इन दो जिलों सहित राज्य में अब तक कुल 6 लाख चूल्हे स्थापित किए गए हैं।

(घ) पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों तथा उन्नत चूल्हों की स्थापना के लिए वास्तविक लक्ष्यों वार्षिक आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए नियत किए जाते हैं। 1992-93 के लिए राज्य को नियत 29,500 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य में से राज्य नोडल अभिकरण ने जामनगर के लिए 2,000 संयंत्रों तथा राजकोट जिले के लिए 2600 संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1992-93 के लिए गुजरात राज्य के वास्ते कुल 60,000 उन्नत चूल्हों का लक्ष्य रखा गया है और नोडल अभिकरण इन लक्ष्यों का विभिन्न जिलों में पुनः विभाजन कर रहे हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार बायोगैस संयंत्रों तथा उन्नत चूल्हों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता तथा अन्य प्रोत्साहन दे रही है। केन्द्रीय आर्थिक सहायता की दरें युक्तियों की क्षमता, लाभभोगियों की श्रेणी तथा क्षेत्रों के मुताबिक भिन्न-भिन्न हैं। इसके अलावा, गुजरात राज्य सरकार पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दे रही है। वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक भी बायोगैस संयंत्रों के लिए ऋण सुविधा दे रही हैं। दोनों कार्यक्रमों अर्थात् राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अन्तर्गत वास्तविक लक्ष्य तथा अनुमोदित मानदण्डों के आधार पर नोडल अभिकरणों को निधियां किस्तों में अग्रिम रूप से निर्मुक्त की जाती हैं।

[हिन्दी]

पंजाब द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना

3150. **श्री राम बदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का सीमावर्ती एकक स्थापित करने के संबंध में अपनी सहमति को वापस ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो अब पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि पंजाब सरकार द्वारा 9 सितम्बर, 1985 को दी गई कतिपय अधिसूचित अपराधों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के क्षेत्राधिकार की अनुमति से संबंधित सहमति को बाद में 26-11-1985 को वापिस ले लिया गया था । राज्य सरकार के अनुसार समधिकार क्षेत्रों में जांच अभिकरणों का समन्वय विसंगतिपूर्ण है तथा इसके परिणामस्वरूप वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के स्थान पर भ्रान्ति की संभावना बनी रहती है ।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक उपकरणों हेतु अनुदान

3151. श्री रतिलाल वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनेक वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए अनुदान दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा कितने उपकरणों का पेटेन्ट कराया गया;

(ग) क्या देश में ऐसे किसी उपकरण का पहले से ही उत्पादन हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वैज्ञानिक उपकरणों के डिजाइन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को अनुदान दे रहा है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिए गए अनुदान इस प्रकार हैं :

वर्ष	अनुदान राशि
1989-90	40.50 लाख रुपये
1990-91	49.21 लाख रुपये
1991-92	92.32 लाख रुपये

इन उपकरणों को पटेंट नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सहायता दिए जाने वाले संस्थानों द्वारा तैयार किए गए कुछेक उपस्करों को उद्योगों ने निर्माण के लिए अपना लिया है। इनमें से मुख्य-मुख्य निम्नलिखित हैं :

1. यू० वी० वी० आई० एस० स्पैक्ट्रोफोटोमीटर
2. अनाज आर्द्रता विश्लेषक
3. अंकीय ज्वारभाटा प्रमापी
4. परमाणु अवशोषण स्पैक्ट्रोमीटर
5. फील्ड यूजेबल पी० एच० मीटर
6. उच्च दबाव द्रव्य करोमेटोग्राफ
7. मृदा लवणता परखी
8. आयन चुनिंदा इलैक्ट्रोड्स
9. कम लागत के शिक्षण यंत्र (पी० एच० मीटर, कंडक्टोमीटर, क्लोरीमीटर और थर्मामीटर)
10. आई० आर० गैस विश्लेषक

[हिन्दी]

केन्द्रीय भंडार में वस्तुओं की खरीद

3152. श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों को केवल केन्द्रीय भंडार से ही वस्तुएं खरीदने का निर्देश देते हुए 19 अगस्त, 1987 को एक आदेश जारी किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार मिलों से "स्पेशल" ब्रांड नाम देने के बाद घटिया वस्तुएं ऊंची कीमतों पर खरीदता है और उन्हें सरकारी कार्यालयों को और भी अधिक ऊंची कीमतों पर बेचता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती चागंरेट अल्वा) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है।

विवरण

भारत सरकार के 19 अगस्त, 1987 के आदेश के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी विभाग तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा/अथवा नियंत्रित और अन्य संगठन लेखन सामग्री तथा अन्य जरूरत की वस्तुएं

केन्द्रीय भण्डार अथवा सुपर बाजार से खरीदें। यदि वे कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित है तो वे लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुएं उसी स्थान पर स्थित स्थानीय केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी अथवा केन्द्रीय भण्डार यदि कोई हो, से खरीद सकते हैं। यदि ये संगठन किसी वस्तु विशेष की आपूर्ति नहीं कर पाते तो केवल उस स्थिति से ही ऐसी वस्तुएं उन संगठनों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद नियमों के अनुसार ही किसी अन्य स्रोत से खरीदी जानी चाहिए। केन्द्रीय भण्डार अपनी नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धा के आधार पर खुली टेण्डर प्रणाली के अनुसार मिलों से अथवा उनके अधिकृत वितरकों से बढ़िया किस्म की वस्तुओं की खरीद करता है। केन्द्रीय भण्डार द्वारा बेची गई वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत मार्किट में वस्तुओं की कीमतों से सामान्यत: कम ही होती है : केन्द्रीय भण्डार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव है वह आई० एस० आई०/एगमार्क उत्पाद ही बेचता है। इसके अतिरिक्त आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता की, उन्हें स्वीकार करने से पहले अनुमोदित नमूनों के अनुसार जांच की जाती है।

आयल पॉम की खेती

3153. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक :**

डा० डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल पॉम की खेती के लिए बंजर भूमि का उपयोग करने का कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश की निगम नीति संबंधी अंतर्मंत्रालयीन समिति

3154. **श्री रवि राय :**

श्री शरद दिघे :

श्री चित्त बसु :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीर्ष स्तर की एक अंतर्मंत्रालयीय समिति ने देश की निगम नीति संबंधी एक मसौदे को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि श्रम, उद्योग, वित्त, ऊर्जा और औद्योगिक विकास के प्रतिनिधि भी इस बातचीत में शामिल थे ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) निर्गम नीति पर कोई अंतर्मंत्रालयीय समिति नहीं बनाई गई है। तथापि, योजना आयोग ने औद्योगिक पुन: संरचना पर 31-10-91 को एक अंतर्मंत्रालयीय कार्यकारी दल का गठन किया है जिससे रुग्ण यूनिटों को बन्द करने हेतु कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत परिसमापन प्रक्रिया को सुचारू और गतिशील बनाने की दृष्टि से उसमें कुछ परिवर्तन करने की सिफारिश की थी। सिफारिशों का सारांश संसद के पुस्तकालय में रखा गया है।

(ग) उद्योग, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक उपक्रम, कम्पनी मामले, शहरी विकास, वार्षिक मामले तथा श्रम मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने समय-समय पर कार्यकारी दल की बैठकों में भाग लिया।

त्रिपुरा के लिए वर्ष 1992-93 का वार्षिक परिव्यय

3155. **श्रीमती बिभू कुमारी देवी** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना के लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया था और योजना आयोग ने कितने की स्वीकृति दे दी;

(ख) कृषि तथा उद्योग के क्षेत्र में कितनी वृद्धि दर की संभावना है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मूलभूत ढांचे जैसी विभिन्न सामाजिक सेवाओं के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) त्रिपुरा के लिए वर्ष 1991-92 का योजना परिव्यय क्या था; और

(घ) कृषि तथा उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में वर्ष 1991-92 के दौरान कितना वास्तविक व्यय किया गया और कितनी वृद्धि दर प्राप्त की गई ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग ने 1992-93 के लिए 361.00 करोड़ रु० की प्रस्तावित राशि के मुकाबले 282.00 करोड़ रु० के परिव्यय को अनुमोदित किया।

(ख) त्रिपुरा सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि में 3.5% तथा उद्योग में 1 4% की विकास दर पर विचार किया गया। 1992-93 के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को विभिन्न सामजिक सेवाओं के लिए निर्धारित किया गया है :

शिक्षा

प्राथमिक स्तर पर नामांकन (अतिरिक्त)	14,500

स्वास्थ्य

1. पी० एच० सी०	10 संख्या

2. सी० एच० सी०	3 संख्या
3. उप-केन्द्र	30 संख्या
(ङ) आई० सी० डी० सी० के तहत कवरेज	75,000
(च) पोषाहार कार्यक्रम के तहत कवरेज	4.76 लाख
(छ) शिक्षित किए जाने वाले प्रौढ़	22,500
(च) सड़क (सरफेस तथा अनसर्फेस्ड)	180 कि० मी०
(छ) विद्युत उत्पादन	48.5 मे० वा०
(ज) विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव	200 संख्या
(झ) ग्रामीण भूमिहीनों को आवास स्थान	3850 संख्या
(ञ) गांवों को पेय जल	300 संख्या

(ग) 1991-92 के लिए 230.00 करोड़ रु० के परिव्यय को अनुमोदित किया गया था।

(घ) त्रिपुरा सरकार के अनुसार 1991-92 के दौरान वास्तविक व्यय 228.00 करोड़ रु० था। 1991-92 के दौरान प्राप्त विकास दर के बारे में सूचना इस स्टेज पर उपलब्ध नहीं है।

भविष्य निधि अधिनियम का लागू नहीं किया जाना

3156. श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री बलराम जाखड़ :

श्री अर्जुन चरण सेठी

डा० नईम बाबा :

श्री परसराम भारद्वाज :

श्री बापू हरि चौधरी :

श्री मानिकराव होलीराव गावित :

श्री जगदेव आचार्य :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी और सिगार उद्योगों के उच्चतम न्यायालय के सात वर्ष पूर्व दिए गए निर्णय के बावजूद भी भविष्य निधि अधिनियम लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार भुगतान की गई भविष्य निधि राशि को वसूली करने तथा इसे 1977 से बीड़ी श्रमिकों के कल्याण कोष में लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह चामलिंग) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को 1-6-1977 से बीड़ी उद्योग पर लागू कर दिया गया था। तथापि अधिकांश बीड़ी निर्माताओं ने इस अधिनियम को लागू नहीं किया और इसकी अनुप्रयोज्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने सितम्बर, 1985 में दिये गये अपने निर्णय में बीड़ी उद्योग के लिये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की अनुप्रयोज्यता की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों को इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले बीड़ी प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है। सिमार उद्योग इस अधिनियम के अंतर्गत 30-6-1966 से पहले ही शामिल है।

(ग) और (घ) भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों के अंतर्गत, कर्मचारी भविष्य निधि राशि की वसूली की जाती है और अंशदाताओं के व्यक्तिगत लेखाओं में जमा कराई जाती है। इसलिए, उसे कल्याण निधि में जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में बेरोजगार व्यक्ति

3157. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री राम नारायण बैरवा :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 31 मार्च, 1992 को श्रेणीवार कुल कितने बेरोजगार व्यक्ति थे, और

(ख) इन्हें रोजगार देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह चामलिंग) : (क) 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वालों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की श्रेणीवार संख्या निम्न प्रकार थी :

श्रेणी	संख्या (हजारों में)
1. कुल	904.3
2. (क) पुरुष	825.2
(ख) महिला	79.1
2. शिक्षित (मैट्रिक तथा अधिक)	516.6
3. अनुसूचित जाति	130.7
4. अनुसूचित जनजाति	61.6
5. शारीरिक रूप से विकलांग	13.5

(ख) रोजगार आठवीं योजना का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आठवीं योजना में परिकल्पित किये गये विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से पर्याप्त रोजगार अवसर सृजित किये जाने की संभावना है जिससे राजस्थान में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों के भी लाभान्वित होने की आशा है। देश में एक दशक की अवधि मे लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति सृजित करने का लक्ष्य है।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मशीनरी की खरीद

3158. **श्री सुरज मंडल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई कोयला खानों के लिए केन्द्रीय खान आयोजना तथा डिजाइन संस्थान द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं को इसके प्रारंभिक स्वरूप में कोयला कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या नई परियोजनाओं के लिए खरीदे गए/प्राप्त मशीनरी का अन्य पुरानी खानों में उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) परियोजनाओं का क्रियान्वयन कोयला कंपनियों द्वारा सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा मूल निष्पादन के अनुसार किया जाता हैं। किंतु क्रियान्वयन के चरण में यदि विपरीत भू-खनन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं अथवा कुछ अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कार्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन अपेक्षित होता है तो ऐसी स्थिति में परियोजना पैरामीटरों में संशोधन की अनुमति सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा पुनरीक्षा किए जाने के बाद दी जाती है।

(ख) और (ग) उपकरण की खरीद परियोजना रिपोर्ट में दिए गए अनुसार परियोजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। किंतु, यदि इस तरह से खरीदे गए उपकरणों को ऐसे कारणों जैसे, भूमि का उपलब्ध न होना अथवा विपरीत भू-खनन परिस्थितियों के होने के कारण परियोजनाओं को लाभकारी रूप में नियोजित नहीं किया जाता है, तो इन्हें बेहतर प्रयोग के लिए कुछ अन्य खानों में अंतरित किया जा सकता है और जैसे ही परिस्थितियों में सुधार हो जाता है तो उन्हें मूल परियोजनाओं में वापिस ले आया जाता है।

[अनुवाद]

श्रम न्यायाधिकरण

3159. **डा० फैयाजुल आलम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई श्रम न्यायाधिकरणों में कोई शीर्षस्थ अधिकारी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) खाली पदों को भरने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन परियोजना संबंधी समिति की रिपोर्ट

3160. **डा० लाल बहादुर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु उत्तर प्रदेश की पेट्रो-रसायन परियोजनाओं को अंतिम रूप देने हेतु गठित समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने वाले पेट्रो-रसायन काम्पलैक्सों को अग्रता देने के लिए योजना आयोग के तत्कालीन सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी ।

(ख) आबिद हुसैन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ औरया (उ० प्र०) में गैस क्रैकर परियोजना की स्वीकृति की सिफारिश की, जिसका कार्यान्वयन गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, द्वारा किया जाना है । औरेया में प्रति वर्ष 3,00,000 टन इथाइलीन की क्षमता वाले गैस क्रैकर के लिए गेल को 13-9-89 को एक आशय पत्र जारी किया गया था तथा इथाइलीन पर आधारित डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए 9-4-91 को एक और आशय पत्र जारी किया गया था ।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक

1361. **श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रमिकों की मुक्ति के लिए एक परियोजना हेतु धनराशि देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बारे में ब्यौरे लोक सभा के दिनांक 22-7-1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर में दिए गये हैं ।

[हिन्दी]

आंवला उर्वरक संयंत्र की क्षमता में वृद्धि

3162. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंवला उर्वरक संयंत्र की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव काफी समय से सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) से (ग) इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि० (इफको) ने 984.40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अपने आंवला संयंत्र की क्षमता दुगनी करने का प्रस्ताव किया है । ताकि अतिरिक्त 1350 टन

प्रतिदिन अमोनिया तथा 2200 टन प्रतिदिन यूरिया उत्पादित किया जा सके। इफको से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। चूंकि परियोजना के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही करना तथा सरकार के अन्य अभिकरणों से विचार-विमर्श करना अपेक्षित होगा, इसलिए इस अवस्था में यह इंगित करना कठिन है कि किस समय तक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

स्थानान्तरण नीति

3163. श्री सोमजीभाई डामोर :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की अपने कर्मचारियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में अथवा एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण के संबंध में क्या नीति है; और

(ख) क्या भारत सरकार के अन्तर्गत सेवारत पति और पत्नी दोनों के मामले में अलग नियम है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सरकार ने स्थानान्तरण के मामले में किसी समान नीति का निर्धारण नहीं किया है। यह संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रशासनिक अपेक्षाओं, दबावों तथा व्यवहार्यता सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों के संबंध में कोई नीति निर्धारित करें। तथापि भारत सरकार में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत पति और पत्नी को, प्रशासनिक व्यवहार्यता को देखते हुए, जहां तक संभव हो सके, एक ही स्टेशन पर तैनात किये जाने जैसी परिस्थितियों में तैनाती विषयक कुछ मार्ग-दर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

मोतीलाल नेहरू कृषक प्रशिक्षण संस्थान का कार्यकरण

3164. श्रीमती सरोज दुबे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको, फूलपुर, इलाहाबाद के परिसर में कार्यरत मोतीलाल नेहरू कृषक प्रशिक्षण संस्थान के कार्यकरण की कभी समीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) फूलपुर स्थित मोतीलाल नेहरू कृषक प्रशिक्षण संस्थान इफकों द्वारा प्रवर्धित सहकारी ग्रामीण विकास न्यास (कोरडेट) की एक इकाई है। कोरडेट का न्यास मंडल अपने एकक हित इसके कार्य-

करण की आवधिक समीक्षा करता है। न्यास मंडल की पिछली समीक्षा बैठक जो 16 जुलाई, 1992 को हुई, ने 1991-92 के दौरान कार्य की समीक्षा की और 1992-93 के लिए कार्य योजना तथा बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी।

कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच

3165. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1992 में राजपत्रित अधिकारियों सहित कुछ सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कोई जांच कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्ष 1992 के दौरान (30-6-1992 तक) 1166 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जिसमें 529 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, कायम कुल 695 मामलों में जांच की थी।

(ग) से (ङ) जांच पूरी करने के बाद, 64 मामले, जिसमें 15 राजपत्रित अधिकारी तथा 255 गैर-राजपत्रित अधिकारी शामिल थे, मुकदमे के लिए भेजे गए थे, 100 मामले, जिसमें 97 राजपत्रित अधिकारी तथा 150 गैरराजपत्रित अधिकारी शामिल थे, नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने की सिफारिश करते हुए संबंधित विभागों को भेजे गए थे, 9 मामले, जिसमें 30 राजपत्रित अधिकारी तथा 29 गैर-राजपत्रित अधिकारी शामिल थे, उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए संबंधित विभागों को भेजे गए थे तथा 8 मामले, जिसमें 11 राजपत्रित अधिकारी तथा 15 गैर-राजपत्रित अधिकारी शामिल थे, पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण बंद कर दिए गए अथवा अन्यथा निपटा दिए गए।

[अनुवाद]

श्रीलंका के शरणार्थी

3166. **श्री चित बसु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य शरणार्थी उच्चायोग ने हाल ही में प्रधान मंत्री को श्रीलंका के शरणार्थियों को वापस भेजने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जी, हां। यू एन एच सी आर ने भारत से श्रीलंका के शरणार्थियों की स्वैच्छिक वापिसी के साथ यू एन एच सी आर को सम्बद्ध करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को लिखा है। इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है फिर भी भारत सरकार ने यू एन एच सी आर से पुनः कहा है कि श्रीलंका के शरणार्थियों की वापिसी पूरी तरह से स्वैच्छिक है और श्रीलंका सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा, संरक्षा और पुनर्वास के लिए दिए आश्वासन पर आधारित है। सरकार ने यू एन एच सी आर को यह बताया है कि वह तमिलनाडु में उन शरणार्थियों के बारे में नमूना जांच करवाने के लिए तैयार है जिन्हें वापस भेजा जाना है।

बेरोजगारी बढ़ना

3167. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में बेरोजगारी में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ग) बढ़ती बेरोजगारी का सामना करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह चटोवार): (क) और (ख) 10-11 दिसम्बर, 1991 को नई दिल्ली में ढांचागत समायोजन के सामाजिक आयामों पर एक राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। सरकारी विभागों, व्यवसाय संघों और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षाविदों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस विषय पर अनेक लेख प्रस्तुत किए गए और उन पर विचार-विमर्श किया गया था, तथापि कार्यशाला में कोई सहमति नहीं हो सकी।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। आठवीं योजना में परिकल्पित रोजगार नीति का उद्देश्य अगले दस वर्षों के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति अनेक उपायों जैसे आर्थिक विकास की उच्च दर की प्राप्ति, साथ ही रोजगार सृजन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों, उस क्षेत्र और उन क्षेत्रों जिनमें तुलनात्मक रूप से रोजगार की काफी अधिक संभावनाएं हैं, की तीव्र विकास के माध्यम से की जाएगी। योजना में भौगोलिक और फसल वार परिवर्तित कृषि विकास, परती भूमि विकास वानिकी, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अधःसंरचना का विकास, लघु और विकेन्द्रीकृत विनिर्माण उद्योगों का तीव्र विकास और आवास-निर्माण का विस्तार रोजगारोन्मुख वृद्धि नीति के मूल तत्वों की परिकल्पना की गयी है।

विदेशी ब्राण्ड नामों का उपयोग

3168. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने देसी बाजार में विदेशी ब्राण्डों का उपयोग करने के संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के बारे में सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देशी बाजार में विदेशी ब्रान्डों का उपयोग करने से भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस मंत्रालय को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के किसी ऐसे अभ्यावेदन की जानकारी नहीं है । इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली मंडल ने लिखित रूप में पुष्टि की है कि उसने विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग करने हेतु सरकार को कोई लिखित सुझाव नहीं दिया है ।

(ख) से (घ) सरकार ने भारत में विदेशी अथवा भारतीय ब्रांड नामों/व्यापार चिन्हों का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय किया है बशर्ते कि ये इस देश में किसी कानून, नियम या विनियमों का उल्लंघन न करते हों । इससे देश में औद्योगिक विकास में वृद्धि की आशा है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रुग्ण उद्योग

3169. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने उद्योग रुग्ण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के इन रुग्ण उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को निजी क्षेत्र को सौंपने का है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक रखता है । नवीनतम आर०बी०आई० आकड़ों के अनुसार, सितम्बर, 1990 के अंत में उत्तर प्रदेश राज्य में लघु उद्योग क्षेत्र में 30,694 औद्योगिक एकक तथा गैर लघु उद्योग क्षेत्र में 81 एकक रुग्ण थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय उत्तर प्रदेश में केन्द्र के किसी सरकारी क्षेत्र के एकक को निजी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के संवर्धन हेतु धनराशि

3170. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :**
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार, कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस आबंटन के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को शुरू की गई बड़ी परियोजनाओं पर कोई घाटा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुल राम) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 128.00 करोड़ की राशि नियत की गई है। कार्यक्रमवार ब्यौरा विवरण-"क" में दिया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विभिन्न नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत विस्तार कार्यक्रमों जैसे बायोगैस, उन्नत चूल्हा, सौर तापीय और कुकर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्यों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए सम्बन्धित वर्षों के वास्ते वास्तविक लक्ष्य नियत किए जाते हैं और वास्तविक लक्ष्यों के मुताबिक धन निर्मुक्त किया जाता है। पिछले कार्य-निष्पादन, कार्य क्षेत्र, राज्य सरकार/अभिकरण की रुचि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रणाली की उपयुक्तता को ध्यान में रखकर वास्तविक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 1992-93 के लिए विस्तार कार्यक्रमों हेतु राज्यवार वास्तविक लक्ष्य विवरण-"ख" में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) लगभग 25.00 करोड़ रुपए की लागत पर डेनमार्क की एक फर्म द्वारा टर्न की आधार पर तिमारपुर, दिल्ली में स्थापित एक कूड़ा-करकट भस्मीकरण एवं विद्युत उत्पादन संयंत्र सफल साबित नहीं हुआ क्योंकि टर्नकी ठेकेदार ठेके के अनुसार दोषों को दूर करने और अपने कार्य-निष्पादन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने में विफल रहा। ठेकेदार से पूरी प्रतिपूर्ति हासिल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

विवरण-1

नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए 1992-93 के वास्ते कार्यक्रमवार नियतन

(करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	कार्यक्रम	परिव्यय 1992-93 (अनन्तिम)
1	2	3
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (अनुसंधान तथा विकास, सामुदायिक/ संस्थागत बायोगैस संयंत्रों सहित)	60.00

1	2	3
2.	उन्नत चूल्हा	16.00
3.	सौर तापीय (सौर ऊर्जा केन्द्र सहित)	12.00
4.	सौर प्रकाशवोल्टीय	9.00
5.	पवन ऊर्जा	10.00
6.	ऊर्जाक्षम	0.25
7.	बायोमास	3.00
8.	एफ० ए० ई० पी०	0.10
9.	शहरी/कृषि अपशिष्ट (सइस स्ट्रा एग्रो वर्मल पावर प्लाण्ट पंजाब सहित)	1.00
10.	वैकल्पिक इंधन	1.00
11	एम० एच० डी०	0.50
12.	धूप ऊर्जा	0.08
13.	रासायनिक ऊर्जा	0.22
14.	सामुद्रिक ऊर्जा	—
15.	हाइड्रोजन ऊर्जा	0.25
16.	माइक्रो/जल विद्युत	8.00
17.	इरेडा	4.00
18.	क्षेत्रीय कार्यालय, इत्यादि	0.70
19.	सूचना तथा प्रचार	0.50
20.	गोष्ठियां/सम्मेलन	0.95
21.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	0.97
22.	टेडा बैंक/टी० आई० एफ० ए० सी०	0.03
23.	विशेष क्षेत्रों की परियोजनाएं	1.25
24.	ऊर्जा संरक्षण	—
	जोड़	128.00

विवरण-2

राज्यवार वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण
(1992-93)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/अभिकरण	बायोगैस (सं०)	उन्नत चूल्हा (संख्या)	सौर तापीय (संग्राहक क्षेत्र वर्गमीटर)	सौर कुकर (सं०)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11000	1,15,000	1830	1000
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	3,000	365	50
3.	असम	1000	40,000	365	50
4.	बिहार	3500	80,000	1830	200
5.	गोआ	158	8,000	365	200
6.	गुजरात	29500	60,000	7135	4000
7.	हरियाणा	1900	50,000	1465	3000
8.	हिमाचल प्रदेश	3400	35,000	1465	3000
9.	जम्मू एवं कश्मीर	100	35,000	1195	700
10.	कर्नाटक	3500	90,000	3265	550
11.	केरल	2000	70,000	1095	550
12.	मध्य प्रदेश	4000	1,40,000	6950	8000
13.	महाराष्ट्र	10000	1,28,000	7135	3500
14.	मणिपुर	158	5,000	365	50
15.	मेघालय	75	1,500	645	100
16.	मिजोरम	120	3,000	275	50
17.	नागालैंड	100	1,500	180	50
18.	उड़ीसा	11000	75,000	645	400
19.	पंजाब	1900	85,000	3200	3000
20.	राजस्थान	3000	1,25,000	3200	3500
21.	सिक्किम	100	4,000	275	50

1 2	3	4	5	6
22. तमिलनाडु	7500	1,00,000	2925	1000
23. त्रिपुरा	50	1,000	188	50
24. उत्तर प्रदेश	1000	3,00,000	7135	4000
25. पश्चिम बंगाल	7000	50,000	640	700
26. अंडमान एवं निकोबार	5	4,000	275	50
27. चंडीगढ़	3	1,000	915	50
28. दादर एवं नगर हवेली	5	1,000	180	50
29. दमन एवं दीव	2	300	—	—
30. दिल्ली	10	20,000	2568	2000
31. लक्यद्वीप	—	200	180	50
32. पांडिचेरी	20	1,500	645	50
33. के० वी आई० सी०	23500	85,000		—
34. एन० डी० डी० वी०	300	28,000		—
35. वन विभाग (एम० पी०)	100			
36. ए० आई० डब्ल्यू० सी०	—	20,000		
37. अन्य	—	—	1120	
जोड़	1,35,000	17,50,000	60,000	40000

तटवर्ती गांवों में पवन विद्युतचालित मिलें

3171. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :**
श्री महेश कनोडिया :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित गांवों में पवन विद्युत चालित मिलें स्थापित करने के लिए राज्य-वार कितनी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में पवन विद्युत तथा सौर ऊर्जा के संवर्धन हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गांवों में और विशेषतया तटवर्ती गांवों में, राज्य-वार, कितनी पवन विद्युत चालित मिलें स्थापित करने का विचार है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) यह विभाग तटीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में पवन ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 23 राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में 2900 से अधिक पवन पम्प लगाए जा चुके हैं। स्थापित किए गए पवन पम्पों का राज्यवार ब्योरा विवरण-1 में दिया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में तटीय और आन्तरिक क्षेत्रों में पवन विद्युत परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं का राज्यवार ब्योरा विवरण-2 में दिया गया है। प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में 100 से अधिक लघु बैटरी भी लगाए गए।

(ख) और (ग) पवन ऊर्जा और इसके साथ ही सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उपलब्ध बजट संसाधनों के आधार पर वार्षिक कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। वर्ष 1992-93 के दौरान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 10 मे० वा० पवन विद्युत क्षमता स्थापित करने और 500 पवन पम्प लगाए जाने का प्रस्ताव है। मध्यम और उच्च तापमान की सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों को तेज करने और रोशनी तथा दूरसंचार, रेलवे-संकेतन आदि जैसे विशेष अनुप्रयोगों के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के उपयोग का प्रसार किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत गांवों में और विशेषकर तटीय क्षेत्रों के गांवों में पवन चक्कियों की स्थापना के लिए विशिष्ट लक्ष्य रखे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-1

पवन पम्पन प्रणालियों की स्थापना की स्थिति (30-6-92 को)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उथले कूप पवन पम्प	गहरे कूप पवन पम्प
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	327	10
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	
3.	बिहार	252	
4.	चंडीगढ़	4	
5.	दिल्ली	81	

1	2	3	4
6.	गोआ	6	
7.	गुजरात	103	
8.	हरियाणा	31	
9.	हिमाचल प्रदेश	12	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3	
11.	कर्नाटक	51	17
12.	केरल	19	15
13.	मध्य प्रदेश	164	4
14.	महाराष्ट्र	184	20
15.	नागालैंड	4	
16.	उड़ीसा	322	
17.	पांडिचेरी	10	
18.	पंजाब	77	
19.	राजस्थान	112	19
20.	तमिलनाडु	705	59
21.	उत्तर प्रदेश	300	4
22.	पश्चिम बंगाल	15	
23.	त्रिपुरा	2	
	योग	2808	148

विवरण-2

पवन विद्युत परियोजनाओं (मे० वा०) की स्थापना की स्थिति (30-6-92 को)

क्र० सं०	राज्य	कुल क्षमता		प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाएं		निजी क्षेत्र की परियोजनाएं		ग्रिड से जुड़ी अलग-अलग डब्ल्यू ई जी एस	
		पूर्ण की गई	अपूर्ण/कार्यान्वयाधीन	पूर्ण की गई	अपूर्ण/कार्यान्वयाधीन	पूर्ण की गई	अपूर्ण/कार्यान्वयाधीन	पूर्ण की गई	अपूर्ण/कार्यान्वयाधीन
1.	तमिलनाडु	22.47	8.82	15.55	3.35	6.53	5.25	0.39	0.22
2.	गुजरात	16.24	2.75	16.00	2.55			0.24	0.20
3.	महाराष्ट्र	1.19	1.50	1.10	—			0.09	—
4.	उड़ीसा	1.19	—	1.10	—			0.09	—
5.	मध्य प्रदेश	0.64	—	0.50	—			0.14	—
6.	आंध्र प्रदेश	0.55	2.50	0.55	2.50			—	—
7.	कर्नाटक	0.55	2.00	0.55	2.00			—	—
8.	गोआ	0.11	—	—	—			0.11	—
9.	केरल	0.10	2.00	—	2.00			0.10	—
		43.04	19.57	35.35	13.90	6.53	5.25	1.16	0.42

बायोगैस संयंत्रों के डिजाइन में सुधार

3172. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री शशि प्रकाश :
श्री के० पी० सिंह देव :
श्री एन० डेनिस :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गांवों में बायोगैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में गांवों के लिए बनाए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए क्या सुविधाएं/प्रोत्साहन दिये गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान डिजाइन और प्रौद्योगिकी में क्या सुधार किया गया है; और

(ङ) बायोगैस संयंत्रों के उपयोग से प्रतिवर्ष लगभग कितनी ईंधन लकड़ी की बचत हुई है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) सरकार ने बायोगैस संयंत्रों को गांवों में लोकप्रिय बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कदम उठाए हैं जैसे जागरूकता पैदा करने के लिए, विशेषत: महिलाओं के लिए प्रयोक्ता पाठ्यक्रमों का आयोजन करना, किसानों के खेतों में खाद की उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रदर्शनों का आयोजन करना, क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी साहित्य का प्रकाशन और आकाशवाणी, दूरदर्शन और स्थानीय लोककलाओं के माध्यम से प्रचार करना ।

(ख) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों हेतु ग्रामीण खंड-शिक्षकों और मकवैज्ञियों के लिए 568 निर्माण एवं रखरखाव प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और 9,000 प्रयोक्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है । सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों वाले गांवों में एक अलग कार्यक्रम के तहत प्रयोक्ता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत, जो पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की जरूरतें पूरी करती हैं, अनेक सुविधाएं तथा प्रोत्साहन दिए जाते हैं जैसे लाभ-भोगियों, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, ह्रासनियोजित कामगारों और स्वयंसेवी संगठनों की भागेदारी, शौचालयों से जुड़े बायोगैस संयंत्रों के प्रोत्साहन हेतु और दुहरे ईंधन वाले इन्जन चलाने के लिए बायोगैस के प्रयोग, मरम्मत प्रभारों, सेवा प्रभारों के लिए, केन्द्रीय आर्थिक सहायता देना और राज्य सरकारों तथा खादी ग्रामोद्योग को पुरस्कार देना, क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की स्थापना करना और प्रचार तथा विस्तार सेवाएं। एक अलग कार्यक्रम के अन्तर्गत, सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के लिए भी केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा रही है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, पाचित गोबर घोल के प्रयोग के संबंध में अभिकल्प और कार्य-विधि में ये सुधार किए गए : रबड़युक्त नाइलॉन रेशों से निर्मित बायोगैस संयंत्र का विकास, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों, सिक्किम और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में प्रोत्साहन किया जा रहा है, पत्नी वाले बायोमास, वनस्पति अपशिष्ट और केला के तने से बायोगैस के उत्पादन के लिए प्रायोगिक अभिकल्प और विभिन्न फसलों के बीजों की कोटिंग, खुंबी उगाने तथा मत्स्यपालन और कृमि-खाद बनाने में पाचित घोल का प्रयोग।

(ङ) अनुमान है कि देश में अब तक स्थापित लगभग 16 लाख बायोगैस संयंत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन जलावन लकड़ी के बराबर गैस ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3173. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों को आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता दी दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 1990-91, 1991-92 के दौरान और 1992-93 के लिए उड़ीसा को आर्थिक विकास हेतु कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा राज्य को 1989-90 से 1992-93 के दौरान आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उड़ीसा को 1989-90 से 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सहायता का आवंटन

(करोड़ रुपये में)

सहायता	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1.सामान्य केन्द्रीय कुल सहायता	271.20	283.40	342.55	339.90
2. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	49.56	88.00	90.00	368.00

1	2	3	4	5
3. आदिवासी उपयोजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	27.56*	29.50*	32.07*	11.71**
4. अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता	6.09*	8.04*	10.22*	3.98**
जोड़	354.41	408.94	474.84	723.59

* जारी की गई।

** प्रथम किस्त

[हिन्दी]

गोरखपुर उर्वरक संयंत्र

3174. **श्री रामपाल सिंह** : क्या प्रधान मंत्री 4 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोरखपुर उर्वरक संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए इस दौरान कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कार्य कब पुन: प्रारम्भ हो जायेगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय यह मामला किस चरण में विचाराधीन है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०चिन्ता मोहन) : (क) के (घ) गोरखपुर की विस्तृत स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार को वर्तमान संयंत्र के फिर से आरम्भ करने/पुनरुद्धार करने के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० के निदेशक मण्डल की सिफारिशों के साथ प्राप्त हो चुकी है। तथापि, एफ० सी० आई० के निदेशक मण्डल ने वर्तमान स्थल पर 900 टन प्रति दिन अमोनिया तथा 1500 टन प्रति दिन यूरिया की क्षमता वाले नैफथा पर आधारित नये संयंत्र को स्थापित करने को प्राथमिकता दी है। सरकार निर्णय को तेजी से लागू करने के लिए सम्भव उपाय करेगी।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करने के लिए टेलेक्स सन्देश

3175. **श्री पी० सी० थामस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों से टेलेक्स संदेश प्राप्त करने की प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ग) इस प्रणाली के शुरू होने से लेकर अब तक कोचीन पासपोर्ट कार्यालय से ऐसे कितने टेलेक्स सन्देश प्राप्त हुए हैं और कितने पासपोर्ट जारी किए गये;

(घ) क्या ऐसे टेलेक्स सन्देश देने के लिए संसद सदस्यों की सिफारिशें मान ली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ङ) बिना बारी के तथा प्राथमिकता के आधार पर पासपोर्ट जारी करने का अधिकार इस समय पासपोर्ट कार्यालयों के प्रमुखों को प्राप्त है। उन्हें दस्तावेजों के आधार पर इस बारे में अपनी तसल्ली करनी होती है कि तात्कालिकता के बारे में प्रार्थियों का दावा सही है। बहुत से मामलों में तात्कालिकता के वे दावे संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित होते हैं। पासपोर्ट कार्यालयों को बिना बारी के अथवा प्राथमिकता के आधार पर कोई टेलेक्स संदेश भेजने की आवश्यकता नहीं होती।

रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने वाले संयंत्र

3176. प्रो० रीता वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित किये गये रंगीन पिक्चर ट्यूब बनाने वाले कुछ संयंत्र सन्तोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्रों को चलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा सूचनागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) देश में तीन रंगीन पिक्चर ट्यूब संयंत्रों अर्थात् अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०, बी०पी०टी० इलेक्ट्रॉनिक्स लि० और सेमटेल कलर लि० में से अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि० द्वारा वर्ष 1991 में कुल उत्पादन क्षमता का 28 प्रतिशत उपयोग किया गया, जो कम है।

(ख) अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स के मामले में कम उत्पादन-क्षमता के इस्तेमाल का कारण वित्तीय स्रोतों की कमी थी।

(ग) अप्ट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब्स लि०, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। किन्तु, भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिकी विभाग अप्ट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लि० की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा परामर्श प्रदान करता है।

[हिन्दी]

आधारभूत क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

3177. श्री विलास मुत्तेमवार :

श्रीमती बिल कुमारी भंडारी :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री अवध कुमार पटेल :

श्री मोहन रावले :

डा० सुधीर राय :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री चित्त बसु :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधारभूत क्षेत्र का कार्य निष्पादन सन्तोषजनक नहीं है जैसा कि सरकार द्वारा की गयी मध्यावधि समीक्षा में सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनका कार्य-निष्पादन असन्तोषजनक रहा; और

(ग) इन प्रमुख क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 9 आधारी संरचना क्षेत्रों के उत्पादन निष्पादन की समीक्षा करने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा संकलित जून, 1992 की अद्यतन मासिक रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित क्षेत्रों में अप्रैल-जून, 1992 की अवधि के लिए लक्ष्य की अपेक्षा गिरावट दर्ज की गई अर्थात् विद्युत (2.6%), कोयला (1.3%), इस्पात (सेल)-तप्त धातु (0.6%), सिल्ली (2.4%), रेलवे राजस्व भाड़ा (1.5%), उर्वरक (5.5%), दूरभाष उपकरणों का उत्पादन (ओई० टी० आई० द्वारा) (5.8%)

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा 9 प्रमुख आधारी संरचना क्षेत्रों के उत्पादन निष्पादन का आवधिक रूप से गहन प्रबीक्षण किया जाता है तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने हेतु सरकार में विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण गुवाहाटी में लम्बित मामले

3178. श्री प्रधान बेरा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी में कर्मचारियों के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी न्यायपीठ में लंबित मामलों की स्थिति नीचे दी गई है—

31-12-89 को	223
31-12-90 को	270
31-12-91 को	473

(ख) और (ग) क्योंकि केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक स्वायत्त न्यायिक निकाय है, इसलिए लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा कोई समयबद्ध कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती। फिर भी सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की गुवाहाटी न्यायपीठ तथा अन्य न्यायपीठों में सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खादी कुटीर उद्योगों के लिए नई योजनायें

3179. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में खादी तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि जारी की गई ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनायें नीचे दर्शाई गई हैं—

1 नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में विशेष कार्यक्रम।

2. मऊ और गाजीपुर जिलों में विशेष कार्यक्रम।

3. खादी को बढ़ावा देने के लिए 569 संस्थानों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सीधे वित्तीय सहायता।

4. हाल ही में विकसित 8 तकुओं वाले चरखों को शुरू करना तथा कॉम्बिंग मशीन लगाना।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग द्वारा तैयार किए गए वित्तीय सहायता के ढांचे के अनुसार खादी और ग्रामोद्योगों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पर्वतीय, सीमावर्ती, आदिवासी तथा कमजोर वर्गों के क्षेत्रों के लिए सहायता का उदार ढांचा भी तैयार किया है। सहायता का उक्त ढांचा उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में लागू है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को उनके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों में वितरित धनराशि नीचे दी गई है—

(रु० लाख में)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1988-89	1477.65	295.30	66.78	1106.46
1989-90	1472.88	472.09	154.93	1491.76
1990-91	1731.88	417.90	47.92	1611.52

[अनुवाद]

तालचर उर्वरक इकाई में घाटा

3180. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर और रामागुण्डम उर्वरक इकाई में आज तक कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) इस घाटे के स्पष्ट कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसे लाभकारी और अर्थक्षम बनाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (एस०सी०आई०) के तालचर और रामागुण्डम संयंत्रों की वर्ष 1991-92 के अनंतिम आंकड़ों को शामिल करते हुए 31-3-92 तक कुल समेकित हानियां क्रमशः रु० 495.07 करोड़ और रु० 319.85 करोड है। ये संयंत्र मुख्यतः उपस्कर और डिजाइन असन्तुलन के कारण आरम्भ से ही सन्तोषजनक ढंग से कार्य निष्पादन नहीं कर रहे हैं।

(ग) एफ० सी० आई० ने विभिन्न एककों जिसमें तालचर तथा रामागुण्डम एकक भी शामिल हैं, के पुनर्नवीकरण तथा पुनरुद्धार के सम्बन्ध में तथा कम्पनी की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए भी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। तथापि इन प्रस्तावों के परिणाम उनकी वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता, बजटीय स्रोतों द्वारा निधियों के आवंटन एवं रसायन उद्योग से सम्बन्धित त्रिपक्षीय समिति के विचार पर भी निर्भर करेंगे। कम्पनी ने अपने मामले को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भी भेजा है। कम्पनी को रामागुण्डम एवं तालचर एककों के सम्बन्ध में इन संयंत्रों के पुरानेपन को मद्दे नजर रखते हुए प्रतिधारण मूल्य-सह-आर्थिक सहायता योजना के तहत खपत मानदण्ड एवं क्षमता उपयोगिता में अतिरिक्त मंजूरी दी गयी है। कम्पनी को इसकी आर्थिक सहायता राशियों का भुगतान भी नियमित रूप से किया जा रहा है।

स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3481. श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में मजदूर संघों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो उन मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है जिनसे इस सम्बन्ध में परामर्श किया गया है और मजदूर संघों की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 1988 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों को, जिनके पास उनकी आवश्यकता के अतिरिक्त जनशक्ति है, सलाह दी थी कि वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायें, जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित लाभ स्वीकार्य हैं :

(I) अंशदान भविष्य निधि विनियमों के अनुसार भुगतान योग्य उसके भविष्य निधि खाते की बकाया राशि।

(II) उद्यम के नियमों के अनुसार संचित अर्जित छुट्टी के बराबर नकद धन राशि।

(III) कर्मचारी पर लागू उपदान अधिनियम अथवा उपदान योजना के अनुसार उपदान धन राशि।

(IV) एक माह/तीन माह का सूचना वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार)

(V) पूरे किए गए प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए ढेढ़ माह की परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता जोड़कर) के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान अथवा सेवानिवृत्ति के समय

मासिक परिलब्धि को सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व बची हुई सेवा के शेष महीनों से गुणा करके उसके बराबर राशि, इनमें से जो भी कम हो।

(VI) कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से उस स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा, जहां वह बसना चाहता है।

(ग) और (घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने के बारे में निर्णय सरकारी क्षेत्र के उद्यम-विशेष के प्रबन्धन को करना है न कि सरकार को। प्रबन्धन द्वारा कर्मचारियों के संघों से परामर्श किया जा सकता है।

कोयला क्षेत्र का विकास

3182. **कुमारी विमला वर्मा :**
श्री एम० डेनिस :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश के दीर्घकालिक ऊर्जा परिदृश्य में कोयला क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) दस्तावेज में ब्यौरे शामिल किए गए हैं जिन्हें यथा-समय संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रख दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

[हिन्दी]

शीरा का वितरण

3183. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास गत वर्ष में शीरे का कुल कितना भण्डार था और इसमें से कुल कितना शीरा निर्यात किया गया तथा देश में घरेलू प्रयोजनार्थ कितने शीरे की खपत हुई है; और

(ख) घरेलू उपयोग के लिए शीरे का वितरण करने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा क्या इस प्रयोजनार्थ गठित शीरा बोर्ड गत कई वर्षों से कार्य कर रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) सरकार शीरे का कोई स्टाक नहीं रखती है। रिपोर्टों के अनुसार, अल्कोहल वर्ष 1990-91 (30-11-91 को समाप्त) की स्थिति निम्न प्रकार थी—

1. उपलब्ध शीरे की मात्रा	62 लाख टन
2. देश में उपयोग में लाई गई शीरे की मात्रा	50.00 लाख टन
3. वित्तीय वर्ष 1991-92 में निर्यात की गई शीरे की मात्रा	3.42 लाख टन

(ख) शीरे का अन्तर-राज्य आवंटन केन्द्रीय शीरा बोर्ड और/अथवा इसकी कार्यकारी समिति की सहायता और सलाह से, राज्यवार मांग-पूर्ति की स्थिति की पुनरीक्षा के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के अन्दर अलग-अलग यूनिटों को शीरे का आबंटन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

[अनुवाद]

सीमेंट की कालाबाजारी

3184. **श्री राजबीर सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट डीलरों द्वारा की जा रही कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस कालाबाजारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आए; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साहनी) : (क) से (ग) औद्योगिक विकास विभाग को सीमेंट की कालाबाजारी के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। इस समय, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सीमेंट का उत्पादन पर्याप्त है और इसकी कमी की कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने तथा फालतू सीमेंट के क्षेत्रों से उन क्षेत्रों में इसकी ढुलाई करने के लिए उद्योग को रेल डिब्बों की आपूर्ति सहित आवश्यक सहायता प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा रही है। सरकार ने अतिरिक्त स्वैच्छिक के लिए जन को सरल बनाने, क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने, अधिकाधिक उत्पादन करने तथा ार सीमेंट उपलब्ध कराने के लिए इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त भी कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जीन बैंक

3185. **श्री अनन्तराव देशमुख :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी-15 देशों ने विकासशील देशों में जीन बैंकों का नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बैंक भारत में भी स्थापित किये जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां। जी-15 देशों ने सदस्य देशों में औषधीय तथा सुगन्ध वाले पादपों के जीन बैंकों का तंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) और (ग) जी हां। औषधीय तथा सुगन्ध वाले पादपों हेतु भारत में एक जीन बैंक स्थापित किया जाना है। इसकी स्थापना से संबंधित रूपात्मकताएं तथा अन्य विवरण तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

बिनौले/फूलों के बीज से तेल का उत्पादन

3186. डा० वी० सिलवेरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी और सहकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियां बिनौले और फूलों के बीज से तेल का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निर्यातकों के श्रेणीवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या इनमें से कुछ निर्माता इनका विपणन एक किलोग्राम के पाउचों में कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके श्रेणीवार नाम क्या है और इनके विपणन केन्द्र कहां पर स्थित हैं;

(ङ) क्या हिंदुस्तान वनस्पति तेल निगम केवल सुपर बाजार के माध्यम से ही अपने बिनौले के तेल की बिक्री करता था;

(च) क्या अब इसकी बिक्री बन्द कर दी गयी है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) उपभोक्ताओं के लिए इसकी बिक्री पुनः आरंभ किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार को फूल बीज तेल नामक किसी तेल की जानकारी नहीं है।

एक ब्यौरा विवरण-1 पर दिया गया है, जिसमें संगठित क्षेत्र के उन एककों के नाम दिए गए हैं, जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बिनौले का तेल तैयार कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) कुछ एककों के वर्णवार नाम, उनके विपणन के स्थान के साथ विवरण-1 की क्रम संख्या 4, 5, 6 तथा II पर दिए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) जी नहीं। परिष्कृत बिनौले का तेल विभिन्न संस्थागत क्रेताओं, जैसे होटलों और रक्षा सेनाओं को 15 कि० ग्रा० के तीनों में सप्लाई किया जा रहा है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में निम्नलिखित एकक परिष्कृत बिनौले का तेल तैयार कर रहे हैं :—

परिष्कृत बिनौले के तेल का उत्पादन करने वाले एककों/विपणन क्षेत्र का नाम

क्र० सं०	एकक का नाम	विपणन क्षेत्र
1	2	3
	निजी क्षेत्र	
1.	मैसर्स श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, दिल्ली	दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्र
2.	मैसर्स अमृत वनस्पति कम्पनी लि०, राजपुरा एंड गाजियाबाद	दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब
3.	मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०, यमुना नगर	हरियाणा
4.	हाईनोप फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, अहमदाबाद	गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य क्षेत्र
5.	आनन्द रिजनल कोआप० आयल सीड्स ग्रोवर्स यूनियन, डिस्ट्रिक्ट कैरा, गुजरात	गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य
6.	रोशन लाल आयल मिल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य क्षेत्र
7.	भारत जनरल एंड टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज लि० एण्ड पंजाब गिनिंग एण्ड प्रैसिंग कं० लि०, कलकत्ता/बम्बई	महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व अन्य क्षेत्र
8.	मार्डन मिल्स लि०, (सनदत्ता फूड्स एंड फाईब्रेस डिविजन), हुबली, कर्नाटक	कर्नाटक व अन्य क्षेत्र
9.	मैसर्स मधुसूदन इंडस्ट्रीज लि०, अहमदाबाद	गुजरात
10.	मैसर्स रवि वेजिटेबल लि०, देवनगेरे	कर्नाटक

1	2	3
	सार्वजनिक क्षेत्र	
11.	मैसर्स हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल कार्पोरेशन (दिल्ली व अमृतसर)	पंजाब और दिल्ली
12.	मार्कफेड, खन्ना	पंजाब
13.	हैफेड, हिसार	हरियाणा, दिल्ली व चंडीगढ़

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3187. **डा० आर० मल्लू** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न एककों के छंटनी किए गए कर्मचारियों हेतु विशेष बांड देने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, जिसने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना को स्वीकार किया है, को इस योजना को यथाशीघ्र लागू करने के लिए कहेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाने की सलाह दी है जिनमें बेशी जनशक्ति है।

(ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने 1-7-92 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पहले ही लागू कर दी है।

(ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि० में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

विवरण

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा शुरू की गई स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

1. कोई भी कर्मचारी जिसने 10 वर्ष की सेवा या 40 वर्षों की आयु पूरी कर ली हो, वह लिखित अनुरोध द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

2. जिस कर्मचारी का अनुरोध इस योजना के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है, वह निम्नलिखित फायदों का हकदार हो जाएगा :—

   (1) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1-1/2 महीने की परिलब्धियों या सेवा निवृत्ति के समय के वेतन को सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पूर्व बचे हुए

सेवा के शेष महीनों के गुणक के बराबर, मासिक परिलब्धियों के बराबर जो भी कम हो, अनुग्रह राशि का भुगतान ।

(2) कम्पनी के नियमों के अनुसार, संचित अर्जित अवकाश के बराबर नकद राशि ।

(3) अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान का बकाया ।

(4) उपदान के भुगतान अधिनियम के अनुसार अथवा कर्मचारी पर लागू उपदान योजना के अनुसार उपदान ।

(5) तीन महीने का नोटिस वेतन ।

(6) कम्पनी के नियमों के अनुसार, कर्मचारी को उसकी इच्छानुसार बसने के लिए स्वयं तथा परिवार के लिए स्थानांतरण लाभ ।

"भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड" (भेल) द्वारा "किमको" का अधिग्रहण

3188. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने "भेल" से बंगलौर स्थित "किमको" एकक के अधिग्रहण का अनुरोध किया है;

(ख) क्या "भेल" उक्त एकक के अधिग्रहण के लिए राजी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री वी० के० चुंगल) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) "भेल" द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

राज्यों को वित्तीय सहायता

3189. श्री बालप्रभ पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई कार्य योजना तथा मानदण्ड तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) योजना आयोग ने संसाधन आधार तथा राज्यों एवं कृषि मंत्रालय के साथ विचारविमर्श के आधार पर आठवीं योजना के लिए भारत तथा प्रत्येक राज्य हेतु खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को नियत किया है । राज्यों तथा केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग ने खाद्यान्न तथा कृषि क्षेत्रक के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु वित्तीय आवंटन दिया है ।

लघु उद्योग एककों के लिए विकास निधि

3190. श्री आनन्द रत्न मौर्य :
श्री एन० जे० राठवा :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग यूनिटों का आधुनिकीकरण करने के लिए विकास निधि सृजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस निधि के लिए कितनी धनराशि आवंटित किए जाने की संभावना है और यह राशि किन स्रोतो से जुटाई जाएगी; और

(घ) इस निधि से लाभान्वित होने वाले लघु उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) जी, हां, लघु उद्योग एककों के आधुनिकीकरण हेतु लघु उद्योग आधुनिकीकरण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) से (घ) एस० आई० डी० बी० आई० से परामर्श करके योजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

"कैप्रोलैक्टम" का मूल्य

3191. प्रो० के० वी० थामस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)" द्वारा उत्पादित "कैप्रोलैक्टम" का विक्रय मूल्य क्या है;

(ख) "फैक्ट" के पास अभी "कैप्रोलक्टम" का अनबिका-स्टाक कितना है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "कैप्रोलैक्टम" पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ङ) क्या "कैप्रोलैक्टम" के आयात शुल्क में कमी के कारण हमारे देश में इसके उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो अपने देश में कैप्रोलैक्टम संयंत्रों को वर्तमान संकट से उबारने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) फैक्ट द्वारा उत्पादित केप्रोलैक्टम का वर्तमान मूल बिक्री मूल्य 66,000 रुपये प्रति मि० टन है ।

(ख) 23-7-1992 की स्थिति के अनुसार फैक्ट के पास न बेचे गये के प्रोलक्टम का भण्डार 5493 मि० टन था। फैक्ट को अपने केप्रोलेक्टम की बिक्री करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आयतित कैप्रोलैक्टम का मूल्य कम है।

(ग) और (घ) 1992-93 के बजट में कैप्रोलैक्टम पर आयात शुल्क 80% से घटाकर 50% कर दिया गया था।

(ङ) फैक्ट ने सूचित किया है कि विपणन समस्याओं के बावजूद उनके कैप्रोलैक्टम का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

(च) फैक्ट ने कैप्रोलैक्टम पर आयात शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण करने और कैप्रोलैक्टम उत्पादित करने के लिए प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य में कमी के लिए सरकार को अभ्यावेदन दिया है।

झरिया में भूमि का धंसना

3192. **डा० सुधीर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 में झरिया (बिहार) में भारी भूमि धंसाव हुआ था;

(ख) क्या यह धसाव आधा किलोमीटर क्षेत्र में हुआ था;

(ग) यदि हां, तो शरणार्थियों की सहायता हेतु बी० सी० सी० एल० द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में बंगाल तथा बिहार के कोयला खानों में भूमि धंसाव की समस्या से निपटने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) भारत कोकिंग कोल लि० की झरिया कोलफील्ड्स में स्थित एना कोलियरी में अप्रैल, 1992 में पुरानी खानों के क्रियाकलापों में बड़े रूप में भूमि धंसाव हुआ था। यह धंसाव 0.25 वर्ग कि० मी० के क्षेत्र में हुआ था। इससे प्रभावित 44 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार और बंगाल के कोयला क्षेत्रों में भूमि धंसाव की समस्या मुख्य रूप से पुश्तनी पहुंचरहित खानों में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व अवैज्ञानिक रूप में किए गए खनन कार्यों के कारण उत्पन्न हुई है। कोल इंडिया लि० ने पहुंचरहित और अस्थिर क्षेत्रों के स्थायीकरण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी और वर्तमान में रानीगंज कोयला क्षेत्र में अस्थिर क्षेत्र को स्थिरता देने के लिए हाइड्रोन्यूमेटिक रेत भराई की पद्धति को लागू करने की कोशिश की जा रही है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन

3193. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और अन्य ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कानूनों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही की भी नियमित रूप से परिवीक्षा करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 1992 के दौरान (30-6-92 तक दी गई सूचना) उक्त अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही नीचे दी गई है :—

(1) मारे गए छापों की संख्या	—	52503
(2) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सं०	—	1999
(3) उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया	—	2296
(4) उन व्यक्तियों की संख्या जिनका दोष सिद्ध हुआ	—	119
(5) जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रु० में)	—	840.48

(ख) चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम मूलत: सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक और अन्य मामलों मे संबंधित नहीं है, अत: इस मंत्रालय द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए।

[अनुवाद]

बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन

3194. **प्रो० भिजिनलंग कामसन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी द्वारा सहायता प्रदत्त अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल श्रमिक प्रथा के उन्मूलन हेतु बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार गैस-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) जी हां। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (जर्मनी तथा अन्य दानदाता देशों की सहायता से) द्वारा चलाए जा रहे

"राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम" के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	गैर सरकारी संगठनों के नाम	राज्यों के नाम, जिनमें कार्रवाई कार्यक्रम को लागू किया जाना है
1	2	3
1.	लिटरेसी हाऊस, लखनऊ	उत्तर प्रदेश
2.	बच्चुआ मुक्ति समिति मिर्जापुर	-वही-
3.	संघन क्षेत्र विकास समिति वाराणसी	-वही-
4.	सेन्टर फॉर रूरल एजुकेशन एण्ड डेवलेपमेंट एक्शन (सी आर ई डी ए), मिर्जापुर	-वही-
5.	सेन्टर ऑफ कन्सर्न फॉर चाइल्ड लेबर, नई दिल्ली	-वही-
6.	प्रोजेक्ट माला, नई दिल्ली	-वही-
7.	मुक्ति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली	-वही-
8.	अलरिप्पू, नई दिल्ली	-वही-
9.	रुचिका स्कूल सोशल सर्विस, भुवनेश्वर	उड़ीसा
10.	सोसाइटी फॉर वीकर-कम्युनिटी, भद्रक	-वही-
11.	फ्रोरम ऑफ कम्युनिटीज यूनाइटेड इन सर्विस, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
12.	कलकत्ता सोशल प्रोजेक्ट, कलकत्ता	-वही-
13.	इन्स्टीटयूट ऑफ साइको लाजिकल एण्ड एजुकेशनल रिसर्च (आई पी ई आर) कलकत्ता	-वही-
14.	चाइल्ड इन नीड इन्स्टीट्यूट (सी आई एन आई), कलकत्ता	-वही-
15.	गरीब नवाज महिला आवाम बाल कल्याण समिति, जयपुर	राजस्थान
16.	सेन्ट फ्रान्सिस पब्लिक स्कूल सोसाइटी, जयपुर	-वही-
17.	भारत चिल्ड्रन शिक्षा समिति, जयपुर	राजस्थान
18.	एक्शन थ्रू कॉपरेशन एण्ड टेकनोलाजी, जयपुर	-वही-
19.	इन्दौर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्दौर	मध्य प्रदेश
20.	सेल्फ इम्प्लाइड वूमेन्स एसोसिएशन, अहमदाबाद	गुजरात
21.	अमूल चाइल्ड लेबर वेलफेयर सोसाइटी, अहमदाबाद	-वही-

1	2	3
22.	हरिजन सेवक संघ, नई दिल्ली	बिहार
23.	बिहार खेत परिषद, पटना	-वही-
24.	एम० वेंकटरंगैया फाउन्डेशन, सिकन्दराबाद	आन्ध्र प्रदेश
25.	भागाबातुल्ला चेरिटेबल ट्रस्ट, यल्लामन्चेल्ली	-वही-
26.	चेतना, हैदराबाद	-वही-
27.	इन्डियन कौंउन्सिल फॉर चाइल्ड वेल्फेयर, कर्नाटक	कर्नाटक
28.	नेशनल सेन्टर फॉर रूरल डेवलेपमेंट, नागपुर	महाराष्ट्र
29.	स्नेहाकित, पुपे	-वही-
30.	डॉन बास्को अन्बु इल्लाम सोशल सोसाइटी, मद्रास	तमिलनाडु
31.	बास्को इन्स्टीट्यूट आफ सोशल वर्क, तिरुपत्तूर	-वही-
32.	वाई० डब्ल्यु० सी० ए०, मदुरै	-वही-
33.	रूरल वैल्फेयर सेन्टर, तिरुनलवेल्ली	तमिलनाडु
34.	अरुणोदय सेन्टर फार स्ट्रीट चिल्ड्रन, मद्रास	-वही-
35.	इन्डियन काउन्सिल फार चाइल्ड वेलफेयर, मद्रास	-वही-
36.	सेन्ट्रल फार रूरल एजुकेशन रिसर्च एण्ड डेवलेपमेंट एसोसिएशन, डिन्दीगल	-वही-
37.	पिपल एजुकेशन फार एक्शन एण्ड कम्युनिटी इमेन्सीपेशन ट्रस्ट (पी ई ए सी ई) डिन्दीगल	-वही-
38.	चाईल्ड रिलीफ एण्ड यू (सी आर वाई) अंकुरन, नई दिल्ली	दिल्ली
39.	बटरफलाईज, नई दिल्ली.	-वही-
40.	कला (खजाना), नई दिल्ली	-वही-
41.	जनजागृति एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली	-वही-
42.	विवेकानन्द एजुकेशन सोसाइटी, कलकत्ता.	पश्चिम बंगाल.

अन्टार्कटिका दल से "फीड बैक" आंकड़े

3195. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्टार्कटिका दल से प्राप्त "फीड बैक" आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आंकड़ों को किस प्रकार संसाधित किया जाता है; और

(ग) पूर्ववर्ती अभियानों से प्राप्त आंकड़ों को किस प्रकार संसाधित किया गया और उन्हें उपयोग में लाया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) प्रत्येक अभियान की वापसी पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

(ख) और (ग) इसके बाद यात्रा का पूरा वृत्तांत (डिब्रीफिंग) दिना जाता है, जिसमें विभिन्न संगठनों के सदस्यों द्वारा एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक समिति के समक्ष विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है। अभियान से प्राप्त फीड बैक के आधार पर विज्ञान और संभार क्षेत्रों के आगे के कार्यकलापों को नियोजित किया जाता है। अब तक प्राप्त फीड बैक के अनुसार अंटार्कटिक अनुसंधान के लिए एक दीर्घकालिक नीति का ढांचा तैयार किया गया है।

29 जुलाई, 1992 को होने वाली सदन की बैठक के लिए स्थल चयन समिति

3196. **श्री महेश कनोडिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थल चयन समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा इसका गठन कब हुआ था;

(ख) क्या स्थल चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई अथवा किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 1960 के दशक से लेकर समय-समय पर स्थल चयन समितियां गठित की गई हैं जो विचारार्थ विषयों के आधार पर भावी परमाणु बिजलीघरों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों की सिफारिश करती हैं। जब कोई स्थल चयन समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है, तब उसका काम समाप्त हो जाता है। कोई स्थायी स्थल चयन समिति नहीं है। भावी परमाणु बिजलीघरों को स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में अक्तूबर, 1991 में एक स्थल चयन समिति का गठन किया गया है जो आन्ध्र प्रदेश और केरल में किए गए स्थल संबंधी जांच कार्यों की पुनरीक्षा करेगी और सरकार के विचारार्थ उपयुक्त स्थलों की सिफारिश करेगी। इस समिति के अध्यक्ष न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री एस० एल० काटी हैं और इसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण; भूकम्पीय इंजीनियरी विभाग, रुड़की; राष्ट्रीय पर्यावरण एवं इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इस समिति की बैठक कई बार हो चुकी है और इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ग) और (घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

प्रदूषण के कारण समिति का गठन

3197. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :**
श्रीमती कुञ्जेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री रमेश चेन्निथला :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्वाय स्थित इंडियन रेयर अर्थ प्लांट द्वारा फैलने वाले प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की रिपोर्ट कब तक मिल जायेगी; और

(ग) समिति के सदस्यों और निदेश-पदों का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) केरल में आल्वे स्थित इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड फैक्टरी में तथाकथित विकिरण जोखिमों की जांच करने के लिए सरकार ने 1987 में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1987 में प्रस्तुत की। इस समय ऐसी कोई समिति काम नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

(ग) सन् 1987 में गठित समिति के विचारार्थ विषय में वर्ष 1970 से लेकर समिति के गठन की तारीख तक इंडियन रेअर अर्थ्स के कर्मचारियों की मौत के मामलों का विश्लेषण करना और इस बारे में तय करना शामिल था कि क्या इन कर्मचारियों की मौत, इनमें अनुर्वरता और इनके बच्चों में आनुवंशिक दोष होने का कारण विकिरण का वह प्रभाव है जो विकिरण से जुड़े कार्य करने की वजह से पड़ता है। इस समिति का काम यह भी जांच करना था कि क्या इंडियन रेअर अर्थ्स की स्वास्थ्य परिचर्या योजना, कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही सुरक्षा संबंधी पद्धतियां उपयुक्त हैं और यह भी कि क्या इंडियन रेअर अर्थ्स के परिचालनों के परिणामस्वरूप रेडियो सक्रियता अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में उन्मुक्त होती है।

उस समिति के सदस्य निम्नलिखित थे :

1. डा० के० सुन्दरम, भूतपूर्व निदेशक, जैव-चिकित्सा वर्ग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।
2. डा० एम० एस० वलियाथन, निदेशक, श्री चित्रा थिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम।
3. प्रोफेसर बी० डी० गुप्ता, प्रोफेसर तथा प्रधान, विकिरण-चिकित्सा विभाग, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़।

4. प्रोफेसर बालकृष्णन नायर, पदेन सचिव एवं अध्यक्ष, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी समिति, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम ।

राज्यों के लिए योजना परिव्यय

3198. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अभ्यावेदन किया है कि राज्यों के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत योजना परिव्यय अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किए गए योजना परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3199. **श्री हाराधन राय :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को अपनाकर कुल कितने व्यक्ति सेवानिवृत्त हुए हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के नाम अब तक बी० आई० एफ० आर० को भेजे गये हैं;

(ग) किन-किन उपक्रमों को कार्यक्षम बनाने की सिफारिश की गई है;

(घ) किन-किन उपक्रमों को बन्द करने की सिफारिश की गई है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक उपक्रम को बन्द करने की सिफारिश किन कारणों के आधार पर की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) गत तीन वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना स्वीकार करने के बाद सेवानिवृत्ति मांगने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 6-7-1992 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे गये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने अभी तक किसी भी उद्यम के पुनर्स्थापन अथवा बन्द करने की कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

1. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैशर्स लि०
2. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि०
3. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०
4. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०
5. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०
6. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो० लि०
7. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
8. भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लि०
9. भारत गोल्ड माइन्स लि०
10. भारतीय साइकिल निगम लि०
11. विगनयन इंडस्ट्रीज लि०
12. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लि०
13. भारतीय उर्वरक निगम लि०
14. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो० लि०
15. मण्ड्या नेशनल पेपर मिल्स लि०
16. बीको लारी लि०
17. ब्रिटिश इंडिया कारपो० लि०
18. एस्किन मिल्स कंपनी लि०
19. कानपुर टैक्सटाइल्स लि०
20. भारतीय टायर निगम लि०
21. भारत रिफैक्ट्रीज लि०
22. स्कूटर्स इंडिया लि०
23. प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०
24. इंडियन ड्रग्स एण्ड फ्रार्मास्युटिकल्स लि०
25. भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि०
26. उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि०

27. वेबर्ड (इंडिया) लि०

28. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि०

29. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०

30. नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लि०

31. ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि०

32. बंगाल इम्युनिटी लि०

33. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

निष्क्रान्त सम्पत्ति

3200. **डा० वसन्त पवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति को गोवा/पुर्तगाल के नागरिकों को वापस दिलाने के लिए पुर्तगाल सरकार से कोई बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या दो देशों के बीच कोई समझौता हुआ है;

(घ) निष्क्रान्त व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए हैं; और

(च) निष्क्रान्त सम्पत्ति कुल कितने मूल्य की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) सरकार इसके बारे में और मोजाम्बीक से निष्क्रांत भारतीयों के मुआवजे के सवाल पर भी विचार कर रही है तथा पुर्तगाल सरकार से बातचीत कर रही है ताकि सम्बन्धित देशों की परिसम्पत्तियां और देयताएं तय की जा सकें ।

नियमों में संशोधन

3201. **श्री देवी बक्स सिंह** :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आई० ए० एस०, ए० आई० एस० अखिल भारतीय सेवाओं और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में लागू वरिष्ठता नियम और विदेश सेवा नियमों में संशोधन करने करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सेवाओं में लागू वरिष्ठता तथा अन्य नियमों में संशोधन की प्रक्रिया सेवा की प्रशासनिक या अन्य आवश्यकताओं को देखते हुए लगातार चलती रहती है। विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के नियमों में संशोधन के संबंध मे सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानिटर नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड में फर्जी श्रमिक

3202. **श्री नीतीश कुमार :**
डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने हाजरी रजिस्टर में 9000 फर्जी मजदूरों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने इस कार्य के लिए जिम्मेदार लोगों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) इस उद्योग में और अधिक फर्जी श्रमिकों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रहीहै; और

(ङ) इस उद्योग में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० डी० श्यामगौड) : (क) से (ङ) इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान हेतु क्षेत्रीय केन्द्र

3203. **श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वायुमंडलीय विज्ञान में अनुसंधान हेतु उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा वायुमंडलीय विज्ञान अनुसंधान केन्द्र कब तक खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सुपर बाजार में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

3204. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौकरी के दौरान सुपर बाजार के किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को तृतीय श्रेणी अथवा चतुर्थ श्रेणी में नौकरी देने का कोई प्रावधान है,

(ख) यदि हां, तो अनुकम्पा के आधार पर नौकरी दिये जाने के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसमें नौकरी दिए जाने के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज हुसैन अहमद) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सुपर बाजार के भर्ती नियमों में नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को श्रेणी III अथवा IV में नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (घ) पहले प्रत्येक मामले पर सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता था। जनवरी, 1985 से जनवरी, 1991 तक मृत कर्मचारियों के सोलह आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रोजगार दिया गया था ।

भारी ऊपरी खर्चों तथा सुपर बाजार में कर्मचारियों की अधिकता को देखते हुए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिहार्य आर्थिक बोझ उपभोक्ता पर न पड़े, सुपर बाजार की प्रबन्ध समिति ने 20-2-1992 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लिया कि अनुकम्पा आधार पर और नियुक्तियां नहीं की जाएंगी । तथापि, प्रबन्ध समिति ने नौकरी के दौरान मरने वाले किसी कर्मचारी के परिवार के लिए अधिकतम 25,000 रु० तक की वित्तीय सहायता मंजूर करने का अनुमोदन किया है ।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन

3205. श्री तरित बरण तोपदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कर्मचारियों ने सरकारी क्षेत्र के इस एकक के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए कोई पुनरुद्धार योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों ने क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि० अधिकारी और पर्यवेक्षक संघ, कलकत्ता ने हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की उन्नति के लिए एक पैकेज प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने कुछ संचालनात्मक समस्याओं का पता लगाया है और उपचारी कार्रवाई के लिए सुझाव दिये हैं, और कुछ वित्तीय पुनर्गठन का भी सुझाव दिया है। हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के प्रबन्धन द्वारा गठित एक समिति पैकेज-प्रस्ताव की जांच कर रही है।

महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन उद्योग

3206. श्री अमंण्णा मोंडुया साडुल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन और इसके सहायक उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गए अनेक अविदन पत्र केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) भारत में पेट्रो-रसायन उद्योग, जिसमें महाराष्ट्र स्थित पेट्रो-रसायन उद्योग भी शामिल हैं, संगठित क्षेत्र तथा लघु/छोटे क्षेत्रों में फैला हुआ है। ऐसे एककों की संख्या काफी है। इसके अलावा पेट्रो-रसायन उद्योग को अब कुल मिलाकर लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। ऐसे सभी कार्यरत एककों के आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं। फिर भी प्रमुख पेट्रो-रसायन और सम्बद्ध उद्योगों सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विकास "सम्बन्धी" कार्यक्रमों में कमियां

3207. श्री सुधीर गिरि : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यक्रमों में क्या मुख्य कमियां पाई गई हैं; और

(ख) योजना आयोग द्वारा इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यदि कोई सिफारिशें की गई हैं तो वे क्या हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पाई गई कुछ प्रमुख कमियां निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(I) गरीबी दूर करने के लिए अपर्याप्त रोजगार सृजन

(II) वास्तविक आधारभूत संरचना की कमी अथवा इसका कम निष्पादन

(III) सामाजिक क्षेत्रों में जहां आधारभूत संरचना सुविधाएं उपलब्ध भी हैं इनकी आपूर्ति आदि की कमी है।

(ख) उच्च रोजगार अवसरों का सृजन करने और तीव्र ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सभी गांवों को शामिल करने के लिए आठवीं पचवर्षीय योजना में "ग्रामीण विकास" के लिए परिव्यय में वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त सभी मौसमों के अनुकूल ग्रामीण सड़कें, लघु सिंचाई कार्य, भूसमतल और मिट्टी का कटाव रोकना/मिट्टी का सुधार, नागरिक वृक्षारोपण स्कूल इमारतें और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए इमारतें, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उत्पाद केन्द्रों आदि जैसी स्थाई उत्पादकता परिसम्पत्तियों का सृजन करने के लिए एकीकृत क्षेत्र विकास का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा ताकि लंबी अवधि तक चलने वाला रोजगार संभव हो सके। इसके अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए विकेन्द्रित योजना की प्रणाली में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शामिल किए जाने पर बल दिया गया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान

3208. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए कितनी धनराशि आवंटन की गयी है;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान पुनः प्रयोज्य स्रोतों के लिए कितनी धनराशि आवंटन की गयी है; और

(ग) वैज्ञानिकों ने पुनः प्रयोज्य ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कितनी प्रगति की है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य शुरू करने के लिए वर्ष 1991-92 और वर्ष 1992-93 के लिए क्रमशः 16.50 करोड़ रुपये और 16.33 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया है :

(ख) अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में 128.00 करोड़ रुपये की राशि का नियतन किया गया।

(ग) सरकार द्वारा देश की विभिन्न संस्थाओं में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में शुरू किए गए विस्तृत अनुसंधान और विकास कार्यकलापों के फलस्वरूप बायोगैस संयंत्रों, उन्नत चूल्हों, सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियों, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों, पवन ऊर्जा प्रणालियों, मिनी-माइक्रो जल विद्युत प्रणालियों, बायोमास ऊर्जा प्रणालियों का विकास किया गया है और इनका इस्तेमाल केन्द्रीकृत और विकेन्द्रीकृत दोनों ही अनुप्रयोगों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की उपलब्धियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विभिन्न प्रकार की अक्षय ऊर्जा स्रोतों प्रणालियों और युक्तियों की उपलब्धियों की स्थिति

क्र०सं०	कार्यक्रम	यूनिट	31-3-92 तक की संचयी उपलब्धि
1.	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना (परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र)	संख्या लाख में	15.67
2.	सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्र	संख्या	820
3.	राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम	संख्या लाख में	125.00
4.	सौर तापीय ऊर्जा प्रणालियां	संग्राहक क्षेत्र वर्गमीटर में (000 संख्या में)	222
5.	सौर कुकर	000 संख्या में	227
6.	वे गांव जिन्हें प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी उपलब्ध कराई गई	संख्या	8100
7.	प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	संख्या	1191
8.	प्रकाशवोल्टीय विद्युत एकक	के डब्ल्यू पी	750
9.	प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी/ टी०वी० और सामुदायिक सुविधाएं	संख्या	968
10.	प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी एकक	संख्या	9050
11.	पवन पम्प	संख्या	2916
12.	पवन फार्म	मे० वा०	40
13.	मिनी-माइक्रो जल विद्युत	मे० वा०	86.53
14.	ऊर्जा ग्राम ऊर्जा सर्वेक्षण	संख्या	1557
15.	ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं	संख्या	155
16.	बायोमास ऊर्जा पौधारोपण	हेक्टेअर	17110
17.	बायोमास गैसीफायर	संख्या	900
18.	बायोमास स्टर्लिंग इंजिन	संख्या	100

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में परिवर्तन

3209. **श्री अंकुशराव टोपे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम कानूनों में, विशेष रूप से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में व्यवसाय संघों से परामर्श किया गया है;

(ख) यदि हां, तो व्यवसाय संघों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अधिनियमों में किए जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) अप्रैल, 1990 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में 8 मई, 1990 को श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में एक द्विपक्षीय समिति का गठन किया गया जिसमें केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों और नियोजकों के संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति का विचारार्थ विषय नए औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिए "विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करना" था। समिति ने अक्तूबर, 1990 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पूरी तरह सर्वसम्मत नहीं थी। इस पर फरवरी, 1992 में हुए श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में विचार किया गया था। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति थी कि समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाए। सम्मेलन ने यह भी निर्णय लिया कि आम सहमति पर पहुंचने के लिए रामानुजम समिति की रिपोर्ट के असहमति वाले क्षेत्रों की जांच करने के उद्देश्य से पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों के एक दल का गठन किया जाए। कोयला और श्रम राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया था। 25 अप्रैल, 1 जून और 24 जुलाई, 1992 को दल की बैठकें हुईं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 में संशोधन करने के लिए रामानुजम समिति की सिफारिशों के मामले पर 25 जुलाई, 1992 को हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक में भी विचार किया गया था, यह समिति त्रिपक्षीय परामर्शदात्री तंत्र का एक अंग है जिसमें कर्मकारों और नियोजकों के संगठनों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। मामले को सितम्बर, 1992 में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

असंगठित मजदूरों का शोषण

3210. **श्री लाल बाबू राय** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असंगठित मजदूरों का शोषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार मजदूर संगठनों को और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) यद्यपि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून विद्यमान हैं फिर भी ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी संदाय अधिनियम और अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (आर० ई० सी० एस०) अधिनियम जैसे अधिनियमों के कतिपय उपबन्धों के अतिक्रमण की घटनाओं का पता चला है।

(ग) सरकार द्वारा श्री जी० रामानुजम की अध्यक्षता में गठित औद्योगिक कानून पर एक द्विपक्षीय समिति ने व्यवसाय अधिनियम, 1926 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को संशोधित करने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर सितम्बर, 1992 में होने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा अभी विचार किया जाना है।

[अनुवाद]

अवकाश यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) सुविधा

3211 **श्री राम सिंह काश्वा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता जो उनके साथ नहीं रहते है उन्हें अवकाश यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) की सुविधा देती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा सरकारी कर्मचारी के माता-पिता के लिए अनुज्ञेय है बशर्ते वे पूर्णतया उस पर निर्भर हों और उसके साथ रहते हों। ऐसा सरकार के उत्तरदायित्वों को सीमित रखने की नीति के तौर पर किया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में सुधार

3212. **श्री चेतन पी०एस० चौहान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में कोई सुधार करने का विचार नहीं है। तथापि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा-शर्तों को विनियमित करने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत बनाए गए विभिन्न नियमों को प्रशासनिक अथवा अन्य आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। जब कभी भी ये संशोधन किए जाते हैं, इन्हें सदन के पटल पर रखा जाता है।

[हिन्दी]

निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए बोर्ड

3213. **श्री राम विलास पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए एक बोर्ड गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा दी गयी याचिका पर, लोकसभा याचिका समिति ने भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ त्रिपक्षीय निर्माण श्रमिक बोर्ड गठित करने के प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की थी। इस संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन और पंजाब में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

3214. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उत्पादित होने वाली परमाणु ऊर्जा का ब्यौरा क्या है और अगले दस वर्षों में ऊर्जा का कितना अतिरिक्त उत्पादन होगा;

(ख) क्या सरकार का विचार पंजाब में कोई परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इस समय परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता 1500 मेगावाट है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव में दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टरों द्वारा सन् 2002 तक 4200 मेगावाट और विद्युत पैदा करने का विचार है। यह तत्कालीन सोवियत रूस और भारत के बीच सहकार करने के बारे में हुए अन्तः सरकारी करार, जिसके बारे में तत्कालीन सोवियत रूस में हाल ही में हुई राजनीतिक घटनाओं के कारण अनिश्चितता है, के अनुसार 2000 मेगावाट विद्युत क्षमता के अलावा है। तथापि, वास्तविक अतिरिक्त क्षमता धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

(ख) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

[हिन्दी]

भूमिसुधार के लिए गुजरात को सहायता

3215. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात को भूमि सुधार के लिए विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) भूमि सुधार योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात सहित सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 1991-92 के दौरान अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत गुजरात को 40.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई थी। राज्य सरकार को विशेष सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गुजरात में कम्प्यूटर केन्द्र

3216. श्री हरि सिंह चावड़ा : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अधिक संख्या में कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थापना-स्थल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) गुजरात में पहले ही से स्थापित कम्प्यूटर केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करनने का प्रस्ताव है :

प्रस्तावित स्थान	स्थापित किया जाने वाला कम्प्यूटर
(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) योजना आयोग द्वारा	
उद्योग आयुक्त का कार्यालय	80386 आधारित
उद्योग भवन	सुपर ए टी
(ख) एन आई सी के तकनीकी सहयोग से राजस्व विभाग सीबीईसी द्वारा	
केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क कलकटरी, अहमदाबाद	ई आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर
अहमदाबाद स्थित 7 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभागों में 7 कम्प्यूटर केन्द्र	प्रत्येक विभाग में आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर
आनन्द, नाडियाड, मेहसाणा राजकोट, जूनागढ़, भावनगर	प्रत्येक प्रभाग में आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर

प्रस्तावित स्थान	स्थापित किया जाने वाला कम्प्यूटर
तथा जामनगर स्थित प्रत्येक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग में कम्प्यूटर केन्द्र	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी राजकोट	ई आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर

(ग) उपर्युक्त केन्द्रों को स्थापित करने के लिए प्रमुख आधार संरचना पर 199 लाख रु० का व्यय अनुमानित है ।

(घ) केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को कम्प्यूटर आधारित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र गुजरात में पहले ही निम्नलिखित कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर चुका है :

स्थान	स्थापित कम्प्यूटर
एन आई सी गुजरात स्टेट सैंटर, गांधी नगर	एन डी 550 सुपर मिनी कम्प्यूटर तथा तीन 80386 आधारित सुपर ए टी कम्प्यूटर
गुजरात के 19 जिला मुख्यालयों में 19 जिला सूचना विज्ञान केन्द्र	प्रत्येक जिले में 80386 आधारित सुपर एटी कम्प्यूटर
बिक्रीकर आयुक्त का कार्यालय अहमदाबाद	80386 आधारित सुपर एटी
कृषि-जलवायुवीय क्षेत्रीय आयोजन एकक, अहमदाबाद	80386 आधारित सुपर एटी
वित्त मंत्रालय गुजरात सरकार गांधी नगर	80386 आधारित सुपर एटी

निम्नलिखित कम्प्यूटर केन्द्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के तकनीकी सहयोग से राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए हैं :

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टरी वड़ोदरा	ई आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर
वडोदरा स्थित 5 केन्द्रीय उत्पाद प्रभागों में 5 कम्प्यूटर केन्द्र	प्रत्येक प्रभाग में आई एस ए 80486 आधारित कम्प्यूटर

सूरत स्थित 3 केन्द्रीय उत्पाद	प्रत्येक प्रभाग में आई ए एस
शुल्क प्रभागों में 3 कम्प्यूटर	80486 आधारित कम्प्यूटर
केन्द्र	
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रभाग	आई एस ए 80486
वलसाड़	आधारित कम्प्यूटर

इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र को प्राथमिकता

3217. **श्री आर्ज फर्नाण्डीज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए इलेक्ट्रानिकी उद्योग को प्राथमिकता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो भारत का इलेक्ट्रानिकी में वार्षिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जायेंगे ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए प्राथमिकता देने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु साफ्टवेयर को वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात के क्षेत्र मे विशेष ध्यान देने के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चुना है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयले के भंडार

3218. **श्री केसरी लाल** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी क्षेत्र मे कोयले के विशाल भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस क्षेत्र से कितनी मात्रा में कोयला निकाले जाने का अनुमान है;

(ग) निर्देशित श्रेणी तथा अनुमानित श्रेणी मे अलग-अलग कितनी मात्रा में कोयला निकाले जायेंगे; और

(घ) सरकार देश में कोयले के और भण्डारों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) दिनांक 1-1-92 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोयले के कुल भण्डारों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में किया गया है :—

	मि० टन में
प्रमाणित भण्डार	257.03
निर्देशित भण्डार	149.29
अनुमानित भण्डार	458.46
जोड़	864.78

वर्ष 1996-87 तक कोल इंडिया लि० के उत्तर-पूर्वी कोयला क्षेत्रों में कोयले के उत्पादन का प्रक्षेपण 1.0 मि० टन किया गया है ।

(घ) देश में अधिकाधिक कोयले के भण्डारों का सत्यापन किए जाने के लिए भारतीय भू-सर्वेक्षण, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान, खनिज अन्वेषण निगम लि०, और विभिन्न राज्य सरकारें तथा निजी अभिकरण क्षेत्रीय तथा विस्तृत ड्रिलिंग का कार्य निरन्तर आधार पर किए जाने में कार्यरत हैं ।

[अनुवाद]

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के स्तर में सुधार करना

3219. श्री रमेश चैन्नित्तला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992-93 के दौरान त्रिवेन्द्रम स्थित विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के स्तर में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में) राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) वर्ष 1992-93 की अवधि में विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी० एस० एस० सी०) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी० एस० एल० वी०) तथा भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) जैसे स्वीकृत प्रमोचक राकेट परियोजनाओं से संबंधित कार्य जारी रखेगा । यह केन्द्र सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को भी जारी रखेगा, जैसा कि पहले से करता आ रहा है।

कम्प्यूटर संस्थान

3220. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत आने वाले ऐसे कम्प्यूटर संस्थानों को राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें "क" "ख" "ग" तथा "घ" स्तर के पाठ्यक्रमों के लिये मान्यता प्राप्त है;

(ख) क्या बिहार में विभिन्न कम्प्यूटर संस्थानों को आरम्भ करने, इन्हें आधुनिक बनाने तथा उनका विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) भारत सरकार इलेक्ट्रानिकी विभाग के दिनांक 6 अगस्त, 1990 के संकल्प द्वारा घोषित मान्यत प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत 276 निजी कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थानों को 'ओ' (आरम्भिक स्तर), 4 संस्थानों को 'क' स्तर तथा 1 संस्थान के 'ग' स्तर के पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अनन्तिम रूप से मान्यता प्रदान की गई है। 'ख' स्तर के पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए किसी भी संस्थान को मान्यता प्रदान नहीं की गई क्योंकि इसके कार्यान्वयन से संबंधित कार्य हाल ही में शुरू किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) भारत सरकार का बिहार में विभिन्न कम्प्यूटर संस्थानों को आरम्भ करने, उनका आधुनिकीकरण करने तथा उनका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा स्नातक, डिप्लोमा, तथा प्रमाण-पत्र स्तर के पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए देश के सभी भागों में कई संस्थानों को पहले ही सहायता प्रदान की गई है, जिसमें बिहार भी शामिल है। मान्यता प्रदान करने की इस योजना से समूचे देश में कम्प्यूटर प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाओं में और आगे अभिवृद्धि होगी।

विवरण

मान्यता प्राप्त संस्थानों के राज्यवार ब्यौरे

क्रम सं०	राज्य का नाम	'ओ' स्तर	'क' स्तर	'ग' स्तर
1	2	3	4	5
1.	असम	1	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	22	1	—
3.	चण्डीगढ़	4	—	—
4.	गुजरात	9	—	—
5.	हरियाणा	1	—	—
6.	कर्नाटक	21	—	—

1	2	3	4	5
7.	केरल	47	1	—
8.	जम्मू तथा कश्मीर	1	—	—
9.	महाराष्ट्र	38	—	—
10.	मध्य प्रदेश	8	—	—
11.	तमिलनाडु	44	—	—
12.	पंजाब	1	—	—
13.	उड़ीसा	5	—	1
14.	राजस्थान	4	—	—
15.	बिहार	4	—	—
16.	गोवा	2	—	—
17.	उत्तर प्रदेश	21	—	—
18.	पश्चिम बंगाल	24	1	—
19.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	19	1	—
	योग	276	4	1

[हिन्दी]

पुलिस निगरानी योजना

3221. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी विभाग ने पुलिस के लिए महानगरों में कम्प्यूटर के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से निगरानी रखने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महानगर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने पुलिस क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रानिकी पर एक प्रौद्योगिकी समीक्षा तैयार की है जिसमें तकनीकों और कम्प्यूटर सहित अनुप्रयोगों, आंकड़ा संचार तथा नियंत्रण और आदेश की अवधारणाओं के सुझाव दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश के डिजाइन महानगरों में पुलिस के कार्यों के प्रभावी प्रबंध के लिए तैयार किए गए हैं। जिन कार्यों में विशेष रूप से कम्प्यूटर का इस्तेमाल

किया जाता है वे इस प्रकार हैं : स्वचालित वाहन प्रबन्ध प्रणाली, आदेश, संचार तथा बुद्धिपरक प्रणाली, आंकड़ा संचार आदि। इन तकनीकों के व्यावहारिक अनुप्रयोग का सुझाव गृह मंत्रालय को दिया गया है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा डीलरशिप/एजेंसियों का नियतन

3222. **श्री हरिन पाठक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ने हाल ही में अपने उत्पादों के विक्रय के लिए कुछ एजेंसियां नियत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए नियुक्त किये गये नये डीलरों का ब्यौरा क्या है: और

(ग) ऐसी एजेंसियों के नियतन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) फैक्ट ने अप्रैल-जून, 1992 के दौरान उर्वरक बेचने के लिए 58 विक्रेता नियुक्त किये हैं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

राज्य	संख्या
केरल	9
तमिलनाडु	19
कर्नाटक	23
आन्ध्र प्रदेश	7
	58

विक्रेताओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विक्रेताओं की नियुक्ति के लिए अपनाया गया मानदण्ड निम्नानुसार है :—

(1) उर्वरकों की खपत के लिए क्षेत्र की संभाव्यता।

(2) आवेदनकर्ता की वित्तीय स्थिति।

(3) कृषि-रसायनों के विपणन के क्षेत्र में आवेदनकर्ता का अनुभव।

(4) आवेदनकर्ता का आधारभूत सुविधाएं।

तथापि विक्रेताओं की नियुक्ति में अ० जा०/अ० ज० जा० के लोगों, बेरोजगार व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाती है।

विवरण

केरल

1. ए० सुरेश बाबू, कूथुप्रम्बू
2. मैं० अट्टापडी को-आप० फार्मिंग सोसायटी, अट्टापडी
3. ए० के० कोचू मौहम्मद, ईरठटूपेटटा
4. शाहुल हमीद, वामबयाम
5. जोसेफ अब्राहम, मेलपदम
6. के० के० वासुदर्न, मेलपदम
7. के० एस० वर्गेस, मुचुप्रहुमकाल, कोन्नी
8. के० एस० श्रीकुमार, पो० आ० कुयियाटोडू
9. मैं० राजा स्टोर, नन्नियोडू

तमिलनाडु

1. मैं० पलानी अदावा एजेंसीज, चिन्नोथूर
2. टी० एस० थानगेवल, थिरुमुरुगन एण्ड कं० टामरपलायाम
3. पी० कुमारसेन, केसरीमंगलम
4. जी० गोपाल एण्ड कं० उथुकुली विलेज
5. उडमलाई एग्रो कार्पोरेशन, पूलंकीनार
6. श्री पलानीमुरुगन एजेंसी, ओथाकडाई
7. बोजाराज एजेन्सीस, बोडीनाइकनूर
8. ए० वी० प्रभाकर, करयापट्टी
9. एम० लोकनायन, पोट्टीरेड्डीपट्टी
10. ए० धांवेल, मथुगापट्टी ।
11. ए० अरुमुगन चेटटीयार एण्ड कं० नामाक्कल
12. के० वी० घास नायडु, नाडूकोम्बाई पो ओ
13. वी० मुरगेशन, वैयप्पामलाई
14. ए० सुधराज, पेरियासोलिपलायम
15. श्रवण ट्रेडर्स, थिरुचिगोड़े

16. श्री जयराम चेट्टीयार, पेरम्बलूर टी के
17. एन० लोगनाथन, कीटमंगलम
18. के० सुब्रमनियम, कोडियाकुरिची
19. मै० अब्दुलकरीम, कीरानुर

कर्नाटक

1. बी० जे० सुनील कुमार, दावणगरे
2. श्री सिद्धवेश्व रट्रेडर्स, कलावल्ली
3. सवालिगेश्वरा, विजयपुरा
4. श्री लक्ष्मी वेंकलेश्वरा फर्टिलाइजर्स, चिकबालपुरा
5. एस० विजय कुमार, बंगलौर
6. मि० चन्ना नायक, बीरहुण्डी
7. बी० गंगाधरप्पा, बंगलौर
8. एम० के० वेंकटेश, गंज रोड
9. डी० मृत्युन्जय, रायचूर
10. श्री श्रीनिवास एन्टरप्राइजेज, सिंधानूर
11. श्री सरनथसवेस्वर एन्टरप्राइजेज, मास्की
12. अनुपमा एग्रो एजेन्सीज, अरोन्डागुण्डी, सिंधानूर
13. मै० शिवा ट्रेडर्स, एच० बी० हाली
14. मै० बालकृष्ण फर्टिलाइजर्स, गंगावथी
15. श्री गुनदप्पा, श्रीविजया महाराज ट्रेडर्स, लिंगसागर
16. श्री गोट्टीपथी वेंकिट्रेटनम एण्ड कं० गंगावथी पी ओ
17. अनिल कुमार, सिंदागी, बिजापुर
18. गनेश एग्रो एजेन्सीज, बंगलौर
19. श्री सतनी गोवेस, बेलथांगडी
20. के० बासावजूं, चिक्काबिलाथी
21. मै० बलाल एजेन्सीज, बेंडूरवैल, बंगलौर
22. एम० के० संथिहा, मलादेवरापुरा, हसन
23. श्री पुट्टा गोवदा, मै० कृष्णा ट्रेडर्स, हसन

आंध्र प्रदेश

1. मैं० बालाजी फर्टिलाइजर्स, मानिकबंदर, मण्डल
2. एसियन ट्रेडर्स कं०, संथनगर
3. मैं० गुटयाला नरसैहा एण्ड कं०, धर्मपुरी
4. पी एण्ड सी सी एस लि०, वलगाटूर, करीमनगर
5. मैं० बालाजी फर्टिलाइजर्स, सत्यावीडू, चित्तूर
6. माल्लारप्पा वेंकटस्वामी, मैं० समी एण्डरप्राइजेज, लाडेपल्ली कण्डल
7. श्री रामाकृष्णा एग्रो एजेन्सीज, सुन्दरीपुरम, राजामुन्दरी

[हिन्दी]

बंद एककों को सहायता

3223. श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस समय कितने औद्योगिक एकक बंद पड़े हुए हैं;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य बैंकों ने इन एककों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इन एककों को चलाने हेतु केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन हेतु कितनी सहायता देने को तैयार है; और

(ङ) इन औद्योगिक एककों के कब से चालू कर दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण

3224. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु को ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने के लिए धन उपलब्ध कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने गोदाम बनाए जा चुके हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) तमिलनाडु सरकार को 111 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 1.11 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसमें से 110 गोदाम पहले ही पूरे किए जा चुके हैं।

लघु कृषक कृषि व्यापार संघ की स्थापना

3225. श्री शशि प्रकाश : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (कन्सोर्सीयम) की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी, हां। 1992-93 के बजट में की गई घोषणा के अनुसार लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक के वित्तपोषण से की जानी है। संघ एक स्वायत्त निगमित इकाई होगी तथा इसमें आई० डी० बी० आई, नाबार्ड तथा निजी अन्य वित्तीय संस्थाओं, कृषि तथा कृषि उद्योग से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र निगम तथा क्षेत्रक कंपनियों का प्रतिनिधित्व होगा। परियोजना में आठवीं योजना अवधि और इसके आगे खेती बाड़ी, पशुपालन, कृषि वानिकी, मछली पालन, कृषि प्रसंस्करण तथा कृषि आधारित औद्योगिक क्षेत्रकों में रोजगार तथा आय सृजनोन्मुखी बनाने, कृषि क्षेत्रक में अल्प रूप में प्रयुक्त अवसरों के उपयोग के जरिए अल्पावधि में देश में और अधिक कुशल कामों के सृजन करना, संगठनात्मक ढांचे को विरसित करना जिससे उत्पादन तथा विपणन के दोनों स्तरों पर सामुदायिक सहकारिता को बढ़ावा दिया जा सके तथा उत्पादन संस्करण में सम्पर्क तथा कार्यक्रमों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक तथा गुणात्मक बनाने के लिए विपणन सुविधा की स्थापना करने की परिकल्पना है।

51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी

3226. श्री जी० देवराय नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान फर्मों को 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी जुटाने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां तो वे फर्में किस किस्म की हैं जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी-जुटा सकती हैं, और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। सरकार ने उद्योग मंत्रालय के प्रेस नोट सं० 13(1992 शृंखला) दिनांक 29 जून, 1992

द्वारा मौजूदा कंपनियों में विदेशी इक्विटी बढ़ाकर 51% तक करने की कार्य-विधि बताई है।

(ख) और (ग) प्रेस नोट संख्या 13(1992 शृंखला के अनुसार :

1. भारतीय रिजर्व बैंक उस कंपनी को स्वतः मंजूरी देगा जो अपने विस्तार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अपनी विदेशी इक्विटी बढ़ाकर 51% तक करना चाहती है, बशर्ते विस्तार उच्च प्राथमिकता (अनुबंध-3) वाले क्षेत्रों में किया गया हो, अतिरिक्त इक्विटी विस्तार कार्यक्रम के लिए वित्तीयन का हिस्सा हो, और धनराशि विदेशी मुद्रा में दी गई हो।

2. भारतीय रिजर्व बैंक भी विस्तार कार्यक्रम के बिना विदेशी इक्विटी बढ़ाकर 51% तक करने संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी देगा बशर्ते फर्म मुख्यतता औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुबंध-3 में शामिल उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में संलग्न है। इक्विटी स्तर में वृद्धि मौजूदा कंपनी के इक्विटी आधार के विस्तार के परिणाम-स्वरूप होना चाहिए।

3. भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिलने पर, कंपनी को कंपनी अधिनियम की धारा 81(1)(क) के तहत एक विशेष प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें विदेशी निवेश कर्त्ताओं को नई इक्विटी की अनिवार्य आबंटन की तरजीह का प्रस्ताव किया गया हो।

4. मौजूदा कंपनियां, जो विदेशी इक्विटी बढ़ाकर 51% करने की इच्छुक हैं, कंपनी अधिनियम की धारा 81(1)(क) के तहत विशेष प्रस्ताव में अंशधारियों द्वारा निर्धारित मूल्य पर इशू जारी कर सकती है। यह आवश्यक परिवर्तन सहित क्लोजली हेल्ड कंपनियों एवं उन कंपनियों पर भी लागू होगा जिनमें इस समय कोई विदेशी अंशधारिता नहीं है।

5. साभांश संतुलन की शर्तें केवल उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में अनुमोदनों पर ही लागू होगी।

6. मौजूदा कंपनियों में विदेशी इक्विटी का प्रवेश कराने अथवा इसे बढ़ाने के सभी प्रस्ताव, जो किसी एक अथवा सभी मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें स्वतः अनुमोदन सामान्य कार्यविधियों के अधीन दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी होगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक एककों की स्वीकृति

3227. **श्री राम लखन सिंह यादव :**
श्री छेदी पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक एककों की स्थापना से संबंधित लम्बित विभिन्न आवेदनों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के मामले में भी इस निर्धारित समय सीमा का पालन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही : (क) जी, हां ।

(ख) औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आशय-पत्र हेतु आवेदन-पत्र का निपटान करने के वास्ते निर्धारित समय सीमा औद्योगिक विकास विभाग के भारत में निवेश प्रकोष्ठ (औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय) में आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से साठ दिन है ।

(ग) निर्धारित समय-सीमा बिहार सहित सभी राज्यों के लिए एक समान है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर औद्योगिक लाइसेंस आवेदन पत्रों का निपटान करने के लिए निरंतर समीक्षा की जाती है ।

उद्योगों में समान मजदूरी ढांचा

3228. **श्री तेजनारायण सिंह** : : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों में उद्योगों के लिए समान मजदूरी ढांचा लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

1991-92 हेतु केरल का योजना परिव्यय

3229. **श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 की वार्षिक योजना के लिए में केरल सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की गयी; और

(ख) 1991-92 की वार्षिक योजना परिव्यय में केरल सरकार का अंशदान कितना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केरल की वार्षिक योजना 1991-92 के लिए 807 करोड़ रु० की स्वीकृति दी गई थी।

(ख) राज्य का अपनी वार्षिक योजना 1991-92 में अंशदान अनुमोदित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार 311.93 करोड़ रु० था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में कर्मचारियों की भागीदारी

3230. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) प्रबन्धन बोर्ड में, कर्मचारियों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है और इस योजना में कितने प्रतिशत उद्यम शामिल हैं; और

(ग) क्या यह भागेदारी प्रबन्धन के सभी कार्यों में है और यदि नहीं, तो किन क्षेत्रों में ऐसी भागेदारी है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) उद्योगों में शाप फ्लोर और प्लांट स्तरों पर कर्मकारों की सहभागिता की योजना सरकार द्वारा 30 अक्तूबर, 1975 को आरम्भ की गई थी। इसको केवल, सार्वजनिक, निजी और सहकारिता क्षेत्रों में विनिर्माणकारी तथा खनन इकाइयों तथा साथ ही साथ विभाग द्वारा चलाई जा रही उन इकाइयों जिनमें 500 अथवा अधिक कर्मकार नियोजित हैं, में लागू किया गया था। बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उन व्यवसायिक और सेवा संगठनों जिनमें बड़े पैमाने पर जन संबंधी कार्य किए जाते हैं, में कर्मकारों को सहभागिता की एक अन्य योजना 1977 में आरम्भ की थी। इन योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी और प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता की एक योजना 30 दिसम्बर, 1983 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी। यह योजना उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, जिन्हें विशेष रूप से छूट प्रदान की गई है, को छोड़कर अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर लागू है। इस योजना में शॉप फ्लोर और प्लांट स्तरों पर कर्मचारियों की सहभागिता का प्रावधान है। जहां पर बोर्ड स्तर पर सहभागिता का प्रश्न है संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग श्रम-मंत्रालय से विचार-विमर्श करके कोई निर्णय ले सकते हैं। सहभागिता की व्यवस्था में प्रचालन क्षेत्र, कार्मिक भर्ती, उत्पादन और पर्यावरण क्षेत्र शामिल हैं। प्रबंध में श्रमिक सहभागिता विधेयक, 1990, जिसे राज्य सभा में पेश किया गया था, संसद द्वारा विचार किए जाने के लिए लंबित है।

भारतीय कम्पनियों को निर्माण के ठेके

3231. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों में स्थित सभी भारतीय दूतावासों में प्रभावशाली वाणिज्यिक अनुभाग स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे अनुभाग खाड़ी के देशों और लेटिन अमरीकी देशों में निर्माण के बड़े-बड़े ठेके प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं;

(ग) क्या विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में निर्माण के ठेके प्राप्त करने हेतु भारतीय निर्माण कम्पनियों के आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) कुछ चुनिंदा देशों में भारतीय दूतावासों और हाई कमीशनों में पहले से ही अलग आर्थिक वाणिज्यिक खण्ड है।

तथापि आर्थिक नीतियों में हाल ही में किए गए परिवर्तनों के अनुसरण में सरकार ने सभी मिशनों को आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य की प्राथमिकता देने के अनुदेश दिए हैं।

(ख) जी हां। विदेश स्थित हमारे मिशन जिसमें खाड़ी के देशों और लातिन अमरीका में स्थित मिशन भी शामिल हैं, अपने प्रत्यायन के देशों में भारतीय कम्पनियों के लिए निर्माण संविदाएं प्राप्त करने में और वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्यात करने में भारतीय कम्पनियों की सक्रिय सहायता कर रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपे गए औषध कंपनियों के मामले

3232. श्री संदीपन बन्धवान बोरकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के दौरान औषध कंपनियों के अनेक मामले उत्पादन लागत का अध्ययन करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंपे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरो की उस पर क्या टिप्पणी है; और

(ग) एककों को बन्द करने तथा आवश्यक औषधियों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं/करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) ६-बी आई सी पी एक विशेषज्ञ निकाय है, जो विभिन्न प्रपुंज औषधों का लागत सह-तकनीकी अध्ययन करता है और तीन वर्ष की अवधि के लिए मूल्यों की सिफारिश करता है। इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय और बी आई सी पी के बीच परस्पर संपर्क एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) अंतर्वस्तुओं और उपयोगिताओं की लागतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर मूल्यों में संशोधन किये गये हैं। औषध नीति की विद्यमान समीक्षा का अभिप्राय मूल्य निर्धारण प्रणाली में अधिक व्यावहारिक बनाना है तथा उचित मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता की अत्यावश्यक औषधों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को सर्वोपरि ध्यान में रखा गया है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पर्यावरण और वानिकी के साथ जोड़ना

3233. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के उन नए प्रस्तावों का और नीतियों का ब्यौरा क्या है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को पर्यावरणीय महत्व के कार्यक्रमों से जोड़ती है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यावरण का विकास एवं इसकी रक्षा करने का है; और

(ग) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की वानिकी और पर्यावरण को जोड़ते हुए इन्हें इस राष्ट्र-व्यापी स्तर पर लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (ग) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी दूर करना है जोकि अपने आप में एक बड़ा प्रदूषक है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम का जैसे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य भी पर्वतीय क्षेत्रों और समुदायों का सामाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शुरू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का आशय भी पर्यावरण का संरक्षण करना और भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना है।

जवाहर रोजगार योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत सामाजिक वानिकी और वनरोपण महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं जोकि बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों को लाभकारी रोजगार मुहैया कराने के अतिरिक्त उत्पादक स्वरूप की टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करती हैं और पर्यावरणीय सुधार में भी योगदान करती है। पर्यावरण के महत्व को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर जवाहर रोजगार योजना की 25 प्रतिशत निधियों को सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित किया गया है। बत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 12971 लाख वृक्ष लगाए गए थे।

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 13 राज्यों के 91 जिलों के 615 खंडों में और मरुभूमि विकास कार्यक्रम 5 राज्यों के 21 जिलों के 131 खंडों में, जोकि देश के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के मुख्य घटक भूमि को समतल बनाना, भूमि संरक्षण, जल संसाधन विकास, वनरोपण, मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण, रेत के टीलों का स्थिरीकरण और चरागाह विकास हैं।

[हिन्दी]

पंजाब में सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का अन्य कार्यों में प्रयोग

3234. **श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर)** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग अन्य परियोजनाओं के लिए करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और पंजाब सरकार को इसकी अनुमति कब तक मिलने की संभावना है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग को वार्षिक योजना 1992-93 के लिए अन्य परियोजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित निधियों की उपयोगिता के लिए पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

किसानों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी

3235. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु व्यापक प्रचार अभियान चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपनाने तथा आधारभूत सहायता देने संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंटरनेशनल सब-कांट्रेक्टिंग एक्सचेंज

3236. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंटरनेशनल सब-कांट्रेक्टिंग एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) क्या इस एक्सचेंज की संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस एक्सचेंज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है; और

(घ) इसको कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) ने एशिया में औद्योगिक उप-ठेका केन्द्र का एक उप-क्षेत्रीय नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

(ग) इस केन्द्र की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य भागीदार देशों को ऐसे अवसर दिलाना है जिनके द्वारा औद्योगिक उप-ठेका क्षमताओं पर सूचना का आदान-प्रदान कर सकें तथा उपक्षेत्र उप-ठेका प्रणाली और नेटवर्क के माध्यम से उन्हें अवसरों की जानकारी मिल सके।

(घ) इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय अभी किया जाना है।

भारत और बांग्लादेश के बीच अंत: क्षेत्रों की अदला-बदली

3237. **श्री वीर सिंह महतो** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच अंत: क्षेत्रों की अदला-बदली के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एच० भाटिया) : (क) और (ख) मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधान मंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत-बंगलादेश भू सीमा करार 1974 से उत्पन्न अनसुलझे मसलों को, जिनमें भारत और बंगलादेश के बीच विदेशी अन्त: क्षेत्रों का आदान-प्रदान भी शामिल है, हल करने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे ।

[हिन्दी]

"कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपोरेशन" का पुनर्गठन

3238. **श्री एन० के० राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपोरेशन" में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परिवर्तनों से "कम्प्यूटर मेंटिनेंस कारपोरेशन" में सुधार आएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसमें शामिल की जाने वाली अन्य कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) सी० एम० सी० लिमिटेड ने तत्कालीन प्रणाली तथा विकास और क्षेत्रीय इंजीनियरी दलों को समाप्त करके जुलाई, 1991 से अपनी कम्पनी के ढांचे का व्यवसाय विकास दल (बी० डी० जी०) तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रचालन (आई० टी० एण्ड ओ०) दल नामक दो मुख्य दलों में विभक्त किया है ।

बी० डी० जी० को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है जैसे कि ऊर्जा, परिवहन इस्पात, खनन, शिक्षा सरकार आदि । प्रत्येक क्षेत्र का प्रमुख एक उद्योग विशेषज्ञ है ।

आई० टी० एण्ड ओ० दल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर देगा । अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकलापों के लिए एक "अन्तर्राष्ट्रीय" दल भी है ।

(ग) प्राप्त होने वाले संभावित लाभों में ग्राहकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करना तथा ग्राहकों को अधिक संतुष्टि प्रदान करना शामिल है, जिसके फलस्वरूप लाभ में वृद्धि होगी ।

(घ) सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 1992 को घोषित कम्पनी की नीति के अनुसार, आयातित कम्प्यूटरों का अनुरक्षण या तो वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा अपने ही

संगठन में या सी० एम० सी० लिमिटेड द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जाना था।

चूंकि इस समय भारत में कई कम्प्यूटर विनिर्माता हैं, अतः भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अपनाई जा रही उदार नीति के अनुसरण में आयातित कम्प्यूटरों के अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित संशोधित योजना घोषित की गई है :

1. 1-4-92 को या उसके पश्चात् आयातित सभी कम्प्यूटरों का अनुरक्षण सी० एम० सी० लिमिटेड सहित किसी भी अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

2. जहां तक 1-4-92 से पहले आयातित कम्प्यूटर प्रणालियों का संबंध है, 19-11-84 को घोषित योजना ही 31-3-93 तक लागू रहेगी। 1-4-93 को या उसके पश्चात् इन कम्प्यूटरों का अनुरक्षण सी० एम० सी० लिमिटेड सहित किसी भी अभिकरण द्वारा किया जा सकता है।

इस प्रकार, आयातित कम्प्यूटरों का अनुरक्षण विनियमन मुक्त कर दिया गया है। कम्प्यूटरों के अनुरक्षण के लिए संयुक्त उद्यम के संबंध में सी० एम० सी० लिमिटेड का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अजरबैजान को खाद्यान्न

3239. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1992 के "फायनेंशियल एक्सप्रेस" में "बिट्विन दि गिफ्ट एण्ड दि रिसिपिअन्ट फॉल्स दि शैडो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह मामला इस समय किस स्थिति में है और अजरबैजान के लिये खाद्यान्नों को जहाज से भेजने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गये हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) जी हां। सद्भावना के रूप में भारत सरकार ने अजरबाइजन की सरकार को 10 मी० टन बासमती चावल, 20 मी० टन चीनी तथा 10 मी० टन सी० टी० सी० चाय उपहार स्वरूप देने का निर्णय किया था। उक्त क्षेत्र में चल रही स्थिति के कारण पोतलदान सुविधाओं की कमी तथा वस्तुओं के निर्यात से संबंधित कुछ औपचारिकताओं और भारतीय रिजर्व बैंक से क्लीयरेंस आदि की वजह से इन वस्तुओं को अभी तक नहीं भेजा जा सका है। उपहार की इस सामग्री के निर्यात के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को अब अंतिम रूप दे दिया गया है और माल के पोतलदान की प्रतीक्षा है, जिसके जल्दी ही होने की आशा है।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी

3240. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय विदेश सेवा संवर्ग के कुल अधिकारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी;

(ख) उस तिथि को श्रेणीवार कुल कितने अधिकारी कार्यरत थे;

(ग) अनिवार्य विदेशी भाषा में परिगत अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन अधिकारियों की कुल कितनी संख्या है जो विदेश में मिशनों में नियुक्त हैं जहां उन्हें आबंटित उनकी अनिवार्य भाषा में प्रवीणता कोई उपयोग है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) विवरण-1 संलग्न है।

(ग) विवरण-2 संलग्न है।

(घ) अधिकारियों की तैनाती का निर्णय सामान्यत: अनिवार्य भाषा में उनकी प्रवीणता को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस समय ऐसे अधिकारियों की कुल सं० 59 है। ब्यौरा विवरण-3 में है।

विवरण-1

भारतीय विदेश सेवा के काडर कर्मचारियों की स्वीकृत/वास्तविक संख्या

क्रम सं०	ग्रेड	स्वीकृत संख्या	1-4-92 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या
1	2	3	4
1.	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड I	21	21
2.	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-II	28	28
3.	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-III	116	116
4.	भारतीय विदेश का ग्रेड-IV	109+12 (दर्जा बढ़ाए गए 12 अस्थायी पद)	121

1	2	3	4
5.	भारतीय विदेश सेवा का वरिष्ठ वेतनमान	234	215
6.	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ वेतनमान (जिनमें प्रशिक्षण आरक्षित पद भी शामिल हैं)	60	49

विवरण-2

अनिवार्य विदेशी भाषा के आधार पर अधिकारियों का क्षेत्रवार ब्यौरा

क्रम संख्या	अनिवार्य विदेशी भाषा	भारतीय विदेश सेवा के विभिन्न ग्रेडों में 1-4-92 की यथास्थिति के अनुसार अधिकारियों की संख्या					
		ग्रेड-1	ग्रेड-2	ग्रेड-3	ग्रेड-4	वरिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतन-मान (भाषा प्रशिक्षार्थियों को छोड़कर)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरबी	3	6	22	15	37	0
2.	भाषा इंडोनेशिया	0	0	3	2	03	0
3.	बल्गेरियन	0	0	0	0	0	0
4.	बर्मी	0	0	0	0	01	0
5.	चीनी	3	4	14	4	18	1
6.	डच	0	0	0	1	0	0
7.	फ्रांसीसी	3	6	12	16	27	1
8.	जर्मनी	4	2	7	11	12	0
9.	गोर्खाली/नेपाली	0	0	0	1	0	0
10.	हुंगेरियन	0	0	0	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	इटालियन	0	0	1	2	02	0
12.	जापानी	1	1	6	5	07	1
13.	किशवाहीली	0	0	3	4	03	0
14.	लोटियन	0	0	0	0	0	0
15.	मलय	0	0	0	0	0	0
16.	फारसी	0	0	3	5	05	1
17.	पोलिश	0	0	0	0	0	0
18.	पुर्तगाली	0	0	2	8	04	0
19.	रूसी	2	5	26	8	27	5
20.	सर्वो-क्रोएशियन	0	0	1	1	01	0
21.	सिंहाली	1	0	0	1	01	0
22.	स्पेनिश	3	4	14	10	21	3
23.	स्विडिश	0	0	0	1	0	0
24.	थाई	0	0	0	1	0	0
25.	तिब्बती	1	0	2	0	0	0
26.	तुर्की	0	0	0	1	01	0
27.	वियतनामी	0	0	0	2	0	0

विवरण-3

उन अधिकारियों की कुल संख्या जो विदेश में उन मिशनों में तैनात हैं जहां उनकी अनिवार्य विदेशी भाषा की प्रवीणता का उपयोग होता है ।

क्रम सं०	भाषा	अधिकारी का नाम	तैनाती
1	2	3	4
1.	जर्मन	श्री दीपक मिश्रा	कोच
2.	अरबी	श्री एस० पी० मान	काहिरा
3.	स्पेनिश	श्री के० वी० भगीरथ	हवाना

1	2	3	4
4.	फ्रैंच	श्री एन० पी० शर्मा	पेरिस
5.	रूसी	श्री अजय स्वरूप	मिन्स्क
6.	जापानी	श्री गुरजीत सिंह	टोकियो
7.	अरबी	श्री ए० मणिकम	दमिश्क
8.	अरबी	श्री रजिन्द्र पाल	सना
9.	अरबी	श्री जे० एस० मुकुल	आबू धाबी
10.	अरबी	श्री ए० के० अमरोही	मस्कट
11.	अरबी	श्री पी० एम० मीणा	रियाद
12.	अरबी	श्री ए० के० मुदगल	लीमा
13.	अरबी	श्री सैयद अकबरूद्दीन	रियाद
14.	अरबी	श्री ए० एम० गोम्डाने	रियाद
15.	चीनी	श्री आर० वेन्	बिजिंग
16.	फ्रैंच	श्री ए० रवि शंकर	अबदीजन
17.	रूसी	श्री ए० जी० शर्मा	ओडेसा
18.	पुर्तगाली	डा० केवल शुक्ल	ब्रजिलिया
19.	अरबी	श्री राजीव शाहरे	अदन
20.	फ्रैंच	श्री राहुल छावड़ा	डकार
21.	चीनी	श्री संजय भट्टाचार्जी	बिजिंग
22.	चीनी	श्री ओस्कार करकैटा	बिजिंग
23.	अरबी	श्री प्रताप सिंह	दमिश्क
24.	रूसी	श्री डी० बाला वेंकटेश वर्मा	ताशकंद
25.	फ्रैंच	श्री वी० एम० कवात्रा	जेनेवा
26.	रूसी	सुश्री रेनु पाल	मास्को
27.	रूसी	श्री टी० एस० संधु	कीव
28.	रूसी	सुश्री रीनव संधु	कीव
29.	जापानी	श्री टी० दरलांग	टोकियो

1	2	3	4
30.	फारसी	श्री एम० के० भारती	तेहरान
31.	रूसी	डा० ए० वी० एस० रमेश चन्दर	ताशकंद
32.	स्पेनिश	श्री अखिलेश मिश्रा	लीमा
33.	स्पेनिश	श्री डी० रवि	मैक्सिको
34.	चीनी	श्री मनप्रीत वोहरा	हांगकांग
35.	सिंहाली	श्री एन० एन० झा	कोलम्बो
36.	जापानी	श्री ए० जी० असरानी	टोकियो
37.	फ्रैंच	श्री प्रकाश शाह	जेनेवा
38.	अरबी	श्री के० गजेन्द्र सिंह	अम्मान
39.	अरबी	श्री एम० एच० अंसारी	तेहरान
40.	फ्रैंच	श्री ए० एन० राम	ब्यूनोस आयरस
41.	रूसी	श्री पी० एस० सहाय	रूस
42.	अरबी	श्री रंजीत गुप्ता	ओमान
43.	अरबी	श्री ईशरत अजीज	साऊदी अरब
44.	स्पेनिश	श्री जी० डी० अतुक	बागोटा
45.	फ्रैंच	श्री गुरचरण सिंह	कराकस
46.	जर्मन	श्री कमलेश शर्मा	बर्लिन
47.	फ्रैंच	सुश्री सावित्री कुनाडी	पेरिस
48.	फ्रैंच	श्री जे० वी० चोपड़ा	पारामारिबो
49.	भाषा इंडोनेशिया/ मलाया	श्री आर० एस० राठौर	मलेशिया
50.	स्पेनिश	श्री जवाहर लाल	चिली
51.	रूसी	श्री आर० एल० नारायण	मास्को
52.	स्पेनिश	श्री राम मोहन	मैडरिड
53.	पुर्तगाली	श्री वी० एस० रेड्डी	ब्राजिलिया
54.	फ्रैंच	डा० वी० बालाकृष्णन	लुसाका
55.	अरबी	श्री जे० एस० सप्रा	कुवैत

1	2	3	4
56.	फ्रैंच	श्री ए० एन० झा	पोर्ट लुइस
57.	फ्रैंच	श्री जयंत प्रसाद	ब्रसल्स
58.	रूसी	श्री आर० एस० जस्सल	मास्को
59	अरबी	श्री आर० ओ० वालांग	रियाद

यात्री कारों की मांग

3241. **श्री एन० डेनिस :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी मोटर वाहन नीति की समीक्षा की है और ईंधन की बचत करने वाली स्वदेशी यात्री कारों के निर्माण हेतु तीन प्रस्तावों को स्वीकृति दी है;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में यात्री कारों की संभावित मांग का कोई अनुमान लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हाल में, वर्तमान नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत यात्री कारों के निर्माण हेतु निम्नलिखित पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये हैं :

1. मैसर्स एड्डी, करंट कंट्रोल्स लि०, केरल—बैटरी चालित वाहनों के लिए ।
2. श्री पंकज दुबे, नई दिल्ली—इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए ।
3. मैसर्स एक्त्रेमराइन लि०, मद्रास– स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित डीजल कारों के लिए ।

(ख) और (ग) आठवीं योजना के लिए वाहनों के उप-कार्य दल ने देश में 1996-97 तक 3,16,000 यात्री कारों की मांग होने का अनुमान लगाया है ।

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में प्रदूषण नियंत्रण

3242. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किसी योजना को मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक इस योजना को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) एफ० सी० आई० बोर्ड ने सिन्दरी एकक के लिए दो प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं अनुमोदित की हैं, अर्थात्

7.02 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर यूरिया संयंत्र से तरल निस्सारी प्रदूषण के उपशमन के लिए यूरिया हाइड्रोलाइजर स्ट्रीपर और 4.96 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर निट्रिक एसिड संयंत्र के लिए एन० ओ० एक्स० उपशमन योजना । तथापि, इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वित्तीय कठिनाइयों के कारण रुका हुआ है ।

महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3244. **श्री मोहन रावले :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन उपक्रमों में हुए लाभ तथा घाटे का ब्यौरा क्या है तथा कितने उपक्रमों को घाटा होने के कारण बन्द कर दिया गया है;

(ग) इन एककों की रुग्णता के क्या कारण हैं और इन्हें पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार श्रमिकों/कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के नए उपक्रम स्थापित करने हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वे उपक्रम कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	उन उद्यमों के नाम, जिनके पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र में हैं	निवल लाभ/हानि		
		1990-91	1989-90	1988-89
1	2	3	4	5
1.	एयर इण्डिया	8123	7089	4331
2.	एयर इण्डिया चार्टर्स लि०	1	— 1	1
3.	भारत पेट्रोलियम कारपो० लि०	12781	12257	10433
4.	भारतीय कपास निगम लि०	6285	2324	856
5.	भारतीय निर्यात ऋण प्रतिभूति निगम लि०	— 14073	35	— 910
6.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	79	225	— 235
7.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	3197	2954	1731

1	2	3	4	5
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो० लि०	12014	20026	17390
9.	भारतीय होटल निगम लि०	— 1374	— 935	— 648
10.	इण्डियन ऑयल ब्लैंडिंग लि०	361	120	109
11.	इण्डियन ऑयल कारपो०	73004	67454	51435
12.	इण्डियन रेअर अर्थ्स लि०	76	213	— 726
13	इण्डो होक्के होटल लि०	— 16	1	— 8
14.	लुब्रिजोल इण्डिया लि०	855	801	769
15.	महाराष्ट्र एण्टीबायोटिक्स एण्ड फार्मा० लि०	— 65	— 47	— 106
16.	महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लि०	219	— 210	33
17.	मैंगनीज ओर (इण्डिया) लि०	471	458	41
18.	मझगांव डाक लि०	321	— 313	— 1669
19.	खनिज गवेषण निगम	— 456	574	393
20.	भारतीय राष्ट्रीय साइकिल निगम लि०	— 1820	— 986	— 829
21.	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	— 25	— 40	55
22.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि०	— 1436	— 2276	— 3754
23.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि०	— 3299	— 3299	— 4675
24.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	4076	4881	6995
25.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०	— 864	— 777	— 818
26.	भारतीय नौवहन निगम लि०	9525	10110	5453
27.	विदेश संचार निगम लि०	7858	7201	6422
28.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	— 9540	— 3094	— 1593

(ग) और (घ) उपरिवर्णित 28 उद्यमों में से पांच निम्नलिखित उद्यमों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत रुग्ण घोषित किया गया है तथा इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है—

1. महाराष्ट्र एण्टिबायोटिक्स लि०
2. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि०
3. राष्ट्रीय साइकिल निगम लि०
4. एन० टी० सी० (महाराष्ट्र नार्थ) लि०
5. एन० टी० सी० (महाराष्ट्र साउथ) लि०

इन उद्यमों की रुग्णता के कारण प्रत्येक उद्यम के लिए अलग-अलग हैं' आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का होना, पुराने संयत्र/मशीनरी, उप्रचलित प्रौद्योगिकी, निम्न उत्पादकता, अधिगृहीत रुग्ण उद्यम आदि सामान्य कारण हैं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल प्रत्येक उद्यम के नवीकरण/पुनर्स्थापन हेतु योजनाएं बनाएगा। पुनर्स्थापन योजना के तहत उद्यमों के पुनर्गठन के कारण प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया जा चुका है। अब तक किसी उद्यम को बन्द नहीं किया गया है।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के नए उपक्रमों की स्थापना का निर्णय परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ देश के सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है।

गौण क्षेत्र में खाद्य तेलों का विकास

3245. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री वी० देवराजन :
श्री जीवन शर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गौण क्षेत्र में खाद्य तेलों के विकास में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार खाद्य तेलों के आयात में व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने के लिए साबुन और वनस्पति उद्योगों द्वारा गौण तेलों का उपयोग किये जाने हेतु अधिक वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) अप्रधान तेल क्षेत्र में प्रमुख खाद्य तेल हैं, चावल की भूसी से प्राप्त तेल, बिनौले का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, कुसुम का तेल और तिल्ली (नाइजरसीड) का तेल। पिछले तीन वर्षों में इन तेलों का उत्पादन निम्नवत रहा है—

वर्ष	उत्पादन लाख मी० टन में
1988-89	10.6
1989-90	13.2
1990-91	14.5

(ग) फिलहाल साबुन तथा वनस्पति उद्योगों द्वारा अप्रधान तेलों का इस्तेमाल करने पर और प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि की कार्यप्रणाली

3246. **श्री राम नाईक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या राष्ट्रीय पुनर्निर्माण निधि के उद्देश्यों, कृत्यों और कार्यप्रणाली को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो निधि के शीघ्र संचालन के लिए अन्तिम निर्णय लेने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर-मन्त्रालयीय समितियां गठित की गयी हैं; यदि हां तो इन समितियों का ब्योरा क्या है; और

(घ) किन-किन समितियों ने अपनी सिफारिशें भेज दी हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि के लक्ष्यों और कार्यकलापों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। इस निधि के तीन भाग होंगे। रोजगार सृजन निधि संगठित तथा गैर संगठित दोनों क्षेत्रों के लिए रोजगार सृजन योजनाओं के लिए संसाधन मुहैया करायेगी। राष्ट्रीय नवीनीकरण अनुदान निधि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भुगतान करने और स्वीकृत पुनर्स्थापना योजनाओं के फल-स्वरूप बन्द औचित्य स्थापन से प्रभावित कामगारों को मुआवजा देने से सम्बन्धित कार्य करेगी। कर्मचारी बीमा निधि भावी मांगों की प्रतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करेगी।

(ग) और (घ) कोई समिति गठित नहीं की गयी है। तथापि, राष्ट्रीय नवीकरण निधि को चालू करने हेतु नीति निर्धारित करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि के साथ विस्तार से बातचीत की गई है।

उपभोक्ता सामान का मूल्य निर्धारण

3247. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं की सहायता करने के लिए प्रतिद्वन्द्वी कम्पनियों द्वारा निर्मित उपभोक्ता सामान की जांच एवं मूल्य निर्धारण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एक योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना उपभोक्ताओं के लिए किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी हां, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) की सहायता से चलने वाली योजना के तहत उपभोक्ता संगठनों को उपभोक्ता वस्तुओं के तुलनात्मक परीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य देश के भीतर उत्पादों के परीक्षण, श्रेणीकरण तथा मूल्यांकन की क्षमताएं बनाना तथा ऐसे परीक्षणों के परिणाम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) द्वारा

प्रशिक्षण, प्रौद्योगिक के अन्तरण तथा परीक्षण उपकरण जैसे निवेश उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना से उपभोक्ताओं को जानकारी के साथ न्यूनतम मूल्यों पर श्रेष्ठ उत्पाद प्राप्त करने में सहायता मिल सकेगी।

दवाओं की मांग तथा पूर्ति

3248. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दवाओं की मांग तथा पूर्ति में कितना अन्तर है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केवल चार वर्षों में यानि 1986-87 से लेकर 1989-90 के बीच आयातित बल्क दवाओं पर हमारी निर्भरता 45 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गई है, इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान निर्यात की वृद्धि दर क्या रही है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारतीय उपभोक्ताओं को अपनी स्वदेशी दवाएं नहीं मिलती हैं और वे यह दवाए विदेशों से आयात करते हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क), (घ) और (ङ) कुल मिलाकर मांग और पूर्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है। जहां आवश्यक होता है, स्वदेशी उत्पादन की अनुपूर्ति आयात करके की जाती है। औषध नीति के जरिए सरकार प्रयास करती है कि भेषज क्षेत्र में विशेषकर प्रपुंज औषधों के विनिर्माण और अधिक निवेश को बढ़ावा दिया जाए।

(ख) प्रपुंज औषधों के स्वदेशी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात-वृद्धि में निर्यात हेतु उत्पादन के लिए प्रपुंज औषधों का आयात और नई औषधें शामिल हैं। प्रतिशत में वृद्धि के पीछे अन्य पहलू यह भी है कि प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए की कीमत घटने के कारण आयात मूल्य में वृद्धि हुई है।

(ग) 1986-87 और 1989-90 के मध्य निर्यात में वृद्धि की दर नीचे दी जाती है—

वर्ष	निर्यात में वृद्धि की दर
1986-87	14.93%
1987-88	29.93%
1988-89	61.38%
1989-90	80.47%

केरल में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क

3249. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा केरल में त्रिवेन्द्रम में साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने हेतु 30 जून, 1992 तक कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) ये पार्क कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) मे राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने साफ्टवेयर निर्यात से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए 19 साफ्टवेयर कंपनियों को साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस टी पी), तिरुवनन्तपुरम में अपनी इकाइयां स्थापित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस पार्क का प्रबन्ध इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम नामक एक पंजीकृत संस्था को सौंपा गया है। इलेक्ट्रानिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में मैनफ्रेम कम्प्यूटर आई० बी० एम० ई० एस०-9000 प्रतिष्ठापित किया गया है, जिसका इस्तेमाल एस० टी० पी०, तिरुवनन्तपुरम स्थित साफ्टवेयर कम्पनियों द्वारा साफ्टवेयर के विकास तथा निर्यात के लिए किया जा सकता है। साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के लिए अनुमोदित कम्पनियों द्वारा प्रचालन कार्य कब आरम्भ किया जाए, यह प्रत्येक कम्पनी द्वारा की गई प्रगति पर निर्भर करता है।

केरल में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

3250. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं। तथापि, केरल राज्य के प्राधिकारियों ने एक परमाणु बिजलीघर स्थापित करने के लिए कुछ स्थल सुझाए हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित एक तकनीकी समिति ने इन स्थलों की प्रारम्भिक जांच की है। इस समय, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति तकनीकी समिति द्वारा किए गए कार्यों की पुनरीक्षा कर रही है। ऐसा करना परमाणु विद्युत कार्यक्रम की भावी जरूरतों को पूरा करने के सम्बन्ध में किए जा रहे स्थलों की जांच सम्बन्धी कार्यों का ही एक भाग है।

[हिन्दी]

बीड़ी मजदूरों के लिए योजना

3251. श्री आनन्द अहिरवार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बीड़ी मजदूरों के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) बीड़ी कर्मकारों से सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

(ग) यह आवश्यक नहीं समझा गया था क्योंकि विद्यमान योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में समय-समय पर समीक्षा तथा मानिटरिंग की जाती है।

[अनुवाद]

महिला उद्यमियों के औद्योगिक एकक

3252. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला उद्यमियों को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मन्त्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) सरकार की नीति महिला उद्यमियों को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देने की है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

औद्योगिक एकक शुरू करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा संचालित योजनाएं

देश में लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) के पास केवल महिलाओं के लिए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम आयोजन करने का कार्य है जिसे यह अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से करता है। इसी प्रकार, वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों द्वारा संबंधित ई०डी०आई०, सी०ई०टी० इत्यादि जैसे संस्थानों द्वारा अनन्य उद्यमीयता विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

लघु उद्योग का विकास राज्य का विषय होने के कारण कुछ राज्य सरकारों के पास महिला उद्यमियों को भूखंड, औद्योगिक शेड्स के आबंटन में आरक्षण/प्राथमिकता देने से संबंधित योजनाएं है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के पास महिला उद्यमियों को प्रत्येक मामले के आधार पर निर्धारणयोग्य एक बार ब्याज राज सहायता देने की योजना है जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रु० होगी और यह राज्य वित्त निगम के अभिकरणों तथा/अथवा बैंकों के जरिये दिया जायेगा ताकि महिला उद्यमी की ब्लांक कैपिटल/प्रोजेक्ट की पूंजीगत लागत को पूरा करने के लिए एकक द्वारा देय ब्याज के अनुसार बैंक उन्हें राज सहायता दे सकें। इस प्रकार महिला उद्यमियों को ब्याज में राहत मिलेगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम उद्यमियों को अपनी किराया खरीद योजना के अधीन संयंत्र तथा मशीनरी मुहैया करता है। इसके तहत महिला उद्यमियों को सामान्य श्रेणी के उद्यमियों की

तुलना में ब्याज दर, बयाना राशि, तथा सेवा प्रभारों में विशेष छूट दी जाती है। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों पर प्रभारित ब्याज की तुलना में महिला उद्यमियों से 1% कम ब्याज लिया जाता है। अपनी किराया खरीद योजना के तहत 12 लाख रु० तक मूल्य के संयंत्र तथा उपकरणों की आपूर्ति के संबंध में महिला उद्यमियों को केवल 15% बयाना राशि देय होती है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 20% है। सामान्य श्रेणी के लिए सेवा प्रभार 5 लाख रु० मूल्य तक की मशीनरी के लिए 3% है, 5 लाख रु० से अधिक तथा 12 लाख रु० तक के लिए 4% और 10 लाख रु० मूल्य से अधिक मशीनरी के लिए यह 5% है। महिला उद्यमियों के संदर्भ में 10 लाख रु० तक की मशीनरी के लिए केवल 2% और 10 लाख रु० से अधिक के लिए 4% की रियायती दर चालू है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने लघु क्षेत्र में नयी औद्योगिक परियोजनाएं लगाने के लिए महिला उद्यमियों को ईक्विटी टाइप सहायता देने के लिए एक महिला उद्यम निधि योजना शुरू की है बशर्ते कि लागत 10 लाख रुपये से अधिक न हो। यह सहायता ईक्विटी के अन्तराल को पूरा करने के लिए आसान शर्तों पर दी जाती है जो परियोजना में प्रवर्तकों के अंशदान को ध्यान में रखकर किया जाता है जो परियोजना लागत की अधिक से अधिक 15% होगी। एक प्रतिशत मामूली सेवा प्रभार प्रतिवर्ष देना होता है।

मारुति उद्योग लिमिटेड को मुनाफा

3253. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों से मारुति उद्योग लिमिटेड के मुनाफे में ह्रास हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके मुनाफे में आई अत्यधिक कमी को देखते हुए मारुति उद्योग लिमिटेड का गैर सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० चुंगन) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) का पिछले तीन वर्षों का लाभ नीचे दिया गया है।

वर्ष	कर-पूर्व लाभ (करोड़ रुपये में)	कर-पश्चात लाभ (करोड़ रुपये में)
1988-89	31.42	26.47
1989-90	50.05	41.94
1990-91	48.12	48.12
1991-92	35.79	29.07

(ख) लाभ में कमी केवल 1991-92 में हुई है। इसका कारण घरेलू बिक्री में कमी थी जो उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि, अंतर्वस्तुओं की लागतों में बढ़ोतरी, रुपये के अवमूल्यन, एक्जिम-स्क्रिप को खरीदने की आवश्यकता आदि के कारण हुई। बिक्री के स्तर को बनाए रखने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड को कीमतों की कमी करनी पड़ी।

(ग) और (घ) भारत के राष्ट्रपति, सुजुकी मोटर कारपोरेशन तथा मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आपस में 2-6-92 को हस्ताक्षरित एक संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार, सुजुकी मोटर कारपोरेशन को 22,04,860 अतिरिक्त शेयरों के लिए अभिदान करके, मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी ईक्विटी 40% से बढ़ाकर 50% तक कर लेने की अनुमति दे दी गई थी। इसका उद्देश्य मारुति की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और इसके प्रचालनों को सुदृढ़ करना और विदेशी निवेश तथा तकनीक को आकर्षित करना था। उपर्युक्त को देखते हुये, कम्पनी अधिनियम के शर्तों के अनुसार मारुति उद्योग लिमिटेड अब सरकारी कम्पनी नहीं है।

वाहन भत्ता और अवकाश नकदीकरण

3254. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के वाहन-भत्ते और अवकाश नकदीकरण के भुगतान पर रोक लगाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) वाहन भत्ते तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972 के अन्तर्गत अधिवर्षिता पर अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के भुगतान पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वी वी ई आर 1000 मेगावाट परमाणु समझौता

3255. **प्रो० राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और भूतपूर्व सोवियत संघ ने वी वी ई आर 1000 मेगावाट के परमाणु संयंत्र के निर्माण संबंधी किसी परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सौदे को अन्तिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो सोवियत वी वी ई आर का निर्माण करने और उनका परिचालन करने में सहायता करने के लिए 20 नवम्बर, 1988 को एक अंतर्सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) हालांकि अन्तर्सरकारी करार को कार्यान्वित करने के लिए संतोषजनक रूप से प्रगति की जा रही थी, लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ में गत दो वर्षों के दौरान हुई आकस्मिक और अप्रत्याशित राजनैतिक घटनाओं से काफी अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है । यह अंतर्सरकारी करार मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही सहकार करने के लिए नहीं किया गया था । इस करार में बहुत से आर्थिक और वाणिज्यिक पहलू भी थे । यद्यपि, तकनीकी ब्यौरों को काफी हद तक अन्तिम रूप दे दिया गया था, तथापि, इसके आर्थिक पैकेज में और उससे पड़ले वाले वाणिज्यिक प्रभावों के बारे में अपरिहार्य अनिश्चितताएं पैदा हो गईं । बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए दायित्वों को नए सिरे से पुनः पुष्टि करने और उन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता है ।

कृषि श्रमिकों के लिए पृथक आयोग

3256. **डा० जी०एल० फनोजिया :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि श्रमिकों के लिए एक पृथक आयोग की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कामकाजी बच्चे

3257. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कामकाजी बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या 19 और 20 जून, 1992 को कामकाजी बच्चों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन्हें दूर करने हेतु कार्यक्रम का खाका तैयार करने के लिए नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस कार्यशाला की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कामकाजी बच्चों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 1981 की गणना के अनुसार 13.6 मिलियन बाल कर्मकार थे । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (1987-88 में आयोजित) के 432 वें दौर के अनुसार बाल कर्मकारों की संख्या लगभग 17 मिलियन है ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय ने 19 और 20 जून, 1992 को ऐसी कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की है । यह मालूम हुआ है कि "प्रयास" नामक एक बाल सहायता केन्द्र ने एक

कार्यशाला का आयोजन किया था। तथापि, इस मंत्रालय में अभी तक कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) ऐसे अनेक विधान हैं जो कतिपय व्यवसायों/प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करते हैं तथा कार्य स्थान पर शोषण से उनकी रक्षा करने तथा उनकी कामकाजी दशाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से भी अन्य क्षेत्रों में उनकी कार्य की दशाओं को विनियमित करते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 बनाई गयी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बाल श्रम को बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कार्रवाई योजना तथा बाल श्रमिकों के लाभ के लिये सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देने की परिकल्पना की गयी है। कार्योन्मुख परियोजनाओं के लिये स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत्रों से विद्युत उत्पादन

3258. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत्रों से उप्पादित विद्युत तथा इस पर आयी लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से प्रतिवर्ष लगभग 30.10 लाख कि०वा०घं० विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन और इसकी लागत सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार कार्य-कुशलता बढ़ाकर नई सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से लागत को कम करने के लिए विस्तृत अनुसंधान और विकास प्रयासों को मदद दे रही है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का विवरण

प्रणाली	संस्थापित क्षमता (कि०वा०)	अनुमानित वार्षिक उत्पादन	लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1. माइक्रो जल विद्युत	372.00	19.00	190.37

1	2	3	4
2. पवन अनित्र लघु पवन बैटरी चार्जर	69.40	1.70	180.00
3. सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	96.00	1.40	306.40
4. सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू और सड़क रोशनी तथा अन्य प्रणालियां	426.60	8.00	1035.00

[अनुवाद]

परमाणु बिजली केन्द्र

3259. **श्री चित्त बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य में परमाणु बिजली केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पन साधनों तथा समीपवर्ती पूर्वी विद्युत क्षेत्र में कोयले के संसाधनों के उपलब्ध होने की वजह से, पूर्वोत्तर क्षेत्र में परमाणु बिजलीघर स्थापित करने की प्राथमिकता अपेक्षाकृत कम है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए महाराष्ट्र को राजसहायता

3260. **श्री बिलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कितनी राजसहायता दी गई है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कितनी राजसहायता देने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों (जिसमें महाराष्ट्र शामिल है) को सीधे राजसहायता के रूप में कोई धनराशि नहीं देती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार

3261. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम को क्या भूमिका सौंपी जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) और (ख) उद्योगों को बढ़ावा देना तथा रोजगार का प्रावधान करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है । राज्य सरकारें तदनुसार स्वयं अपनी नीतियां बनाती हैं । तथापि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के उद्योगों के विकास हेतु उनके प्रयासों में सहायता करती है ।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निधियों का लगभग 20% अलग रखने की सलाह दी है । 1991-92 के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार को असहाय बुनकरों के लिए जनता वस्त्र योजना, कार्यशाला तथा आवास योजना और सीमान्त धन योजना के कार्यान्वयन के लिए 550.69 लाख रु० की राशि दी गई । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश यार्न, डाई तथा रसायन की आपूर्ति करता है ।

मुंबई में अवसंरचनात्मक सुविधायें

3262. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के बोझ का सामना करने के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान शहर में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करने की दृष्टि से विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु कोई पैकेज योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य सरकार ने मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि मांगी है और केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में अपर्याप्त शहरी आधार संरचना सहित शहर की समस्याओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध किया है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 के लिए राज्य की वार्षिक योजना में फार्मूला आधारित (निकस) केन्द्रीय सहायता बिना निर्धारण के समग्र आवंटन में मुंबई की समस्याओं के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी महाराष्ट्र सरकार को राज्य में महानगरीय समस्याओं पर विचार करते हुए 50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई थी।

गरीबी रेखा

3263 डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अन्तर्गत लाभ देने की पात्रता पर विचार करने हेतु गरीबी की रेखा का स्तर बढ़ाने पर विचार है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी की पुरानी रेखा और आठवीं योजना के दौरान प्रभावी होने वाली गरीबी की रेखा की अवधारणा संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुरानी और नई गरीबी की रेखा के अन्तर्गत देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या कितनी है;

(घ) गरीबी की नई रेखा का निर्धारण करते समय किन-किन बातों पर विचार किया गया है; और

(ङ) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उपलब्ध गरीबी उन्मूलन योजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपरंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लुख राम) : (क) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तनों के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया है।

(ख) से (घ) गरीबी की अवधारणा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आरम्भिक वर्ष 1973-74 से संदर्भ वर्ष 1991-92 तक कीमत स्तर में परिवर्तनों को ध्यान में रखने के लिए ही गरीबी रेखा में संशोधन किया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त गरीबी रेखा की अवधारणा "न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी खपत मांग" संबंधी टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है जिसने अपनी रिपोर्ट 1979 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता के अनुरूप 1973-74 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रु० प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। 1973-74 की कीमतों पर आधारित इस गरीबी रेखा को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिए गए अनुसार अप्रत्यक्ष निजी खपत डिफ्लेटर द्वारा कीमत स्तर परिवर्तनों हेतु अद्यतन किया जा रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, 1991-92 के आधार वर्ष के लिए 1991-92 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 181.50 रु० तथा शहरी क्षेत्रों में 209.50 रु० औसत मासिक

प्रतिव्यक्ति व्यय के रूप में गरीबी रेखा का अनुमान लगाया जाता है। वार्षिक आधार पर 1991-92 की कीमतों पर ग्रामीण तथा शहरी गरीबी रेखा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमश: 11060 रु० तथा 11850 रु० वार्षिक घरेलू व्यय के समतुल्य है। गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या नवीनतम वर्ष 1987-88 में जिसके लिए घरेलू खपत व्यय संबंधित पूर्ण राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हैं, 2.38 मिलियन है।

(ङ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में शामिल है : ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य (आई० आर० डी० पी०), ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजना (जे० आर० वाई०), शहरी गरीबी के लिए मजदूरी रोजगार तथा स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु नेहरू रोजगार योजना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख आवास तथा जल-आपूर्ति, उन्नत प्रकार की स्वच्छता सुविधाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं जैसी सामाजिक सेवाएं गरीबों को उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०)। निरक्षता उन्मूलन ग्रामीण सड़क सुविधाएं प्रदान करने, गंदी बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम तथा समेकित बाल विकास सेवाओं (आई० सी० डी० एस०) के तहत विभिन्न स्कीमें भी गरीबों के लाभ के लिए मौजूद हैं।

[हिन्दी]

इलैक्ट्रॉनिकी के शोध-पत्रों का हिन्दी में प्रकाशन

3264. **डॉ० लाल बहादुर रावल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इलैक्ट्रॉनिकी के कुछ शोध-पत्रों को हिन्दी में प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिकी से संबंधित विषयों पर हिन्दी में शोध-लेखन को प्रोत्साहन देने का है ताकि समाज में वैज्ञानिक सोच को जागृत किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिकी विषयों पर हिन्दी में शोध-पत्र प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। शोध-पत्र आमतौर शैक्षिक संस्थानों, आदि द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी विभाग समय-समय पर हिन्दी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेख प्रकाशित करता है।

मारुति 1000 सी० सी० कार

3265. **श्री राजेश कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आबंटन करने हेतु मारुति 1000 सी० सी० कारों का वार्षिक कोटा कितना है;

(ख) कम्पनी द्वारा जिस तिथि को आबंटन प्राप्त किया जाता है उससे सरकारी तथा गैर सरकारी कोटे में से मारुति 1000 सी० सी० कारों का आबंटन करने में कुल कितना समय लगता है; और

(ग) मारुति 1000 सी० सी० कारों का शीघ्र आबंटन करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) मारुति 1000 सी० सी० कारों के आबंटन हेतु दिल्ली सहित किसी भी क्षेत्र के लिए वार्षिक कोटा नहीं है। कारों का आबंटन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाता है। बुकिंग और सुपुर्दगी के बीच लगने वाला समय आवेदकों की संख्या पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार उन ग्राहकों को प्राथमिकता दी जाती है जो निर्माता कोटा योजना के अन्तर्गत कार लेने के हकदार हैं। इस समय, सामान्य ग्राहकों के लिए, सुपुर्दगी में लगने वाला समय लगभग 8 सप्ताह है।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा इस मॉडल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

3266. **प्रो० रीता वर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का विचार सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार और कदाचार रोकने के लिए अपने तंत्र को मजबूत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) यद्यपि सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं है तथापि, सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की कार्य प्रणाली की पुनरीक्षा किए जाने के संदर्भ में आयोग ने मोटे तौर पर अपने अन्वेषण तंत्र में सुधार करने, क्षेत्राधिकार का विस्तार करने तथा कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग नीति का क्रियान्वयन

3267. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र और अति लघु क्षेत्र संबंधी नीति में घोषित किए गये विभिन्न उपायों को तत्काल क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जैसा कि दि० 22 अप्रैल, 1992 के "ट्रिब्यून" में प्रकाशित समाचार में उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समाचार द्वारा रुग्ण लघु एककों के लिए पैकेज की घोषणा अभी की जानी है; और

(ग) लघु क्षेत्र और अति लघु क्षेत्र के लिए विभिन्न उपायों को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और रुग्ण लघु एककों के लिए पैकेज की घोषणा कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन) : (क) से (ग) 6-8-1991 को घोषित कुछ नीति संबंधी उपाय पहले ही कार्यान्वित किए जा चुके हैं जबकि शेष उपाय कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था में हैं। कार्यान्वित नीति संबंधी उपाय अत्यन्त छोटे एककों के संबंध में संयंत्र और मशीनरी की निवेश सीमा में वृद्धि करने, व्यापार और उद्योग से सम्बद्ध सेवाओं को अत्यन्त छोटे एककों के रूप में शामिल करने, महिला उद्यमियों की परिभाषा में संशोधन करने, पंजीकरण से संबंधित नियमों और कार्य प्रणालियों को सरल बनाने, पहले से मौजूद कुछ समितियों को भंग करने इत्यादि से संबंधित हैं। कार्यान्वयन की उन्नत अवस्थाओं में नीति सम्बन्धी उपाय विलंबित भुगतान अधिनियम, सीमित साझेदारी अधिनियम, लघु औद्योगिक एककों में अन्य औद्योगिक उपक्रमों द्वारा 24% तक इक्विटी भागीदारी, अत्यन्त छोटे क्षेत्र के लिए पैकेज, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों के लिए एकीकृत अवस्थापनापरक विकास योजना, इत्यादि से सम्बन्धित हैं।

नीति संबंधी उपायों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के 9-12-1991 के ज्ञापन द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जो लघु उद्योगों की कार्यशील पूंजी तथा सावधिक ऋण जरूरतों को पूरा करने एवं रुग्ण लघु उद्योगों की पुनर्स्थापना के लिए प्रबन्धों की समीक्षा करेगी और लघु उद्योगों से संबंधित अन्य किसी विषय की जांच करेगी। समिति द्वारा अगस्त, 1992 के अन्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है।

[अनुवाद]

असम में शीत भंडारण सुविधा

3268 श्री प्रबीन डेका : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में फलों, सब्जियों, अण्डों आदि के लिए शीत भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) असम में 1703 मीटरी टन की कुल क्षमता वाले तीन शीत भांडागार हैं। किसी अतिरिक्त क्षमता के लिए कोई अभ्यावेदन सरकार के पास लंबित नहीं है। यदि कोई उद्यमी इसे संभाव्य समझे और आवेदन करे तो सरकार अतिरिक्त भंडारण क्षमता के लिए लाइसेंस देने का विचार करेगी।

गडंकी में राडार की स्थापना

3269. श्री डी० वेंकटेश्वर राव : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति से तीस किलोमीटर दूर गडंकी में वायुमंडलीय अध्ययन हेतु बहुउपयोगी भू-उपकरण के रूप में प्रयोग के लिए एक भारतीय राडार की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है और विस्व में इसका क्या दर्जा है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक प्रारम्भ हो जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, 1992 तक इस परियोजना पर कुल 796.00 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गयी है । वायुमण्डलीय अनुसंधान के लिए इसकी द्वारक उत्पाद क्षमता को देखते हुए ऐसी अपेक्षा की जाती है कि यह पेरू में स्थित जिकामारका वेधशाला के पश्चात् दूसरी सबसे बड़ी वेधशाला होगी ।

(ग) इस परियोजना का एस टी विधा नामक प्रथम चरण पहले ही पूरा हो चुका है तथा यह अक्तूबर, 1990 में हुए उद्घाटन के समय से समतापमंडल, क्षोभमण्डल (एस टी) विधा में नियमित रूप से कार्य कर रहा है । द्वितीय चरण भी पूरा होने वाला है, जिसमें एस० टी० विधा को मध्यमण्डल-समतापमण्डल और क्षोभमण्डल (एम० एस० टी०) विधा में अधिक सशक्त बनाना शामिल है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी इक्विटी

3270. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूंजीकरण के वर्तमान स्तरों पर चल और अचल सम्पत्तियों सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की 49 प्रतिशत इक्विटी को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बेच रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उड़ीसा के गांवों में पेयजल

3271. **श्री श्रीकांत जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में ऐसे गांवों का पता किया है जहां पर पेयजल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) उड़ीसा में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निश्चित किये गये थे; और

(ङ) इस सम्बन्ध में वर्ष वार हुई प्रगति का प्रतिशत कितना रहा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) 01-04-1992 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित जिलों में "बिना जल स्रोत' वाले 550 समयाग्रस्त गांव थे :—

1.	गंजम	230
2.	क्योंझर	2
3.	कोरापुट	246
4.	फूलबनी	47
5.	पुरी	18
6.	संबलपुर	4
7.	सुन्दरगढ़	3
		550

उपरोक्त में से 1992-93 में अब तक 9 समस्याग्रस्त गांव कवर किए जा चुके हैं ।

(ग) पाइप द्वारा जल सप्लाई योजनाओं, हैंडपम्पों, जल एकत्रीकरण ढांचों, स्वच्छ कुओं तथा अन्य उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से इन गांवों में 31-3-1993 तक पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है । इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को 1991-92 में 10 करोड़ रुपये की विशेष सहायता रिलीज की गई थी तथा 1992-93 में त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत वार्षिक आबंटन के अलावा 2.81 करोड़ रुपये और रिलीज किए गए हैं ।

(घ) और (ङ) सूचना इस प्रकार है :—

क्रमांक	वर्ष	बिना स्रोत वाले तथा अन्य गांवों की संख्या		
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
1.	1989-90	5358	3897	72.7
2.	1990-91	5120	1589	31.0
3.	1991-92	3864	3777	97.7

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास की नई योजनाएं

3272. **श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थायी परिसम्पत्तियां बनाने के उद्देश्य से कई ग्रामीण विकास योजनाएं तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) इस समय कार्यान्वित किए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पुनर्गठन का एक प्रस्ताव है और नए उपायों एवं मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और उन्हें तैयार किया जा रहा है। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि वर्तमान अलग-अलग योजनाओं के विकल्प के रूप में एक विशिष्ट कार्य-ढांचे के साथ कई ग्रामीण विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं और राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से उपयुक्त योजनाओं का चयन कर सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में आठवीं योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए नई नीति पर चर्चा करने के लिए 27 जून, 1992 को विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास विभाग के सचिवों की एक बैठक बुलाई थी। चर्चा के दौरान इस बात पर आम सहमति हुई थी कि आठवीं योजना में कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं में काफी लचीलापन होना चाहिए और बड़ी संख्या में योजनाएं तैयार की जानी चाहिए ताकि राज्य सरकारों द्वारा उसमें से चयन किया जा सके। तथापि, इस बात पर बल दिया गया था कि गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लक्षित समूह हैं और इस बुनियादी नीति को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

नरोरा परमाणु संयंत्र

3273. **श्री राम बदन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना करने से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गये हैं;

(ख) क्या विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है अथवा उनका उपयुक्त पुनर्वास कर दिया गया है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने व्यक्तियों/परिवारों का पुनर्वास किया गया तथा कितनी सम्पत्ति का मुआवजा दिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन परिवारों/व्यक्तियों को कब तक मुआवजा दिये जाने/रोजगार दिये जाने/इनका पुनर्वास किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भूमि का अधिग्रहण करने तथा विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया था जिसके लिए धनराशि परमाणु ऊर्जा विभाग/न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने उपलब्ध कराई थी । विस्थापित व्यक्तियों को वर्ष 1992-93 से पहले पुनर्वासित किया गया था । वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 19.69 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान अतिरिक्त मुआवजे के रूप में किया गया ।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से कागज की खरीद

3274. श्री अमल दत्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को अपने प्रयोग हेतु कागज की सप्लाई के क्रयादेश दे रही है;

(ख) यदि हां, तो यह क्रयादेश सरकार की कागज की कुल वार्षिक मांग के अनुपात में कितने प्रतिशत है; और

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कुल उत्पादन के अनुपात में इस क्रयादेश की प्रतिशतता कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को केन्द्रीय सरकार के विभागों और उसकी अधीनवर्ती संस्थाओं से प्राप्त हुए क्रयादेश इसके कुल उत्पादन का 19.5% थे ।

[हिन्दी]

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन संबंधी समिति की रिपोर्ट

3276. श्री मृत्युंजय नायक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) सरकार ने विगत हाल ही की अवधि में नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में आरोपित किसी भी अनियमितताओं की जांच किए जाने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

सामाजिक सुरक्षा योजनायें

3277. श्री राजनाथ सोनकार शास्त्री : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण, खनन, परिवहन, कृषि, वानिकी आदि कार्यों में बड़ी संख्या में कार्यरत व्यक्तियों को प्रतिक्षण चोट/मृत्यु का खतरा बना रहता है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें सुरक्षा देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) पिछले बारह माह के दौरान कितने श्रमिक घायल हुए/कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) कर्मकारों को सुरक्षा और संरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से खान अधिनियम, 1952, कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951, और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में वैधानिक उपबन्ध विद्यमान हैं ।

काम के दौरान चोट लगने और मृत्यु होने के मामले में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति दी जाती है ।

भारत सरकार ने निम्नलिखित तीन बीमा योजनाएं शुरू की हैं; (i) सामान्य बीमा योजना (जी० आई० सी०) द्वारा प्रचालित गरीब परिवारों के लिये चलाई जा रही व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना (पी० ए० एस० एस०) । इस योजना के अन्तर्गत गरीब परिवार के आय अर्जन करने वाले सदस्य की दुर्घटना से हुई मृत्यु को शामिल किया गया है । (ii) समूह बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा मछली पकड़ने वाली, बीड़ी कर्मकारों तेंदु पत्ता इकट्ठा करने वालों, वन कर्मकारों, कीट पालन करने वालों इत्यादि जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लगभग 20 समूहों को शामिल करते हुए दोहरी दुर्घटना सुरक्षा के साथ बीमा द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार और जीवन बीमा निगम के अंशदान से सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन किया गया था । (iii) भूमिहीन कृषि श्रमिकों और आई० आर० डी० पी० लाभानुभोगियों के लिये समूह बीमा योजना । इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है ।

(ग) 1991 (अनन्तिम) के दौरान खनन क्षेत्र में 275 कर्मकारों की मृत्यु हुई और 1123 गम्भीर रूप से घायल हुए ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों के अन्तर्गत 1989 के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी/अस्थायी अपंगता के मामले में 1,64,402 कर्मकारों को मुआवजा दिया गया ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1948 के अन्तर्गत 1990-91 में 994 मृत्यु दावे स्वीकार किये गये थे ।

1991 के दौरान सामान्य बीमा निगम/जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या निम्नानुसार है ।

योजना का नाम	निपटाए गए दावों की संख्या
पी० ए० एस० एस०	33,367
भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजना	37,979
आई० आर० डी० पी० समूह बीमा योजना	4,104

विनिर्माण, परिवहन, कृषि और वानिकी क्षेत्र में कार्यरत कर्मकारों के बारे में सूचना विशेषतया श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है ।

यात्री कारों का मूल्य

3278. **श्री ललित उरांव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का यात्री कारों के मूल्यों में वृद्धि करने का विचार है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार आटोमोटिव वाहनों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रखती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भ्रष्टाचार के मामले

3279. **श्री बलराज पासी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष वार सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और कदाचार के कितने मामले प्रकाश में आये; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मारुति उद्योग लिमिटेड में सुजुकी कारों का निर्माण

3280. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने अपनी गुड़गांव स्थित फैक्ट्री में सुजुकी कारों का निर्माण करने हेतु जापान की सुजुकी कम्पनी के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस तरह निर्मित सुजुकी कारों का निर्यात किया जायेगा अथवा केवल भारतीय बाजार में ही इसकी बिक्री की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड में कुछ सुजुकी वाहनों के विनिर्माण के लिए, मारुति उद्योग लिमिटेड ने सुजुकी मोटर कारपोरेशन, जापान के साथ, 1982 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन वाहनों का आठ वर्षों से अधिक समय तक उत्पादन हुआ और इन्हें स्वदेशी और निर्यात दोनों बाजारों में बेचा जा रहा है। वर्ष 1990 में, मारुति ने सुजुकी डिजाइन पर आधारित 1000 सी० सी० कार भी शुरू की। सुजुकी मोटर कारपोरेशन ने अब जापान से 800 सी० सी० कार का उत्पादन और निर्यात रोकने का निर्णय लिया है। इस कार के स्थान पर एक नवीन मॉडल विकसित किया गया है जिसका भारत और विदेशों में बिक्री के लिए उत्पादन मारुति उद्योग लिमिटेड में 1993 से शुरू किया जाएगा। इस कार के लिए सुजुकी मोटर कारपोरेशन और मारुति उद्योग लिमिटेड के मध्य अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

आसनसोल स्थित भारतीय साइकिल कारपोरेशन को वित्तीय सहायता

3281. **डा० सुधीर राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काम्यपुर, आसनसोल स्थित भारतीय साईकिल कारपोरेशन को प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं;

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या भारतीय साईकिल कारपोरेशन और सेन रेले कंपनी समूह को एक लम्बे समय से कार्यगत पूंजी प्राप्त नहीं हो रही है;

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) भारतीय साईकिल कारपोरेशन को कार्यगत पूंजी उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कंपनी को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे का वर्षवार ब्योरा निम्न प्रकार है :

1989-90	3071 लाख रुपये
1990-91	3016 लाख रुपये
1991-92 (अनंतिम)	2558 लाख रुपये

(ग) कंपनी को पुरानी और अप्रचलित मशीनों, बेशी जन-शक्ति, उत्पादन की उच्च लागत तथा कठिन वित्तीय स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारणों से घाटा हो रहा है।

(घ) से (छ) चूंकि सी० सी० आई० एल० के पास कोई आंतरिक संसाधन नहीं रहा है और इसका निवल मूल्य ऋणात्मक है, इसलिए सरकार कंपनी को अपने कर्मचारियों के वेतन और

मजदूरी की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान कर रही है। सरकार ने कंपनी की विद्यमान नकद जमा सीमा के लिए प्रति-प्रत्याभूति भी दी है।

[हिन्दी]

खान दुर्घटनाएं

3282. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान घटी खान दुर्घटनाओं की कुल संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी दुर्घटनाओं में कितने श्रमिक मारे गए;

(ग) मारे गये लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति की कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) भविष्य में खान दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) खान सुरक्षा महानिदेशालय में उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1991-92 में खानों में 257 घातक दुर्घटनाएं तथा 1046 गंभीर दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 282 व्यक्ति मारे गये थे। ये दुर्घटनाएं छत के गिरने, साइड के गिरने, वस्तुओं के गिरने, व्यक्तियों के गिरने, साथ ही परिवहन मशीनों, विस्फोटों और बिजली आदि के कारण हुई थी।

(ग) प्रबंधतंत्र द्वारा मृतक के आश्रितों की दिए जाने वाली क्षतिपूर्ति का विनियमन कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत किया जाता है जिसको संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है। इससे संबंधित सूचना श्रम मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(घ) खानों में नियोजित कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपबंध खान अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में दिए गए हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खान सुरक्षा से संबंधित सांविधिक प्रावधानों को लागू करवाने के उद्देश्य से समय-समय पर खानों का निरीक्षण करते हैं, और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए उत्तरदायी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करते हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए समय-समय पर खान प्रबंधकों को परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता है।

पर्वतीय क्षेत्र में युवाओं को रोजगार

3283. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो० पी०जे० कुरियन) : (क) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार दिलाने की योजना (एस०ई०यू०वाई०) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों सहित सारे देश में 1983-84 से चल रही है।

(ख) (1) सभी शिक्षित (10 वीं कक्षा पास) बेरोजगार युवक जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो, महिलाएं और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति आई०टी०आई० पास युवक इस योजना के अधीन उद्योग, सेवा और व्यवसाय संबंधी उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

(2) आय की सीमा 10,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति परिवार है।

(3) स्वीकृत की जाने वाली कुल राशि का 30% अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है।

(4) कम-से-कम 50% उद्यम उद्योगों के होने चाहिए और व्यावसायिक उपक्रमों की संख्या 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(5) लाभग्राहिकों का चयन जिला उद्योग केन्द्र के कृतिक बल द्वारा किया जाता है।

(6) औद्योगिक उपक्रमों हेतु 35,000 रुपये तक, सेवा उपक्रमों के लिए 25,000 रुपये तक और छोटे व्यावसायिक उपक्रमों हेतु 15,000 रुपये तक के मिश्रित ऋण दिये जाते हैं। इनमें सहभागी गारन्टी या मार्जिन की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(7) सरकारी सहायता एकमुश्त पूंजी राजसहायता के रूप में होती है जो बैंक द्वारा उद्यमी के लिए स्वीकृत ऋण की 25% राशि तक हो सकती है।

(8) एस०ई०ई०यू०वाई० योजना के अधीन दिये गये ऋणों पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 10% वार्षिक और अन्य क्षेत्रों में 12% वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है।

(9) ऋण का भुगतान किस्तों में करना होता है जो 6 से 18 माह की मोहलत की अवधि के बाद शुरू होती है और सारी रकम 3 से 7 वर्षों के भीतर लौटानी होती है, मोहलत की अवधि और ऋण भुगतान की कुल समय सीमा उपक्रम की लाभ देयता और किस्म पर निर्भर करती है।

(ग) वार्षिक वास्तविक लक्ष्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा लाभग्राहियों की संख्या के रूप में दिये जाते हैं। दिये जाने वाले प्रत्येक ऋण के लिए 25% राशि केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से पूंजीगत राजसहायता के रूप में दी जाती है। यह आवंटन राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्य निष्पादन

3284. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्य-निष्पादन के असंतोषजनक होने के मुख्य कारण इस प्रकार है—

(1) अवस्थितिगत हानियों, आधारभूत सुविधाओं की कमी, प्रचालनात्मक असुविधाओं, अपर्याप्त ग्रिड शक्ति और निम्न कप्टिव पावर जनित्रण, कुशल जनशक्ति के पर्याप्त मात्रा में अभाव और कच्चे माल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण क्षमता निम्न क्षमता उपयोगिता ।

(2) उच्च पूंजी लागत और दीर्घ-पक्वनावधि के कारण उच्च प्रचालन लागत और ब्याज का अधिक प्रभाव ।

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन अपनी नौगांव और कछार पेपर मिलों के कार्यनिष्पादन में सुधार के लिए एक परिवर्तन योजना तैयार कर रही है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पुरुष और महिला अधिकारी

3285. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में, भारत सरकार में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य स्थानों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुल कितने अधिकारी कार्यरत हैं;

(ख) उनमें से पुरुष और महिला अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या सेवा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है कि पति और पत्नी एक ही स्थान पर नियुक्त किये जायेंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) दिनांक 1-7-1992 की स्थिति के अनुसार राज्यों, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य स्थानों पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

राज्यों में (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित)	4188
भारत सरकार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि सहित)	793

(ख) जिनमें पुरुष तथा महिला अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार है—

	पुरुष	स्त्री	कुल
राज्यों में (राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित)	3835	353	4188
भारत सरकार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों आदि सहित)	701	92	793

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम अथवा भारतीय सेवा (नियमावली) के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि पति और पत्नी की तैनाती एक ही स्टेशन पर की जाएगी। फिर भी, कार्यालय ज्ञापन मे यह व्यवस्था की गई है कि—"सरकार की नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो और प्रशासनिक व्यवहार्यता के प्रतिबंधों के भीतर हो, पति तथा पत्नी की एक स्टेशन पर तैनाती की जाए ताकि वे सामान्य पारिवारिक जीवन बिता सकें और उनके बच्चों की शिक्षा तथा पालन पोषण सुनिश्चित हो सके।"

उत्तर प्रदेश में पूरी की गई परियोजनाएं

3286. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**
श्री हरिकेवल प्रसा :
श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दौसा) :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और राजस्थान में विगत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गई केन्द्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कौन-कौन-सी केन्द्रीय परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं/लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) परियोजनाओं को लम्बित रखने के क्या कारण हैं और इन परियोजनाओं को अविलम्ब पूरा कराये जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में प्रत्येक 20 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर थीं तथा पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान पूरी की गई थीं, की एक सूची विवरण-1 में दी गई है।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कार्यान्वयनाधीन प्रत्येक 20 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की एक सूची, उनकी अनुमोदित समय-सीमा के संबंध में पूरा होने में विलंब होने सहित, विवरण-2 में दी गई है।

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब होने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ-भूमि अधिग्रहण में विलम्ब निधियों की कमी, उपकरणों के आयात में विलंब, सिविल निर्माण कार्यों में विलंब इत्यादि शामिल हैं। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, विभिन्न स्तरों पर उनका गहन प्रबोधन किया जा रहा है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली मासिक/तिमाही रिपोर्टों में, संबंधित अभिकरणों द्वारा आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु, समस्याग्रस्त क्षेत्रों पर प्रकाश डाला जाता है।

विवरण-I

उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान से होकर गुजरने वाली विद्युत संरचण लाइन, रेलवे लाइन, तेल/गैस पाइप लाइन इत्यादि जैसी अंतर्राज्यीय परियोजनाओं को छोड़कर, इन राज्यों में प्रत्येक 20 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली उन केन्द्रीय परियोजनाओं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर थीं तथा पिछले तीन वर्षों (1989-90, 1990-91 और 1991-92) में पूरी की गई थीं, की सूची—

1. बीना ओ०सी० (एन०सी०एल०) (उ० प्र०)
2. टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परि० (एन०एच०पी०सी०) (उ० प्र०) (परियोजना को अभी वाणिज्यिक घोषित किया जाना है)
3. नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना (एन पी सी) (उ० प्र०)
4. औरैया गैस विद्युत परियोजना (एनटीपीसी) (उ० प्र०)
5. औरैया संचरण लाइन (एनटीपीसी) (उ० प्र०)
6. रिहन्द सुपर थर्मल विद्युत परियोजना (एनटीपीसी) (उ० प्र०)
7. वाराणसी-भाटनी रेलवे गेज बदलना (उ० प्र०)
8. टूण्डला-आगरा-बयाना रेलवे विद्युतीकरण (उ० प्र० तथा राजस्थान)
9. रामपुर-अमूचा-चन्देरिया एकीकृत जिंक लीड परियोजना (एच०जेड०एल०) (राजस्थान)
10. अन्ता गैस विद्युत परियोजना (एनटीपीसी) (राजस्थान)
11. अन्ता संचरण लाइन (एनटीपीसी) (राजस्थान)

विवरण-II

दिनांक 31, मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की प्रबोधन प्रणाली पर, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में प्रत्येक 20 करोड़ रु० तथा उससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची :

क्र० संख्या	परियोजना	अनुमोदित समय-सीमा के संबंध में विलम्ब (माह)
1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	काकरी ओ० सी० (एन० सी० एल०)	24

1	2	3
2.	टनकपुर हाइड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना (एन० एच० पी० सी०)	43
3.	दादरी गैस विद्युत संयंत्र (एनटीपीसी)	8
4.	एन० सी० आर० टी० पी० पी०, दादरी (एनटीपीसी)	0
5.	धौलीगंगा एचईपी (एनएचपीसी)	0
6.	आप्टिकल फाइबर परियोजना (एचसीएल)	1
7.	गन्ने की खोई (बगासे) पर आधारित अखबारी कागज परियोजना, मुरादाबाद (एन० ई० पी० ए०)	12
8.	मुरादाबाद-रामपुर रेलवे लाइन दोहरी करना	15
9.	लखनऊ-कानपुर रेलवे लाइन दोहरी करना	12
10.	रामपुर-बरेली रेलवे लाइन दोहरी करना	0
11.	रामपुर-न्यू हलद्वानी नई रेलवे लाइन	0
12.	कार्यशाला का आधुनिकीकरण, झांसी (रेलवे)	पूरे होने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।
13.	वाराणसी बाई पास तथा गंगा पर पुल	24
14.	विद्युत स्विचिंग प्रणाली, मानकपुर (आई० टी० आई०)	12

राजस्थान

1.	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (एनपीसी)	18
2.	बरसिंगार लिग्नाइट खान, बीकानेर (एनएलसी)	0
3.	बरसिंगार लिग्नाइट थर्मल पावर परियोजना, बीकानेर (एन० एल० सी०)	0
4.	बामनियां कलां लीड जिंक परियोजना (एच० जेड० एल०)	0
5.	फुलेरा-भूमिगत मार्ग-बीकानेर गेज बदलना (रेलवे)	0
6.	सवाई माधोपुर-जयपुर-फुलेरा नई लाइन (रेलवे)	0
7.	रेलवे कार्यशाला का आधुनिकीकरण; अजमेर	23

1	2	3
8.	बैगन कार्यशाला का आधुनिकीकरण, कोटा (रेलवे)	पूरे होने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है ।

नोट : उपर्युक्त सूची में, इन राज्यों से गुजरने वाली अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जैसे विद्युत संचरण लाइन, रेलवे लाइन, तेल/गैस पाइप लाइन इत्यादि शामिल नहीं हैं ।

ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड से ज्ञापन

3287. **श्री हाराधन राय** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जनवरी, 1992 में ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड की यूनियन से कोई ज्ञापन मिला था;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग और उनके द्वारा किए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता की कुछ समस्याओं को उजागर किया गया है और कुछ सुझाव दिए गए हैं । सुझाव अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार है :

(क) भारतीय रेलवे से अधिक आपूर्ति की व्यवस्था करके एंगस कारखाने के उत्पादन में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

(ख) एंगस कारखाने के परियोजना प्रभाग के कार्य की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि क्या इस प्रभाग को जारी रखना चाहिये ।

(ग) क्लाइव कारखाने के लिए उत्पाद विविधीकरण योजना शुरू की जानी चाहिए ।

(ग) कम्पनी के कार्य में अवरोध पैदा करने वाली बहुत-सी समस्याओं से सरकार अवगत है । कम्पनी के निष्पादन में सुधार और आय में वृद्धि के लिये कुछ कदम पहले ही उठाये गए हैं । इस कम्पनी का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को भी प्रेषित किया गया है जहां इस कम्पनी के पुनरुद्धार के अनेक उपायों की व्यवहार्यता की भी जांच की जाएगी ।

बीस-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3288. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में बीस-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सूत्रवार की गयी प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन संतोषजनक ढंग से नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) चयनित उन 28 मदों के कार्यान्वयन में राज्यों के निष्पादन का मासिक आधार पर प्रबोधन किया जाता है जिनकी उपलब्धि की मात्रा बताना संभव नहीं है । वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्यों द्वारा निष्पादन के ब्यौरे संलग्न विवरण 1, 2, 3 दिए गए हैं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण-1

अप्रैल, 1991 से मार्च, 1992 के दौरान मदों का राज्यवार निष्पादन (लक्ष्य की उपलब्धि का %)

	आ० प्र०	अरु० प्र०	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हि० प्र०
01 क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	144	71	101	98	89	103	152	202
01 ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	101	29	108	87	87	100	113	115
01 ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	171	121	116	69	75	169	97	131
05 क कालतू भूमि का वितरण	393	—	79	139	—	19	154	0
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	41	—	—	97	—	—	—	—
07 क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	102	76	88	23	85	101	96	103
08 क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	100	90	—	0	—	0	0
08 ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	—	100	74	—	50	—	—	40
08 घ बाल प्रतिरक्षा (डी०पी०टी०, पोलियो, बी०सी०जी०)	111	54	69	41	111	100	105	93
09 क परिवार नियोजन नसबन्दी	80	66	26	30	103	93	97	109
09 ख समतुल्य नसबन्दी—आईयूडी, सीसी व ओपी	69	74	59	20	117	86	94	93
09 ग एकी० बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	105	100	100	100	100	101	100	100

09 घ आंगनबाड़ी (संचयी)	97	80	97	79	92	83	91	97
11 क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	95	—	80	59	38	93	69	65
11 ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	159	—	138	106	—	129	—	99
14 क आवंटित आवास स्थल (परिवार)	106	—	153	119	26	133	40	0
14 ख निर्माण सहायता (परिवार)	364	92	153	—	22	126	100	154
14 ग इन्दिरा आवास योजना (आवास)	137	54	134	126	520	106	98	104
14 घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	100	—	37	4	48	162	92	100
14 च निम्न आयु समूह को मकान	93	—	4	0	100	145	100	100
15 गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	228	—	91	167	233	100	115	62
16 क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	111	79	413	120	45	157	90	32
16 ख आच्छादित क्षेत्र-सार्वजनिक व वन भूमि	189	6	49	93	122	87	70	40
18 उचित दर दुकानें	992	290	108	263	80	80	—	—
19 क विद्युतीकृत गांव	—	86	50	148	—	—	—	—
19 ख शक्ति चालित पम्पसैट	222	—	—	136	—	235	348	443
19 ग सुपर चूल्हे	123	137	73	114	110	104	90	109
19 घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	138	100	82	104	102	117	98	100
औसत	179	90	99	94	103	114	105	100

	ज० व का०	कर्ना०	केरल	म०प्र०	महा०	मणि०	मेघा०	मिजो०	नागा०
01 क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	129	105	99	113	100	317	73	45	67
01 ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	78	91	103	91	94	52	139	176	0
01 ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	89	125	89	162	106	94	134	56	0
05 क फालतू भूमि का वितरण	—	80	15	36	68	—	—	—	—
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	12	—	108	—	—	—	—	—
07 क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	30	102	105	107	101	101	25	101	0
08 क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	190	0	0	—	200	75	0	0
08 ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	0	100	0	3	—	200	50	0	0
08 घ बाल प्रतिरक्षा (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	55	93	101	85	116	78	63	87	20
09 क परिवार नियोजन नसबन्दी	18	87	101	84	102	52	50	143	37
09 ख समतुल्य नसबन्दी—आईयूडी, सीसी व ओपी)	53	87	93	84	99	51	104	90	16
09 ग एकी० बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	100	101	101	100	100	100	100	100	100

09 घ आंगनबाड़ी (संचयी)	85	85	95	92	100	73	82	80	58
11 क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	34	94	79	80	112	92	—	—	—
11 ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	57	108	76	86	125	78	—	—	—
14 क आवंटित आवास स्थल (परिवार)	5	1001	63	125	100	—	—	178	—
14 ख निर्माण सहायता (परिवार)	5	72	47	183	100	—	23	100	—
14 ग इन्दिरा आवास योजना (आवास)	202	110	880	221	124	232	0	113	0
14 घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	21	110	44	90	107	0	133	100	—
14 च निम्न आयु समूह को मकान	26	123	52	142	194	0	131	102	—
15 गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	140	107	0	120	134	0	100	200	—
16 क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	17	108	52	102	90	52	50	222	0
16 ख आच्छादित क्षेत्र – सार्वजनिक व वन भूमि	94	69	0	109	121	61	106	104	0
18 उचित दर दुकानें	36	432	—	77	—	—	—	22	—
19 क विद्युतीकृत गांव	170	—	—	159	—	111	37	100	—
19 ख शक्ति चालित पम्प सैट	362	638	406	258	179	—	—	—	—
19 ग सुपर चूल्हे	41	112	155	49	104	106	96	140	52
19 घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	47	140	71	118	118	87	100	105	0
औसत	74	166	113	107	113	97	80	111	22

	उड़ीसा	पंजाब	राज०	सिक्किम	तमिल०	त्रिपुरा	उ०प्र०	प० बं०
01 क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	102	199	125	129	109	36	104	104
01 ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	100	50	126	201	142	38	103	64
01 ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	111	115	137	93	138	78	116	74
05 क फालतू भूमि का वितरण	452	100	55	—	181	—	184	95
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	112	—	158	—	103	—	80	—
07 क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	97	112	104	103	100	70	116	35
08 क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	100	100	107	0	—	—	0	3
08 ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	38	100	100	100	—	—	1	20
08 घ बाल प्रतिरक्षा (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	93	123	85	83	103	39	91	78
09 क परिवार नियोजन नसबन्दी	67	84	77	130	104	27	46	81
09 ख समतुल्य नसबन्दी —आईयूडी, सीसी व ओपी	86	118	68	102	100	92	64	57
09 ग एकी० बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	100	100	100	100	135	100	100	100
09 घ आंगनबाड़ी (संचयी)	89	97	87	93	116	54	74	79
11 क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	80	90	107	53	129	0	85	38

11 ख	सहायता प्राप्त अनुः जन जाति के परिवार	112	—	112	45	94	0	99	50
14 क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	289	—	109	—	186	8	241	436
14 ख	निर्माण सहायता (परिवार)	83	—	102	13	100	12	100	1
14 ग	इन्दिरा आवास योजना (आवास)	187	61	180	138	564	20	102	51
14 घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	116	100	119	150	100	28	101	0
14 च	निम्न आयु समूह को मकान	92	100	98	—	99	47	110	0
15	गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	113	106	132	112	100	45	99	116
16 क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	86	101	94	382	127	75	124	107
16 ख	आच्छादित क्षेत्र-सार्वजनिक व वन भूमि	102	131	103	77	126	128	99	51
18	उचित दर दुकानें	1140	143	135	0	—	0	—	—
19 क	विद्युतीकृत गांव	102	—	138	—	350	7	94	67
19 ख	शक्ति चालित पम्पसैट	173	196	240	—	164	17	171	43
19 ग	सुपर चूल्हे	166	103	130	83	123	39	103	149
19 घ	गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	84	110	138	163	100	220	98	69
	औसत	160	110	117	107	148	49	100	76

	अण्ड० व नि०	चण्डी०	दा० व न०ह०	दमन व दीव	दिल्ली	लक्य०	पांडि०	अखिल भा०
01 क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	96	—	88	97	44	80	107	108
01 ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	33	—	91	36	5	50	114	97
01 ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	100	220	34	82	69	83	117	119
05 क फालतू भूमि का वितरण	—	—	0	—	0	—	1	120
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	—	—	—	—	—	—	44
07 क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	100	—	—	—	—	25	108	84
08 क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	100	—	0	—	—	0	0	43
08 ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	100	—	—	—	—	—	0	25
08 घ बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो, बीसीजी)	9	104	84	103	85	79	127	87
09 क परिवार नियोजन नसबन्दी	103	110	73	125	100	29	164	73
09 ख समतुल्य नसबन्दी—आईयूडी, सीसी व ओपी	101	102	109	102	103	37	114	77
09 ग एकी० बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	100	100	100	100	100	100	100	100
09 घ आंगनवाड़ी (संचयी)	101	100	100	100	96	67	102	87
11 क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	—	94	—	—	44	—	124	83

11 ख सहायता प्राप्त अनु० जनजाति के परिवार	80	—	—	115	—	—	—	104
14 क आवंटित स्थल (परिवार)	—	0	—	—	0	—	104	219
14 ख निर्माण सहायता (परिवार)	0	—	69	13	0	—	101	137
14 ग इन्दिरा आवास योजना (आवास)	106	0	25	550	0	0	46	171
14 घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आवास	0	—	—	—	36	—	—	88
14 च निम्न आय वर्ग समूह को मकान	214	0	—	0	3338	—	—	114
15 गंदी बस्तियों का सुधार (जनसंख्या)	93	—	—	—	94	—	101	124
16 क बिजली खंभों पर वृक्षारोपण	105	—	113	54	90	59	265	118
16 ख आच्छादित क्षेत्र —सार्वजनिक व वन भूमि	79	100	50	59	109	50	89	90
18 उचित दर दुकानें	208	180	0	33	33	—	0	204
19 क विद्युतीकृत गांव	—	—	—	—	—	—	—	109
19 ख शक्ति चालित पम्पसैट	—	—	—	—	109	—	—	232
19 ग सुधर चूल्हे	100	403	75	0	118	51	75	107
19 घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	20	100	20	20	85	—	29	109
औसत	93	115	62	95	212	51	90	

—दर्शाता है कि वर्तमान समय में कार्यक्रम परिचालन में नहीं है ।

टिप्पणी—जहां एक से अधिक मामलों में मद का प्रबोधन एक सूत्र के अन्तर्गत किया जाता है इन्हें क, ख, ग, इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है ।

विवरण-2

अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 के दौरान मदों का राज्यवार निष्पादन (लक्ष्य की उपलब्धि का %)

	आं० प्र०	अरु० प्र०	असम	बिहार	गोवा	गुज०	हरि०	हि० प्र०	ज० व का०
01क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	168	57	114	119	103	101	194	276	150
01ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	86	68	103	100	76	77	93	107	86
01ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	129	121	110	122	65	144	104	121	44
05क फालतू भूमि का वितरण	151	—	238	138	—	11	42	—	—
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	—	—	100	—	—	—	—	—
07क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	103	53	68	364	100	68	56	100	48
08क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	—	—	100	0	100	0	100	0
08ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वाकें०)	0	100	0	258	—	—	—	100	2
08ग उप केन्द्र	—	0	0	0	100	100	0	100	0
08घ बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	121	64	81	81	104	104	106	85	63
09क परिवार नियोजन नसबंदी	71	58	29	47	96	93	87	96	33
09ख समतुल्य नसबंदी (आई यू डी, सी सी और ओ पी)	65	59	34	32	149	106	81	76	44
09ग एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परि० (संचयी)	98	93	100	95	100	87	105	88	91
09घ आंगनबाड़ी (संचयी)	96	98	89	76	22	91	99	97	100

11क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	114	—	71	95	109	93	79	120	59
11ख महायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	143	—	92	98	—	126	—	135	0
14क आवंटित आवास स्थल (परिवार)	58	—	106	95	62	119	0	—	12
14ख निर्माण महायता (परिवार)	173	28	106	—	50	150	434	104	20
14ग इंदिरा आवास योजना (आवास)	74	21	162	129	520	100	91	132	284
14घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	83	—	65	88	80	78	307	100	24
14च निम्न आयु समूह को मकान	0	—	35	54	81	118	473	120	88
15 गंदी बस्तियों का सुधार	241	—	81	100	32	102	100	102	58
16क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	101	55	586	54	52	154	85	131	9
18 उचित दर दुकानें	199	167	85	279	160	—	—	—	67
19क विद्युतीकृत गांव	104	79	33	35	—	—	—	—	72
19ख शक्तिचालित पम्पसेट	127	—	34	55	—	125	102	224	131
19ग सुधरे चूल्हे	106	99	80	63	101	105	131	114	88
19घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	110	260	49	64	190	126	98	104	73
औसत	105	82	98	105	107	104	125	119	63

	कर्नाटक	केरल	म० प्र०	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजो०	नागालैंड
01क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	114	102	133	114	308	73	54	26
01ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	83	74	65	99	121	41	424	89
01ग लघु उद्योग इकाई (रंजीकृत)	116	109	150	101	109	152	66	0
05क फालतू भूमि का वितरण	116	40	51	—	—	—	—	—
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	62	—	68	40	—	—	—	—
07क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	70	108	81	77	65	54	55	17
08क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	—	30	0	0	0	—	0
08ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	100	100	61	1	0	20	—	0
08ग उप-केन्द्र	—	0	0	32	0	30	100	0
08घ बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	96	101	96	112	77	91	77	29
09क परिवार नियोजन नसबंदी	73	90	61	96	35	60	129	66
09ख समतुल्य नसबंदी (आई यू डी, सी सी और ओ पी)	80	83	106	102	82	63	81	23
09ग स्वीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	97	100	108	114	95	91	103	91
09घ आंगनवाड़ी (संचयी)	92	97	99	122	87	83	86	129
11क सहायता प्राप्त अनु० जाति से परिवार	105	109	81	100	90	—	—	—

11ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	98	105	90	112	138	—	—	—
14क आवंटित आवास स्थल (परिवार)	94	66	95	100	—	—	100	—
14ख निर्माण सहायता (परिवार)	90	84	114	100	—	81	100	—
14ग इंदिरा आवास योजना (आवास)	108	567	75	80	120	0	559	0
14घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	90	106	74	96	0	0	—	—
14च निम्न आयु समूह को मकान	174	149	177	96	0	0	100	—
15 गंदी बस्तियों का सुधार	133	70	117	101	0	100	100	—
16क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	82	98	114	111	168	14	114	0
18 उचित दर दुकानें	143	—	113	—	—	—	112	0
19क विद्युतीकृत गांव	—	—	153	—	112	67	100	—
19ख शक्तिचालित पम्प सैट	554	123	134	166	—	—	—	—
19ग सुधरे चूल्हे	109	137	100	104	100	0	100	0
19घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	90	89	72	117	100	52	120	0
औसत	114	113	94	92	82	51	134	23

	उड़ीसा	पंजाब	राज०	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उ० प्र०	प० बं०
01क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	127	247	121	114	116	258	108	116
01ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	103	69	129	79	110	106	94	75
01ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	107	101	115	107	116	114	109	79
05क फालतू भूमि का वितरण	165	—	113	—	155	—	249	122
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	65	—	104	—	100	—	214	—
07क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	8	96	120	121	56	51	72	54
08क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	0	150	0	0	0	133	13
08ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	100	0	110	200	40	0	317	36
08ग उप-केन्द्र	0	0	0	100	0	31	0	0
08घ बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	94	119	91	69	105	58	97	85
09क परिवार नियोजन नसबंदी	65	77	66	90	90	70	56	62
09ख समतुल्य नसबंदी (आई यू डी, सी सी और ओ पी)	89	114	128	114	78	117	103	62
09ग एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	92	106	96	100	92	88	91	95
09घ आंगनवाड़ी (संचयी)	82	109	102	105	77	72	79	88

11क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	101	113	103	112	113	85	99	51
11ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	108	—	95	259	92	61	126	52
14क आबंटित आवास स्थल (परिवार)	100	—	123	—	186	25	193	500
14ख निर्माण सहायता (परिवार)	96	—	95	0	136	52	138	11
14ग इंदिरा आवास योजना (आवास)	94	100	107	185	375	93	134	38
14घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	103	0	90	0	176	121	117	44
14च निम्न आय समूह को मकान	79	39	104	—	116	171	110	0
15 गन्दी बस्तियों का सुधार	151	100	101	100	119	100	118	166
16क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	97	109	94	228	107	181	100	185
18 उचित दर दुकानें	412	—	110	—	—	130	—	—
19क विद्युतीकृत गांव	191	—	143	124	—	50	94	101
19ख शक्ति चालित पम्प सैट	191	312	234	—	182	53	111	110
19ग सुधरे चूल्हे	154	150	121	111	110	54	97	125
19घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	128	106	117	117	104	113	105	80
औसत	111	98	110	111	114	87	122	90

	अण्डा० व निको०	चण्डीगढ़	दा० व न० ह०	दमन व दिव	दिल्ली	लक्ष्यद्वीप	पांडेचेरी	अ० भा०
01क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	98	—	100	97	101	9	167	121
01ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	54	13	82	63	20	85	83	91
01ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	103	203	54	98	83	100	102	114
05क कालतू भूमि का वितरण	—	—	9	—	—	—	1	113
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	—	—	—	—	—	—	74
07क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	100	—	—	—	—	0	107	79
08क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	—	0	—	—	0	0	27
08ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा० के०)	100	—	—	0	—	—	0	122
08ग उप-केन्द्र	0	—	0	—	—	0	0	10
08घ बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	94	81	114	157	88	111	143	96
09क परिवार नियोजन नसबंदी	95	72	71	160	83	31	140	71
09ख नसतुल्य नसबन्दी (आई यू सी, सी सी और ओ पी)	115	41	95	95	60	40	96	88
09ग एकीकृत बाल विकास सेवा खण्ड परि० (संचयी)	100	100	100	100	104	100	100	97
09घ आंगनवाड़ी (संचयी)	101	100	100	73	107	102	97	93
11क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	—	100	—	—	65	—	116	93
11ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	103	—	—	160	—	—	—	100

14क आबंटित आवास स्थल (परिवार)	43	0	—	—	8	—	105	134
14ख निर्माण सहायता (परिवार)	0	—	124	0	0	—	100	129
14ग इंदिरा आवास योजना (आवास)	369	0	87	13	0	0	129	121
14घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	20	0	—	—	100	—	—	106
14च निम्न आयु समूह को मकान	141	0	—	—	10598	—	—	118
15 गन्दी बस्तियों का सुधार	96	0	—	—	172	—	100	125
16क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	129	136	149	122	90	220	137	105
18 उचित दर दुकानें	325	120	100	50	47	—	183	129
19क विद्युतीकृत गांव	—	—	—	—	—	—	—	100
19ख शक्ति चालित पम्प सैट	—	—	—	—	123	—	84	164
19ग सुधरे चूल्हे	60	0	100	6	71	5	76	106
19घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	0	20	100	60	95	—	50	106
औसत	102	58	80	76	601	57	92	

—दर्शाता है कि वर्तमान समय में कार्यक्रम परिचालन में नहीं है ।

टिप्पणी—जहां एक से अधिक मामलों में मद का प्रबोधन एकसूत्र के अन्तर्गत किया जाता है । इन्हें क, ख, ग; इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है ।

विवरण-3

अप्रैल, 1989 से मार्च, 1990 के दौरान मदों का राज्यवार निष्पादन (लक्ष्य की उपलब्धि का %)

		आंध्र प्र०	अरु० प्र०	असम	बिहार	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हि० प्र०
01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परिवार)	131	43	92	105	101	116	255	402
01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	101	60	60	96	76	71	99	118
01ग	लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	127	126	112	94	129	126	103	192
05क	काश्तू भूमि का वितरण	60	—	4	32	—	25	379	—
06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	25	—	—	92	—	—	—	—
07क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	87	66	40	95	85	91	86	100
08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	—	27	—	—	5	114	100
08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा०के०)	0	100	5	0	100	13	54	111
08ग	उप केन्द्र	0	103	100	100	100	121	—	—
08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	86	73	43	81	96	116	122	101
09क	परिवार नियोजन नसबंदी	69	106	26	64	102	81	89	109
09ख	सामान्य नसबंदी (आई यू डी, सी सी और ओ पी)	65	107	77	63	111	116	105	91
09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परिवार (संचयी)	109	95	100	97	110	100	281	105

09घ आंगनबाड़ी (संख्या)	116	118	93	92	98	94	84	137
11क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	156	—	54	107	112	99	99	133
11ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	243	—	94	119	—	132	—	153
14क आवंटित आवास स्थल (परिवार)	320	—	53	66	82	152	56	—
14ख निर्माण सहायता (परिवार)	67	142	53	—	99	154	131	—
14ग इंदिरा आवास योजना (आवास)	80	50	63	112	60	121	167	236
14घ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आवास	6	—	58	3	127	65	203	100
14च निम्न आयु समूह को मकान	83	—	97	73	21	124	172	109
15 गंदी बस्तियों का सुधार	147	—	71	65	400	219	103	101
16क निजी भूमि पर वृक्षारोपण	82	93	120	80	102	177	90	93
18 उचित दर दुकानें	173	120	173	207	130	—	—	—
19क विद्युतीकृत गांव	79	96	84	95	75	—	—	—
19ख शक्तिचालित पम्पसैट	97	—	9	86	—	163	199	—
19ग सुधरे चूल्हे	77	91	70	115	112	107	139	97
19घ गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	39	50	39	81	100	124	98	123
औसत	94	91	67	85	110	109	132	136

		जम्मू-क०	कर्नाटक	केरल	म० प्र०	महाराष्ट्र	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड
01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	104	104	100	105	108	219	40	66	1
01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	68	80	64	72	106	104	22	144	0
01ग	लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	68	121	104	99	118	97	89	107	140
05क	फालतू भूमि का वितरण	—	25	14	160	142	—	—	—	—
06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	45	—	100	100	—	—	—	—
07क	सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	51	107	125	144	121	100	54	56	50
08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	100	100	100	—	50	0	—	0
08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वा०के०)	0	104	68	56	51	100	33	0	0
08ग	उप केन्द्र	0	—	100	96	1	110	21	100	0
08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	59	97	125	103	113	104	73	92	26
09क	परिवार नियोजन नसबंदी	31	93	95	67	99	54	72	101	57
09ख	सामान्य नसबंदी (आई यूडी, सी सी और ओ पी)	48	94	104	108	90	74	71	87	28
09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परि० (संचयी)	100	102	103	101	109	94	112	106	100
09घ	आंगनबाड़ी (संचयी)	118	99	102	102	119	115	99	87	97
11क	सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	133	91	104	91	109	124	—	—	—
11ख	सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	—	124	219	99	122	116	—	—	—
14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	13	100	67	255	101	—	—	—	—

14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	10	90	39	92	105	—	216	100	—	
14ग	इंदिरा आवास योजना (आवास)	216	93	434	68	67	440	0	131	0	
14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	123	122	56	75	100	124	90	100	0	
14च	निम्न आयु समूह को मकान	44	131	189	214	103	100	2025	100	0	
15	गंदी बस्तियों का सुधार	148	121	77	123	93	100	113	100	—	
16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	47	97	91	100	92	116	104	150	0	
18	उचित दर दुकानें	70	100	—	294	106	—	—	52	250	
19क	विद्युतीकृत गांव	36	1280	—	151	262	77	101	68	—	
19ख	शमितचालित पम्पसेट	118	104	150	151	159	—	—	—	—	
19ग	सुधरे चूल्हे	114	103	132	178	106	101	50	103	0	
19घ	गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	29	60	100	105	133	76	147	106	0	
	औसत	73	140	114	122	109	118	168	93	40	

		उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उ० प्र०	प० बं०
01क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	128	314	106	113	115	173	109	122
01ख	जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	80	119	99	105	119	100	110	94
01ग	लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	102	101	125	100	115	163	108	83
05क	फालतू भूमि का वितरण	100	663	101	—	400	175	281	101
06	बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	100	—	94	—	160	—	574	—
07क	सुलझाई गई पेचदार समस्या (मांग)	73	100	81	94	126	43	253	74
08क	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	—	—	83	—	0	0	94	7
08ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वाके०)	102	—	51	—	61	0	18	4
08ग	उप केन्द्र	129	100	100	83	0	99	0	0
08घ	बाल प्रतिरक्षण (डी पी टी, पोलियो, बी सी जी)	104	128	85	71	108	61	98	77
09क	परिवार नियोजन नसबंदी	72	116	54	89	90	70	69	70
09ख	समतुल्य संबंदी (आई यूडी, सी सी और ओपी)	97	131	83	82	107	91	105	71
09ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परि० (संचयी)	104	104	101	100	97	100	100	99
09घ	आंगनबाड़ी (संचयी)	101	106	102	101	83	90	90	94
11क	सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	104	141	93	104	100	77	84	72
11ख	सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	105	—	91	101	93	92	97	78
14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	151	—	133	—	151	50	283	127

14ङ	निर्माण सहायता (परिवार)	101	—	124	198	107	100	445	34
14ग	इंदिरा आवास योजना (आवास)	61	82	67	125	512	110	140	137
14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आवास	94	41	97	100	28	104	152	318
14च	निम्न आयु समूह को मकान	107	76	90	—	102	100	163	0
15	गंदी बस्तियों का सुधार	100	116	129	100	100	100	108	83
16क	शिक्षी भूमि परियोजनारोपण	105	103	95	103	119	104	100	138
18	उचित दर दुकानें	88	—	104	100	—	170	—	—
19क	विद्युतीकृत गांव	115	—	179	79	—	109	77	96
19ख	ग्रामीणीकरण एम्प्लॉयमेंट	164	117	185	—	116	140	93	86
19ग	सुधरे चूल्हे	105	283	119	84	98	49	91	101
19घ	गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	344	102	125	326	91	61	94	102
	औसत	112	137	103	112	123	93	146	47

	अंड० व निको०	चंडीगढ़	दा० व न० ह०	दमन व दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	अखिल भारत
01क एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (परि०)	102	—	102	89	121	102	137	113
01ख जवाहर रोजगार योजना (श्रम दिवस)	70	9	82	73	59	112	116	94
01ग लघु उद्योग इकाई (पंजीकृत)	109	200	100	260	70	92	109	106
05क फालतू भूमि का वितरण	—	—	0	—	—	—	23	62
06 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	—	—	—	—	—	—	—	71
07क सुलझाई गई पेयजल समस्या (गांव)	100	—	—	—	—	0	25	106
08क सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	100	—	—	—	—	0	—	60
08ख प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा० स्वाकें०)	100	—	0	0	—	—	—	42
08ग उप केन्द्र	100	—	0	0	—	—	—	62
08घ बाल प्रतिरक्षण (डीपीटी, पोलियो, बी सी जी)	106	87	103	125	86	91	143	95
09क परिवार नियोजन नसबंदी	102	65	108	113	88	38	146	75
09ख समतुल्य नसबंदी (आई यूडी, सीसी और ओ पी)	115	60	81	52	82	38	129	95
09ग एकीकृत बाल विकास सेवा खंड परि० (संचयी)	100	100	100	100	109	100	100	101
09घ आंगनबाड़ी (संचयी)	101	100	100	73	113	102	92	99
11क सहायता प्राप्त अनु० जाति के परिवार	—	103	—	—	151	—	78	101
11ख सहायता प्राप्त अनु० जन जाति के परिवार	184	—	—	144	—	—	—	115

14क	आवंटित आवास स्थल (परिवार)	84	0	—	—	0	—	100	165
14ख	निर्माण सहायता (परिवार)	275	—	122	86	0	—	75	116
14ग	इंदिरा आवास योजना (आवास)	121	0	591	94	0	0	289	139
14घ	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास	—	0	—	20	7	—	100	33
14च	निम्न आय समूह को मकान	220	0	—	75	16	—	190	117
15	गंदी बस्तियों का सुधार	100	0	—	—	298	—	101	124
16क	निजी भूमि पर वृक्षारोपण	106	101	104	113	86	117	135	101
18	उचित दर दुकानें	460	350	50	0	175	—	480	175
19क	विद्युतीकरण गांव	—	—	—	—	—	—	—	111
19ख	शक्तिचालित पम्पसेट	—	—	—	—	190	—	—	130
19ग	सुधरे चूल्हे	101	10	103	10	101	56	88	115
19घ	गोबर गैस संयंत्र (राज्य)	24	100	200	40	94	—	42	106
	बीसत	131	76	114	77	92	65	128	—

—दर्शाता है कि वर्तमान समय में कार्यक्रम परिचालन में नहीं है।

टिप्पणी : जहां एक से अधिक मौसमों में मद का प्रबोधन एकसूत्र के अंतर्गत किया जाता है।
इन्हें क, ख, ग, इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है।

बंजर भूमि को उत्पादक बनाने हेतु भूमि सेना का गठन

3289. **श्री रवि राय :**
श्री एन० जे० राठवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंजर भूमि को उत्पादक बनाने हेतु भूमि सेना गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) और (ख) पारिस्थितिकी सुधार हेतु "हरित" प्रयासों को बढ़ावा देने और बंजर भूमि के विकास हेतु लोगों को प्रेरित करने तथा ग्रामीण युवकों, भूतपूर्व सैनिक आदि को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आठवीं योजना के दौरान "वानिकी वाहिनियों" की स्थापना करने का प्रस्ताव है। चूंकि आठवीं योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में योजना के ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

केन्द्रीय परियोजनाएं स्थापित करना

3290. **श्री रतिलाल वर्मा :**
श्री राम सिंह काश्यप :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना में कई केन्द्रीय परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की ग्रामीण विकास हेतु धनराशि

3291. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री श्याम लाल कमल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु वर्ष 1993-93 के दौरान कार्यक्रम-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इस मद के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवकों की कुल कितनी संख्या है और इनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवकों की संख्या कितनी है और इनमें से वर्ष 1992-93 के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अनुदानों के मामले में बैंकों की भूमिका की समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	प्रमुख कार्यक्रम	कुल आवंटन (लाख रुपये में)	
		(1991-92)	(1992-93)
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13857.12	13,062.00
2.	ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम)	774.78*	320.00*
3.	जवाहर रोजगार योजना	40974.62*	39,865.89*
4.	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	1386.00	1386.00
5.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	8303.00	5505.00

*केवल केन्द्रीय अंश को दर्शाता है ।

(ग) जुलाई, 1987-जून, 1988 के दौरान किये गये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 43 वें दौर के आधार पर सामान्य स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों की संख्या 5.69 लाख थी । बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के अनुमान तथा उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 में उत्तर प्रदेश में 3.7 लाख परिवारों की सहायता देने का प्रस्ताव है जिनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कम से कम 50 प्रतिशत परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य है । जवाहर रोजगार योजना के तहत 1992-93 में उत्तर प्रदेश के लिये रोजगार सृजन के 1613.57 लाख श्रमदिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिनमें से लगभग 55 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये सृजित किये जाने की संभावना है ।

(च) और (छ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी को बैंक ऋण के साथ मिलाकर लाभार्थियों को दिया जाता है ताकि उन्हें उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियां मुहैया हो सकें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मामले में बैंकों की भूमिका की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है, बैंकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये गए ऋण का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रुपये में)

वर्ष	वितरित की गई सबसिडी	वितरित किया गया बैंक ऋण
1988-89	12784.06	25414.04
1989-90	12533.20	28849.89
1990-91	14517.90	31133.33
1991-92	14150.60	29830.32

[अनुवाद]

आधारभूत सुविधाओं का विकास

3292. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं जुटा कर औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जून, 1988 में एक योजना घोषित की थी जिसके अधीन देश भर में 70 विकास केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। इनमें बिजली, दूरसंचार, पानी और बैंकिंग आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी ताकि उद्योग इन क्षेत्रों की ओर आकृष्ट हों।

(ख) अब तक विभिन्न राज्यों से प्राप्त 28 विकास केन्द्रों की परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित की जा चुकी हैं तथा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए 44 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

बरौनी उर्वरक योजना का विलम्ब स्तर पर कार्यान्वयन

3293. श्री नीतीश कुमार :
डा० महाबीर सिंह शास्त्र :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16, जून, 1992 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "रूरल डेवलपमेंट टु बी डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबल राय) : (क) और (ख) जी, हां। प्रत्येक राज्य में चुनिंदा जिलों में जिला योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, क्षेत्र-विकास कार्यक्रमों तथा क्षेत्रीय स्कीमों का एकीकरण करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में जिन जिलों में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएसी) कार्यान्वित हो रहा है वहां एक शुरूआत करने का विचार है।

(ग) और (घ) ऊपर बताई गई जिला योजनाओं को सम्बद्ध राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी से कार्यान्वित करना होगा। जिला योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन का दायित्व जिला परिषद अथवा जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सौंपा जाएगा।

[अनुवाद]

शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर बल देने के लिए योजना

3299. डा० रमेश चन्द्र तोमर : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों को सहायता देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबल राय) : (क) और (ख) जी, हां केवल शिक्षा के संबंध में मुख्य मंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद् ने दिसम्बर, 1991 में हुई अपनी बैठक में राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता वितरित करने का फार्मूला अनुमोदित किया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ, निष्पादन पर जोर देता है और इसके लिए 7.5 प्रतिशत का अधिभार दिया जाता है जिसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कुछ कार्यक्रम शामिल हैं। इसमें निरक्षरता उन्मूलन शामिल है। इस सबके बावजूद राज्य योजनाओं के वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है :

(1) पहाड़ी क्षेत्र

(2) जनजातीय उपयोजना

(3) उत्तर पूर्वी परिषद्

(4) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम; तथा

(5) अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम ।

सीमा क्षेत्र में शैक्षिक विकास के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हैं । इस कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जाता है । इस कार्यक्रम में राज्य शैक्षणिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ाने के प्रयास करना है ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे/मझोले/बड़े औद्योगिक एकक

3296. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इस समय छोटे, मझोले और बड़े उद्योगों की कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन तीन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में रुग्ण एककों की संख्या कितनी है और उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने एकक बन्द हुए;

(घ) आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1991-92 के दौरान विदेशी सहयोग से स्थापित किये गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्रीमती कुम्मा साहो) : (क) आंध्र प्रदेश में 383 गैर लघु औद्योगिक तकनीकी विकास महानिदेशालय (डी० जी० टी० डी०) के रोल पर है । विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय द्वारा शासित पंजीकरण योजना के अधीन दिसम्बर, 1990 के अन्त तक उद्योग निदेशालय, आंध्र प्रदेश में 85470 लघु एकक पंजीकृत थे ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सितम्बर, 1990 के अंत में आंध्र प्रदेश राज्य में लघु क्षेत्र में 29977 औद्योगिक एकक और गैर लघु क्षेत्र में 128 औद्योगिक एकक रुग्ण थे ।

बैंकों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश में रुग्णता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

1. उत्पादन, प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध में कमी,
2. बिजली की कमी,
3. घरेलू/निर्यात मांग में गिरावट,
4. कच्चे माल की अनुपलब्धता; और
5. दोषपूर्ण आयोजन-तकनीकी अजीब्यता ।

आंध्र प्रदेश राज्य में सितम्बर, 1990 के अंत में गैर लघु क्षेत्र में 64 रुग्ण/कमजोर एककों के बन्द होने की सूचना मिली है। लघु एककों से संबंधित इसी प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों के नाम जिनके पंजीकृत कार्यालय आंध्र प्रदेश राज्य में हैं, विवरण में दिये गए हैं।

(ङ) सामान्यतः विदेशी सहयोग हेतु अनुमोदनों में सहयोग के अधीन स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के स्थानों का उल्लेख नहीं किया जाता है तथा तदनुसार विदेशी सहयोग से किसी विशिष्ट स्थान में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के ब्यौरे केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1991-92 के दौरान विदेशी सहयोग हेतु किए गए अनुमोदनों की कुल संख्या 1222 थी।

विवरण

केन्द्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम जिनके आंध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत कार्यालय हैं।

(1) मै० भारत डायनेमिक्स लिमिटेड

(2) मै० भारत हैवी प्लेट्स एंड वैसल्स लिमिटेड

(3) मै० बी० एम० सी० लिमिटेड

(4) मै० इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

(5) मै० हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड

(6) मै० एच० एम० टी० बियरिंग्स लिमिटेड

(7) मै० मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(8) मै० राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड

(9) मै० प्राग ट्रूल्स लिमिटेड

(10) मै० राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

(11) मै० साउदर्न पेस्टिसाइड्स लिमिटेड

(12) मै० स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

लोक शिकायत निदेशालय

3297. **श्री राम सिंह काश्यप :**
श्रीमती कुलेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक शिकायतों पर गौर करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत एक लोक शिकायत निदेशालय की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) मंत्रिमंडल सचिवालय के अन्तर्गत लोक शिकायत निदेशालय 1-4-1988 से कार्य कर रहा है। यह निदेशालय, बैंकिंग, नागरविमानन, बीमा, डाक, रेलवे, दूरसंचार और शहरी विकास से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करता है जो इसके अधिकार में हैं।

सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता

3298. श्री केसन पी०एस० चौहान : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश जैसे सूखा पीड़ित राज्यों को दी जाने वाली सहायता को उसके वर्ष 1992-93 के वार्षिक योजना आबंटन में समायोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश की विकास योजनाओं पर इस समायोजन का कितना प्रभाव पड़ेगा ?

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) 1992-93 के दौरान राज्यों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राज्यों को सूखा राहत के लिए दी गई अतिरिक्त योजना सहायता के लिए 215.86 करोड़ रुपये की राशि समायोजित की गई है। 215.86 करोड़ रुपये का ब्यौरा (उत्तर प्रदेश के मामले में 25.07 करोड़ रुपये सहित) संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) 1992-93 के लिए 3853 करोड़ रुपये के कुल योजना आकार को ध्यान में रखते हुए राज्यों के विकास कार्यक्रमों पर समायोजन का कोई विशेष प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

विवरण

केन्द्रीय सहायता के जरिए सूखा राहत हेतु राज्यों को दी गई अतिरिक्त योजना सहायता का समायोजन

(करोड़ रु०)

राज्य	1992-93
1	2
आंध्र प्रदेश	22.36
असम	1.85
गुजरात	20.15
हरियाणा	6.72

1	2
हिमाचल प्रदेश	2.56
जम्मू और कश्मीर	2.38
कर्नाटक	13.25
केरल	4.87
मध्य प्रदेश	30.17
महाराष्ट्र	30.71
मणिपुर	0.16
मेघालय	0.04
नागालैंड	0.60
उड़ीसा	6.11
पंजाब	2.92
राजस्थान	20.81
तमिलनाडु	16.93
उत्तर प्रदेश	25.07
जोड़	215.86

[हिन्दी]

उद्योगों के लिए सुरक्षा नीति

3299. **श्री काशीराम राणा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक एककों के लिए सरकार के पास कोई सुरक्षा नीति है;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और उक्त नीति के अन्तर्गत कितने एकक लाभान्वित हुए हैं;

(ग) उन औद्योगिक एककों का ब्यौरा क्या है, जो इस नीति के अन्तर्गत लाभान्वित हुए हैं किन्तु इस सम्बन्ध में अपेक्षित शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(घ) सरकार ने ऐसे औद्योगिक एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (प्रो०पी०के० कुरियन) : (क) से (घ) पूर्णतया लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादनार्थ आरक्षित 836

मदों के मामले में मझौले और बड़े एकक इस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश न कर सकें और लघु उद्योग क्षेत्र को पूरी सुरक्षा मिले इसकी व्यवस्था उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में की गयी है। उन मदों के ब्यौरे दिनांक 25 जुलाई, 1991 की राजपत्र अधिसूचना सं० एस०ओ० 447 (ई) की अनुसूची III में दिये गये हैं। केवल लघु उद्योग क्षेत्र में ही उत्पादनार्थ आरक्षित मदों संबंधी नीति का उल्लंघन करना उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध है।

[अनुवाद]

निर्माण मजदूरों के लिए कानून का सरलीकरण

3300. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिल्डर फेडरेशन ने निर्माण मजदूरों के लिए कानून के सरलीकरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) अखिल भारतीय हिन्दुस्तान निर्माण कर्मकार यूनियन के परिसंघ ने, "वर्तमान भारत में निर्माण श्रमिक" विषय पर 3-11-90 को आयोजित एक संगोष्ठी में पारित एक संकल्प को दिनांक 17-12-90 को सरकार के पास भेजा था। तथापि, उक्त संकल्प में निर्माण कर्मकारों के लिये कानूनों के सरलीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

"इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड" द्वारा विदेशी ठेके

3301. **श्री केसरी लाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के बड़ोदरा एकक ने इंजीनियरिंग प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या उससे विदेशी मुद्रा की आय होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उच्च इंजीनियरी प्लास्टिक के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने के लिए आईपीसीएल ने नीदरलैंड के जी०ई० प्लास्टिक बी०वी० के साथ करार किया है। बड़ौदा में इस परियोजना के प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 15,000 टन इंजीनियरी प्लास्टिक के अर्थात्, ब्लैंड्स और कम्पाउन्ड्स के निर्माण के लिए एक संयंत्र शामिल है। परियोजना की अनुमानित कुंजीगत लागत 44.78 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 125.62 करोड़ रुपए है।

2. अन्य बातों के साथ-साथ करार के निबंधनों और शर्तों में निम्नलिखित का प्रावधान है :-

—आईपीसीएल और जीई प्लास्टिक बीवी, नीदरलैंड 50:50 इक्विटी सहभागिता के आधार पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाएंगे और उसमें सहभागी होंगे।

—संयुक्त उद्यम कंपनी पूंजीगत माल और जानकारी के आयात के लिए वित्त की व्यवस्था विदेशी इक्विटी, विदेशी ऋणों, वाणिज्यिक उधार के माध्यम से करेगी जिसके लिए ऋण सेवा देयता निर्यात से होने वाली आय से कंपनी द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

—कच्चा माल जैसे बेस रेजिन जी०ई० प्लास्टिक, बीवी, नीदरलैंड द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी को अधिमानी मूल्य पर दिया जाएगा।

—कच्चे माल और हिस्से-पुर्जों के आयात की विदेशी मुद्रा लागत निर्दिष्ट क्षेत्रों की निर्यात से होने वाली आय से 30 प्रतिशत तक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पूरी की जानी चाहिए।

3. परियोजना की कुल 125.62 करोड़ रुपए की लागत में से 50.24 करोड़ रुपए के इक्विटी भाग के लिए आईपीसीएल द्वारा रुपयों में 25.12 करोड़ रुपए का योगदान और जी०ई० प्लास्टिक, नीदरलैंड द्वारा 25.12 करोड़ रुपए के समतुल्य विदेशी मुद्रा में इतनी ही राशि दी जायगी।

[अनुवाद]

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

3302. श्री रमेश चेन्निथला : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1991 से 30 जून, 1992 के बीच सेवानिवृत्त हुए सभी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान कर दिया है;

(ख) क्या सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को इन लाभों का उनके सेवानिवृत्त होने की तिथि को भुगतान कर दिया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती पटनायक) : (क) से (ग) पेंशन मंजूरी की पद्धति विकेन्द्रीयकृत आधार पर संचालित होती है। सेवानिवृत्ति को तारीख पर पेंशन तथा उपदान की अनन्तिम अथवा अन्तिम रूप से स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए विभाग/कार्यालयों के अध्यक्षों को जिम्मेदार बनाया गया है।

1-4-1991 से 30-6-1992 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के एक अधिकारी तथा दिल्ली-प्रशासन के अन्तर्गत सहायता प्राप्त एक विद्यालय के एक अध्यापक सहित, केन्द्रीय सरकार के उन पेंशन भोगियों के सम्बन्ध में जिन्हें सेवानिवृत्ति की तारीख को पेंशन की स्वीकृति नहीं की गयी है, बारह शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से तीन शिकायतों को निपटा लिया गया है। शेष मामलों में सम्बन्धित प्राधिकारियों को तेजी से पेंशन की मंजूरी करने के लिए सलाह दी गई है।

महासागर विकास अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान

3303. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महासागर विकास अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थानों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या बिहार में इन संस्थानों को शुरू करने/आधुनिक बनाने तथा इनका विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अण्डमान समुद्र, बंगाल की खाड़ी का अध्ययन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुद्री क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संस्थाओं की राज्यवार सूची विवरण में दी गई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विभिन्न राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, संस्थाओं में मौजूद सुविधाओं का उपयोग अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करन के लिए किया जा रहा है ।

(ङ) और (च) पोर्ट ब्लेयर में महासागर विकास के लिए अंडमान तथा निकोबार केन्द्र (एएनसीओडी) नामक क्षेत्र केन्द्र (फिल्ड सेंटर) की स्थापना निम्नलिखित अध्ययन करने के लिए की गई है ।

(1) अन्डमान तथा निकोबार द्वीपों के समुद्र जल का रसायन ;

(2) गहन तथा अर्ध-गहन तरीकों द्वारा खाराजल झींगा कृषि पर अनुसंधान एवं विकास व प्रदर्शन, तथा

(3) समुद्र तट चढ़ाव के निर्धारण के लिए ज्वारीय आंकड़ों को इकट्ठा करना ।

अनुसंधान जलयानों, सागर सम्पदा तथा कन्या को बंगाल की खाड़ी में तैनात करके समुद्र वैज्ञानिक अध्ययन भी किए जा रहे हैं । इनमें (क) विशेष रूप से 50 मीटर गहराई से आगे अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में सजीव संसाधनों का सर्वेक्षण तथा भण्डार निर्धारण, (ख) समुद्र परिसंचरण नमूना, प्रदूषण मानिटरिंग, प्राथमिक उत्पादकता इत्यादि, सम्मिलित हैं ।

बंगाल की खाड़ी के फैन (फैलाव) कार्यक्रम के अन्तर्गत बंगाल की खाड़ी के भूवैज्ञानिक पहलू के अध्ययन का प्रस्ताव है ।

विवरण

महासागर विकास के पहलुओं से संबंधित राज्यवार अनुसंधान संस्थान

राज्य	संस्थान का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
	राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेन्सी, हैदराबाद
	क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, विशाखापत्तनम
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, विशाखापत्तनम
	क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, विशाखपत्तनम
	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
	नौ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, विशाखापत्तनम
	समुद्री एवं संचार इलेक्ट्रानिक्स (इंडिया) लिमिटेड, विशाखापत्तनम
बिहार	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर
दिल्ली	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली
गोवा	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान
	अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान
गुजरात	केन्द्रीय लवण एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर
	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद

1	2
गुजरात	अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, वेरावल
	क्षेत्रीय केन्द्र केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, वेरावल
	गुजरात मत्स्य जलचर विज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ओखा
कर्नाटक	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सुरथकल मत्स्य कालेज, मंगलौर
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कारवार
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, मंगलौर
	भारतीय विज्ञान संस्थान, मंगलौर
	गणितीय प्रतिरूपण एवं कम्प्यूटर अनुरूपण केन्द्र, मंगलौर
केरल	केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचीन
	समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण, कोचीन
	क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, कोचीन
	केन्द्र मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन
	केन्द्रीय मत्स्य नौ इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन
	नौ भौतिक समुद्र वैज्ञानिक प्रयोगशाला, कोचीन
	एकीकृत मत्स्य परियोजना, कोचीन
	कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन
	भू-वैज्ञानिक अध्ययन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम
	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, त्रिवेन्द्रम
	केरल विश्वविद्यालय त्रिवेन्द्रम

1	2
केरल	केरल इंजीनियरिंग अनुसंधान, पीची
महाराष्ट्र	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई
	मुम्बई विश्वविद्यालय, मुम्बई
	क्षेत्रीय केन्द्र, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान मुम्बई
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, मुम्बई
	तारापुरवाला समुद्री जीव विज्ञान अनुसंधान स्टेशन, मुम्बई
	भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, मुम्बई
	राष्ट्रीय रासायनिक एवं धातुकर्म प्रयोगशाला, मुम्बई
	भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई
	क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण, पुणे
	केन्द्रीय जल शक्ति एवं अनुसंधान स्टेशन, पुणे
	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर
	कोंकड़ कृषि विश्वविद्यालय, रत्नगीरी
	मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद
उड़ीसा	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, सम्बलपुर जिला
	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर
	उड़ीसा सुदूर सर्वेक्षण अनुप्रयोग केन्द्र, भुवनेश्वर
पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय
राजस्थान	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर
तमिलनाडु	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
	अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास

1	2
	मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास
	केन्द्रीय खाराजल जलकृषि संस्थान, मद्रास
	संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, मद्रास
	क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय प्राणिविज्ञान सर्वेक्षण. मद्रास
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, मंडपम
	केन्द्रीय इलेक्ट्रो केमिकल अनुसंधान संस्थान, कारकुडी
	मद्रास तथा टूटीकोरिन में केन्द्रीय इलेक्ट्रो-केमिकल अनुसंधान संस्थान की इकाइयां
	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई
	अन्नमलई विश्वविद्यालय, चिदाम्बरम
	क्षेत्रीय केन्द्र, केन्द्री समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, टूटीकोरिन
उत्तर प्रदेश	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून
	नौ जल सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून
	भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून
	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
	औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ
पश्चिम बंगाल	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता
	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
	भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
	केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुर
	केन्द्रीय अन्तरदेशीय प्रग्रहण मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर

[हिन्दी]

भारतीय भाषाओं का विकास

3304. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं में प्रौद्योगिकी की शब्दावली के विकास हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) किस भाषा में प्रौद्योगिकी की शब्दावली का विकास तेजी से हुआ है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने "भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास" (टी० डी० आई० एल०) नामक एक परियोजना वर्ष 1990-91 में आरम्भ की है।

(ख) टी० डी० आई० एल० के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में अब तक 30 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं :

1. पाठ के मूल तत्व का विकास तथा मशीनी अनुवाद प्रणाली
2. कम्प्यूटर माधित ज्ञानार्जन शिक्षप (सी० ए० एल० टी०) तथा ज्ञानार्जन प्रणाली।
3. प्राकृतिक भाषा संसाधन अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन० एल० पी-टी० टी० पी०)
4. मानव मशीन इन्टरफेस प्रणाली (एच० यू० एम० आई० एस०)

(ग) जिन प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है, वे भारत के संविधान में उल्लिखित सभी 15 भारतीय भाषाओं के लिए लागू हैं।

वैगनों में कम कोयला भरा जाना

3305. **श्री शंकर सिंह बाघेला** :
श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :

क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयले के वैगनों में कम कोयला होने की शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

कोयला उपमन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी, हां। रेलवे वैगनों में कोयले के कम मात्रा में प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं। रेल द्वारा कोयले के संचलन का प्रबन्धन कोयला कम्पनियों द्वारा एक्स-कोलियरी "एफ० ओ० आर०" आधार पर किया जाता है तथा रेलवे की आवली कोलियरी द्वारा अन्तिम रूप में अंकित भार के आधार पर जारी की जाती है। वर्तमान वे-ब्रिजों के बेहतर अनुरक्षण तथा नए वे-ब्रिजों की स्थापना के द्वारा कोयले के

उचित माप का सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लदान/माप तौल स्थलों पर कोयले के लदान तथा माप-तौल का निरीक्षण करने के लिए उपभोक्ता अपने प्रतिनिधि तैनात कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में "कैरी फारवर्ड योजना"

3306. श्री गोपीनाथ मजमदार : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत "कैरी फारवर्ड योजना" की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं। सामान्य नीति के रूप में ऐसा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षित विद्युत संयंत्र

3307. श्री के० प्रधानी : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक कोयला खान द्वारा उत्पादित विद्युत का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या प्रत्येक कोयला कंपनी को अपने रक्षित विद्युत संयंत्र लगाने की सलाह दी दी गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक कोयला कम्पनी ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो कोयला खानों की विद्युत खपत को किस प्रकार पूरा किया जाएगा ?

कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) कोल इंडिया लि० ने कोयला खानों में विभिन्न स्थानों पर कई डीजल आधारित जैनरेटिंग सैट स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 20 मे० वा० की क्षमता वाले तीन कोवलस पर आधारित ग्रहीत विद्युत गृहों को ई० सी० एल०, बी० सी० सी० एल० और सी० सी० एल० में तीन स्थानों पर सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई है।

गहरी भूमिगत खानों में सुरक्षा और वातायन रखने और रोशनी तथा पंपिंग सेवाओं के सुचारु चलने का सुनिश्चय करने के लिए आपातकालीन विद्युत आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के लिए इन ग्रहीत विद्युत गृहों की स्थापना की गई है। चूंकि वाशरी क्रियाकलाप भी बिजली चले जाने के प्रति संवेदनशील है, अतः कोकिंग कोयला वाशरियों को भी इन ग्रहीत गृहों से विद्युत की आपूर्ति की जाएगी।

इस तथ्य के कारण कि कोयला खानों की बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है और बिहार से आपूर्ति स्थिति असंतोषजनक बनी हुई है, अतः सी० आई० एल०, विभिन्न स्थानों पर कोयला पर आधारित ग्रहीत विद्युत ग्रहों की स्थापना करने की योजना बना रही है। इन ग्रहों का आकार निम्नलिखित पर निर्भर करेगा – भूमिगत खानों और कोकिंग कोयला वाशरियों की विद्युत की मांग, सेवा किए जाने वाले क्षेत्र और पारेषण प्रणाली की क्षमता।

जर्मनी में भारत महोत्सव

3308. श्री हरिन पाठक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जर्मनी से 1993 में भारत महोत्सव आयोजित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ नगरों के किन-किन केन्द्रों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस महोत्सव के लिए की गई व्यवस्था की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलेरो) : (क) से (घ) सिद्धान्त रूप में इस बात पर सहमति हुई है कि जर्मनी की सरकार 1993-94 के दौरान भारत में जर्मन-महोत्सव का आयोजन करेगी। इस महोत्सव के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना

3309. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कुडनकुलम में परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या पूर्व सोवियत संघ ने इस परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना को किसी अन्य विश्वविद्यालय के सहयोग से अथवा स्वतंत्र रूप से शुरू करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले दो सोवियत वी० वी० ई० आर० का निर्माण करने और उनका परिचालन करने में सहकार करने के लिए 20 नवम्बर, 1988 को एक अन्तःसरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि अन्तःसरकारी करार को कार्यान्वित करने के लिए संतोषजनक रूप से प्रगति की जा रही थी, लेकिन तत्कालीन सोवियत संघ में पिछले दो वर्षों में हुए आकस्मिक और अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाओं से काफी अनिश्चितता की

स्थिति पैदा हो गई है। बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए दायित्वों की पुनः पुष्टि करने और उन्हें फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है जिसके लिए सोवियत रूस राज्य संघ के साथ बातचीत करना जरूरी है।

(घ) प्रस्तावित परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए वैकल्पिक कदम उठाने का प्रश्न इस समय उठता ही नहीं।

(ङ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

पंजाब में मारुति के अधिकृत विक्रेता

3310. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में मारुति के अधिकृत विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति तारीख क्या है और उनका वाणिज्यिक क्षेत्र कहां तक है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में मारुति के अधिकृत विक्रेताओं में से किसी के विरुद्ध उसके व्यवहार, लेन-देन, अनियमितता बरतने तथा नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विक्रेताओं का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुगन) : (क) पंजाब में मारुति के प्राधिकृत डीलरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

डीलर का नाम	नियुक्ति की तारीख	वाणिज्यिक क्षेत्र
(1) सैनी मोटर्स	अगस्त '86	लुधियाना, फरीदकोट, संगरूर,
स्वानी मोटर्स	जून '85	भटिण्डा, अमृतसर, फिरोजपुर, जालंधर, कपूरथला, गुरुदासपुर, और होशियारपुर
(2) हीरा आटोमोबाइल्स	अगस्त '89	पटियाला
(3) पास्को आटोमोबाइल्स	अप्रैल '83	चण्डीगढ़, संघ क्षेत्र और रूपनगर
मॉडर्न आटोमोबाइल्स	फरवरी '85	(पंजाब) तथा अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जीन्द, हिसार, सिरसा (सभी हरियाणा में स्थित) और समस्त हिमाचल प्रदेश राज्य।

(ख) और (ग) पंजाब में प्राधिकृत डीलरों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मारुति उद्योग लिमिटेड को प्राप्त हुई हैं परन्तु ये शिकायतें देश के अन्य भागों के डीलरों के विरुद्ध मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए असाधारण नहीं हैं। इन शिकायतों पर कार्रवाई कंपनी के नियमों और विनियमों के अनुसार की जाती है।

सीमेंट पर उपकर

3311. **श्री शशि प्रकाश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट पर उपकर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कर का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी यूनिट में घाटा

3312. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री राजेश कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में सिन्दरी स्थित भारतीय उर्वरक निगम का एकक भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिन्दरी एकक द्वारा उठायी गयी हानियां निम्नानुसार थीं :

वर्ष	हानि (रु० करोड़ों में)
1989-90	29.75
1990-91	40.91
1991-92 (अनन्तिम)	43.32

(ग) से (ङ) दि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) अपने सिन्दरी एकक का 16.23 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पुनरुद्धार कर रहा है और कम्पनी

ने योजना पर अब तक रु० 3.3 करोड़ व्यय किया है। तथापि, निधि के अभाव में आगामी कार्य को रोक दिया गया है।

एफ० सी० आई० में अपने विभिन्न एककों जिनमें सिन्दरी भी शामिल है, के पुनर्नवीकरण/पुनर्वास तथा वित्तीय पुनर्संरचना के सम्बन्ध में भी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। तथापि, इन प्रस्तावों का अन्तिम परिणाम उनकी वित्तीय तथा तकनीकी व्यवहार्यता, बजटीय संसाधनों के माध्यम से निधियों के आबंटन तथा रसायन उद्योग पर त्रिपक्षीय समिति के विचार पर निर्भर करेगा। कम्पनी ने अपने प्रस्तावों को बी० आई० एफ० आर० को भी भेजा है। कम्पनी को इसकी राज सहायता की बकाया राशि का भी नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

भारतीय उर्वरक निगम में आरक्षित पदों को अनारक्षित करने का आरोप

3313. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने आरक्षित पदों की अनारक्षित करने पर प्रतिबंध के बावजूद आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो श्रेणी/संवर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) और (ख) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के बारे में अनारक्षण पर 1 अप्रैल, 1989 से प्रतिबन्ध लगा हुआ है। सीधी भर्ती द्वारा भरा जाने वाला कोई भी आरक्षित पद उस तारीख से अनारक्षित नहीं किया गया है।

सामरिक हथियारों में कटौती के संबंध में अमरीका-रूस समझौता

3314. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामरिक हथियारों में कटौती के संबंध में अमरीका और रूस के बीच हाल में हुए समझौते की जानकारी है;

(ख) यदि हां, उसे समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार के विचार मे इस समझौते के परिप्रेक्ष्य में विश्व शांति तथा निरस्त्रीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार का विश्वास है कि ऐसा समझौता एक महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक कदम है। लेकिन परिकल्पित इस कटौती के बाद भी दोनों पक्षों के पास बड़ी मात्रा में नाभिकीय अस्त्रों के भंडार रहेंगे। निःसन्देह इस समझौते में नाभिकीय हथियार सम्पन्न शक्तियों के भंडारों को शामिल नहीं किया गया है। सरकार का मानना है कि एकपक्षीय या द्विपक्षीय कार्यक्रमों के जरिये सम्पन्न शस्त्र कटौती समझौते बहुपक्षीय नाभिकीय निरस्त्रीकरण वार्ताओं का स्थानापन्न नहीं है जिसे समय-बद्ध ढांचे के अंतर्गत न्यूक्लीयर हथियारों की समाप्ति के उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए।

विवरण

रूसी राष्ट्रपति बेरिस येल्तसिन की अमरीका यात्रा के दौरान 17 जून, 1992 को अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर सम्पन्न हुआ था। इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं है :

अमरीका और रूस संघ में अनुसमर्थन प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात एस० टी० ए० आर० टी० संधि के लागू हो जाने पर 7 वर्ष की अवधि के भीतर अमरीका और रूस संघ अपने-अपने सामरिक बलों को कम करके अधिक से अधिक निम्नलिखित तक सीमित कर लेंगे :

(1) प्रत्येक के लिए वारहैड की समग्र संख्या 3800 और 4250 के बीच;

(2) 1200 मिरविड आई० सी० बी० एम० वारहैड;

(3) 650 हैवी आई० सी० बी० एम० वारहैड;

(4) 2160 एस० एल० बी० एम० वारहैड;

वर्ष 2003 तक (या उस स्थिति में वर्ष 2000 के अन्त तक यदि अमरीका रूस में सामरिक आक्रामक शस्त्रों को समाप्त करने या नष्ट करने में होने वाले खर्च में अंशदान कर सकें) और;

(1) वारहैड की समग्र संख्या को कम करके प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक 3000 और 3500 के बीच सीमित कर लेंगे।

(2) सभी मिरविड आई० सी० बी० एम० समाप्त कर देंगे।

(3) एस० एल० बी० एम० वारहैड को कम करके अधिक से अधिक 1700 से 1750 के बीच सीमित कर देंगे।

उसी बैठक में दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों को बालिस्टिक मिसाइल और सम्मूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के सम्बन्ध में समग्र नीति के अंग के रूप में सार्वभौमिक संरक्षण व्यवस्था की संकल्पना को विकसित करने के लिए अपने सहयोगियों और अन्य इच्छुक पक्षों के साथ मिल कर कार्य करना चाहिए।

कोयले के मूल्यों में अन्तर

3315. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कोयला क्षेत्रों से निकाला गया कोयला अलग-अलग मूल्यों पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सारे देश में एक समान ग्रेड का कोयला एक ही मूल्य पर बेचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० श्यामगौड) : (क) और (ख) सामान्यत: कोल इंडिया लि० द्वारा भारित पिट-हैड कीमतें, खान क्षेत्र/कंपनी वार कोयला

उत्पादित किया गया है, को ध्यान में रखे बिना एक ही ग्रेड के कोयले के लिए समान कीमत रखी जाती है। किन्तु, रानीगंज और को रिया-रीवा कोलफील्ड्स की विशिष्ट कोलियरियों में उत्पादित सुपर ग्रेड अ-कोककर कोयले (ग्रेड "ए" से "डी") के लिए 10 प्रतिशत प्रीमियम मूल्य लिया जाता है। असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश द्वारा उत्पादित ग्रेड रहित कोयले के लिए पृथक मूल्य अधिसूचित किए गए हैं। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के मामले में पिट-हैड मूल्य यद्यपि कोल इण्डिया लि० द्वारा किए गए मूल्यों से भिन्न हैं, किन्तु कम्पनी का किसी खान/क्षेत्र में उत्पादित कोयले के उसी ग्रेड के लिए एक ही रखा मूल्य लिया जाता है।

उपभोक्ता के लिए कोयले का भूमिगत मूल्य परिवहन प्रभारों और विभिन्न राज्यों में लगाए गए करों की विभिन्न दरों के कारण भिन्न हैं।

(ग) सम्पूर्ण देश में बेचे जाने वाले एक किस्म के कोयले के लिए एक समान मूल्य, उत्पादन लागत में, कर की दरों में और परिवहन लागत में भिन्नता होने के कारण संभव नहीं है।

निम्नलिखित कारणों से कोयले के लिए एक समान भाड़ा योजना लागू करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है :

(1) कोयला एक कम कीमत की ऊंची मात्रा वाली वस्तु है इसलिए इसकी सुपुर्दगी लागत में भाड़े की एक अहम भूमिका है।

(2) कोयले को काफी स्थानों पर उत्पादित किया जाता है और इसका उत्पादन कई ग्रेडों में किया जाता है। कई उत्पादन केन्द्रों के लिए और विभिन्न ग्रेडों के लिए भाड़े में समानता किए जाने से कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी।

(3) कोयले के भाड़े में समानीकरण किए जाने से कोयला क्षेत्रों के पास रहने वाले उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ अंतरित हो जाएगा और आर्थिक सिद्धांत के अनुसार इसका श्रेष्ठतम (आपटिमम) स्तर के साथ भी अवरोध हो जाएगा और प्रयोगकर्ता उद्योगों के स्थलीकरण मामले में इससे परिहार्य फजूलखर्ची हो जाएगी।

स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

3316. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों में "स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति" योजना लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों, मजदूर संघों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना में किए जाने वाले संशोधित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) और (ख) सरकार ने अक्तूबर, 1988 में प्रांचलें अधिसूचित कर दिये थे, जिनके आधार पर सरकारी क्षेत्र के उद्यम-विशेष के प्रबन्धन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायी जा सकती है। चूंकि इस योजना में स्वैच्छिक रूप से उद्यम से अलग/सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए, आकर्षक अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रस्ताव है, इसलिए इसे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने अपना लिया है। इस योजना को अपनाने अथवा न अपनाने के बारे में किसी प्रकार का विचार-विमर्श कर्मचारी संघों तथा प्रबन्धन के बीच किया जाता है। चूंकि यह योजना केवल केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए तैयार की गई है, इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैंड में खाद्यान्न घोटाला

3317. श्री समत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले 3 जून, 1992 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "एपीक 12 करोड़ फूड स्कैंडल रॉक्स नागालैंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इस घोटाले की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और इस घोटाले में शामिल पाए गए प्राइवेट ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) इस समय यह मामला किस स्तर पर विचाराधीन है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : (क) जी हां।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड द्वारा यूरिया का उत्पादन

3318. श्री एम० के० राठिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड के हजीरा स्थित संयंत्र में यूरिया का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड ने वर्ष 1992-93 के लिए यूरिया के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कौन से संयंत्र ने यूरिया का रिकार्ड उत्पादन किया ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) हजीरा संयंत्र द्वारा उत्पादित यूरिया की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :

वर्ष	उत्पादन (मी० टन)
1990-91	17,17,730
1991-92	17,00,242

(ख) 1992-93 के लिए यूरिया का निर्धारित लक्ष्य 16.00 लाख टन है ।

(ग) यथार्थ रूप में 1991-92 के दौरान कृषक भारती को-आपरेटिव लि० के हजीरा संयंत्र द्वारा यूरिया की उच्चतम मात्रा उत्पादित की गयी थी । तथापि प्रतिशत क्षमता उपयोगिता के रूप में गोवा स्थित मै० जुआरी एग्रो केमिकल लि० के गैस पर आधारित संयंत्र द्वारा 128% क्षमता उपयोगिता प्राप्त करके कीर्तिमान स्थापित किया गया ।

[अनुवाद]

अनुसंधान परियोजनाएं

3319. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वित्तपोषित विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं पर वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी हैं;

(ख) 1991-92 के दौरान इन अनुसंधान परियोजनाओं में लगे अनुसंधान संस्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 तथा 1 अप्रैल, 1992 तक इन अनुसंधान परियोजनाओं का कुल संख्या अलग-अलग क्या थी; और

(घ) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान में किन-किन क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए चुना गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों के द्वारा वित्त पोषित कक्षेत्तर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर कुल अनुमानित परिव्यय 130 करोड़ रुपये हुआ था ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों द्वारा जिन अनुसंधान संस्थानों को अनुसंधान कार्य के लिए धन दिया गया उनके नामों की सूची विवरण-I में दी गई है। वर्ष 1991-92 की सूचना करीब-करीब इतनी ही होगी।

(ग) प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/एजेंसियों द्वारा एक वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की कुल (औसतन) संख्या लगभग 1100 है जिनकी अवधि सामान्यतः तीन वर्ष है।

(घ) वित्तपोषण के लिए निश्चित किए गए मुख्य-मुख्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षेत्रों में कृषि विज्ञान, जैव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, भू-विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान और भौतिक विज्ञान शामिल हैं।

विवरण

ए० बी० सी० कालेज, मनामपंडल।

वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर।

कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर।

अहमदनगर कालेज, अहमदनगर।

वायुयान रखरखाव प्रशिक्षण केन्द्र, हिंडन।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

आमला कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, त्रिचूर।

आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम।

अन्ना विश्वविद्यालय, मद्रास।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय, पारंगीपिटाई।

अरिनगर अन्ना मैमोरियल कैंसर संस्थान, कांचीपुरम।

कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेज, चालीसगांव।

असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहट।

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया, पुणे।

अविनाशिलिंगम इन्स्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजूकेशन फार वूमेन, कोयम्बतूर।

बी० जे० मेडिकल कालेज, अहमदाबाद।

बी० एम० एस० इंजीनियरिंग कालेज, बंगलौर।

बी० एन० एस० बंदोदकर कालेज आफ साइंस, बम्बई।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर।

बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर।

बरेली कालेज, बरेली।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा।

बरहामपुर विश्वविद्यालय, बरहारपुर।

भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल।

भरथीयार विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर।

भरथीदसन विश्वविद्यालय, तिरुचिरापल्ली।

भारतीय एग्रो इन्डस्ट्रीज फाउंडेशन, पूणे।

बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, नाडिया।

बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान, सिन्दरी।

बीरबल साहनी पुरा वनस्पति संस्थान, लखनऊ।

बिरला इस्टीट्यूट आफ साइंटिफिक रिसर्च, गैजीयाबाद।

बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची।

बिरला कृषि विश्वविद्यालय, रांची।

बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई।

बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।

बर्दवान विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

सी० एस० आई० आर० सैन्टर फार केमिकल्स, दिल्ली।

सी० टी० आर० आई रिसर्च स्टेशन, हुन्सर।

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता।

कालीकट्ट विश्वविद्यालय, कालीकट्ट।

कैन्सर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बम्बई।

सेन्ट्रल कालेज, बंगलौर।

सैन्ट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ।

सैन्ट्रल इलैक्ट्रो कैमिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, टूटीकोरिन।

सैन्ट्रल फूड टेक्नोलोजिकल रिमर्च इन्स्टीट्यूट, मैसूर।

सैन्ट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता।

सैन्ट्रल हिमालयन एनवायरमेन्टल एसोसिएशन, नैनीताल।

सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट फार काटन रिसर्च, नागपुर।

सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, भोपाल।

सैन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अडयार।

सैन्ट्रल लेपरोसी टिचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चैंगलपट्टू, केसरगोड।

सैन्ट्रल मशीन टूल इंस्टीट्यूट, बंगलौर।

सैन्ट्रल प्लांटेशन क्रोशस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केसरगोड।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कलकत्ता।

सैन्ट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक।

सैन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली।

सैन्ट्रल साल्ट एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर।

सैन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्ट आर्गेनाइजेशन, चंडीगढ़।

केन्द्रीय रबड़ प्रौद्योगिकी संस्थान, राजामुन्दरी।

बैचरसायन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सैन्ट्रल फार सेलूलर एंड मोलीक्यूलर बायलोजी, हैदराबाद।

सैन्टर फार अर्थ साइंस स्टडीज, तिरुवनतपुरम।

सैन्टर फार इंडियन मिडिल एटमोसफेयर प्रोग्राम, लखनऊ।

सैन्टर फार रीजनल इकनोमिक एंड साइस स्टडीज इन डेवलेपमेन्ट आफ्टर हैरिज, कलकत्ता।

सैन्टर फार रिसर्च प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली।

सैन्टर फार वाटर रिसोर्सिस डेवलेपमेन्ट एंड मैनेजमेन्ट, कालीकट्ट ।

सैम्पी कालेज आफ आर्ट्स एंड साइंस, पणजी ।

क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर ।

क्रिश्चियन कालेज, मद्रास ।

क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लूर ।

कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन ।

कोयम्बतूर प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बतूर ।

इंजीनियरिंग कालेज, मद्रास ।

मालिय्की कालेज, मंगलौर ।

कालेज आफ फारमेसी, बम्बई ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्, लखनऊ ।

दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा ।

डिफेंस साइंटिफिक इंफारमेशन एण्ड डाकूमेंटेशन सेन्टर, दिल्ली ।

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर ।

दास अनुसंधान निदेशालय, कानपुर ।

डा० ए० एल० मुदरियार पी० जी० इंस्टीट्यूट आफ बेसिक मेडिकल साइंसेज, मद्रास ।

डा० एस० एन० मेडिकल कालेज, जोधपुर ।

डा० वाई० एस० परमार विश्वविद्यालय, सोलन ।

डा० वाई० एस० परमार बागवानी एवं वन अनुसंधान केन्द्र विश्वविद्यालय, कुल्लू ।

ब्राइट मानिटरिंग सेल, बैंगलौर ।

बूंगर कालेज, बीकानेर ।

ई० एम० ई० स्कूल, बड़ौदा ।

इकोलोजिकल सोसाइटी, पुणे ।

इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च एण्ड डवलमेंट सेन्टर, तिरुअनन्तपुरम ।

इंजीनियरिंग कालेज, कोटा ।

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ।

फाउंडेशन फार मेडिकल रिसर्च, बम्बई।

गोबिन्द बल्लभ पंत हिमालयन इन्वारनमेंट डवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अलमोड़ा।

जी० बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंत नगर।

गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल।

गोहाटी मेडिकल कालेज, गोहाटी।

गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, नागपुर।

गोआ मेडिकल कालेज, गोआ।

गोआ विश्वविद्यालय, गोआ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर।

ग्राण्ट मेडिकल कालेज, बम्बई।

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द।

गुजरात कैंसर अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।

गुजरात कम्यूनिकेशन एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बड़ौदा।

गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी, बड़ोदरा।

गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।

गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबरगा।

गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

गुरु नानक आई सेण्टर, नई दिल्ली।

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

हरियाणा दूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र, हिसार।

हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कांगड़ा।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

आई० बी० पी० कम्पनी लि०, नासिक।

आई० आई० टी०, बम्बई।

आई० आई० टी०, नई दिल्ली।

आई० आई० टी०, कानपुर ।

आई० आई० टी०, खड़गपुर ।

आई० आई० टी०, मद्रास ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

भारतीय वायु सेना, नई दिल्ली ।

इंडियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन ऑफ साइंस, कलकत्ता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बंगलोर ।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

भारतीय तार भौतिकी संस्थान, बंगलोर ।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलोजी, कलकत्ता ।

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टैक्नोलोजी, हैदराबाद ।

भारतीय भू चुम्बकत्व संस्थान, बम्बई ।

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलोर ।

भारतीय ऊष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ।

भारतीय विश्व संस्कृति, बंगलोर ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद ।

इंडियन सोसाइटी आफ स्केवाइल साइंस, हैदराबाद ।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, नई दिल्ली ।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ।

इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला ।

इंडस्ट्रीयल टोक्सीकोलोजी रिसर्च सेण्टर, लखनऊ ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान, गौहाटी ।

इंस्टीट्यूट आफ आरमामेंट टेक्नोलोजी, पुणे ।

इंस्टीट्यूट आफ ऐविऐशन मेडिसन, बंगलोर ।

इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ, मद्रास ।

इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ ।

भू-वैज्ञानिक संस्थान, हैदराबाद ।

इंस्टीट्यूट आफ पी० जी० मेडिकल ऐजूकेशन एंड रिसर्च, कलकत्ता ।

कागज प्रौद्योगिकी संस्थान, सहारनपुर ।

इंस्टीट्यूट आफ पेथिओलोजी, नई दिल्ली ।

इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर ।

इंटर यूनिवर्सिटी सैण्टर फार एस्ट्रोनोमी एण्ड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे ।

जे० एन० इंस्टीट्यूट आफ पी० जी० मेडिकल एजूकेशन एंड रिसर्च, पांडिचेरी ।

जे० एन० टी० यू० कालेज आफ इंजीनियरिंग, काकिनाडा ।

जे० एस० एस० मेडिकल कालेज, मैसूर ।

जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।

जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू ।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ।

जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर ।

के० ए० पी० जी० डी० कालेज, इलाहाबाद ।

के० जी० मेडिकल कालेज, लखनऊ ।

कल्याण महाविद्यालय, भिलाई ।

कल्याणी गोरक्षण ट्रस्ट, कराड ।

कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी ।

कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।

कर्नाटक राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, बंगलोर ।

कश्मीर यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, श्रीनगर ।

कस्तूरबा मेडिकल कालेज, मणिपाल ।

केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर ।

केरल विश्वविद्यालय, तिरुवअनन्तपुरम ।

किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ ओनकोलोजी, बंगलोर ।

कृष्ण इंस्टीट्यूटी आफ मेडिकल साइंस, कराड ।

कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल ।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।

एस० एस० आर० एम० मेडिकल कालेज, मेरठ ।

लोकमान्य तिलक म्यूनिसीपल मेडिकल कालेज, बम्बई ।

लोयोला कालेज, मद्रास ।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक ।

एम० ई० एस० कालेज आफ आर्ट्स, साइंस एण्ड कामर्स, बंगलोर ।

एम० एल० बी० मेडिकल कालेज, झांसी ।

एम० आर० इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर ।

एम० एस० यूनिवर्सिटी, बड़ौदा ।

मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल ।

मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास ।

मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।

मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै ।

मदुरै मेडिकल कालेज, मदुरै ।

महाराष्ट्र एसोसिएशन फार कल्टिवेशन आफ साइंस, पुणे ।

महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, पुणे ।

मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली ।

मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलागंगोत्री ।

मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल ।

मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परबनी ।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।

मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली ।

मेडिकल कालेज, रोहतक, रोहतक ।

मेडिकल कालेज, तिरुवअनन्तपुरम, तिरुवअनन्तपुरम ।

मेरठ कालेज, मेरठ ।

मिजोरम विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, ऐजल ।

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद ।

मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर ।

एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा ।

नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर ।

नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर ।

नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद ।

नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर ।

नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ ।

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे ।

नेशनल कोआप्रेटिव डिवेल्पमेंट कार्पोरेशन, वाराणसी ।

नेशनल डेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल ।

नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर ।

नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद ।

नेशनल इस्टीट्यूट आफ साइंस, टेक्नालोजी एंड डिवेल्पमेंट स्टडीज, नई दिल्ली ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कोलेरा एण्ड एंटरिक डिसीजिज, कलकत्ता ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ।

नेशनल इस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एंड न्यूरोसाइंसिज, बंगलोर ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी, बम्बई, बम्बई ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी, कोचीन, कोचीन ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी, गोवा, गोवा ।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम ।

नेशनल मिनरल डिवेल्पमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद ।

नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, नई दिल्ली ।

नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फार कन्जर्वेशन आफ कल्चर प्रापर्टी, लखनऊ ।

नेशनल रिसर्च सैण्टर फार स्पाइसिस, कालीकट ।

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, दिल्ली ।

निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, हैदराबाद ।

नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जिलिंग ।

नार्थ इस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग ।

नार्दर्न रेलवे सैण्ट्रल हास्पिटल, नई दिल्ली ।

उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।

उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद ।

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।

पी० जी० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, चण्डीगढ़ ।

पी० एस० जी० कालेज आफ टैक्नोलोजी, कोयम्बटूर ।

पाछुंगा यूनिवर्सिटी कालेज, ऐजा ।

फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद ।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी ।

पुणे विश्वविद्यालय, पुणे ।

पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, कोयम्बटूर ।

प्रेसीडेन्सी कालेज, कलकत्ता, कलकत्ता ।

प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिवेल्पमेंट अथारिटी, कोचीन ।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।

पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।

पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।

पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला ।

आर० डी० विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

आर० वी० कालेज आफ इंजीनियरिंग, बंगलोर ।

राजऋषि गवर्नमेंट कालेज, अलवर ।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।

राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा ।

राम लाल आनन्द कालेज, नई दिल्ली ।

रीजनल कैंसर सेण्टर, तिरुवअनन्तपुरम ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली ।

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल ।

रीजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल ।

रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, भोपाल ।

रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, भुवनेश्वर।

रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जम्मू-तवी।

रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहाट।

रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, तिरुवअनन्तपुरम।

रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।

एस० सी० बी० मेडिकल कालेज, कटक।

एस० सी० टी० आई० एम० एस० टी०, तिरुवअनन्तपुरम।

एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर।

एस० एन० बोस नेशनल सेण्टर फार बेसिक साइंसिज, कलकत्ता।

एस० एन० डी० टी० वूमैन यूनिवर्सिटी, बम्बई।

एस० पी० आई० सी० साइंस फाउंडेशन, मद्रास।

एस० वी० मेडिकल कालेज, तिरुपति।

एस० वी० रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत।

सेक्रेड हार्ट कालेज, कोचीन।

सम्बलपुर विश्वविद्यालय, सम्बलपुर।

संजय गांधी पी० जी० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसिज, लखनऊ।

सरदार पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वल्लभ विद्यानगर।

सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट।

सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे।

स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता।

सी एक्सप्लोसर इंस्टीट्यूट, कलकत्ता।

सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई।

शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर।

श्रीराम इंस्टीटयूट फार इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली।

सोसाइटी फार रिसर्च आन हेमाटोलोजी एण्ड ब्लड ट्रांस्फ्यूजन, कलकत्ता

श्री जयचामाराजेन्द्र कालेज आफ इंजीनियरिंग, मैसूर।

श्री कृष्ण देवेरैया विश्वविद्यालय, अनन्तपुर।

श्री रामाकृष्णा आश्रम, कलकत्ता ।

श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरुपति ।

सेंट जॉन कालेज, आगरा ।

सेंट जॉन मेडिकल कालेज, बंगलोर ।

सेंट जोसफ कालेज, तिरुचिरापल्ली ।

स्टील इंडस्ट्रीज केरल लिमिटेड, त्रिचूर ।

सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर ।

सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर ।

तमिलनाडु अरासू मेडिकल साइंस एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मद्रास ।

तमिल विश्वविद्यालय, तंजावूर ।

टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली ।

टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई ।

टाटा रिसर्च डिवेल्पमेंट एण्ड डिजाइन सेंटर, पुणे ।

थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, पटियाला ।

त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतल्ला ।

ट्रापिकल बोटेनिक गार्डन एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तिरुवअनन्तपुरम ।

ट्यूबरकुलोसिस सेंटर, नई दिल्ली ।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज, कलकत्ता, कलकत्ता ।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिज, दिल्ली, दिल्ली ।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ साइंस, कलकत्ता, कलकत्ता ।

यूपट्रान इंडिया लि०, लखनऊ ।

उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।

वेल्लालर कालेज आफ वूमैन, इरोडे ।

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।

विश्वभारती यूनिवर्सिटी, शांतिनिकेतन ।

विश्वेश्वरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, बंगलोर ।

विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी ।

विवेकानन्द केन्द्र योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर।

वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालय जियोलोजी, देहरादून।

जैड० एच० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, अलीगढ़।

जाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली।

मानकीकरण के लिए संस्थान

3320. श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानकीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो तथा मानकीकरण जांच और गुणवत्ता नियन्त्रण केन्द्र जैसे अलग-अलग संस्थान होने के क्या कारण हैं;

(ख) इन संस्थानों का आपस में विलय करने और भारतीय मानक ब्यूरो के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या प्रयास करने का विचार है; और

(ग) इस विलय से अनुमानत; कितनी बचत होगी ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) भारतीय मानक ब्यूरो के अलावा, अन्य संगठन भी विभिन्न अधिनियमों/विनियमों/नियन्त्रण आदेशों, आदि के तहत मानक तैयार करते हैं।

(ख) इन संगठनों के विलयन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन बोर्ड

3321. श्री मोहन रावले : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1968 में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को यह निदेश जारी किये थे कि परम्परा के आधार पर राज्य सरकार का एक अधिकारी प्रबंधन बोर्ड के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व देने हेतु भर्ती संबंधी मामलों में परामर्श लिया जाएगा, जिसे इस मामले से सम्बद्ध किया जाएगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र के सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने उपर्युक्त निदेशों का पालन किया है;

(ग) महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों ने इन निदेशों का पालन नहीं किया है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री वी० के० पुंगन):(क) से (घ) इस आशय का कोई निर्देश अथवा कोई ऐसी परंपरा नहीं है जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम को अपने निदेशक मण्डल में, राज्य सरकार के एक अधिकारी को शामिल करना पड़े। बहरहाल, 1968 में ऐसे मामले निर्देश जारी किये गये थे जिनमें उपक्रमों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं में भर्ती से संबंधित मामलों में सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा

अपनाये जाने वाले सामान्य सिद्धांत निर्धारित किये गये थे। इन मार्ग निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को, अधिमान्यतः राज्य सरकार के उस अधिकारी को, जो परियोजनाओं में सभी मध्यस्तरीय अथवा उच्च तकनीकी अथवा गैर-तकनीकी पदों पर भर्ती के लिये गठित चयन समिति के निदेशक मण्डल में हो, शामिल करने की व्यवस्था है। ये मार्ग निर्देश कोई निर्देश नहीं है बल्कि एक सलाह मात्र है जिसे उनकी परियोजनाओं के पदों पर भर्ती करते समय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के निदेशक मण्डलों, प्रबन्ध निदेशकों/अध्यक्ष द्वारा ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। विभिन्न राज्यों में स्थित सरकारी क्षेत्र के परियोजनाओं के मामले में इन मार्ग निर्देशों के कार्यान्वयन का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है क्योंकि ऐसे मार्ग निर्देशों के कार्यान्वयन का परिवीक्षण (मानीटर) करना आवश्यक नहीं समझा गया है जो कि सलाहकारी किस्म के हैं।

केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र द्वारा केन्द्रों की स्थापना

3322. **श्री एम० डेनिस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां केन्द्रीय इलैक्ट्रॉनिक अनुसंधान और विकास केन्द्र ने अपने केन्द्र खोले हैं; और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान इनका कार्य निष्पादन संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग ने तिरुवनन्तपुरम (केरल), पुणे (महाराष्ट्र), कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), मोहाली (पंजाब) तथा लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों (ई० आर० एण्ड डी० सी०) की स्थापना की है।

(ख) वर्ष 1991-92 में ई० आर० डी० सी० के कार्य-निष्पादन तथा अब तक आवंटित धनराशि के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विभिन्न इलैक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों में कार्य निष्पादन तथा उनमें आवंटित धनराशि

ई० आर० एण्ड डी० सी०, तिरुवनन्तपुरम :

यह केन्द्र कम्प्यूटर तथा संचार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धि, नियंत्रण तथा यंत्रीकरण, रक्षा इलैक्ट्रॉनिकी, जन संचार और विद्युत इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास के कार्य कर रहा है। इस केन्द्र में लगभग 400 कर्मचारी हैं तथा मार्च, 1992 तक इस केन्द्र को 134 लाख रुपये की धन राशि उपलब्ध कराई गई है। जनवरी, 1992 में 18 उत्पादों की तकनीकी जानकारी 36 विनिर्माताओं को अंतरित की गई है। इस केन्द्र ने देश में आई० बी० एम० मेनफ्रेम पर आधारित प्रथम साफ्टवेयर प्रशिक्षण तथा विकास केन्द्र (एस० टी० डी० सी०) की स्थापना भी की है। एस० टी० डी० सी० ने फरवरी, 1992 में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

ई० आर० एण्ड डी० सी०, पुणे :

ई० आर० एण्ड डी० सी०, पुणे इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा मेल्ट्रॉन का एक संयुक्त उद्यम है। इस केन्द्र को मार्च, 1990 में शुरू किया गया तथा यह मुख्यत: विपणन योग्य उत्पादों तथा संचार और सामरिक तथा औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में प्रणालियों का डिजाइन तैयार करने तथा उनका विकास करने के क्षेत्र में कार्यरत है। इस समय जो दो प्रभाग हैं, वे हैं : संचार तथा माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग। इस केन्द्र में 34 कर्मचारी हैं तथा मार्च, 1992 तक इन केन्द्रों को 53 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

ई० आर० एण्ड डी० सी० कलकत्ता :

ई० आर० एण्ड डी० सी०, कलकत्ता इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा पश्चिम बंगाल इलैक्ट्रॉनिकी निगम (वेबेल) का एक संयुक्त उद्यम है। इस केन्द्र को मार्च, 1990 में शुरू किया गया तथा यह साफ्टवेयर विकास, चाय इलैक्ट्रॉनिकी, चिकित्सा इलैक्ट्रॉनिकी, प्रणाली इंजीनियरी तथा कम्प्यूटर और संचार के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास के कार्य कर रहा है। इस केन्द्र ने इन क्षेत्रों में परियोजनाओं का पता लगा लिया है तथा इस केन्द्र में परियोजना पर विकास कार्य चल रहा है। इस केन्द्र में 37 कर्मचारी हैं और मार्च, 1992 तक इसे 55 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

ई० आर० एण्ड डी० सी०, मोहाली :

ई० आर० एण्ड डी० सी०, मोहाली इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा पंजाब राज्य इलैक्ट्रॉनिकी विकास निगम का एक संयुक्त उद्यम है। इस केन्द्र को मार्च, 1990 में आरम्भ किया गया तथा यह केन्द्र कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों के क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास के कार्य कर रहा है। इस केन्द्र ने अपने क्षेत्र में परियोजनाओं का पता लगा लिया है तथा इस केन्द्र में परियोजनाओं पर विकास-कार्य चल रहा है। इस केन्द्र की स्थापना के आरम्भिक चरण के लिए मार्च, 1992 तक 40 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

ई० आर० एण्ड डी० सी०, लखनऊ :

ई० आर० एण्ड डी० सी०, लखनऊ इलैक्ट्रॉनिकी विभाग तथा अट्रॉन का एक संयुक्त उद्यम है। इस केन्द्र को मार्च, 1990 में आरम्भ किया गया। रेलवे के क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिकी, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर वर्क स्टेशन तथा उपभोक्ता इलैक्ट्रॉनिकी को इस केन्द्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में चुना गया है और पूरी तरह चालू हो जाने के बाद यह केन्द्र इन क्षेत्रों में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास के कार्य करेगा। इस केन्द्र की स्थापना के आरम्भिक चरण के लिए मार्च, 1992 तक 10 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

आकाश का अवलोकन करने के लिए दूरबीन

3323. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाश का अवलोकन करने और उसके रहस्यों का पता लगाने के लिए एक दूरबीन शीघ्र ही लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके लक्ष्य क्या हैं और उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) विश्व में उसका दर्जा क्या होगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) जी हां। पुणे से 80 कि० मी० उत्तर तथा बम्बई से 200 कि० मी० पूर्व में नारायण गांव के निकट खोदाद में एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान द्वारा एक बृहत मीटर वेव रेडियो दूरबीन तैयार की जा रही है। इस दूरबीन का शैक्षणिक मुख्यालय पुणे विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। बृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन की 45 मीटर अर्धव्यास वाली 30 पैरबोलिक प्लेटों में से पहली प्लेट को जुलाई, 1992 के अंत तक लगाये जाने की आशा है और अगस्त, 1992 के मध्य तक इससे प्रथम प्रेक्षण होने लगेंगे। इसके सभी तीस एंटीना 1994 तक पूरे हो जाएंगे।

(ख) खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में बृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन की अनेक विशिष्ट वैज्ञानिक उद्देश्य हैं। उदाहरणार्थ व्यापक शीत हाइड्रोजन मेघों की खोज, जिनके बारे में बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आकाश गंगा बनने से पूर्व ब्राह्माण्ड में विद्यमान होना माना जाता है। इसके अलावा यह यंत्र ब्रह्माण्ड में काफी दूरी पर स्थित पिंडों को हमारी सौर प्रणाली में सूर्य, बृहस्पति और शनि से होने वाले रेडियो निस्सरणों को जांच करने में काफी उपयोगी सिद्ध होगा। यह रेडियो दूरबीन ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति और विकास की जांच करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को सर्वप्रथम सुविधा प्रदान करेगी। इस परियोजना पर करीब-करीब 43.20 करोड़ रुपये के खर्च होने का अनुमान है। यह दूरबीन स्वदेश में ही तैयार की जा रही है।

(ग) यह दूरबीन विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन होगी जो कि 30-1500 एम एच जैड की आवृत्ति रेंज पर कार्य करेगी। न्यू मैक्सीको (सं० रा० अ०) में लगी वेरी लार्ज ऐरे दूरबीन की अपेक्षा इस दूरबीन का कार्यक्षेत्र चार गुणा होगा। तथापि, वेरी लार्ज ऐरे मुख्यतः एक सेंटीमीटर और डेसीमीटर वेवलैंथ वाला यंत्र है, जबकि बृहत मीटरवेव रेडियो दूरबीन मीटरवेव पर एक पूरक सुविधा होगी।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

3324. **श्री सोमनाद्रीश्वर राव धाड्डे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) इस समय उनमें से कितने उपक्रम चल रहे हैं;

(ग) इनमें से उन उपक्रमों की संख्या है जो रुग्ण हो गए हैं और जिनका मामला औद्योगिक वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड को भेजा गया है;

(घ) इन रुग्ण यूनिटों में कितना निवेश किया गया है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) से (घ) केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार 31-3-1991 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यम थे जिनमें 113233.68 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था। इन 246 उद्यमों में से सरकारी क्षेत्र के 54 उद्यमों को, जिनमें 31-3-1991 तक 9052.56 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है, रुग्ण उद्यमों के रूप में अभिज्ञात किया गया है और जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1956 के तहत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को भेजे जाने योग्य हैं।

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के लिये उद्यम विशेष के बारे में सम्बद्ध उद्यमों, प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

चीन के प्रधान मंत्री के साथ बैठक

3325. श्री नवल लाल खुराना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के प्रधानमंत्रियों ने अपनी हाल की रियोडिजेनेरो की यात्रा के दौरान कोई बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषयों पर विचार किया गया और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव की चीन के प्रधान मंत्री से 13 जून, 1992 को रियो द जेनेरो में मुलाकात हुई थी।

(ख) दोनों प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच के संबंधों में हाल की घटनाओं पर चर्चा की जिसमें राष्ट्रपति, श्री आर० वेंकटरामन की चीन की सफल यात्रा शामिल है। उन्होंने विश्वास पैदा करने वाले उपायों पर संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा अपनी चर्चा के दौरान सीमा संबंधी मुद्दे पर की गई सफलता पर सन्तोष व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव श्री जियांग जीमिन और चीन के राष्ट्रपति यांग शंगकुन को भारत आने का पुनः आमंत्रण दिया। जहां तक बहुपक्षीय मुद्दों का संबंध है, दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत में पर्यावरण और विकास के विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुई।

भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के बीच रियो द जेनेरो में हुई यह बातचीत आपसी समझ-बूझ बढ़ाने तथा सीमाक्रान्त प्रश्न सहित सभी मुद्दों को शान्ति से निपटाने की दिशा में दोनों देशों के बीच सतत् उच्च स्तरीय वार्ता प्रक्रिया का एक अंग था। भारत और चीन दो विशालतम विकासशील देशों के रूप में अपनी चिन्ता के विषयों पर भी अपना सहयोग मजबूत कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विकिरण के प्रभाव

3326. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के आसपास विकिरण के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई वैज्ञानिक अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) भारत में स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्रों का डिजायन, निर्माण और परिचालन इस प्रकार है कि उनसे बाहर निकलने वाली विकिरण सक्रियता की मामूली-सी भी अनुमत मात्र उन अनुज्ञेय परिमाणों के भीतर होती है जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये परमाणु अन्तर्राष्ट्रीय विकिरणकी बचाव आयोग द्वारा अनुशंसित परिमाणों के अनुरूप हैं। विकिरण के स्तरों और वायु, जल तथा खाद्य पदार्थों में विकिरण-सक्रियता के स्तरों को पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशाला द्वारा लगातार मानीटर किया जाता है। उन्मुक्त होने वाले पदार्थों की वजह से विकिरण की जितनी मात्रा फैलती है वह विकिरण की उस मात्रा का मामूली-सा अंश है जो प्राकृतिक वातावरण में हर जगह अपरिहार्य रूप से विद्यमान है। विकिरण के कारण परमाणु बिजलीघरों के आस-पास कोई बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्टों, जिनमें राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आस-पास के कुछ गांवों में स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने के बारे में कहा गया है, को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त दो विशेषज्ञ-दलों ने जो सर्वेक्षण किए थे, उनसे यह पता चला है कि राजस्थान परमाणु बिजलीघर के आस-पास के गांवों में स्वास्थ्य संबंधी जो कमियां देखी गई हैं, वे विकिरण के कारण नहीं थीं और वहां पर विकिरण प्रेरित रोगों का कोई प्रभाव नहीं है।

(ग) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

[हिन्दी]

सीमेंट की मांग

3327. **श्री राजेश कुमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट की वार्षिक मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) बिहार में सीमेंट के उत्पादन के लिए कच्चा माल किन-किन स्थानों पर उपलब्ध है; और

(ग) बिहार में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किय गये हैं/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में सीमेंट का वर्तमान उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तथा सरकार सीमेंट के इष्टतम उत्पादन व दुलाई के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सहायता दे रही है।

(ख) चूना-पत्थर सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल है तथा बिहार में हजारीबाग, रांची, रोहतास, पालामउ तथा सिंहभूम जिलों में सीमेंट ग्रेड के चूना-पत्थर के भंडार उपलब्ध हैं।

(ग) सीमेंट उद्योग लाइसेंसमुक्त है तथा उद्यमी विनिर्माणकारी एककों की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते कि वे स्थापना-स्थल व पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां प्राप्त कर लें।

संयुक्त उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु भारत-इजरायल सहयोग

3328. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजरायल के सहयोग से एक संयुक्त उर्वरक इकाई स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अन्तरिक्ष और राकेट विशेषज्ञ मंडल की भारत यात्रा

3329. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष और राकेट के एक उच्चस्तरीय विशेष मंडल ने जून, 1992 के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (घ) क्रायोजेनिक स्टेज की प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और ग्लेवकॉस्मॉस के बीच हुए वर्तमान करार के एक भाग के रूप में, जून, 1992 के अन्तिम सप्ताह के दौरान रूस के एक कार्यकारी स्तर के प्रतिनिधिमंडल ने त्रिवेन्द्रम का दौरा किया। इससे सामान्य किस्म की बातचीत हुई है तथा परियोजना समयानुसूची के अनुसार प्रगति में है।

द्वीप का विकास

3330. **श्री एम०वी०वी०एस०मूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम के निकट हाल ही में पता लगाये गये द्वीप का विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख)

सुदूर संवेदन केन्द्र, आन्ध्र विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम द्वारा प्रयुक्त एक उच्च विभेदन उपग्रह बिम्बविधान से विशाखापत्तनम के उत्तर-पूर्व में लगभग एक वर्ग किलोमीटर माप वाली एक द्वीप सदृश संरचना का पता चला है। वर्तमान में इस द्वीप सदृश संरचना का विकास करने का महासागर विकास विभाग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तकनीकी विकास सलाहकार दल

3331. श्री वसुदेव आचार्य : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय (मैनेजमेंट एप्रोर्ट सेक्शन) के जरिए तकनीकी विकास सलाहकार दल के गठन का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस दल का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग की सलाह देने की दृष्टि से औद्योगिक व्यवस्था पर प्रौद्योगिकीय प्रभाव के बारे में नीति तैयार करना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने दलों का गठन किया गया है अथवा किए जाने की संभावना है?

उत्तर मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां। औद्योगिक मशीनरी में प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों संबंधी एक प्रौद्योगिकी विकास सलाहकार दल का 16-9-1991 को गठन किया था जो इस क्षेत्र में दिए जाने वाले जोर के सम्बन्ध में सलाह देना।

(ख) जी, हां।

(ग) निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत अध्ययन करने के लिए तीन उप-दलों का गठन किया गया है :—

(1) मटीरियल हैंडलिंग सिस्टम

(2) सीमेंट मशीनरी

(3) खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी

अनुसंधान और विकास संगठन का आधारभूत ढांचा

3332. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास संगठन के आधारभूत ढांचे में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ताकि भारतीय उद्योग विश्व से प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने भुगतान संतुलन में सुधार कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और औद्योगिक विकास में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने उद्योग में आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास संबंधी मूलभूत सुविधाओं के सृजन एवं सुधार के महत्व को स्वीकार करते हुए तथा भारतीय उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य बनाने के लिए, उद्योगों को आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास एककों की स्थापना करने के लिए बढ़ावा दिया है। प्रभावशाली मूलभूत सुविधाओं, पायलेट संयंत्रों, डिजाइन तथा प्रोटोटाइप विकास केन्द्रों सहित, उद्योग द्वारा 1200 से अधिक आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास एकक स्थापित किए गए हैं। उद्योग ने इन अनुसंधान एवं विकास एककों में 65,000 से अधिक कार्मिकों की नियुक्ति की है। इन आन्तरिक अनुसंधान एवं विकास एककों का मुख्य उद्देश्य विनिर्माणकारी कार्यकलापों और प्रौद्योगिकी विकास में संलग्न उद्योगों को तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय सहयोग प्रदान करना तथा लागत कम करने, ऊर्जा संरक्षण एवं निर्मित उत्पादों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने हेतु इसे आत्मसात तथा अनुकूल बनाना है।

(ग) और (घ) औद्योगिक उत्पादन में 1990-91 की तुलना में 1991-92 में कमी आई है। कच्चे माल में कमी, विदेशी मुद्रा संबंधी बाधाओं के परिणामस्वरूप आयातित कच्चे माल की कमी, ऋण में कमी, मांग में गिरावट इत्यादि जैसी बुनियादी बाधाएं औद्योगिक उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारण हैं। जुलाई, 1991 की उदार औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति, 1992-97 की निर्यात-आयात नीति तथा शुल्क दरों, सांविधिक नकदी अनुपात, ब्याज दरों इत्यादि में कमी करने हेतु, 1992-93 के केन्द्रीय बजट में दी गई रियायतों का उद्देश्य औद्योगिक विकास में सुधार करना है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक रूप से नियंत्रण मुक्त करने तथा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की व्यवस्था है।

बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड के कामगारों को अन्तरिम राहत

3333. श्री हाराधन राय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने कोई आदेश और निर्णय जारी किया था जिसमें बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड के प्रबंधकों के उस आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया था जिसमें उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचारण न्यायाधीश द्वारा 26-7-1991 को बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड के रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमिक ग्रुप आफ वर्क्स के कामगारों/कर्मचारियों को चार सप्ताह के भीतर अन्तरिम राहत का भुगतान करने के लिए दिये गये आदेश और निर्णय को स्थगित करने के लिए दायर किया था;

(ख) यदि हां, तो आदेश और निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 28-11-91 के आदेश और निर्णय में, रानीगंज कारखाने के रिफ्रेक्टरी एण्ड सिरेमिक वर्कर्स यूनियन के कामगारों को अन्तरिम

राहत का भुगतान करने के लिए बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड (बी०एस०सी०एल०) के प्रबन्धन को निर्देश देते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के विचारण न्यायाधीश द्वारा 1988 के सी ओ सं० 474 (डब्ल्यू) में दिनांक 26-7-91 को जारी किए गए निर्णय और आदेशों के कार्यान्वयन को रोकने की अनुमति नहीं दी थी।

(ग) और (घ) बी०एस०सी०एल० के प्रबन्धन ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के दिनांक 28-11-91 के आदेश और निर्णय के विरुद्ध अन्तरिम रोक प्रदान कर दी है। अतः मामला न्यायाधीन है।

उर्वरक एककों के पुनरुद्धार की योजनायें

3334. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के तकनीकी-आर्थिक पुनरुद्धार की वह योजना मिल गई है जिसे फर्टिलाइजर वर्क्स फेडरेशन आफ इंडिया तथा नेशनल कन्फेडरेशन आफ आफिसर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पुनरुद्धार योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चिन्ता मोहन) : (क) जी हां।

(ख) पुनरुद्धार योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : (1) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एचएफसी) के विभिन्न संयंत्रों का अल्पावधिक पुनरुद्धार/पुनर्वास, (2) कुछ नए संयंत्र स्थापित करने के लिए दीर्घावधिक योजनाए, (3) इन कम्पनियों का वित्तीय पुनर्गठन, (4) कुछ संयंत्रों की क्षमता कम करना, (5) पी डी आई एल को उपर्युक्त (1) और (2) पर कथित कार्य सौंपना तथा उर्वरक संयंत्रों की डिजाइन और इंजीनियरिंग में प्रमुख भूमिका प्रदान करना, और (6) उपर्युक्त प्रस्तावों को न्यूनतम पूंजी निवेश, विदेशी मुद्रा बहिर्गमन तथा राजसहायता से कार्यान्वित करना।

(ग) कर्मकारों और अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों की ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है

ट्रांसपोर्ट हड़ताल के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि

3335. **श्री रवि राय :**
श्री साईमन मरान्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में हुई ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के कारण दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 1-7-1992 से सड़क परिवहन चालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया था। हड़ताल के परिणाम-स्वरूप दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर सब्जियों, फलों तथा पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में कुछ अस्थायी व्यवधान आया था। तथापि, खाद्य भंडार की पर्याप्त आपूर्ति थी। ताजे फलों तथा सब्जियों को छोड़कर, अन्य किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं थी। आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 7-7-92 को हड़ताल समाप्त कर दी थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार हड़ताल के तत्काल बाद आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की स्थिति सामान्य हो गई है।

(ग) आटा, सब्जियां, दालें, मसाले, कापियां, पामोलीन, साबुन, दियासलाइयां, इकानामी पैक में चाय जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने नामित खुदरा बिक्री केन्द्रों एवं मोबाइल वैनों द्वारा तथा सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं द्वारा की जा रही है। नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में एक समीक्षा समिति दिल्ली प्रशासन के परामर्श से दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा आपूर्ति की परिवीक्षा करती रहती है।

अवैध आप्रवास रोकने के लिए कृतिक बल का गठन

3336. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश ने अवैध आप्रवास की समस्या से निपटने के लिए कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) और (ख) मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और बंगलादेश ने गैरकानूनी आप्रवासन के मसले पर विचार-विमर्श किया था। इस मसले से निपटने के लिए अपनाये जाने वाले तरीके पर मोटे तौर पर सहमति थी और इस बात पर भी बल दिया था कि इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें की जानी चाहिए।

अधिकारियों को प्रशिक्षण

3337. श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि अखिल भारतीय सेवा तथा केन्द्रीय सेवा समूह "क" के अधिकारियों को उनके बीस वर्षों के सेवाकाल के दौरान कम से कम तीन बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य रूप से इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षण के निरन्तर अवसर उपलब्ध कराकर विभिन्न सेवकों के ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि द्वारा, जिनमें अपने समाज के बुनियादी मूल्यों के

प्रति प्रतिबद्धता एवं क्षमता का विकास करना है। किसी अधिकारी को अपनी 20 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान जिन तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में भाग लेना चाहिए उनमें से एक पाठ्यक्रम प्रबन्ध विकास कार्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। तथापि अन्य पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर सेवा की विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर होने चाहिए।

विदेशों में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा-व्यवस्था

3338. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

डा० अमृतलाल कालिदास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों पर हाल ही में हुए हमलों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों में नियुक्त भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा-व्यवस्था हेतु कौन से प्रभावी उपाय किये गए हैं/करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसार भारतीय राजनयिकों सहित विदेशों में तैनात सभी राजनयिकों की सुरक्षा और हिफाजत की जिम्मेदारी मेजबान सरकार की होती है जहां वे तैनात हैं। तथापि, भारत सरकार विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के सभी तरह के खतरों पर नजर रखती है तथा ऐसी सूचना के बारे में मेजबान सरकार को अवगत कराती है तथा उनसे अनुरोध करती है कि वे आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय करें। जब कभी ऐसे किसी खतरे की कोई सूचना प्राप्त होती है सभी मिशनों को एहतियाती उपाय करने के लिए तत्काल सतर्क भी कर दिया जाता है।

कम्प्यूटर अनुसंधान केन्द्र, पुणे

3339. **प्रो० रीता वर्मा :**

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री रतिलाल वर्मा :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण और इनका डिजायन तैयार करने हेतु पुणे में विकसित कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस केन्द्र की स्थापना पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र को कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने देश में सुपर कम्प्यूटरों की क्षमता से युक्त समानान्तर संसाधन कम्प्यूटरों का डिजाइन तैयार करने तथा उनका विकास करने के लिए वर्ष 1988 में पुणे में उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक) नामक एक पंजीकृत स्वशासी संस्था की स्थापना पहले ही कर दी है।

(ख) इस परियोजना के पहले चरण के दौरान, 30 करोड़ रुपए की धनराशि के परिव्यय का अनुमोदन प्रदान किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य 1000 मीगा फ्लाप्स (फ्लाटिंग पाइंट ऑपरेशन्स प्रति सेकिंड) की अधिकतम अभिकलन क्षमता से युक्त एक उच्च कार्य-निष्पादन

के समानान्तर कम्प्यूटर का डिजाइन तैयार करना, उसका विकास करना तथा उसे वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना और लक्ष्य के मिशन पर राष्ट्रीय महत्व के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना था। सी-डैक ने जुलाई, 1991 में अपना लक्ष्य हासिल कर लिया जिसमें न तो समय और न ही लागत निर्धारित सीमा से अधिक लगी। सी-डैक के दूसरे मिशन की सामरिक प्रौद्योगिकी के लक्ष्य के अन्तर्गत टेरापैलाप्स वास्तुकला में एक सामान्य प्रयोजन के सुपर कम्प्यूटर का विनिर्माण करना है। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान दूसरे मिशन के लिए कुल 80 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

यूनियन कार्बाइड के संबंध में प्रत्यर्पण कार्यवाही

3340. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में चल रहे मुकदमे के सम्बन्ध में यूनियन कार्बाइड (इण्डिया) लि० के चेयरमैन और अन्य अधिकारियों को भारत में बुलाने हेतु अनुरोध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना

3341. **डा० असीम बाला** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधाओं को महानगरों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के केवल कमजोर वर्ग के लोगों तक ही सीमित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं पर से राजसहायता समाप्त करने का है जिसका कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में समूची जनता के लिए इसके द्वारा वितरित की जा रही मूल आवश्यक वस्तुओं की सर्वव्यापक हकदारी की व्यवस्था है। वर्तमान नीति के अनुसार इसके विस्तार को सीमित करने अथवा कमजोर वर्गों को दी जा रही राजसहायता समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वस्तुतः केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके देश में लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की है जहां आम तौर पर जनसंख्या का अधिक सुविधारहित वर्ग बसा है, ताकि उन तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुएं बेहतर तरीके से पहुंच सकें। अन्य उपायों में सरकार ने केवल इन्हीं क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की अतिरिक्त मात्रा का आबंटन किया है। इसके अलावा, अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन क्षेत्रों के लिए चावल और गेहूं सामान्य केन्द्रीय निर्गम मूल्यों की तुलना में 50 रु० प्रति क्विंटल कम मूल्यों पर निर्मुक्त किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों का वितरण

3342. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को समय पर ऋण का वितरण नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का तत्काल वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार बैंकों द्वारा ऋणों का वितरण स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर करना होता है। ऋण वितरण में होने वाली देरी को खण्ड तथा जिला स्तरों पर हस्तक्षेप करके दूर किया जाता है।

इस सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिला और खंड स्तरीय ऋण समन्वय समितियां बनाई गई हैं। बैंक भी ऋणों के समय पर वितरण की निगरानी करते हैं। अत्याधिक विलम्ब होने की दशा में यदि आवश्यक होता है, तो समस्याओं को भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप से राज्य और केन्द्र स्तर पर सुलझाया जाता है।

सी० एम० सी० का अनुसंधान और विकास परिसर

3343. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद में अनुसंधान और विकास परिसर के निर्माण हेतु सी० एम० सी० ने कितना निवेश किया है; और

(ख) इस परिसर के निर्माण हेतु निवेश के लिए राजस्व किस योजना/स्रोत से जुटाने का विचार है/जुटाया जायेगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) अनुसंधान तथा विकास/शिक्षा और प्रशिक्षण परिसर, हैदराबाद के निर्माण कार्य पर अनुमानित लागत लगभग 16.62 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है।

(ख) परियोजना के लिए 121.85 लाख रुपये की धनराशि आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा दीर्घकालीन ऋण के रूप में, 49 लाख रुपये की राशि इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा तथा शेष राशि आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध कराई जा रही है।

बाल श्रमिकों के बारे में अध्ययन

3344. **श्री के० राममूर्ती तिंडिवनम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि विभिन्न खानों तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व वाले औद्योगिक एककों में सबसे अधिक बाल श्रमिक कार्य करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बच्चों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनके पुनर्वास के लिए कुछ धनराशि नियत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जहां तक इस मन्त्रालय को ज्ञात है ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सी० एम० सी० लिमिटेड में बेकार पड़े कम्प्यूटर

3345. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एम० सी० लिमिटेड के पास कुल कितने कम्प्यूटर हैं;

(ख) क्या उनमें से अनेक कम्प्यूटर बेकार पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार बेकार पड़े ऐसे कम्प्यूटरों का रखरखाव करने और उनका अधिकतम उपयोग करने संबंधी कोई योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) सी० एम० सी० लिमिटेड में उपलब्ध कम्प्यूटरों की कुल संख्या इस प्रकार है :

वैयक्तिक कम्प्यूटर/शब्द संसाधक (लगभग) 500

मेनफ्रेम/लघु कम्प्यूटर (लगभग) 28

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

आन्ध्र प्रदेश को कोयला

3346. **श्री के० वी० रेड्डया यादव** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक कमी है;

(ग) गत दो वर्षों में आंध्र प्रदेश को कुल कितना कोयला दिया गया और मछलीपट्टनम तथा विजयवाड़ा क्षेत्र को कुल कितना कोयला उपलब्ध कराया गया; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 में मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा को और अधिक कोयला उपलब्ध कराने का है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, जोकि आंध्र प्रदेश में कोयले की प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, के अनुसार मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा क्षेत्रों सहित आंध्र प्रदेश में कोयले की कोई गम्भीर कमी नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (एस० सी० सी० एल०) और कोल इंडिया लि० (सी० आई० एल०) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण दोनों क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रेषण किए गए कोयले के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाख टन में)

वर्ष	सि०को०कं०लि०	को०इं०लि०	जोड़
1990-91	144.85	44.58	189.43
1991-92	183.00	35.47	218.47

वर्ष 1991 और 1992 के दौरान कृष्णा जिले में, जिसमें विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम भी शामिल हैं, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की इकाइयों को कोयले की आपूर्ति क्रमश: 1.26 लाख टन और 1.16 लाख टन की गई।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० ने आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष (1992-93) अधिक कोयले का प्रेषण किए जाने का लक्ष्य रखा है।

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

3347. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मामलों की भारतीय परिषद के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में विधान बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब तक पेश किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) भारतीय विश्व कार्य परिषद के कार्यचालन को पुन: सक्रिय बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

ऊंट दौड़ में बच्चों का प्रयोग

3348. श्री राम सेवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ खाड़ी देशों में ऊंट दौड़ के खेल में भारतीय बच्चों के प्रयोग के बारे में हाल ही में प्रकाशित समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले को मानवाधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र आयोग और संयुक्त राष्ट्र बालाधिकार समिति के समक्ष उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो मामले को कब उठाये जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसे बच्चों को झूठे बहाने बनाकर भारत से बाहर तस्करी की गई है। जब कभी ऐसा मामला ध्यान में आता है, स्थानीय सरकार बच्चे को भारत प्रत्यावर्तित करने में सहयोग देती है। 1989 से 18 बच्चे प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं और 2 मामले लम्बित पड़े हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले की कमी

3349. श्री गुरुदास कामत : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कोयले की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एल० बी० श्यामगौड) : (क) इस संबंध में माननीय सदस्य का संदर्भ शायद कोयले की उत्तर-पूर्वी राज्यों को की जा रही आपूर्ति से है। कोल इंडिया लि० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोयले की कोई कमी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की सप्लाई

3350. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :
श्री राम लखन :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आवंटित कोटे के अनुसार पर्याप्त कोयले की सप्लाई नहीं मिल रही है;

(ख) क्या इन विद्युत संयंत्रों को सप्लाई किया जाने वाला कोयला घटिया किस्म का होता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त और बढ़िया किस्म के कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० म्यामगोड) : तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति मासिक संयोजन के अनुसार स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा स्वीकृत की जाती है, और इन विद्युत गृहों को रेल द्वारा संचलन किए जाने में अधिकतम प्राथमिकता दी जाती है। आमतौर पर लक्षित उत्पादन के लिए वास्तविक आवश्यकताओं की तुलना में मासिक संयोजन में कुछ उपधानी की व्यवस्था रखी जाती है। कोल इंडिया लि० ने यह सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को वर्ष 1991-92 के दौरान संयोजित मात्रा की 73% आपूर्ति की गई थी, और वर्ष 1992-93 की प्रथम तिमाही में कोल इंडिया लि० से तिमाही संयोजन के 74% कोयले की आपूर्ति की गई। किन्तु हाल ही में कोल इंडिया लि० ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को कोयले की आपूर्ति किए जाने का विनियमन किया है क्योंकि 1-7-1992 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की ओर को० इं० लि० की 331.87 करोड़ रु० की सकल देय राशि बकाया है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत संयंत्र को कोयला पारंपरिक रूप से नार्दर्न कोल फील्ड्स लि०, भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोल फील्ड्स लि० से प्राप्त होता रहा है। इन कोयला क्षेत्रों से आपूर्ति किए गए कोयले के लिए घोषित ग्रेड के अनुसार तैयार किए जाते हैं। कई बार कोयले के साथ व्यर्थ की सामग्री मिश्रित होने के कारण ग्रेड के गलत होने, अथवा आकार रहित कोयले की आपूर्ति किए जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। कोयला कंपनियों को ऐसी शिकायतों से बचने के लिए सभी तरह के एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं।

जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के विद्युत गृहों को प्रेषित की गई कोयले की मात्रा का संबंध है सभी तापीय विद्युत गृहों को कोयले के संचलन में उच्चतम प्राथमिकता दी जा रही है, और इनका दैनिक आधार पर प्रबोधन किया जा रहा है ताकि जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जा सकें, ताकि लक्षित आपूर्ति का सुनिश्चय हो सके, समय-समय पर विनियमन के अधीन, यदि संबद्ध विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत उपयोगिता कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि की अदायगी में दोषी होते हैं।

[हिन्दी]

सफाई वालों को नियमित सेवा में लिया जाना

3351. **श्री राम विलास पासवान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफाई वाले गत अनेक वर्षों से अनेक सरकारी कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और शहरी स्थानीय निकायों में दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन व्यक्तियों को स्थायी आधार पर सेवा में लेने का है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) मंत्रालयों/विभागों द्वारा सफाई वालो सहित नैमित्तिक मजदूरों को केवल उसी

स्थिति में दिहाड़ी पर रखा जा सकता है यदि यह कार्य आकस्मिक, मौसमी अथवा सविरामी स्वरूप का हो । ऐसी भर्ती की सूचना केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है । दिहाड़ी आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को, जब तथा जैसे ही किसी स्थायी संस्थापना में रिक्तियां उपलब्ध होती हैं, तो मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियमित किया जा सकता है बशर्ते कि वे कुछेक शर्तें पूरी करते हों ।

मानकीकरण के संबंध में भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय का कार्यक्रम

3352. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानकीकरण के संबंध में कार्यान्वित किए जा रहे भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में मानक प्रणाली की पुनरीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा बुलाए गए यूरोपीय विशेषज्ञ दल ने इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में इससे भारतीय निर्यातकों को कितनी सहायता मिल सकेगी ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) यूरोपीय विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट में एक दो-स्तरीय संरचना स्थापित करने की सिफारिश की है जिसमें एक उच्च स्तरीय निकाय अर्थात् राष्ट्रीय गुणवत्ता परिषद शामिल होगी, जो रण-नीति, सामान्य नीतिगत मुद्दों तथा प्रगति की निगरानी के प्रति उत्तरदायीहोगी और चार बोर्ड होंगे जो (1) उत्पादों, (2) गुणवत्ता प्रणालियों, (3) परीक्षण तथा अंशशोधन प्रयोगशालाओं और (4) कार्मिकों के प्रमाणीकरण संबंधी सचालन पक्षों के लिए उत्तरदायी होंगे। ऊपर प्रस्तावित संरचनाओं में से अधिकांश इस समय नहीं हैं ।

(ग) प्रस्तावित दो-स्तरीय संरचना के सृजन व इसके कार्य करने से भारतीय विनिर्माताओं तथा निर्यातकों को यूरोपीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की अनुसंधान परियोजनाएं

3353. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री रतिलाल वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श परियोजनाओं की नवी विशिष्ट उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) संस्थान के कामकाज में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इन वर्षों के दौरान संस्थान द्वारा विकसित कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रम/मॉडल/पद्धतियां इस प्रकार हैं :

1. बड़े पैमाने पर अनुप्रयोगों के लिए पृष्ठीय अपरदन को रोकने के लिए नारियल के जटायुक्त टट्टर के उपयोग की तकनीकी;

2. खड़ंजों (पक्की सड़क) की सवारी (आरोहण) गुणता की माप के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित एक्सल माउन्टेड प्रणाली;

3. दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में सड़क पद्धति गतिशीलता स्तर के मूल्यांकन व विभिन्न शहरी आकारों के लिए अनेक सामाजिक-आर्थिक समूहों के मोड़ चयन के लिए यातायात तथा परिवहन आंकड़ा आधार;

4. विभिन्न प्रकार की सड़क श्रेणियों के लिए अलग से असामान्य और दबाव की दशा में खड़ंजा अपक्षय के आकलन के लिए आरम्भिक मॉडल;

5. बिटुमेनी सड़क सामग्री के पुनः प्रयोग के लिए रेजिनी कृषि अपव्यय से कायाकल्प करने वाले एजेन्टों के तीन अलग-अलग ग्रेड;

6. बिटुमेन के विकल्प सड़क जोड़क के रूप में कोलतारपिच एन्थ्रोसेन व क्रियोसेट तेल सहित काल प्रभाव प्रतिरोधी सड़क डामर;

7. कायाकल्प करने वाले अभिकर्त्ताओं की गुणवत्ता के लिए विनिर्देश तैयार करने के लिए और पुरानी बिटुमेनी मिक्स के नवीनीकरण हेतु मोनोग्राफों का विकास करने के लिए विद्यमान पृष्ठीय सामग्री, पुनः चक्रण अभिकर्त्ताओं तथा पुनर्नवीनीकृत मिक्स के अभिलक्षणन के लिए कार्यपद्धति;

8. खड़ंजा अभिकल्पन के कार्य सुगम व गतिशील बनाने के लिए एक कम्प्यूटर समर्थित (एडेड) सॉफ्टवेयर पैकेज ।

इसके अतिरिक्त संस्थान ने मैसर्स हाइड्रॉलिक एण्ड इंजीनियरी इंस्ट्रूमेंट्स, नई दिल्ली को स्वचालित सड़क ऊबड़-खाबड़पन (असमता) रिकार्डर की तकनीकी जानकारी का लाइसेंस दिया और मरुस्थल क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से अनुकूल प्रीकास्ट हेक्जाजोनल कंक्रीट ब्लोक्स का प्रयोग करते हुए राजस्थान में तीन प्रायोगिक स्ट्रेचर का निर्माण किया ।

संस्थान ने इन वर्षों के दौरान मुख्य रूप से निम्नांकित क्षेत्रों में लगभग 40 परामर्शी योजनाएं शुरू कीं—

1. जुआरी ब्रिज डेक के लिए घर्षण मार्ग (वीअरिंग कोर्स) का जलरोधन;

2. उ० प्र०, म० प्र०, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान आदि में शहरी सड़कों/पगडण्डियों/पुलों के सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए अन्वेषण;

3. राजस्थान, उ० प्र०, हरियाणा आदि राज्यों में विभिन्न सड़कों, बैराज व ब्रिजों का भार तथा गैर-विनाशकारी परीक्षण;

4. मुम्बई महानगरी की सड़कों के सुधार के लिए अन्वेषण;

5. दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस के बाहरी इलाके की बिटुमेनी पृष्ठ (धरातल) का पुनः चक्रण;

6. पिथौरागढ़ (उ० प्र०) और तिरूपति-तिरूमाला हिल मार्ग (आ० प्र०) में भू-स्खलन के नियन्त्रण के लिए अध्ययन ।

(ख) संस्थान में विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/सरकारी व गैर-सरकारी अभिकरणों के विख्यात वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों की एक अनुसंधान परिषद् है जो संस्थान के संसाधन नितन और उसके उपयोग के अनुवीक्षण के लिए व्यावसायिक माध्यम के रूप में कार्य करने के अलावा वांछित दिशा में अनुसंधान के नवीन क्षेत्रों का सुझाव देने, बल प्रदान करने तथा अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों की दिशा निश्चित करने का कार्य करती है ।

जापानी मिशन की सिफारिशें

3354. **श्री परशराम भारद्वाज** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में भारत के दौरे पर आए जापानी मिशन ने ऐसी कई सिफारिशें की हैं जिन्हें जापान और भारत दोनों सरकारों को कार्यान्वित करना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मिशन ने जून, 1992 के शुरू में जापान सरकार को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। इन सिफारिशों का जहां भारत तथा जापान की सरकारों से संबंध है, दोनों देश उनका अध्ययन कर रहे हैं ।

गोआ में पुर्तगाली सांस्कृतिक केन्द्र

3355. **श्री राम कापसे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोआ में एक पुर्तगाली सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस केन्द्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार ने सूचना, संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ केन्द्र की स्थापना करने के लिए सितम्बर, 1990 में अपना अनुमोदन दे दिया है।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, हमने एक नोटिस आपको दिया है, रक्षा मंत्री के संबंध में, क्योंकि यह अदालत के सम्मान का सवाल है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि जैसा कि निर्णय लिया गया है हमें अच्छे संसद सदस्यों की भांति आज अयोध्या के अलावा और किसी विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई अन्य विषय भी है तो हम उन पर, यदि आवश्यक हो तो कल चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : मैंने नियम 353 के अधीन एक सूचना दी है। पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे। हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, उसमें हमारे राज्य मंत्री जी इन्वौल्व हैं और यह अदालत के सम्मान का सवाल है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : आप कृपा करके इन उद्योगों के बारे में चर्चा करने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, आज जो हमने बिजनैस के लिए अजैंडा में लिया है, उसका कम महत्व नहीं होता है। जो कुछ बिजनैस के लिए अजैंडा में लेते हैं, उसका ज्यादा महत्व होता है। इसलिए जो अजैंडा में है, उसे पहले ले लेंगे और बाद में जो कुछ कारण है, उसे देख लेंगे।

(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : बाद में क्या जीरो आवर होगा, अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आपने जो निर्णय लिया है कि आज अयोध्या पर डिस्कशन से शुरू किया जाए, मैं केवल स्मरण दिलाना चाहूंगा संसदीय कार्य मंत्री जी को, अगर ध्यान दें तो···

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परसों यहां बहन भावना चिखलिया ने अहमदाबाद का एक सवाल उठाया था कि वहां पर ढाई करोड़ से अधिक मूल्य के हथियार बरामद किये गये हैं। वे बहुत आधुनिक हथियार थे, ऑटोमैटिक वैपन्स थे और चूंकि जिसने कनाडा में एक हवाई जहाज-कनिष्क हवाई जहाज का विस्फोट किया था, वह पकड़ा गया है और उसके पास से जो जानकारी में मिला है, मैं चाहता हूं कि उस पर बयान जल्दी हो क्योंकि बहुत उसके बारे में चिन्ता है। कब आप बयान करेंगे, जैसे आपने मालेगांव के बारे में, त्रिवेन्द्रम के बारे में बयान दिया था, वैसे ही इस मामले पर भी जानकारी एकत्र करके सदन को बतायें कि वह कैसे पकड़ा गया था, क्या था ? (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : मैं पर्यटन मंत्री जी से भी बयान चाहता हूं···(व्यवधान) उन्होंने भी वायदा किया था कि सदन में बयान देंगे। वह जवाब भी सदन में आना चाहिये। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अभी तो आपके कहने के अनुसार ही हम वायदे पूरे कर रहे हैं, यह डिस्कशन जो कल हुआ, आज भी होगा और कल भी होने वाला है। उसके लिये भी मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट देने को तैयार हैं, चाहे आज है या कल होता है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आज नहीं, कल करेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम दोनों पर स्टेटमैंट देने के लिये तैयार हैं लेकिन पहले यह खत्म हो जाए। हर चीज के बीच में स्टेटमैंट डालने से बाधा पड़ती है लेकिन हम दोनों के बारे स्टेटमैंट देने के लिये तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : इस तरह जितने गम्भीर मामले हैं, उन सबको दबाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : सरकार अयोध्या का बहाना बनाकर, जो जरूरी काम हैं, उनको पीछे करती चली जा रही है अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं है, यह गलत बात है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान) यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप कृपया मुझे केवल दस सैकंड बोलने दीजिये।

श्री राम कापसे : हमें समय के बारे में कब पता चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको सदस्य को भी सूचना देनी होगी।

श्री राम कापसे : मैंने सूचना दे दी है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदस्य अभी यहां उपस्थिति नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि वह हमारे विषयों पर चर्चा कराने को अत्यंत उत्सुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सभी विषयों पर।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, रुग्ण सरकारी उपक्रमों संबंधी प्रश्न एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर चर्चा के लिए समय निकालना होगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

12.06 म०प०

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में नियम 193 के अधीन चर्चा शुरू करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, पिछले करीबन डाई हफ्ते से यह सभा सभा के नेता के बिना थी। मैं इस सभा में उनकी वापसी का स्वागत करता हूं जो व्यावहारिक रूप से हमारे लिए एक अजनबी बन गए थे···(व्यवधान)

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : वह सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह प्रत्येक बात सुन रहे हैं। मैं विशेष रूप से यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री आम सहमति के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने हमें अनेकों बार बताया है कि सभी महत्वपूर्ण निर्णय, नीतिगत निर्णय और इसी प्रकार के फैसले आम सहमति से लिये जाने चाहिए। यह एक बहुत अच्छा विचार है। लेकिन महोदय, दुर्भाग्य से हाल के दिनों में अयोध्या के मामले, जो प्रत्येक व्यक्ति के मन को उद्वेलित कर रहा है और जिसने देश में खलबली मचा दी है, जैसे महत्वपूर्ण मामले पर, अन्ततः जब उन्होंने संतों या महन्तों या साधुओं से निजी तौर पर विचार-विमर्श किया और बाद में यह घोषणा की गई कि कोई समझौता हो गया है, तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे आम सहमति के कोई चिन्ह नजर नहीं आये।

इस विवाद के मुख्य रूप से दो पक्ष हैं। एक तो इस बात का विवाद है कि कोई इसे मान्यता देना चाहता है या नहीं। इस विवाद में दो पक्ष सम्मिलित हैं और उनमें से अल्पसंख्यक समुदाय के प्रवक्ता या प्रतिनिधि या नेता इन वार्ताओं से किसी प्रकार से सम्बद्ध नहीं थे। अतः मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार की आम सहमति है। निस्संदेह चूंकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण में सम्मिलित नहीं हैं इसीलिए शायद प्रधान मंत्री जी ने सोचा कि अधिग्रहण स्थल पर जो लोग प्रत्यक्ष रूप से हैं पर उन्हीं से बातचीत करना पर्याप्त होगा। फिर भी अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं। तीन या चार दिन गुजरे हैं। मुझे उनसे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि इन तीन या चार दिनों में उन्होंने इन वार्ताओं के बारे में यदि मुख्य राजनैतिक

दलों के नेताओं, जिनसे इस सम्पूर्ण अवधि के दौरान इस संबंध में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, से विचार-विमर्श नहीं किया तो कम से कम मुस्लिम समुदाय के नेताओं को तो विश्वास में लिया है।

महोदय, उन्होंने जो वक्तव्य दिया है--मैंने उसे बड़े ध्यानपूर्वक कहा है उसमें उन्होंने न्यायालय पर जोर न देकर बातचीत के माध्यम से मैत्रीपूर्ण ढंग से समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। यदि दो पक्षकरों के बीच बातचीत के माध्यम से, किसी स्वीकृति सूत्र या समझौते से कोई हल निकल आता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है; बशर्ते कि दोनों पक्ष सहमत हों। इससे अच्छी कोई बात नहीं है।

उन्होंने अपने वक्तव्य में चार, पांच, छह बार इस बात पर बल दिया है कि वह वास्तव में क्या करना चाहते हैं। वह इस बात की आशा कर रहे हैं कि इन वार्ताओं को नये आयाम दिये जाने चाहिए तथा एक मैत्रीपूर्ण समाधान ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न संबंधित दलों के विचारों में सामंजस्य स्थापित करने के बारे में कहा है।

उन्होंने हमें कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में स्मरण कराया है और कहा है कि—"हम इस मामले का बातचीत द्वारा ऐसा हल निकालने के लिए वचनबद्ध हैं, जिसमें दोनों समुदायों की भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाए। उन्होंने पुनः यह कहा है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य बातचीत के आधार से मैत्रीपूर्ण हल निकालना है। अतः यह मुख्य बात है जिस पर उन्होंने अपने वक्तव्य में बल दिया है। यदि वार्ता निष्फल हो जाती है यदि इसमें कोई सफलता नहीं मिलती है या इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है तो प्रश्न यह उठेगा कि अब इसके बाद क्या किया जाये। यह अच्छी बात है कि थोड़े समय के लिए चाहे यह अस्थाई रूप से हो, इस कार्य को रोक दिया गया है और मैं समझता हूं कि सामान्य तौर पर इस देश के लोगों ने राहत महसूस की है, लोगों को कुछ राहत मिली क्योंकि स्थिति विस्फोटक रूप धारण करने लगी थी। यदि कोई अप्रिय घटना घट जाती तो हमारे देश के विभिन्न भागों में इसके बुरे परिणाम देखने को मिलते और देश में खून खराबा तथा दंगे होते जिसके परिणामस्वरूप अनेक जानें जातीं और शांति भंग हो जाती। कुछ समय के लिए तो कम से कम हम इस अप्रिय स्थिति से बच गये हैं। मुझे यह विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग, जिसमें केवल मुसलमान ही नहीं अपितु आम हिन्दू भी शामिल हैं, यदि यह राहत महसूस करता है कि जो खतरा एक भारी संघर्ष, भिडन्त और हिंसा के रूप में हमारे ऊपर मंडरा रहा था और जिसके परिणामस्वरुप खून खराबा होता, वह अब टल गया है।

अब, हम प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहेंगे—मैं केवल स्पष्टीकरण के लिए कुछ बातें उठा रहा हूं, चूंकि उन्होंने वार्ता की आवश्यकता और एक सौहार्दपूर्ण और स्वीकार्य हल पर इतना अधिक बल दिया है, तो इन वार्ताओं के बारे में सर्वश्रेष्ठ ढंग से वह क्या प्रस्ताव करते हैं तथा इन वार्ताओं में कौन-कौन से दल शामिल होंगे क्योंकि एक खतरा यह है कि यदि वार्ता असफल रहती है तो फिर न्यायालय में जाने और उसका निर्णय मानने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं बचेगा। महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने कल सभा में विपक्ष के जो भाषण सुने हैं उनमें से अधिकांश भाषणों में, यदि मैंने उन्हें सही समझा है तो, इस मामले को न्यायालय में ले जाने की संभावना से बिल्कुल इंकार कर दिया है। यहां यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि ये आस्था की चीजें हैं जो किसी न्यायिक पुनरीक्षा या निर्णय के अध्यधीन नहीं है। पिछले कई महीनों से यह बात कही जा रही है। इसलिए, यहां तक कि सभा में विपक्ष के माननीय नेता ने भी प्रधानमंत्री और "साधुओं" के बीच हुई वार्ता के पश्चात् यह वक्तव्य जारी किया है कि इसे

न्यायालय में ले जाने का कोई प्रश्न नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे न्यायसंगत ठहराया जाए। वाराणसी के माननीय सदस्य, जो कभी कानून और व्यवस्था के रक्षक की वर्दी धारण करते थे, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी वर्दी के साथ-साथ उन विचारों को भी तिलांजलि दे दी है और एक ऐसे मार्ग की वकालत कर रहे हैं जो कानून और व्यवस्था की बजाए अराजकता और अव्यवस्था की ओर जाता है।

एक माननीय सदस्य : शर्म !

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उस दिन मैं वास्तव में आश्चर्यचकित रह गया जब गृह मंत्री ने अयोध्या से लौटने के बाद सभा के भीतर और सभा के बाहर इस आशय का वक्तव्य दिया कि प्रत्यक्षत: उनका यह मत है कि उस समय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा था। यहां इस बात पर बाकी शोरगुल हुआ कि किसी मंत्री की ऐसे वक्तव्य क्यों देने दिए जा रहा है जबकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और वह इस प्रकार अपना प्रत्यक्षत: मत व्यक्त करके अपने ढंग से न्यायालय पर दबाव डालने का प्रयास कर रहा है जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बाएं ओर बैठे अनेक मित्रों ने यही कहा था। परन्तु कल—महोदय, आप बड़ी तल्लीनता से वाद-विवाद सुन रहे थे, वाराणसी के मेरे माननीय मित्र के पूरे भाषण में न्यायालय पर दबाव डालने और प्रभावित करने के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं था। वह और क्या था ? परन्तु किसी ने भी आपत्ति नहीं की। हमने आपत्ति नहीं की, आपने आपत्ति नहीं की। अत: उन्होंने कल सभा में पहले ही पूरे मामले पर दलीलें दे दीं। उनके अनुसार वे वह तर्क थे जिन्हें अन्तत: माना जाना चाहिए। इस मामले में न्यायालयों में अभी सुनवाई की जानी है। परन्तु उन्होंने हर प्रकार के तर्क और विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। हमने अपने देश की संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास के बारे से एक बहुत लम्बा और प्रबुद्ध शोध-निबन्ध में सुना, जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। मैं इस समय इन सब बातों में जाना नहीं चाहता क्योंकि इनके लिए यह स्थान उचित नहीं है··· (व्यवधान)।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) आप श्री शरद यादव के भाषण का हवाला दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : और उस संन्यासी द्वारा समर्थित।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नहीं, महोदय हम सभी, और प्रत्येक व्यक्ति को हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर बहुत गर्व है और रहेगा। परन्तु हमारी संस्कृति को बनाने वाली अनेक बातें हैं। यह केवल ताजमहल या खजुराहो या विभिन्न संस्कृतियां या पेंटिंग्स नहीं हैं, सारा विश्व जानता है; वे विश्व प्रसिद्ध हैं और हमें इन पर गर्व है, हमारी संस्कृति में भारतीय दर्शन के विभिन्न पहलुओं धर्म-गुरुओं की शिक्षाओं और हमारे देश के इतिहास को सुशोभित करने वाले महान सुधारकों की शिक्षाओं सहित अनेक बातें भी हैं। यह सभी हमारे देश की मिली-जुली संस्कृति का अंग हैं। अत: मेरे विचार से संस्कृति की रक्षा के नाम पर एक ऐसे विचार की वकालत नहीं की जाएगी जिसका तात्पर्य यह है कि हम किसी अन्य के पूजा स्थल की बलि चढ़ाकर अपने पूजा स्थल का निर्माण करना चाहते हैं। मेरे विचार से ऐसा भाव हमारी संस्कृति का अंग बिल्कुल नहीं है। और इस देश में, जो एक बहुधर्मी देश है, कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार से किसी अन्य समुदाय, जिससे उसका संबंध नहीं है, के धार्मिक स्थल पर हाथ डालता है तो वह वास्तव में आग से खेलता

है। हम एक दूसरे के लोगों के प्रति यदि एक दूसरे के सहिष्णु नहीं बनें कि सभी लोग शांति पूर्वक एक साथ मिल-जुल कर रहें, तो एक देश और एक राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व बना नहीं रह सकता है।

मैं यहां इसका उल्लेख करना नहीं चाहता परन्तु मैं यह बात किसी दूसरे बिल्कुल भिन्न संदर्भ में कह रहा हूं। आपको याद होगा कि 1984 में क्या हुआ था जब इस देश का एक विशेष समुदाय इतना आहत हुआ था, और शायद ठीक ही हुआ था कि तत्कालीन सरकार ने—किन्हीं भी कारणों से, मैं नहीं जानता, इतिहास ही बता सकता है कि वे ठीक थे या गलत—सशस्त्र सेनाओं को पूजा स्थल में भेजा था। और उसका कैसा परिणाम निकला और उस सम्पूर्ण समुदाय की, जिसका गुरुद्वारा था, क्या प्रतिक्रिया हुई? उनका यह सोचना सही था कि उनका पूजा स्थल अपवित्र किया गया, उसकी अवित्रता भंग की गई और उन्होंने इसका बदला लेने तक की प्रतिज्ञा की। और जो कुछ हुआ वह हम सब जानते हैं। बाद में, हमारे इतिहास की एक सर्वाधिक दुःखद घटना घटित हुई। उस घटना के बाद या पांच सात के बाद ही इस देश की प्रशासन मंत्री को अपने जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। अपने समुदायों से भिन्न समुदायों के धार्मिक पूजा स्थलों में हस्तक्षेप करना एक ऐसी बात है जिसे इस देश में सहन नहीं किया जाएगा। यह धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। आपको एक दूसरे के धर्मों, उनके पूजा स्थलों, उनके धार्मिक व्यवहारों और आस्थाओं को सहन करना पड़ता है। अब एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति की कोई न कोई आस्था होती है। मैं यहां अपने सभी मित्रों की आस्थाओं का सम्मान करता हूं। उनकी यह आस्था है कि कोई विशेष स्थल राम का जन्म स्थल है। उनका कहना है कि किसी अन्य साक्ष्य या प्रमाण या किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह तथ्य कि लाखों लोग अपने दिल और दिमाग से यह विश्वास करते हैं कि यही वह स्थल है, यह राम जन्म भूमि है, और यह पर्याप्त है। हो सकता है। परन्तु अन्य लोगों की आस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? इस देश में अन्य लोग—जो अन्य धर्मों और आस्थाओं वाले हैं, भी यह कह सकते हैं कि उनकी भी कोई आस्था है जो उस उक्त आस्था की विरोधी है। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय कैसे होगा? मेरे विचार से प्रधान मंत्री उस स्थिति में अभी नहीं पहुंचे हैं और न ही हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां यदि कोई ऐसी अप्रत्यक्ष धमकी दी जाए कि यदि तीन मास के भीतर कोई सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकाला गया तो वे पुनः वहां जाकर निर्माण शुरू कर देंगे, तो हम कहां जाएंगे? इसका तात्पर्य है कि तीन मास के पश्चात हम फिर उसी मुकाम पर होंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या प्रधान मंत्री उसके लिए तैयार हैं? या यहां हमारे सभी मित्र सभी आगामी परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हैं? मैं नहीं जानता। यह तीन या चार मास के अन्तराल की अवधि—कोई कहता है यह तीन मास है, कोई कहता है यह चार मास है, परन्तु कुछ लोग चार मास पर आपत्ति करते हैं क्योंकि यह शुभ नहीं है और इसलिए हमें इसे तीन मास ही रखना चाहिए, यह अवधि जितनी भी हो—इस देश में साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए कार्यरत सभी ताकतों को सदुपयोग करना चाहिए। उनका प्रयोग इस देश में ऐसा वातावरण और जनमत तैयार करने में किया जाना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता हो जाएगा। मैं जानता हूं कि 'समझौता' (कम्प्रोमाइज) शब्द से अनेक लोगों को चिढ़ है।

मेरा यह निवेदन है कि जब तक दोनों पक्ष कोई समझौता करने के इच्छुक न हों तब तक कोई निपटारा नहीं किया जा सकता। यदि दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बातों पर दृढ़ता से

अड़े रहें तो कभी भी कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सकता। मैं यह सुझाव नहीं दे सकता कि कौन-सा समझौता संभव हो सकता है और कौन-सा नहीं। अभी तक बातचीत आरम्भ नहीं हुई है। हमें देखना है कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे और आशा करता हूं कि बातचीत की प्रक्रिया के प्रत्येक कदम पर उन पक्षों को, जो इन समझौतों से जुड़े हैं और जो मुख्य रूप से इनसे सम्बन्धित हैं, शामिल किया जायेगा और उनमें से किसी को भी न छोड़ा जायेगा तथा न ही बाहर किया जाएगा। अन्यथा इसमें किस प्रकार से एक सौहार्दपूर्ण समझौता होगा ?

मैं पिछले शनिवार और रविवार को लखनऊ में था। मैं वहां इसलिए नहीं गया कि लखनऊ मेरे मित्र श्री वाजपेयी का निर्वाचन क्षेत्र है। (व्यवधान) मैं तो अपने किसी कार्य से गया था। कल वह मुझसे कह रहे थे कि मैं लखनऊ इस प्रकार से क्यों गया। मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर लखनऊ जाने के लिए कोई बंदिश तो नहीं है। रविवार प्रातःकाल लखनऊ में मैंने हिन्दी समाचार पत्रों सहित सभी समाचार-पत्रों को पढ़ा था। जहां तक प्रेस वक्तव्यों का सम्बन्ध है, मैं इस बात के प्रति अत्यधिक सचेत हूं कि प्रेस तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और उसकी रिपोर्टें अधूरी होती हैं, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूं उसमें संशोधन किया जा सकता है। मैंने महन्त अवैद्यनाथ के वक्तव्य की समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट पढ़ी है। वे उन बातचीतों में भाग लेने वालों में से एक थे। उन्होंने कहा कि अब न्यायालयों का आश्रय लेने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है और सम्पूर्ण मामले न्यायालयों को भेजे जायेंगे तथा न्यायालय जो भी निर्णय दे उन्हें स्वीकार करना होगा। मुझे उस वक्तव्य को पढ़कर अत्यधिक आश्चर्य हुआ। मैं नहीं जानता कि यह प्रामाणिक है अथवा नहीं। इसके बारे में वे ही कह सकते हैं। यह लिखित रूप में है। मैं समाचार-पत्र लाकर आपको दिखा सकता हूं।

इसके अतिरिक्त एक और वक्तव्य श्री अशोक सिंघल ने दिया है। मैं समझता हूं कि वे बातचीत में उपस्थित नहीं थे। उन्हें दिल्ली में उपस्थित रहना चाहिए था। मैं नहीं जानता वह दिल्ली में थे या नहीं परन्तु इतना तो निश्चित है कि वह बातचीत में शामिल नहीं थे। श्री सिंघल उस वक्तव्य में कहते हैं कि प्रधान मन्त्री के साथ इस बात पर सहमति हुई है कि एक समिति का गठन किया जाएगा जिसका सभापति उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा और उस समिति का कार्य यह पता लगाने का प्रयास करना होगा कि क्या वहां मस्जिद से पूर्व कोई मन्दिर था। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि श्री सिंघल ने जो कुछ कहा है, क्या वह वास्तव में सही है। क्या इसी बात पर सहमति हुई थी ? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानता।

अब हम यहां श्री आडवाणी के वक्तव्य पर आते हैं जिसमें उन्होंने जोर देकर दोहराया है कि किसी भी मामले में यह वाद-योग्य मामला नहीं है, अतः इसमें न्यायालयों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

हम कहां जाएं ? हमें क्या करना चाहिए ? अनेक परस्पर-विरोधी वक्तव्य यहां दिए गए हैं। प्रधान मंत्री से यह पूछने का कोई फायदा नहीं है कि क्या साधुओं ने न्यायालय के निर्णय के बारे में उन्हें कोई आश्वासन दिया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि, मैं समझता हूं कि ये वे लोग नहीं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बद्ध हैं। इससे अन्य लोग सम्बद्ध हैं। प्रधान मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि कांग्रेस मस्जिद को गिराए बिना मन्दिर का निर्माण करायेगी।

मस्जिद को गिराने का क्या मतलब है ? क्या इसका मतलब मस्जिद की रक्षा करना है ? क्या इसका अर्थ यह है कि कोई भी मस्जिद के हाथ नहीं लगायेगा ? इसे गिराये बिना स्थानांतरित किया जा सकता है । अनेक बार हमें बताया गया है कि संसार में अनेक ऐसी आधुनिक तकनीकें हैं जिनके द्वारा सम्पूर्ण ढांचे को स्थानांतरित किया जा सकता है । उसे गिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

महोदय, प्रस्तावित मन्दिर का नक्शा शानदार ढंग से मुद्रित और वितरित किया गया है । हमने देखा है कि मन्दिर का निर्माण इस प्रकार से करने का प्रस्ताव है कि इससे पूरी मस्जिद ढक जाएगी । मस्जिद अन्दर रहेगी और मन्दिर उसके बाहर चारों ओर होगा । उस अवस्था में, मस्जिद को गिराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी । परन्तु क्या इससे मस्जिद पर अनधिकार कब्जा नहीं होगा ?

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : वहीं करेंगे··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : कह रहे हैं, वहीं करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अत: हमें यह स्पष्ट बताया जाए कि प्रधान मंत्री ने उनके साथ क्या विचार-विमर्श किया है और उन्होंने किस प्रकार का आश्वासन, यदि कोई है, उनसे प्राप्त किया है ।

महोदय, सभी राजनैतिक दलों के साथ इस मुद्दे पर नियमित रूप से सलाह-मशविरा करने की प्रक्रिया को भी काफी लम्बे समय से छोड़ दिया गया है । मैं आशा करता हूं कि इसे पुन: आरम्भ किया जाएगा । हम भी समय-समय पर कुछ सुझाव दे सकते हैं जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी । मन्दिर निर्माण की योजना किसी के सामने प्रस्तुत नहीं की गई है । अब न्यायालयों ने भी मन्दिर का नक्शा प्रस्तुत करने के लिए कहा है, परन्तु मुझे विश्वास है कि वह अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है । मैं समझता हूं कि हम कम से कम उस योजना के बारे में तो पूछ ही सकते हैं जिसके बारे में वे कह रहे हैं कि 'ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा ।' अत: वह योजना लोगों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए । हमें यह बताया जाये कि वे मन्दिर का निर्माण कैसे करना चाहते हैं । वास्तव में, अब स्थिति जटिल हो गयी है क्योंकि उनसे वहां कुछ भी न करने की आशा की गई है, उनसे वहां कोई निर्माण कार्य न करने की आशा की गई है ।

मुझे विश्वास है कि वाराणसी से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री सन् 1989 के समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे । इस समझौते हर सरदार बूटा सिंह के संरक्षण में हस्ताक्षर किए गये थे । उन्होंने तथा विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने शिलान्यास से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किये थे और उस पर हस्ताक्षर करने वालों में श्री दीक्षित भी थे तथा मुझे यकीन है कि वह दस्तावेज अब उपलब्ध है ।

श्री अीश चन्द्र दीक्षित (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे नाम का उल्लेख किया गया है, अत: मुझे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए । मैंने कभी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है उस हस्ताक्षरित समझौते का कभी भी सम्मान नहीं किया गया। इसका उल्लंघन किया गया। अतः इस प्रकार के समझौते की क्या उपयोगिता है यदि कोई व्यक्ति कुछ और करने के लिए कृत संकल्प है ? वे हस्ताक्षर किसी बारे में करते हैं, कहते कुछ और हैं तो करते कुछ और हैं। यह ठीक विपरीत है। इसलिए, मैं इन मुद्दों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

महोदय, जहां तक इस मुद्दे की सम्पूर्ण राजनैतिक पृष्ठभूमि का संबंध है, मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन ने यहां एक अत्यधिक स्पष्ट भाषण दिया है जिसमें उन्होंने राजनीति को धर्म से जोड़ने के इस निरन्तर प्रयास के प्रभावों का उल्लेख किया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, श्री आडवाणी जिनका मैं उनकी समझदारी स्वस्थ विचारों और अभिव्यक्ति तथा दूरदर्शिता के लिए सम्मान करता हूं, निरन्तर एक ही बात कह रहे हैं। उन्होंने इसे आपके चैम्बर में भी अनेक बार कहा है। क्या मुझे यहां उनका उल्लेख करने की अनुमति है।

सभापति महोदय : नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने कहा था : हमारा दल क्या था ? विगत चुनावों से पूर्व हमारा दल क्या था। विगत चुनावों से पूर्व हमारा दल क्या था। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी क्या थी ? यह कुछ भी नहीं थी। यह एक चुनाव में ही सत्ता में कैसे आ गई है। तथा इतने अधिक मत और सीटें कैसे प्राप्त की हैं। उन्होंने तथ्य को भी नहीं छिपाया। उन्होंने कहा था कि यह सब मन्दिर के कारण हुआ है। मैं नहीं जानता कि क्या स्पष्ट रूप से ऐसा कहने से निर्वाचन नियमों का उल्लंघन होता है—हमने चुनाव प्रचार करने, वोट प्राप्त करने और सत्ता में आने के लिए धार्मिक प्रतीक का प्रयोग किया था, क्या निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत इसकी अनुमति दी गयी है। कुछ भी हो, उन्होंने इस बात को अत्यधिक स्पष्ट रूप से कहा था :

[हिन्दी]

(व्यवधान) वे कर भी सकते हैं और कौन करेगा ?

[अनुवाद]

मैं माननीय प्रधान मंत्री से यह आशा नहीं करता कि वे इसे इसी समय स्पष्ट करें। उनसे इस समय इन सभी प्रश्नों, आशंकाओं अथवा अनेक अन्य बातों का स्पष्टीकरण मांगना अनुचित होगा।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : आपका धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं हमेशा दूसरों का ध्यान रखता हूं। परन्तु यदि आप समझते हैं कि आप इसी समय इन सभी बातों को स्पष्ट करने में सक्षम हैं तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसे नहीं कर सकता और इसी कारण से मैं यह कहने जा रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने दूसरे सदन में जो कुछ कहा था, मैं उसी के आधार पर बोल रहा हूं। वहां आपने प्रत्यक्ष रूप से यह कहा था, "मैं उतना ही प्रेमित हूं जितने कि आपमें से कुछ।" (व्यवधान)

श्री वी० वी० नरसिंह राव : यह हम सभी का संयुक्त भ्रम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या अब इस भ्रम को दूर कर दिया गया है, मैं यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हूंगा।

मैं यही कहना चाहता हूं। अन्त में, मैं चाहता हूं कि इन बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

मैं अपना भाषण यह कहकर समाप्त कर रहा हूं कि यदि इस देश में उन सभी शक्तियों और दलों, जो साम्प्रदायिक सौहार्द, शान्ति और धर्म-निरपेक्षता के पक्षधर हैं, के द्वारा उस प्रकार की राजनैतिक स्थिति और जनमत तैयार करने के लिए इन तीन या चार महीनों का सदुपयोग नहीं किया गया, तो इस अवधि के समाप्त होने पर हम स्वयं को एक बार फिर संकटपूर्ण स्थिति में पायेंगे।

मुझे सन्देह है कि आगे आपको इस स्थिति में राहत मिलेगी भी या नहीं। यह एक अत्यंत गम्भीर स्थिति है। हम सभी सहयोग करने को तैयार हैं। मुझे विश्वास है कि यहां पर उपस्थित हमारे बहुत से मित्र भी सहयोग करने को तैयार हैं। किन्तु हम मिलकर बैठें और एक दूसरे को दिमाग पर जोर डालने के लिए प्रेरित कर पता लगाएं कि क्या कोई तर्कसंगत तरीका खोजा जा सकता है।

मैं यहीं जानता कि अन्य देश तथा अन्य देशों के लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं—यह नहीं कि वह सम्पूर्णता और पवित्रता के देवता है। मैं यह नहीं कहता। मैं यह नहीं कहता। किन्तु भारत जैसा विशाल देश पिछले कई हफ्तों से अन्य सभी समस्याएं भूल गया लगता है। लोगों की अन्य सभी समस्याएं और मुद्दे पृष्ठभूमि में चले गए। श्री आडवाणी ने शायद जानबूझ कर किया है क्योंकि हम प्रतिभूति घोटाले पर चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं। स्थिति ही इस प्रकार की है। आप चिन्ता न करें प्रतिभूति घोटाले पर भी चर्चा करेंगे। इतना बड़ा देश हफ्तों से मन्दिर और मस्जिद विवाद को लेकर परेशान है। मेरे विचार से यह एक विशेष प्रकार की स्थिति है और मैं नहीं जानता कि अन्य देशों में केवल मुस्लिम देशों की बात नहीं कर रहा हूं—की क्या प्रतिक्रिया है। आप इस बारे में चिन्ता न करें। मेरे एक मित्र जो पिछले सप्ताह इलाज के लिए बंगला देश से आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि बंगलादेश के लोग यहां की खबरों से बड़े चिंतित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : बंगलादेश में अभी-अभी सैकड़ों मन्दिर तोड़े गए, क्या आपको उसकी चिन्ता नहीं है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये भी खेल आप खेल रहे हैं, ये तो दोनों साइड खेल सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इस प्रकार से नहीं, वे कहने जा रहे हैं कि अगर इस प्रकार से होगा तो उसका असर बाहर के देश में भी हो सकता है। आप सुनिए, आप उसका जवाब दे दीजिए, अगर देना है तो···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब यही आन्दोलन अपनी परम सीमा पर पहुंच गया था और जब श्री आडवाणी अपने रथ में रथ यात्रा कर रहे थे तो बंगलादेश में इसकी कुछ निन्दनीय प्रतिक्रियाएं हुईं और साम्प्रदायिक गुण्डों द्वारा कई हिन्दू मन्दिरों को नुकसान पहुंचाया।

एक माननीय सदस्य : यह उचित है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप कह रहे हैं कि "यह उचित है।" यह उचित है या अनुचित। आप न्यायालय के निर्णय को क्यों नहीं देखते ? क्या किसी न्यायालय के निर्णय को अनदेखा करना उचित है ? शाहबानू मामले में क्या हुआ ? सरकार ने यह घृणित कार्य किया है ? क्या हमने इसका विरोध नहीं किया और इसके विरुद्ध नहीं लड़े ? क्योंकि सरकार ही शाह बानू मामले में निर्णय को बदलना चाहती थी इसलिए आप भी इस मामले का उपहास उठा सकते हैं। यह किस प्रकार का फैसला है। नहीं (**व्यवधान**) ढाका से आए मेरे मित्र को यह आशंका थी कि यदि वहां के लोगों के ऐसा आभास मिलता है कि यहां पर आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और किसी न किसी प्रकार मस्जिदों का अतिक्रमण किया जाएगा या उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो वहां के साम्प्रदायिक लोग हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हमले आरम्भ कर देंगे। क्या हम उनकी रक्षा के लिए तैयार हैं ? हम हर किसी के संरक्षक हैं। बंगलादेश में रहने वाले हिन्दू भाई बहनों का क्या होगा ? **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : वे यह मानते हैं कि वे हिन्दू नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पिछली बार जब राष्ट्रपति इरशाद सत्ता में थे उन्होंने एक सार्वजनिक आश्वासन दिया था कि जिन मन्दिरों को क्षति पहुंची है सरकारी खर्च पर उनकी मरम्मत की जाएगी। किन्तु मेरे मित्र ने बताया अभी तक कुछ नहीं किया गया है। क्षतिग्रस्त मन्दिर अभी तक उसी स्थिति में पड़े हैं। अब अगर यहां इस प्रकार का माहौल बनता है, ऐसा आन्दोलन चलता है तो वहां पर साम्प्रदायिक तत्व मन्दिरों और अल्पसंख्यकों पर हमले आरम्भ कर देंगे। जब हम कुछ करते हैं तो हमें अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में होने वाली प्रतिक्रिया के प्रति भी सतर्क रहना होगा। मैं यह नहीं कहता कि यही एक बात है। किन्तु इसे भी ध्यान में रखना होगा।

इसलिए, मैं यह कहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री पर भारी दबाव था। मैं जानता हूं कि हम भी उन पर सख्त कार्यवाही के लिए दबाव डालेंगे। दूसरे पक्ष के लोग यह कह रहे थे, "आपने जो कार्यवाही करनी है कीजिए। हम अपना खून बहाने को तैयार हैं। किन्तु हम वह जगह छोड़ने को तैयार नहीं हैं।" किन्तु न तो खून बहा, न ही वह वहां रहे और न ही और कुछ हुआ। ऐसा लगता है कि लोगों के विचार बदलने की संभावना है। लोग मजबूरी में या

किसी दबाव में अपना विचार बदल लेते हैं। मैं नहीं जानता कि बातचीत की प्रक्रिया कैसे आरम्भ होगी। किन्तु मुझे आशा है कि इसके कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे और हम एक सौहार्दपूर्ण दल के लिए अपना पूरा सहयोग देने को तैयार हैं और मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ सवाल उठाए हैं प्रधान मंत्री उन्हें स्पष्ट करेंगे।

श्री ए० आर० अन्तुले (कोलाबा) : अध्यक्ष महोदय, यह कोई खुशी का विषय नहीं है बल्कि एक ऐसा आन्दोलन है जो अत्यन्त दुखद है। कोई भी देशभक्त भारतीय इन घटनाओं से खुश नहीं है और देश भक्ति निश्चित रूप से किसी विशेष समूह, व्यक्ति या समुदाय की बपौती नहीं है। जहां तक मुसलमानों का संबंध है, मोहम्मद भी एक सूक्ति है जो एक किस्म का आदेश है कि—"हब्बुल वतन मिनाल-ए-ईमान" अर्थात् वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है।

वह व्यक्ति जिसे अपने देश से प्यार नहीं है मुस्लिम कभी नहीं हो सकता। इस संदर्भ में आज जो कुछ भी हो रहा है क्या उसे हम वास्तव में एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच संघर्ष, झगड़ा विवाद मानते हैं ? विनम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में—हजारों वर्षों से विशेषकर पिछले पन्द्रह सौ वर्षों में किसी मन्दिर, और किसी मस्जिद के मुद्दे पर कभी भी कोई विवाद या झगड़ा नहीं हुआ है। मेरी उम्र अब 63 वर्ष की है। मैंने साम्प्रदायिक झगड़े तथा 1946 की पाशविक घटनाओं को देखा है। मैं उस समय एक छोटा बच्चा था। क्या हम उन भयानक दिनों और डरावनी रातों को पुनः वापस लाने चाहते हैं ? हमने उस समय हिन्दुओं द्वारा मुस्लिमों को और मुस्लिमों द्वारा हिन्दुओं को मारते हुए देखा है। हजारों सालों से ज्यादा समय से भी इस देश में हिन्दु और मुस्लिम भाई-बहन जैसे रहते आये हैं। कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब किसी समुदाय विशेष के लोगों ने दूसरे किसी समुदाय के लोगों की इसकी हत्या की हो कि उनका धर्म, विश्वास और आस्था भिन्न हैं। दुर्भाग्यवश यह मनुष्य के अंदर जानवर की प्रवृत्ति है जो ऐसी उन्माद पैदा करते हैं तथा जो भी ऐसा उन्माद पैदा करते हैं, चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम, वे आम आदमी के सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य के अंदर इस जानवर की प्रवृत्ति को नहीं जगाना चाहिए।

महोदय, इससे किसका नुकसान होगा ? मुझे पहले भी कहीं इस संबंध में कहीं बोलने का मौका मिला था। मान लीजिए, एक उन्माद भरा वातावरण का निर्माण होने से गांव में हजारों मुस्लिम लोगों की जिन्दगी खतरे में पड़ जाती है, तो उन्हें कौन सुरक्षा प्रदान करेगा ? तथापि निश्चय ही सभी सरकारों का यह उत्तरदायित्व है कि वह शांति बहाल करें तथा ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे कि सभी समुदाय के लोग आपस में भाइयों तथा बहनों जैसे रहें। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकती क्या ऐसा वातावरण तैयार करने में हमें सरकार की मदद नहीं करनी चाहिए ? मैं नहीं समझता कि सरकार पुलिस बल या सेना की मदद से शांति का वातारण तैयार कर सकती है। मेरे विचार से, इस मामले में बहुत अधिक राजनीति आ गई है। मैं बेझिझक कह सकता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल, अपनी अंतरात्मा पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि उसने इन मुद्दों का लाभ कभी न कभी अपने राजनीतिक उद्देश्य और हितों के लिए न किया हो। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो आज क्या होता ? क्या हम इसके बिना देश की सीर्षस्थ लोकतांत्रिक, प्रभुत्ता सम्पन्न संस्था में विराजमान होते ? क्या हम यहां बैठे होते ? मैं इस प्रश्न को सभी लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मान लीजिए कि यदि इस स्थिति को सामान्य नहीं बनाया जाता तो हम चर्चा करने की स्थिति में नहीं होते या जैसी चर्चा आज हम कर रहे हैं वैसी

चर्चा नहीं कर रहे होते। उन्माद मेरे वातावरण में कोई भी समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इस स्थिति को सामान्य बनाया गया है।

चाहे यह 'अ' दल हो या 'ब', मेरे लिए मैं बिल्कुल मायने नहीं रखता। आज भारत में शांति तथा सौहार्द का वातावरण है तथा ऐसी स्थिति में बातचीत की जा सकती है। मेरे विचार से प्रधानमंत्री द्वारा स्थिति को सामान्य बनाये जाने का कार्य इस वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं अपनी अंतरात्मा से उनको बधाई देता हूं। उन्माद का वातावरण इतना जल्दी शांत हो जाएगा और शांति बहाल हो जाएगी ऐसा किसी व्यक्ति ने और न ही मैंने सोचा था। आज से चालीस से पचास वर्ष पूर्व की बात को ध्यान कीजिए। ऐसे ही दुखद घटनाओं की पुनरावृति रोकने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने साधु और संतों से चर्चा की थी। और उन्हें यह बातें भी क्यों नहीं करनी चाहिए? यदि उनकी बातों से इस देश में शांति लाई जा सकती है तो उन्हें किसी भी व्यक्ति से बातें करनी चाहिए। उन्हें किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें यह नहीं महसूस करना चाहिए कि अमुक क, ख या ग व्यक्ति अछूत है। इंसान के प्रति बरती जाने वाली अस्पृश्यता के अपमान से हम अभी तक नहीं उबरे हैं। हमें इस देश अस्पृश्यता का एक और वर्ग-राजनीतिक अस्पृश्यता-का निर्माण नहीं करना चाहिए। संत और महन्त प्रधानमंत्री से मिले थे। उसका परिणाम आप देख सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप कार सेवा को रोक दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इस देश के लाखों मुस्लिम, जैसाकि मैं उन्हें जानता हूं, खुश हैं, तथा उन्होंने राहत की सांस ली। वे लोग अत्याधिक तनाव में थे। वे यह नहीं जानते थे कि उनके जीवन को क्या होगा, उनकी सम्पत्ति तथा आजादी का क्या होगा। आज यदि उनका जीवन, आजादी तथा सम्पत्ति सुरक्षित है, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसका पूरा क्षेत्र हमें प्रधानमंत्री को देने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। जो उनका श्रेय है वह हमें उन्हें देना चाहिए। अब हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अब जब स्थिति सामान्य हो गई है। हम विचार-विमर्श प्रारम्भ कर सकते हैं हम उनके साथ बैठें और कहें, "अमुक-अमुक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है तथा उन्हें सहायता दी जानी चाहिए।" हमें इस समस्या का समाधान हमेशा के लिए करना होगा। मुझे आशा है कि मुझे गलत नहीं समझा जाएगा, मैं ईश्वर के सिवाय और किसी से नहीं डरा और न कभी डरूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि उनके प्रति जवाब देता हूं और किसी के प्रति नहीं। मैं नहीं जानता कि न्यायालय का निर्णय क्या होगा। न्यायालय का निर्णय चाहे जो कुछ हो, देश के लाखों लोगों के पास जाकर कौन इसे स्पष्ट करेगा और न्यायालय के निर्णय को मानने के लिए उन्हें प्रेरित करेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मैं, एक भारतीय तथा मुस्लिम दोनों होने के नाते-जिसका मुझे गर्व है—प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह विचार-विमर्श से इस समस्या का समाधान करें, किसी प्रकार का तनाव न बढ़ने पाये, कोई गलतफहमी न होने पाये, किसी के प्रति दुर्भावना न होने पाये। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि न्यायालय का निर्णय माना जाना चाहिए। मेरा भी ऐसा ही विचार है। लेकिन न्यायालय का निर्णय तभी माना जाना चाहिए जब यह आम लोगों द्वारा स्वीकार्य हो क्योंकि उन्हें पहले ही उन्माद भरा वातावरण का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति किसके द्वारा पैदा की गई है? हम सभी यह जानते हैं। राजनीतिक दल तथा उनके नेतागण इस आरोप से अपने आप को अलग नहीं रख सकते। नेताओं द्वारा देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहिए तथा इसका अनुभव सबसे पहले आम आदमियों को मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आज वे सबसे अभिन्न मित्र हैं। लेकिन जब मुस्लिम लोगों की हत्या हो रही है। जो पिछले

चालीस वर्षों से हो रही है, तो हममें से कितने लोग उनके जिन्दगी बचाने के लिए गए ? कितने लोगों ने मुस्लिम लोगों की जान बचाने हेतु अपनी जान न्योछावर किया है ? हम लोग बाहर नहीं निकल पाये । वे उनको उपदेश देते हैं परन्तु वे उपदेश देश की अल्पसंख्यकों को महंगा पड़ा । मैं एक भारतीय और मुस्लिम होने के नाते महोदय आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे शांतिपूर्ण निष्कर्ष के लिए बातचीत जारी रखें जिससे कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को जान और माल की सुरक्षा का एहसास हो सके जिसके लिए वे लोग पिछले चालीस वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं, मेरे विचार से हमें उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहिए । ऐसा कहना उचित नहीं है कि 'क' व्यक्ति गलत है और मैं सही हूं । प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति दंगा में मारा गया है वह न्याय की उम्मीद किससे करें । उसके मरने पर सब कुछ समाप्त हो गया । अपने परिवार के लिए वह मार दिया गया है अपने बच्चों के लिए वह रोजी कमाने वालों के रूप में मार दिया गया है । क्या हम लोग उसकी विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों की देखभाल करेंगे ? पिछले चालीस वर्षों में हमने ऐसे कितने विधवा पत्नियों और बच्चों का देखभाल किया है ? जब भी कोई दंगे हुए हैं, वे तुच्छ आधार पर ही हुए हैं । क्या हम उन तुच्छ आधारों का जायजा लेकर उसे दूर नहीं कर सकते थे ? दुर्भाग्यवश, हमने ऐसा नहीं किया । इसे ईमानदारी से हमें स्वीकार करना चाहिए ।

हमें यह मानने में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हमारी ओर से या हम सभी की ओर से कुछ चूक हुई है । हमें केवल यही नहीं कहना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति गलत है और मैं तथा मेरी पार्टी सही है । मेरे विचार में प्रधानमंत्री ने एक नया आधार खोला है हम उनकी सफलता की कामना करते हैं । मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा को स्मरण कराना चाहता हूं कि हमें इन्द्रजीत गुप्ता जी द्वारा निर्दिष्ट पार्टी को ध्यान में रखकर चर्चा करनी चाहिए जिसे बातचीत के लिए बुलाया गया है तथा ऐसे गरीब मुसलमानों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो गांवों में यहां वहां बने, सात, दस या पन्द्रह घण्टों में रहते हैं और जिनके घर जला दिये जाते हैं; वे ही दूसरी पार्टी हैं उन्हें बुलाया जाना चाहिए वे ही अपना दुःख जानते हैं । जब भी दंगा होता है जहां भी खून खराबा होता है नुकसान उन्हीं का होता है हमारा नहीं । मैंने 1947 से या यू कहें कि 1946 से अब तक कोई भी ऐसा दंगा नहीं सुना जिसमें किसी भी समुदाय के किसी नेता की मृत्यु हुई हो । जो दंगे के शिकार होते हैं उन्हें तो ऊपर वाले की दया पर छोड़ दिया जाता है और हम इस आरामदायक चेम्बर में बैठकर उनके संरक्षक बन बैठते हैं । हमें यहां उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए जबकि हम उनके अधिकारों को कुचलने में लगे रहते हैं । अतः मेरा आपसे तथा इस सभा से यह अनुरोध है कि हम ठंडे दिमाग से यह सोचें कि जो कुछ हम आज निर्णय लेंगे उसका परिणाम क्या होगा । कोई कार्रवाई करने से पूर्व उसके परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए अन्यथा न्यायालय के फैसले से वे बच नहीं पाएंगे क्योंकि न्यायालय का फैसला किसी न किसी व्यक्ति के विरोध में तो होता ही है । यदि कुछ लोग कहें कि जो नेतागण न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे तो यह बड़े दुख की बात होगी । किन्तु क्या वे करोड़ों लोग जिन्हें उन्मादी बनाया गया है न्यायालय के फैसले को मानेंगे ? इसमें कुछ समय लगता है, और यदि समय जख्मों को भरने का कार्य करता है, लोगों को पहले की सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है तो अब समय आ गया है कि हम बातचीत करें ।

प्रधानमंत्री ने चार महीने क्यों कहा है, मुझे वास्तव में पता नहीं है । मैं तो यहां तक कहूंगा कि चाहे इसमें एक वर्ष का समय लगे और शांति स्थापित हो जाए तथा यह समस्या बातचीत से

ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुलझ जाए, जैसाकि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में उल्लिखित है, तो वह राष्ट्रहित में सर्वोत्तम सेवा होगी ।

हमें बहस के मुद्दों को ही नहीं उखेड़ना चाहिए । हमें लोगों के जीवन तथा देश की अखंडता के बारे में सोचना चाहिए । हमें देश के भविष्य का सोचना चाहिए जिससे हमारा भविष्य भी जुड़ा है । यदि हम ऐसा कर पाये तो वास्तव में हम अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार साबित होंगे ।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता है कि शांति है । इससे बड़ी प्रसन्नता इस बात से है कि प्रधानमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि 4 महीनों में कोई आशा की किरण, उम्मीद की रोशनी दिखाई पड़ेगी । लेकिन मैं इस पर उनसे कोई सफाई नहीं चाहूंगा । जैसा हमारे मित्र इन्द्रजीत जी गुप्त ने कहा है । कुछ बातें दो-चार मिनट में आशंका के रूप में उनके सामने रखना चाहता हूं । वह आशंका आज की नहीं, बहुत पुरानी है । हमारे मित्र अंतुलेजी ने बहुत भावुकता भरा भाषण दिया है । यह सही है कि लोग मरते हैं हम लोग नहीं मरते हैं, लेकिन उतना ही सही है कि संसद में बैठ कर हम इस बात के जिम्मेवार हैं कि जो राजसत्ता, जो हुकूमत चल रही है, जो कानून-व्यवस्था है उसको लागू किया जाए । वह कानून होते हुए अगर इतने लोग मरते हैं तो यदि कानून को देखने वाले नहीं होंगे तो कितने लोग मरेंगे, यह बात हमारे मित्र अंतुलेजी भूल गये । इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि कानून की बात सबको माननी चाहिए, कोई यह नहीं कहता कि प्रधानमंत्री जी कल ही कानून बनवाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठायें । उन्होंने बार-बार कहा कि बातचीत से समस्या का हल होना चाहिए, लेकिन अभी यह भी पता नहीं चला देश को, संसद को कि समझौता क्या हुआ है या बातचीत का रास्ता क्या होगा ।

जैसा हमारे मित्र इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि दोनों तरफ से वक्तव्य दिये जाते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है न्यायालय का निर्णय सबको मानना पड़ेगा, जिसको शायद अंतुलेजी नहीं मानते, क्योंकि उनको आशंका है कि लोग मरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आडवाणी जी ने कहा है कि मामला अदालत से हल नहीं होगा । संत लोगों ने कहा है कि तीन महीने के बाद हम चुप नहीं रहेंगे । यह भी कहा है कि हमारे विश्वास और आस्था का सवाल है । इसमें अदालत कुछ नहीं कर सकती है, फिर बातचीत का रास्ता कैसे बने ? माहौल वहां ऐसा हो कि शुरुआत में ही अविश्वास हो, एक-दूसरे के खिलाफ वक्तव्य देने का हो तो फिर मामला और उलझेगा । मुझे दुख नहीं होता अगर संतों का भाषण होता, मुझे दुख नहीं होता अगर किसी महन्त ने कहा होता लेकिन जब आडवाणी जी कहते हैं तो शंका जरूर उठती है । इसीलिए इस सदन में दिये गए वक्तव्य का दूसरा अर्थ हो जाता है । क्या मैं प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करूं कि क्या इस सदन को और देश को आप यह विश्वास दिला सकते हैं कि जब तक आपकी आपसी विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू न हो, कोई एक दूसरे के खिलाफ या एक दूसरे की बातों के खिलाफ वक्तव्य नहीं देंगे । अगर इतना भी नहीं होता है तो समझौता कैसे हो ? समझौते की बात कोई नई बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति की बात कही जा रही है । भारतीय संस्कृति ने हमें बहुत सारे उदाहरण दिये हैं । महाभारत भी हमारे देश में हुआ था । भीष्म थे, कृष्ण भी थे और दोनों चाहते थे कि महाभारत न हो, दोनों ही चाहते थे कि कोई मरे नहीं । सारा महाभारत इस बात की कहानी है कि भीष्म का उपदेश रखा रह गया, कृष्ण की अनुनय-विनय धरी रह

गयी । महाभारत क्यों हो गया, आडवाणी जी को इस पर विचार करना चाहिये । एक धृतराष्ट्र राजसत्ता में बैठे थे । वे निर्णय नहीं कर पाये कि इधर की बात कहें या उधर की बात । इसलिए आप यह भी याद रखिए कि भारतीय संस्कृति में अनेक उदाहरण हैं । इसलिए कभी-कभी जो लोग निर्णय लेने की जगह पर बैठे हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं तो जो खून-खराबा रोका जा सकता था, वह खून-खराबा नहीं रुका और वे नहीं रोक पाये । कहीं हम महाभारत को पुनरावृत्ति तो नहीं कर रहे हैं ? क्या फिर तो हम उन कामों को नहीं करने जा रहे हैं ? विकास उस समय भी हुआ था । इन्द्रप्रस्थ, खाण्डवप्रस्थ, सोने के महल – सब जलकर राख हो गये । कृष्ण और भीष्म पितामह बैठे रहे । देश जल गया, मर गया, भाई-भाई का खून बहाने के लिए विवश हो गया । मुझे वही आशंका दिखाई पड़ती है । इसलिए अगर बातचीत हो तो सफाई से हो और सबको मिला-जुलाकर हो । बातचीत में ऐसा न हो कि आदमी उस बातचीत का एक अर्थ समझे, दूसरा आदमी दूसरा अर्थ समझे तो देश फिर विनाश की ओर जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि पिछले तीन दिनों में जो शांति दिखाई दी है, उसका बड़ा अभिमान है और जिस शांति पर हमारे मित्र तालियां बजा रहे थे, उस शांति और अमन के पीछे वही अविश्वास, दुविधा है । एक दूसरे के मनोभावों को नहीं परखने में आपस में शंका है । इसको मिटाने के लिए अगर आप कुछ कर सकें—अपने पद से, अगर प्रधानमन्त्री जी कुछ कर सकें कि तीन महीने की मोहलत इस काम के लिए मिली है कि शुरूआत बातचीत से होगी तो शायद देश को कुछ राहत की सांस हो सकती है । डरा हुआ आदमी अगर राहत की सांस लेता है तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है । लोग समझते हैं कि हम कत्ल होंगे । छः महीने या 3 महीने के लिए उनके कत्ल की मियाद और बढ़ जाती है तो हर आदमी हर फांसी की सजा पाया हुआ आदमी इस स्थगन को अविश्वास से देखता है कि शायद कोई बचा ले । अगर भगवान ही बचाने वाला है तो फिर इस संसद की आवश्यकता नहीं है । इस सरकार की आपको आवश्यकता नहीं है । भगवान बचाये या न बचाये, खुदा किसी की मदद करने के लिए आये या नहीं आयें, नेता सदन और नेता विरोधी पक्ष आप मत करो । तीन महीने में यह उत्तेजना का माहौल फिर न बनाया जाये । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस दिन से शांति हुई है, उसी दिन से फिर से उत्तेजना का माहौल बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं जो विनाश का कारण हो सकती है । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या अब मध्याह्न भोजन के लिए उठ जाएं ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

अध्यक्ष महोदय : हम 2.00 म०प० पर पुनः समवेत होंगे ।

1.00 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म०प० बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

2.02 म० प०

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.02 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : श्रीमान्, मैं श्री रंगराजन कुमारमंगलम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2362/92]

राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग तथा लोक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : श्रीमान्, मैं डा० चिन्ता मोहन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी० 2363/92]

[हिन्दी]

सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1992 की एक प्रति

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सम्मिश्र खाद्य वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1992 जो 20 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 422 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 2364/92]

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग के बीच 1992-93 का समझौता ज्ञापन

उद्योग मन्त्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मन्त्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 2365/92]

(2) भारत यन्त्र निगम लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 2366/92]

नेवेली लिग्नाईट निगम लिमिटेड और कोयला मंत्रालय से बीच वर्ष 1992-93 का समझौता ज्ञापन

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग) में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : महोदय, श्री एस० बी० न्यामगौड की ओर से मैं नेवली लिग्नाईट निगम लिमिटेड और कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 1992-93 के समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 2367/92]

2.04 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एस० मल्लिकारजुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

2.05 म० प०

[अनुवाद]

नियम 193 के अधीन चर्चा

राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर उठाई गई चर्चा पर बहस करेंगे। अब श्री सैयद शाहबुद्दीन आप बोलिए।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र अभी सत्रह दिनों के ऐसे संताप, आघात, कष्ट, रोष, दुःख तथा तनाव से उभरा है, जिसने गणराज्य की नींव को हिला दिया। महोदय, हम लगातार आशा और निराश्य, उमंग और दुख के दौर से गुजरे हैं तथा अन्त में हम सभी ने राहत की सांस ली है। हमें राहत मिली मुझे इसकी खुशी है। महोदय, प्रधान मन्त्री जी अयोध्या में विवाद ग्रस्त स्थल पर अवैध निर्माण को रुकवाने में सफल हो गए। मैं नहीं जानता कि इसे विश्व हिन्दू परिषद तथा उसके सहयोगियों की पीछे हटने की एक चाल कहना चाहिए या ऐसी ताकतों के आगे जिन्होंने हमारे देश के संविधान को चुनौती दी, कानून का उल्लंघन किया, न्यायाधीशों के पुतले जलाए तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका को आतंकित करने का प्रयास किया, और उस स्थल के बारे में झगड़े का वातावरण तैयार किया, सरकार द्वारा घुटने टेकने की चाल कहना चाहिए। इसके बारे में इतिहास ही बताएगा। आगे आने वाले तीन-चार महीने इसके बारे में बताएंगे। किन्तु महोदय मैं यह टिप्पणी करने के लिए आपकी अनुमति चाहूंगा कि ऐसी ताकतों के साथ आतंकित करना कहां तक ठीक है जिन्होंने देश को खतरे में डाला है तथा राष्ट्र की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। महोदय, हमने अनेक बार ऐसी ताकतों का सामना किया है जिन्होंने इस गणतन्त्र के इतिहास में कई बार चुनौती दी। आज भी हम उन ताकतों का हैदराबाद तथा जम्मू-काश्मीर में मुकाबला कर रहे हैं तथा अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग कर रहे हैं।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि अयोध्या के मामले में हम असफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने लगभग दो सप्ताह से टाल-मटोल, निष्क्रियता, उपलब्धता वाली तथा संशय वाली नीति अपना रखी है। सरकार ने एक के बाद एक बहाना ढूंढा है। राजनैतिक मामलों सम्बन्धी मन्त्रिमण्डलीय समिति की बैठक हो रही है; गृहमन्त्री अयोध्या का दौरा कर रहे हैं; उच्च न्यायालय इस मामले पर विचार कर रहा है; राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक होने जा रही है।

राज्य सरकार भी इस बारे में सूचना तक आदान-प्रदान देखने में लगी हुई है और उच्चतम न्यायालय भी इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है। किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से टिप्पणी किए जाने के बावजूद यह कहा गया, "यह केवल टिप्पणी है, आदेश नहीं है।" फिर भी हम इन सभी बातों को माफ कर रहे हैं। हमारे समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए तथा सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हम सभी कुछ भूल सकते हैं बशर्ते कि अगले तीन महीनों में इन सभी बातों का वास्तव में समाधान हो जाए।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने इतिहास में एक अजीब स्थिति से गुजरे हैं। यहां तीन प्रकार का संघर्ष है—पहला केन्द्र तथा राज्य के बीच; दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच तथा इन दोनों से भिन्न एक तीसरा संघर्ष धर्म निरपेक्ष ताकतों तथा उग्र राष्ट्रवादी ताकतों के बीच है। धर्म निरपेक्ष सिद्धान्तों की पवित्रता में तथा गणतन्त्र की इच्छा शक्ति में निष्ठा व्यक्त करने का समय है। मेरे विचार से ऐसे समय में सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए थी। फिर भी मैं आशावान् हूं। पूरे देश में लोगों द्वारा अपनी समझदारी का बेहतर इजहार किया गया है। शायद ही कोई उत्तेजना हुई हो। हम सांस रोके रहे, हमें यह डर था कहीं कुछ हो न जाए। श्री चौधरी ने 'पायनिर' द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणामों का उदाहरण दिया है। देश के 90 प्रतिशत मुसलमानों ने अयोध्या में मन्दिर निर्माण का समर्थन किया है तथा देश के 80 प्रतिशत हिन्दुओं ने यह कहा है कि मस्जिद को न गिराया जाये तथा उसे कोई क्षति न पहुंचाई जाए। यह हमारे लोगों की समझदारी का एक उदाहरण है। इस समझदारी के आधार, पर हम भविष्य के किले बना सकते हैं। इससे हमें आशावादी होना चाहिए कि इन बातों से ही इसका कोई उचित समाधान ढूंढा जा सकता है तथा सौहार्दपूर्ण हल किया जा सकता है, किन्तु मैं इस बारे में सरकार को आगाह करना चाहूंगा।

स्वर्गीय राष्ट्रपति कैनेडी के अविस्मरणीय शब्दों में :

"हमें वार्ता करने से नहीं डरना चाहिए किन्तु, डर से वार्ता नहीं करनी चाहिए।"

सरकार को डर से उन ताकतों के साथ वार्ता नहीं करनी चाहिए जो भारत के संविधान को चुनौती दे रही हैं।

महोदय, मैं संक्षेप में उस बात का हवाला देना चाहूंगा जो वाराणसी से हमारे माननीय संसद्य श्री दीक्षित ने यहां कहा है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। किन्तु मैं अति प्रसन्न हूं कि उन्होंने स्वयं को तथा उन ताकतों को जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कि वे कानून का पालन कर रहे हों। वास्तव में हम भी यही चाहते हैं कि वे ऐसे बने तथा ऐसा करें। किन्तु सत्य यह है कि मस्जिद के अन्दर मूर्तियां यथा स्थिति को बनाये रखने के आदेश के कारण रखी गईं। मस्जिद के अन्दर पुजारी द्वारा भोग और पूजा 1950 के यथा स्थिति के आदेश के कारण की जा रही है। न्यायालय के आदेश के आधार पर ही लोगों को अन्दर मूर्तियों के दर्शन की अनुमति है। जैसाकि कहा गया है तत्कालीन सरकार तथा विश्व हिन्दू परिषद के बीच यथा हस्ताक्षरित करार के आधार पर शिला-न्यास किया गया था।

किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि कानून का यह चुनिंदा उपयोग क्यों। यदि आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं तो आपको मुख्य प्रश्न, अर्थात् विवाद-ग्रस्त सम्पत्ति पर हक के

बारे में न्यायालय के अन्तिम निर्णय को मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। आप प्रत्येक ऐसे आदेश की ओर लपकते हैं जो हक में हो और फिर यह कहते हो कि "हम उच्चतम न्यायालय के ऐसे प्रत्येक अन्तिम निर्णय को मान लेंगे जो हमारे हक में होगा।" मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह तर्क क्या है। इसी प्रकार से एक अन्य माननीय सदस्य ने यह कहा है कि "जो लोग हमें चुनौती देते हैं यह उनके लिए सिहर करने की बात है कि राम कहां पैदा हुए थे।" मैं समझता हूं कि पूरे विश्व के न्याय शास्त्र के अनुसार किसी दावे को सिहर करने के लिए सबूत उसी पक्ष को पेश करना पड़ता है जो दावा करे। ये साक्ष्य का भार अन्य किसी पर नहीं थोप सकते। यह न्यायिक सिद्धान्तों से एक हठ की बात है। यह एक ऐसी मानसिक दशा को प्रदर्शित करता है जो कानून के सामान्य नियमों तथा प्रक्रिया को नहीं मानती तथा केवल उठनी भावनाओं और मनोभावनाओं पर पर ही निर्भर करते हैं और इस प्रकार से लोगों के मन जीतने या उन्हें आतंकित करके या दबाव डाल कर ऐसी बातें मनवाते हैं। श्री दीक्षित से मेरा अनुरोध है कि वे विधि के नियमों का चुनिंदा उपयोग न करें।

यहां कुछ प्रश्न उठाए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि धर्म गंगा की तरह पवित्र है तथा उसे नहीं पता कि संविधान क्या चीज है। किन्तु पूरे विश्व की नदियां मानव के आदेश का पालन करती हैं। उनके बहाव को सही दिशा देने के लिए उनके ऊपर कभी बांध बना दिए जाते हैं तो कभी पुलियां बना दी जाती हैं तो कभी पुल बना दिए जाते हैं। इसीलिए मैं नहीं मानता कि हमारे जैसे गणराज्य, जो विधि नियम पर आधारित है, में धर्म इससे ऊपर है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चिन्मयानन्द स्वामी (बदायूं) : शाहबानो केस के सम्बन्ध में आपने कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना?

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह कह रहा हूं कि हमारे न्यायालयों में अनेक ऐसे मामले हैं जिनमें उच्च न्यायालयों द्वारा विशुद्ध धार्मिक मामलों पर भी निर्णय दिया गया है कि महन्त कौन होगा या शंकराचार्य कौन होगा या पूजा के लड्डुओं का आकार क्या होना चाहिए या समारोह के हाथी के माथे पर कौन-सा टीका लगाया जाए, आदि आदि। न्यायालयों ने यह फैसला भी दिया है कि धार्मिक मामले कानून से बढ़कर नहीं है किन्तु उनका फैसला धर्म के आंतरिक साक्ष्य के अनुसार किया जाना चाहिए। इसीलिए, ऐसे धार्मिक प्रश्न न्यायालय द्वारा सुलझाए जा सकते हैं तथा न्यायालय इसके लिए समुचित प्राधिकारी है। इसे ऐसे मामलों पर फैसला किसी बाहरी साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि उस धर्म के सिद्धांतों के आंतरिक साक्ष्य के आधार पर सुनाना पड़ेगा। यह बाध्यकारी होना चाहिए। अतः शाहबानो के मामले में मैंने अनेक बार कहा है...

अध्यक्ष महोदय : अभी बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने बोलना है। शाहबानो के मामले को छोड़ दीजिए तथा अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : ठीक है सर, छोड़ देता हूं।

[अनुवाद]

मैं प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। प्रधान मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में 9 जुलाई की तारीख का जिक्र नहीं किया। तीसरी बार मैंने यह नोट किया है। इसका जिक्र न तो उन्होंने 9 जुलाई के पहले वक्तव्य में किया, न उस समय किया जब उन्होंने 'अविश्वास प्रस्ताव' का उत्तर दिया था तथा न ही इन्होंने इस वक्तव्य में किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह नीति संबंधी कोई मामला है या जान-बूझकर इसे छोड़ गया है या अनजाने में यह गलती हुई है, मुझे नहीं पता। विश्व जानता है कि 9 जुलाई को एक दुःखद घटना हुई; तथा विश्व इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि यहां एक ऐसे प्रधान मन्त्री हैं जिन्होंने उस दुःखद घटना की तारीख का भी जिक्र नहीं किया।

अपने वक्तव्य के एक पैरे में यह कहने के लिए मैं प्रधान मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा। मुझे खुशी है कि वे इसे एक जगह का विवादग्रस्त ढांचा नहीं कह रहे; वे इसे मस्जिद ही कह रहे हैं। वास्तव में राज्य सरकार ने 1950 के अपने शपथ-पत्र में उसे ऐसा ही कहा है जो न्यायालय में चलने की कार्यवाही का एक अंग है तथा जो इस मामले के मूल आधार का एक अंग है। वक्तव्य में यह सुझाव दिया गया है कि यदि बातचीत असफल हो जाती है, तथा मैं आशा करता हूं कि वह असफल नहीं होगी तो सभी लम्बित मुकदमों को एक न्यायिक प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

श्री निर्मल कान्ति चक्रवर्ती (दमदम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह दुर्भाग्य अवसर है जब ये सदस्य सरकारी दीर्घा को दिखाने के लिए बोल रहे थे। वे चले गए हैं। केवल तीन दिन पहले हमने सभा तथा पीठ का भी ध्यान इस ओर दिलाया था। आज भी मैं पीठ का इस ओर ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस बारे में विचार करेंगे।

श्री संयद शाहबुद्दीन : यदि दलों की सहमति से यथागठित न्यायिक प्राधिकरण से एक विशिष्ट प्रश्न ही पूछा जाए तो बात अलग ही होगी। किन्तु हक के मुकदमे जैसे सामान्य मुकदमे, जो कि अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की विशेष खंडपीठ के समक्ष लम्बित पड़ा है, में दोनों ही पक्षों को उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अपील का अधिकार एक बहुत ही बहुमूल्य अधिकार है तथा मैं नहीं समझता कि कोई भी पक्ष यह चाहेगा कि उसे इस अधिकार से वंचित रखा जाए।

अन्त में, जैसा कि मैंने कहा कि मुख्य मुद्दा मन्दिर निर्माण का नहीं है, बल्कि यह है कि प्रस्तावित मन्दिर किस स्थल पर बने? राष्ट्रीय एकता परिषद् ने स्पष्ट निर्णय दे दिया है; इससे पता चलता है कि पूरा राष्ट्र इस मुद्दे पर एकमत है।

[हिन्दी]

मन्दिर बने मस्जिद न टूटे।

[अनुवाद]

इससे यह साबित होता है कि विश्व हिन्दू परिषद् का वर्तमान स्थल नक्शा, जिसमें बाबरी

मस्जिद स्थल भी सम्मिलित है, राष्ट्र को मंजूर नहीं है, यह राष्ट्र द्वारा व्यक्त किए गए मत के खिलाफ है। प्रधान मन्त्री ने सात बहुमूल्य महीने गंवा दिए हैं; अब उनका यह कर्त्तव्य बनता है कि वे विश्व हिन्दू परिषद् से अनुरोध करें और उनको यह बात समझाएं कि वे भगवान के लिए स्थल के अपने नक्शे में संशोधन करें तथा उसे राष्ट्रीय एकता परिषद् संकल्प के दायरे के भीतर ही रखें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि समस्या का समाधान तीन दिन के भीतर हो जाएगा, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम ससुदाय की ओर से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि संशोधित नक्शे में मुस्लिम समुदाय का कोई स्थल आया तो मुस्लिम समुदाय राष्ट्र के व्यापक हित में उसे उन्हें देने के लिए विचार करेगा।

बाबरी मस्जिद एक प्रतीक बन गई है; यह किसी धर्म का प्रश्न नहीं है। मैंने यह बात पहले भी कही है कि यह धर्म निरपेक्षता, लोकतन्त्र, जिन मूल्यों का यह देश समर्थन करता है, उनके लिए, परस्पर मेल-जोल तथा हमारे देश के सभ्य समाज की स्थिरता की प्रतीक है।

मैं कामना करता हूं कि प्रधान मन्त्री जी को सफलता मिले तथा उम्मीद करता हूं कि आगामी तीन-चार महीनों के भीतर उन्हें समस्या का हल मिल जाएगा।

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, जिसने कुछ दिन पूर्व ही समूचे राष्ट्र को निराशा के वातावरण में डाल दिया था। हम लोगों ने अभी-अभी माननीय सदस्य, श्री सैयद शाहबुद्दीन का भाषण सुना। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर की स्थिति तथा पंजाब की स्थिति की तुलना अयोध्या के मामले से कैसे की। मेरे विचार से उनका सम्पूर्ण भाषण विरोधाभास से ओत-प्रोत था। वह कैनेडी के विचारों को उद्धृत कर रहे थे। मैं भी मानता कि कैनेडी ने किस संदर्भ में यह विचार व्यक्त किया था लेकिन मेरे विचार से आज की स्थिति में वह तर्कसंगत नहीं है। आज इतिहास ने हमें एक मौका दिया है। चुनौती, जो कि एक गंभीर चुनौती है, को एक सुअवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि हम लोग गंभीरता तथा ईमानदारी से बैठकर इस समस्या का समाधान खोजें तो मुझे शत-प्रतिशत विश्वास है कि हम इसका समाधान ढूंढ़ सकते हैं। जिस तरह से इस सम्पूर्ण मुद्दे को खींचा गया है, जो कि 1986-87 से पहले किसी भी तरीके से प्रचार का केन्द्र नहीं था या जिसने कोई गंभीर स्वरूप नहीं लिया था, अचानक एक बहुत ही बड़ा विस्फोटक मुद्दा बन गया। जो लोग स्थिति को विस्फोटक बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, मेरे विचार से वे लोग यहां उपस्थित नहीं हैं, उन्होंने राष्ट्र का बहुत भारी नुकसान किया है। चुनौती को सुअवसर में परिवर्तित किए जाने का निवेदन मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि हम लोगों ने इस बारे में अपने-आपको याद दिलाना है।

मैं एक बुद्धिजीवी नहीं हूं, मैं एक मेधावी भी नहीं हूं परन्तु इस सभा में अनेक ऐसे माननीय सदस्य मौजूद हैं जो निश्चित ही बुद्धिजीवी हैं। उन्हें इस राष्ट्र के इतिहास का ज्ञान है। मैं मात्र एक ही चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहता था कि इस देश के सभी लोग एक हैं।

यदि हम इस देश के इतिहास को प्रारम्भ से देखें, अर्थात् 2000 या 3000 की अवधि के इतिहास को देखें, तो एक तथ्य जो हमारे सामने आया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी लोग एक हैं। धर्म तो बाद की बात है। मैं ऐसा नहीं समझता कि समस्त मुस्लिम वर्ग के लोग, जिनकी जनसंख्या करीब 8 से 10 करोड़ है या जो भी हो, अरब देशों से या अन्य देशों से नहीं

आये। 90 से 95 प्रतिशत मुस्लिम वे इसी भूमि पर, इस धर्म को स्वीकार किया है। वे कहीं बाहर से नहीं आये तथा विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी उन्हें स्वीकार किया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जब किसी 'जाट' ने मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो वह इस धर्म को स्वीकार करने के पश्चात् भी हमेशा ही 'जाट' रहता था। जिन ग्रामीणों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था उन्होंने भी अपने अस्तित्व को बरकरार रखा। उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं बदला। उनके नामों के साथ-साथ भट्ट, चौधरी तथा कुंवर का अस्तित्व भी वैसा ही बना रहा।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों की एकता को नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरा तात्पर्य सारे उप-महाद्वीप से है। धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन एक राजनीतिक विभाजन था और इस देश का राजनीतिक विभाजन एक बार नहीं अनेकों बार हुआ है। केन्द्र सरकार को अनेकों बार विभिन्न कारणों से अपने अधिकार से हाथ धोना पड़ा है। हमें राजा और महाराजाओं के समय को याद रखना चाहिए। महाराज अशोक के शासन काल के दौरान भारत राष्ट्र में अफगानिस्तान भी शामिल था।

जब भी कभी केन्द्रीय सरकार के अधिकार का विघटन हुआ, देश अनेक टुकड़ों में बंटा। लेकिन पुनः लोगों की एकता ने इस समूचे देश को, एक सूत्र में पिरोये रखा। यदि धर्म के आधार पर हमारे देश का 1947 में विभाजन किया गया था तो मैं विनम्रतापूर्वक कह सकता हूं कि वह विभाजन राजनैतिक था तथा गलत आधार पर हुआ था। इसे 1970 के युद्ध के दौरान सिद्ध कर दिया गया था जब बंगलादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था।

धर्म अब लोगों को एकजुट करने वाला बल नहीं रहा। इतिहास के इस तथ्य को हमें स्वीकार करना होगा तथा मैं माननीय सदस्यों तथा इस माननीय सभा से आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि अयोध्या मुद्दे के रूप में हमें जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग लोगों में एकता लाने के लिए किया जाना चाहिए। हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं। कुछ गैर-जिम्मेदाराना बात कहने से यह मुद्दा और जटिल हो जाएगा। लेकिन यह उचित समय नहीं है। इस समय हमें बैठकर सोच-विचार करना है।

मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री, जिन्हें सारे देश ने सम्मान दिया है तथा जिन्हें समूचे देशवासियों का विश्वास प्राप्त है, इस समस्या के समाधान के लिए सक्षम हैं। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक जीवन में मेरा उनसे पिछले 33 वर्षों से सम्पर्क रहा है तथा मैंने यह देखा है कि उन्होंने लोगों, क्षेत्रों तथा सभी अच्छी सोच वाले वर्ग की एकता के लिए कार्य किया है। मुझे विश्वास है कि वे इस समस्या का भी, जो कि अत्यधिक जटिल है तथा जिसके बहुआयामी प्रभाव हैं, समाधान खोज सकेंगे। उन्हें तो केवल हम सभी लोगों का सहयोग चाहिए और हमें उनको अपना सहयोग देना चाहिए न कि समस्या को और अधिक जटिल बनाना चाहिए।

मैंने प्रेस में दिए गए कुछ वक्तव्यों को देखा है। शायद इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग प्रधान मंत्री की सफलता से, जो उन्होंने स्थिति को सामान्य बनाकर तुरंत हासिल की, खुश नहीं हैं। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। कम-से-कम उनके वक्तव्यों से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग खुश नहीं हैं। मैं किसी व्यक्ति पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

मैं मात्र यह अनुरोध कर रहा हूं कि लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का यही अवसर है। धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास और व्यक्तिगत अनुशासन की चीज है। उसे अलग ही रखा जाना चाहिए। जहां तक हमारे समूचे जीवन, राष्ट्रीय जीवन का संबंध है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा तथा देश को एक बनाना होगा तथा उसे एक मजबूत राष्ट्र बनाना होगा। हमारे प्रधान मंत्री वैसा ही कर रहे हैं। चाहे हमें अपने चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार समस्या का समाधान खोजना पड़े। हमें बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान खोजना होगा।

यदि बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो हमें उसके समाधान के लिए इस मामले को न्यायिक प्राधिकार तथा न्यायिक निर्णय के लिए सौंपा जाना चाहिए। वह इस बात का भी प्रयत्न कर रहे है कि न्यायिक निर्णय किसी पर थोपा न जाए अपितु यह सभी लोगों को स्वीकार्य हो। न्यायालय के किसी भी निर्णय को इस प्रकार के मामले में जोर-जबरदस्ती से लागू नहीं किया जा सकता।

मेरा यह कहना है कि उनके सभी प्रयास निर्णय को पूरे देश में स्वीकार्य कराने की दिशा में हो रहे हैं और मैं आप सभी से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया आप इस प्रयास में प्रधान मंत्री को सहयोग दें तथा उन्हें सशक्त बनाएं ताकि वे इस समस्या का समाधान ढूंढ़ सकें।

[हिन्दी]

महन्त अवैद्य नाथ (गोरखपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी से साधु-संतों की जो वार्ता हुई, उस वार्ता में मैं भी शरीक था।

श्रीमन्, मुझे इस बात का दुख है कि जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता सम्पन्न हुई है, आज उसके संबंध में इस सदन में जो विवाद उपस्थित किया गया है, निश्चित रूप से उस वार्ता का महत्व समाप्त हो जाता है। इस सारी वार्ता में दो बातें मुख्य हैं।

पहली बात तो यह है कि समय जहां प्रधान मंत्री जी 4 महीने का बता रहे हैं, अवश्य उन्होंने 4 महीने कहा था लेकिन हमारी तरफ से यह कहा गया कि 4 महीने हमको रास नहीं आते हैं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने चार महीने का समय लिया था, लेकिन उन्होंने दस महीने में भी इस मामले का किसी तरह समाधान करने की कोशिश नहीं की। इसीलिए आप चार महीने का आग्रह न करें, आप समय कम करें। हमने कहा था, पांच महीने भी हो सकता है, यदि हम यह देखेंगे कि बार्ता सही दिशा में हो रही है।···(व्यवधान)···मैं जानता हूं, आप टोका-टोकी करके मेरे ध्यान को बांटना चाहते है। मैं आपके सामने सही तथ्य रखना चाहता हुं, जिसके संबंध में बहुत बड़ी भ्रान्ति है। श्रीमन्, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वे सारे मुकद्दमों को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या जजों की किसी संस्था के सामने रखेंगे। कदाचित, प्रधान मंजी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने शायद चन्द्रशेखर जी का नाम लेकर कहा था कि चन्द्रशेखर जी ने जो इस दिशा में पहल की और साथ-ही-साथ यह भी कहा था कि राजीव गांधी जी ने चन्द्रशेखर जी को जो पत्र लिखा था, वह पत्र भी मैंने पा लिया है। इस सदन को मालूम है, चन्द्रशेखर जी ने सारे मुकद्दमों को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बात नहीं की थी। यदि उनकी यह मंशा होती, तो कदाचित वे दोनों ही पक्षों से सबूत नहीं मांगते, क्योंकि दोनों ही पक्षों के सबूत पहले से ही न्यायालय में दाखिल हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से कहा था कि आप लोग अपने-अपने सबूत दें और वह भी केवल एक प्वाइंट पर और एक इशू पर। यदि उन सबूतों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता हैं कि यहां कोई मंदिर

या मकान तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो मुस्लिम बन्धु अपना क्लेम वापिस ले लेंगे और यदि प्रमाणों से, पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों से या रैवेन्यू रिकार्ड में या जिससे भी, यह सिद्ध हो जाता है कि यह ढांचा एक ऐसे स्थान पर बनाया हुआ है, जहां पहले कोई मकान नहीं था, तो हिन्दू अपना क्लेम छोड़ देंगे। विचार बड़ा अच्छा था। देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इस समस्या को लेकर सारे देश में चिन्ता है। हमें यह पूर्ण विश्वास है कि राम-जन्म भूमि के मन्दिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है और इसीलिए श्री चन्द्रशेखर जी का जो फार्मूला था, उस फार्मूले को हमने तर्कसंगत फार्मूला माना था, लेकिन दुर्भाग्य से वे प्रधान मंत्री नहीं रहे। इसकी चर्चा हमारे प्रधान मंत्री, श्री राव साहब, ने की थी और उस चर्चा में जब चन्द्रशेखर का तजकरा आया तो हम यह समझे कि श्री चन्द्रशेखर ने इस कार्य को जहां अधूरा छोड़ा है, प्रधान मंत्री जी उससे आगे इसमें कार्यवाही करेंगे। मैं समझता हूं कि यह एक सही रास्ता है। आज जहां ··(व्यवधान)···जहां तक आस्था का प्रश्न है, हम कहते हैं कि हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए है। इस बात से कौन इंकार कर सकता है, इतिहास भरा हुआ है। हम मांग नहीं कर रहे हैं। जिनका नामो-निशान मिटा दिया गया है और हमने संतोष कर लिया है। आज हम राम-जन्म भूमि की मांग क्यों कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर और कृष्ण जन्म भूमि की मांग के पीछे भी आधार है, तर्क है और यहां हमारी आस्था है, आप अयोध्या में स्वयं जाकर देख सकते हैं। वहां सारा ढांचा बदला जा सकता था, तो पिलर भी दूसरे लगाए जा सकते थे। मंदिर के पिलर उसमें लगाए गए है। साथ-ही-साथ विश्व में कहीं भी आपकी मस्जिद के दरवाजे पर दूसरे का पूजा-स्थल दिखाई नहीं देगा, लेकिन अयोध्या में भगवान राम का चबूतरा है और संतोष करके हिन्दू अंदर न जाकर बाहर पुष्प चढ़ाता है। आज यह नया नहीं हैं, मुस्लिम पीरियड में, अकबर पीरियड से यह सब हो रहा है।

श्रीमन्, मैं यह कहता हूं कि ये चिह्न क्यों छोड़े गए हैं? ये स्थिति विश्वनाथ मन्दिर की है, सारा ढांचा वे बदल सकते थे। आप जा करके वहां एक दीवार देखिए, उसमें हिन्दू मन्दिर के चिह्न, शंख, घंटी और त्रिशूल है और मस्जिद के सामने नंदी विश्व में कहीं भी नहीं देखेंगे लेकिन वहां पर नन्दी आज भी है। मैं कहता हूं कि यदि देश में हिन्दू मुस्लिम एकता, सचमुच ईमानदारी के साथ यह सदन चाहता है तो यह टीस हिन्दुओं को अपमानित करने वाले चिन्ह हिन्दू-मुस्लिम एकता कभी भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम शासकों की मानसिकता थी कि सैकड़ों वर्ष तक मन्दिर के खम्भे, हिन्दुओं को इस बात की याद दिलाते रहे कि तुम कायर हो और तुम्हारा मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद बनी हुई हैं। इसी तरह से विश्वनाथ के मन्दिर में एक दीवार जो शेष रह गई है और जो वहां पर नन्दी है, वह केवल सैकड़ों वर्षों तक हिन्दुओं को उनके अपमान और दुर्दशा की याद दिलाने के लिए सबूत के रूप में रखे गए हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन चिन्हों को रख करके इस देश में हिन्दू-मुस्लिम एकता संभव हो सकती है। अवैध नाथ बैठ सकता है, चुप हो सकता है लेकिन करोड़ों हिन्दू आज इस देश में, ये अपमानजनक चिन्ह देख करके क्या यह महसूस कर सकेंगे कि हम भी इस देश में स्वतंत्र हैं। केवल पेट भर लेना स्वतंत्रता नहीं हैं। जिस देश में जिस जाति के धर्म, संस्कृति और मन्दिर यदि सम्मानित नहीं होगे उससे देश में कभी भी वह जाति स्वतंत्र नहीं कही जा सकती। (व्यवधान)

मैं कहता हूं कि मन्दिर और मस्जिद की रक्षा के बारे में आज भी जो भाषण हुए हैं, यदि आज मन्दिर और मस्जिद को ये लोग, सम्मान की दृष्टि से देखते तो अभी भी थोड़े दिन पहले इस सदन में 15 अगस्त, 1947 में पूजा स्थलों की यथास्थिति का विधेयक पास हुआ है लेकिन इन लोगों ने, जो आज विवादित मस्जिद की रक्षा के लिए हाय-तोबा मचा रहे हैं इन्होंने उस विधेयक

में कश्मीर को क्यों अलग छोड़ दिया ? 15 अगस्त, 1947 के बाद भी कश्मीर में भी अनेक मंदिर तोड़े गए हैं। वे हिन्दुओं के मन्दिर हैं, इसलिए आज उनका सम्मान नहीं है। क्या किसी ने कहा कि कश्मीर को भी इस विधेयक के अंतर्गत लिया जाए। आज कश्मीर में टूटे हुए मन्दिर हिन्दुओं को अपमानित करने के लिए उसी तरह से हैं वहां पूजा स्थल विधेयक लागू नहीं किया गया है क्योंकि—ये मस्जिद के भक्त। मैं कहता हूं कि ईमानदारी से यदि आपको सेक्यूलर बनना है तो आपको मन्दिर-मस्जिद को समान की दृष्टि से देखना होगा तभी आप दूसरे को सन्तोष दिला सकते हैं।

मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने इसमें जो पहल और परिश्रम किया है, वह ठीक है लेकिन इस सदन में उन्होंने इसकी चर्चा करा करके जो काम किया है आज जिस तरह से यहां आक्षेप किए जा रहे हैं, क्या यह सुलझाने का रास्ता हो सकता है कि आज इससे इस समस्या का समाधान हो; कभी भी नहीं हो सकता। मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि मन्दिर पर मस्जिद के चिन्ह रख करके, हिन्दू कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। (व्यवधान) आस्था का जहां तक प्रश्न है मैं बता देना चाहता हूं कि···(व्यवधान) हम अपनी आस्था के संबंध में प्रमाण देंगे। (व्यवधान)

श्रीमन्, आस्था का जहां तक प्रश्न है, न्यायालय उसमें कोई फैसला नहीं कर सकता। (व्यवधान) न्यायालय का अपमान नहीं किया, निश्चित रूप से किसी भी आस्था के विरुद्ध न्यायालय को फैसला देने का कोई हक नहीं है और इसलिए जब हम न्यायालय के फैसले का विरोध करते हैं···(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो वातावरण यहां बना है इस वातावरण से, इस आक्षेप की राजनीति से कभी भी समस्या हल नहीं हो सकती है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो लेकिन हमने यह बता दिया है कि हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हमने प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करके कारसेवा को स्थगित कर दिया, यदि हम चाहते तो नहीं करते, भले ही वहां कुछ भी परिणाम क्यों न होते लेकिन हमने सोचा कि कोई समाधान निकल जाएगा। यदि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई समाधान निकल आएगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है, प्रधानमंत्री इसका स्पष्टीकरण करें कि चन्द्रशेखर ने किस आधार पर समझौता करने का रास्ता बताया था, क्या उन्होंने इसकी चर्चा नहीं की, मारे संत यह समझें कि श्री चन्द्रशेखर ने जिस तरह से दोनों तरफ से सबूत मांगे और उन सबूत के आधार पर यह अवश्य था कि वे अपनी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों से राय ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की बात करते समय किसी न्यायालय के फैसले की बात नहीं की गई थी, केवल सहायता लेने के लिए, ताकि दोनों तरफ के दस्तावेज आ जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आस्था का आधार है। केवल हिन्दू और ईसाई तथा अन्य इतिहासकार ही नहीं बल्कि विश्व के मुस्लिम जगत के सबसे बड़े विद्वान अली मियां के पिताजी ने "भारत में इस्लाम" एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जहां 6-7 मुख्य मंदिरों को तोड़ कर मस्जिद बनायी गयी, अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनायी। इसी तरह से औरंगजेब की ग्रांड डाटर ने यह स्पष्ट किया है और अनेक मुस्लिम इतिहासकारों ने यह लिखा है कि यहां पर मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाई गई है। इसलिए यह हमारी आस्था है, मंदिर के चिन्ह वहां पर बरकरार हैं। यदि हम इस समस्या का समाधान करने को उत्सुक हैं, यदि हम हिन्दू मुस्लिम एकता के इच्छुक हैं तो उदारता से काम करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज के मुसलमानों को इस बात के लिए दोष नहीं देता, अपराधी नहीं मानता, यह तो सैकड़ों वर्ष पहले बाबर और औरंगजेब ने जो कुकर्म किए हैं, उसकी वजह से हो रहा है। आज के मुसलमान यदि हिन्दुओं के सेंटीमेंट्स को समझते तो कोई समस्या नहीं होती। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे कई तीर्थ और धाम पाकिस्तान में चले गए हैं, धर्म के आधार पर बंटवारा होने के बाद हिन्दुओं के मंदिर और मानबिंदु यहां पर उसी तरह से अपमानित रहे हैं, जिस तरह से मुस्लिम शासन काल में रहे हैं। (व्यवधान)

मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए आप घंटी बजा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो भी 2-3 दिन में हमारे देश में हुआ है, सबने सहकार किया है। प्रधान मंत्री जी ने पहल की और आपने सहकार किया, अच्छी बात है। इससे आगे कुछ अच्छा हो सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप बात करें तो देश का भी कल्याण होगा, हम सब लोगों का कल्याण होगा। (व्यवधान)

महन्त अवैद्यनाथ : मैं इस बारे में कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ था। मैंने अपनी बात बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में शुरू की थी।

अध्यक्ष महोदय : इस वातावरण को बिगाड़ना नहीं है।

महन्त अवैद्यनाथ : यदि हम इस वातावरण को बिगाड़ना चाहते तो प्रधान मंत्री जी की बात नहीं मानते। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अवसर दिया जाए, पहले के प्रधानमंत्रियों को जब अवसर दिया गया है तो क्यों न आपको भी अवसर दिया जाए। हमने आपकी बात मानी है और इस आशा के साथ मानी है कि अच्छे माहौल में वार्ता शुरू किया जाए, लेकिन जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से कटाक्ष किए जा रहे हैं, इससे माहौल सुधरेगा नहीं। यहां पर इस देश के सारे नेता हैं, यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लेकिन इस तरह से कटाक्ष करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आज आवश्यकता इस बात की थी कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात होती, लेकिन ये लोग जानते हैं कि यहां पर हिन्दुओं को सम्मान के साथ रहने का अधिकार नहीं है। इस तरह के लोग जब तक इन पंचायतों में रहेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

जब तक वातावरण में सुधार नहीं होगा, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : जब आपके नेता बोल रहे थे, इन्द्रजीत गुप्त जी बोल रहे थे, तब हम लोग चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन जब हमारे संत बोल रहे हैं, तब आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। (व्यवधान)

महन्त अवैद्यनाथ : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि समस्या का समाधान किस तरह से होगा। केवल इस तरह से नहीं होगा कि आप इतिहास को बदल दें। अभी अंतुले जी बोले कि हिंदू मुसलमान मिल कर रहे थे। इतिहास को वे भूल गए हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के दो लड़के दीवार में क्यों चिनवाए गए? गुरु तेग बहादुर जी की हत्या क्यों की गयी? क्या यह धार्मिक सौहार्द था? इतिहास को आप बदल रहे हैं। हम कहते हैं जो कुछ अतीत में हुआ है आप भी उसको भूलने की

कोशिश करें।...(व्यवधान) प्रधान मंत्री जी ने तीन महीने मांगे हैं, हम कहते हैं उनके कहने के मुताबिक हम उनको चार महीने देंगे। लेकिन इन कटाक्ष करने वालों का साथ लेकर कभी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। आग में घी डालने का काम करेंगे जिनको आपने समाधान के लिए अपना सहयोगी बनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, बड़े ढंग से चर्चा करने की हमारी कोशिश हो रही है। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि सभी सोच समझ कर, इसमें से कुछ रास्ता निकल सके, इसको ध्यान में रख कर बोल रहे हैं। अगर कहीं भाषण में एकाध बात हमें पसन्द नहीं आए तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं। एकाध बात को छोड़ कर बोलने वाले बड़ा सोच समझ कर बोल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। कृपया सुनने वाले डिस्टर्ब न करें। खास तौर से जोशी जी, आप कुछ न बोलें।

[व्यवधान]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मणि शंकर अय्यर बोलेंगे। मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है उसे आप ध्यान में रखेंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुरई) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार और 'हिन्दुत्व' की शक्तियों के बीच हुए समझौते का समर्थन करता हूं। मैं इस समझौते के बारे में अत्यधिक प्रसन्न हूं। इसके साथ ही साथ, मैं अपने आपसे भी धोखा करूंगा यदि मैं यह स्वीकार नहीं करता कि मेरे मन में भी आशंका है।

मैं प्रसन्न हूं क्योंकि गत दो सप्ताह से देश में जिस प्रकार का तनाव पैदा हो रहा है वह अत्यधिक काफी हद तक दूर हो गया है। मुझे प्रसन्नता भी है क्योंकि एक रास्ता खोल दिया गया है। मुझे प्रसन्नता भी है क्योंकि मुझे सुरंग के अन्त में प्रकाश दिखाई दे रहा है।

इसके साथ ही साथ, महोदय, मैं आशंका की अपनी भावनाओं को छिपा नहीं सकता क्योंकि हाल ही के वर्षों में 'हिन्दुत्व' की शक्तियों के साथ किया गया यह पहला समझौता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि यह पहला ऐसा समझौता होगा जिसे उन शक्तियों द्वारा तोड़ा नहीं जायेगा।

तथापि, महोदय, उन वक्तव्यों ने मेरी आशंकाओं को और सुदृढ़ कर दिया है जो हमने कल और आज उन कुछ सन्तों, साधुओं, स्वामियों और महन्तों से सुने हैं जो यहां इस सदन को आशीर्वाद देने आये थे।

यह समझौता क्या है ? यह एक ऐसा समझौता है जो सार पर आधारित नहीं है परन्तु ऐसा समझौता...(व्यवधान)

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कुछ सदस्यों का हवाला देते समय, माननीय सदस्य श्री मणि शंकर अय्यर ने कहा है कि कुछ सन्त और महन्त इस सदन को आशीर्वाद देने आए हैं। मैं 'इस सदन को आशीर्वाद' शब्दों का विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि यहां हर कोई सदस्य है। यहां प्रत्येक सदस्य सदस्य की हैसियत से कार्य कर रहा है न कि किसी अन्य हैसियत से। अतः, ऐसी भाषा किसी भी प्रकार से समस्या के समाधान में सहायता नहीं करेगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये। (व्यवधान)

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। परन्तु मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र, सन्त और महन्त मुझसे अपने आशीर्वाद वापस नहीं लेंगे।

महोदय, मैं इस समझौते को परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूं। यह समझौता सार पर आधारित नहीं है। यह समझौता प्रक्रियाओं पर आधारित है। सार से तात्पर्य, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी भारतीय जनता पार्टी से अत्यधिक गहरी असहमतियां हैं। मैं न तो उनके हमारे विगत के दृष्टिकोण से सहमत हूं, न ही उनके हमारे भविष्य के दृष्टिकोण से सहमत हूं। मैं भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति की उनकी परिभाषाओं को स्वीकार नहीं करता; मैं भारत की आत्मा के बारे में उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं और भारत की राष्ट्रीयता का मेरा दृष्टिकोण उनके दृष्टिकोण से पूरी तरह भिन्न है। एक प्रतिष्ठित मानव होने के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी से सहमत नहीं हो सकता, परन्तु एक लोकतन्त्रवादी के रूप में, उनके भिन्न होने के अधिकार का मैं समर्थन करता हूं। लोकतन्त्र का सार यह है कि यदि किसी के दृष्टिकोण को मान्यता मिलती है तो इसे अभिव्यक्त किया जा सकता है और उस दृष्टिकोण को राजनैतिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के द्वारा कार्यरूप दिया जा सकता है। मैं जो जानना चाहता हूं वह वास्तव में उस प्रश्न का उत्तर है जो उस माननीय सदस्य के हस्तक्षेप से सम्बन्धित है जिन्होंने अभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैं जानना चाहता हूं कि एक संसद सदस्य के रूप में मानव के उस छोटे रास्ते के बारे में कह रहा हूं जो यहां तक पहुंचता है, मैं मानव के उस बड़े रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं जो परिवार की देखरेख करता है, एक धर्म से संबंध रखता है, एक समाज से संबंध रखता है—जबकि हम इस सदन के परिसर के भीतर हम शपथ लेते हैं, हम ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं, हम संविधान की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं या शपथ लेते हैं, यदि ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी शपथ और ऐसी निजी प्रतिज्ञा अथवा निजी शपथ में टकराव होता है, तो इनमें से कौन-सी ऊपर रहेगी ?

व्यक्तिगत रूप से सौगंध खाने के किसी के अधिकार का मैं हार्दिक सम्मान करता हूं। वे जो चाहें कहने के लिए 'राम की सौगंध' खा सकते हैं। मैं उस अधिकार का सम्मान करता हूं। इसके साथ-साथ मैं जानना चाहता हूं कि क्या विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी इस चर्चा के दौरान बोलते हुए इस बात की पुष्टि करेंगे कि यदि हमारे द्वारा संसद सदस्यों के रूप में संविधान की शपथ लेने तथा किसी के द्वारा सभा से बाहर किसी प्रयोजन के लिए ली गई वैयक्तिक शपथ में विरोध होने से कौन-सी शपथ सही मानी जाएगी। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि भाजपा के लगभग सभी सदस्य लोगों के यह कह कर संसद में आए हैं

[हिन्दी]

हम राम की सौगंध खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनायेंगे'

[अनुवाद]

श्रीमन्, इसी से इस बात का परीक्षण होगा, कि क्या भाजपा राजनीतिक दल के रूप में हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन की मुख्य धारा में विद्यमान है या वे केवल साधु, संतों और महन्तों से संबद्ध है, इस संसद में या इसके बाहर, क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि इस सभा में प्रवचन नहीं दिये जाते बल्कि भाषण दिये जाते हैं। यह धर्म-गृह नहीं है। यह राजनीतिक गृह

है। यह भाजपा के लिए सच्चाई बताने का क्षण है। (व्यवधान) क्या यह जो मुख्य राजनीतिक दल है, हमारे लोकतन्त्र की संस्थाओं में अर्थात—संसद, कार्यकारिणी और न्याय पालिका में विश्वास करता है? क्या यह हमारे संविधान में विश्वास करता है या यह साधु-संतों से, धर्मान्ध और कट्टरपंथियों से संबद्ध है? अब प्रधानमंत्री ने भाजपा को यह अवसर दिया है कि वह स्वयं को पहले कहे गये के अनुसार सिद्ध करे। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका स्वागत करूंगा कि इस अवसर पर यह बतायेगी कि वह भी उसी तरह हमारी राजनीति की मुख्य धारा का भाग है जैसे कांग्रेस, वाम-मोर्चा या राष्ट्रीय मोर्चा है क्योंकि हमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संसद-सदस्यों के रूप में खाई गई संविधान की शपथ व्यक्तिगत रूप में खाई गई किसी शपथ से अधिक महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मिजोरम में आपका घोषणा पत्र क्या था? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : मिजोरम को आपने अपने घोषणा पत्र में क्रिश्चियन स्टेट बनाने का वादा किया था, उसका क्या हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : मेरे विचार में विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग बलियों और साधु समागम को धर्म संबंधी कार्य करने तथा धर्म पर अपने विचार रखने का अधिकार है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई और राजनीतिक संगठन धर्म से संबद्ध रहे, विभिन्न धर्मों के सापेक्ष गुणों से संबद्ध रहे। किन्तु यह भाजपा की कूटनीति का पता लगाने का अवसर है। मुझे भाजपा के अगले बैंच की कूटनीति पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन सारे दल के साथ ऐसा नहीं है। मैं इस अवसर पर यह जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग बलियों और साधु समागम के संकुचित दायरे से ऊपर उठेगी या नहीं।

अध्यक्ष महोदय मुझे आशा है कि वह संकुचित दायरे को छोड़ेगी और मुझे डर भी है कि वह नहीं छोड़ेगी।

अतः हम इसे अन्तिम अवसर मानें और यह इस बात से आश्वस्त होने का महान अवसर है कि भाजपा भी संविधान के प्रति उतनी ही वफादार है जितनी कि अन्य पार्टियां हैं। हम इसको ऐसा अवसर मानें कि हम इस बात से पुष्ट हो जाएं कि जब कानूनी शासन की बात आती है तो भाजपा भी शेष दलों की भांति कानूनी शासन को पक्षधर है। हम इस बात से भी आश्वस्त होना चाहेंगे कि यदि न्यायालय कोई आदेश देता है तो उसका पालन किया जाएगा चाहे हम उससे कितना ही असहमत क्यों न हों। यदि न्यायालय का निर्णय बदला जाता है तो हमारे लोकतंत्र में उपलब्ध दो में से केवल एक विकल्प अपनाया जा सकता है। एक है कि वापस न्यायालय में जाएं और दूसरा है विधानमंडल में जाएं।

यदि प्रधानमंत्री द्वारा खोले गये बातचीत के रास्ते से कोई हल निकल जाए तो मैं इसका हार्दिक स्वागत करूंगा। वह दिन वास्तव में एक श्रेष्ठ दिन होगा जब एक, दो, तीन, या चार महीने में कोई ऐसा समझौता हो जाएगा जो सभी पक्षों को स्वतः स्वीकार्य होगा।

यदि कोई समझौता नहीं होता तो मैं न्यायालय के निर्णय का स्वागत करूंगा। यदि निर्णय यह हो कि वह मस्जिद नहीं मन्दिर है और इसे ऐसे ही रहना चाहिए तो मैं उस निर्णय का स्वागत करूंगा।

बहरहाल मेरा प्रश्न यह है कि यदि न्यायालय कोई और निर्णय दे तो क्या भाजपा भी एक राजनीतिक दल के रूप में उसका उतना ही स्वागत करेगी जितना मैं करूंगा, क्या वे उच्चतम न्यायालय के ऐसे निर्णय को स्वीकार करेंगे जिसमें यह कहा गया हो कि बाबरी मस्जिद को अपवित्र न किया जाए—यदि आप गुम्बद के ऊपर एक शिखर बनाते हैं तो यह उसे अत्यन्त अपवित्र करना होगा, उसे गिराया न जाए, यदि आप उसे इस स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना चाहें तो यह गिराना ही होगा, और उसे नष्ट नहीं किया जाएगा। उसे न तो अपवित्र किया जाए, न तोड़ा जाए और न ही नष्ट किया जाए। वे कहें कि उच्चतम न्यायालय का जो भी निर्णय होगा वे मानेंगे और यदि नहीं मानते हैं क्या वे लोकतंत्र में विद्यमान दो विकल्पों में से एक को अपनाएंगे। एक है न्यायालय में अपील करना और दूसरा है विधान मंडल में आना।

3.00 म०प०

जब आप विधानमंडल में आते हैं तो संघ के एक राज्य में बहुमत पा लेना काफी नहीं है। आपको भारत की जनता से मताधिकार प्राप्त करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव लड़ने का उतना ही अधिकार है जितना कांग्रेस को है। उन्हें जीतने का भी इतना ही अधिकार है जितना हमें है। (व्यवधान) और हमें भी काम करने की उतना ही अधिकार है जितना उन्होंने करने की क्षमता दिखाई है।

अब मैं निष्कर्ष पर आता हूं और मैं अपने उत्सुक साथियों से प्रार्थना करता हूं कि वे कुछ देर के लिए धैर्य रखें। हिन्दुत्व की ताकतें 'तुष्टीकरण' शब्द को बहुत पसन्द करती हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार को हिन्दुत्व की ताकतों के साथ बातचीत करके समझौता करना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता कि हिंदुत्व की ताकतों को तुष्ट करने के लिए उनके साथ बातचीत की जाए। हिन्दुत्व की ताकतों ने कहा है कि भारत के राष्ट्रवाद का प्रथम सिद्धान्त यह है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण न किया जाए। मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह पहला सिद्धांत है कि भाजपा का तुष्टीकरण न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०जी० नारायणन, कृपया संक्षेप में कहें। अभी कई और सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री पी०जी० नारायणन (गोबीचेट्टीपलायम) : श्रीमन्, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर जिससे देश भर में साम्प्रदायिकता भड़क सकती है कुछ शब्द कहना चाहूंगा और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। इसे अकेली राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की समस्या नहीं समझना चाहिए। और यह केवल दो समुदायों की या किसी राज्य के दो क्षेत्रों की समस्या नहीं है।

इस समस्या के देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने तथा राष्ट्र के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बनाये रखने के संदर्भ में देखना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर बनाने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कतिपय कार्रवाई की है। इस संबंध में भाजपा बार-बार कह रही है कि उन्हें अयोध्या के मंदिर बनाने के लिए जनता की राय मिली है। प्रश्न यह है कि क्या किसी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र में कोई राजनीतिक दल संविधान का उल्लंघन करके विवादित क्षेत्र में मंदिर बनाने जैसे नाजुक मसले पर मताधिकार ले सकता है। मेरे विचार में संविधान को किसी मताधिकार द्वारा अमान्य नहीं किया जा सकता।

इस मुद्दे के दो पहलू हैं। पहला पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान था, विवादग्रस्त परिसर में घटनाक्रम तेजी से चला। उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्माण तथा अन्य गतिविधियों पर रोक लगाई और यह निर्देश भी दिया कि यदि उस भूमि पर निर्माण करना आवश्यक हो तो न्यायालय से पूर्व अनुमति ली जाए। जब एक लिखित याचिका में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को वह आश्वासन दिया कि सभी पक्षों में समझौता करवाने के लिए वह सभी उपाय कर रही है ताकि न्यायालय के आदेशों का प्रभावी ढग से पालन किया किया जा सके। किन्तु इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने जिम्मेदारी लेने के बजाए कुछ भी करने में अपनी असमर्थता जाहिर की और सुझाव दिया कि गृह मत्री या प्रधान मंत्री को स्वयं हस्तक्षेप करके संतों और महन्तों को कार्य रोकने के लिए मनाना चाहिए, संवैधानिक औचित्य के सिद्धान्त की रक्षा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को कारसेवकों के विरुद्ध ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता। किन्तु माननीय प्रधान मंत्री ने चुनौतियां स्वीकार कीं और संबंधित धार्मिक नेताओं से मिले और उन्हें विवादग्रस्त या अधिग्रहीत भूमि पर और निर्माण न करने के लिए राजी किया और निर्धारित समय के भीतर इस विवाद का हल करने में मदद की पेशकश की। प्रधान मंत्री इसमें सफल रहे हैं। इसलिए हमें प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री के प्रयत्नों से विधि का शासन कायम हो गया है।

महोदय, कोई खून नहीं बहा। हिंसा से बचा गया है। विवादित ढांचा कायम है। किन्तु अभी यह आश्वासन देना जल्दबाजी होगी कि यह विराम विवाद के स्थायी हल के लिए एक पुख्ता आधार प्रदान करेगा। यह एक दूसरा पहलू है। एक बात यह है कि विश्व हिन्दू परिषद के नेता कार सेवा विवादित स्थल जहां लक्ष्मण मंदिर बनाए जाने का प्रस्ताव था से स्थानान्तरित करने को सहमत हो गए हैं। दूसरे, बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद राम मन्दिर की पूर्ण योजना प्रकट करने को तैयार नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इनके इरादों के प्रति शक होता है।

जहां तक इस विवाद का हल खोजने के व्यापक मुद्दे का संबंध है, वहां स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता हैं कि अयोध्या में किसी भी अविवादित क्षेत्र में राम मंदिर के निर्माण का विरोध किए जाने का कोई प्रश्न नहीं है। किन्तु इसके साथ-साथ यह स्पष्ट किए जाने की भी जरूरत है कि बाबरी मस्जिद को गिराने या स्थानान्तरित करने या उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने या परिसर के संबंध में न्यायपालिका के निर्णय की न मानने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार का वातावरण तभी तैयार हो सकता है जब विवाद से संबंधित सभी पक्ष सूझबूझ का परिचय दें।

अब महोदय, सवाल यह उठता है कि हिन्दू तथा मुसलमान भाइयों की भावनाओं को आहत किए बिना उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार इस समस्या को किस सीमा तक हल कर सकती है। मेरा केवल इतना ही अनुरोध है कि हमें इस मुद्दे को बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए या यह नही सोचना चाहिए कि हम पर किसी एक दृष्टिकोण का सम्मान करने की मजबूरी है जहां तक अन्ना द्रमुक का संबंध है हम ऐसे किसी निर्णय का सम्मान

करेंगे जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करता है, इस देश में बहुसंख्यकों को स्वतंत्र ढंग से अपनी पाठ-पूजा जारी रखने की स्वतंत्रता को स्वीकार करता है और हमारे लोगों की आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, अयोध्या में 9 जुलाई और 26 के बीच हुई हाल घटनाओं, हमारे देश के साधुओं, संतों के साथ हुए कथित समझौते पर प्रधान मंत्री के वक्तव्य, तथा विश्व हिन्दू परिषद और यहां उपस्थित कुछ सदस्यों तथा विपक्ष के नेता द्वारा व्यक्त विचार से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश के कुछ आधारभूत मूल्य तथा प्रतिबद्धताएं बाजी पर लगी हैं। जब तक हमारे देश में सर्वोच्च निर्वाचन निकाय राष्ट्रीय रूप से मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा के लिए सख्त रवैया नहीं अपनाता, यह देश हमेशा-हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। किन्तु हमें अपने पर पूरा विश्वास है। हमें अपने देश के भविष्य में पूरा विश्वास है। मुझे भरोसा है कि यह सदन मौके पर खरा उतरेगा और हमारे राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करेगा और इस देश और राष्ट्र को संकट से उबारने में इसका नेतृत्व करेगा। आधारभूत मुद्दे हैं : धर्मनिरपेक्षता, कानून का सम्मान, कानून का शासन तथा इस महान सदन के निर्वाचित सदस्यों पर संवैधानिक जिम्मेवारी। जहां तक मन्दिर-मस्जिद मुद्दे पर विवाद का संबंध है, हमारा यह सुविचारित मत है कि इस समस्या का हल बातचीत द्वारा खोजा जाना चाहिए, और वर्तमान परिस्थितियों में बातचीत द्वारा खोजा गया हल ही सर्वोत्तम दल है और इसी के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। यदि हमारे दुर्भाग्य से और हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र के दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होता तो यह मामला न्यायिक निर्णय के लिए भेजा जाना चाहिए और न्यायिक निर्णय सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होना चाहिए। इस मामले में मैं प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार की भी यही स्थिति है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। किन्तु इस संबंध में मैं उनसे यही अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस स्थिति से हटना नहीं चाहिए। उन्हें इस पर डटे रहना चाहिए और यह देखना होगा कि राष्ट्र भी इस स्थिति को स्वीकार करे। मुझे खेद है कि कार सेवकों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता होने के बावजूद दूसरी विषय वस्तु और व्याख्या के संबंध में कुछ मतभेद उभरे हैं। जैसाकि बताया गया है, यह मतभेद समय सीमा न्यायिक प्रक्रिया के स्वरूप, न्यायालय के फैसले को मानने की बाध्यता के बारे में है। जब तक इन तीन-चार मुद्दों को लोगों की जानकारी के लिए स्पष्ट नहीं किया जाता, तो मैं सोचता हूं कि स्थिति खराब हो सकती है, जैसाकि इस सदन के कुछ सदस्यों ने आशंका प्रकट की है। इस लिए, प्रधानमंत्री के शब्दों में, विचारों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सरकार तथा प्रधानमंत्री को चाहिए कि जिन मतभेदों का मैंने जिक्र किया है उनके बारे में सरकार के रवैये को स्पष्ट करना चाहिए उदाहरण के लिए समय सीमा लीजिए—क्या यह तीन महीने है या चार महीने। उसके पश्चात क्या होगा? न्यायिक प्रक्रिया का स्वरूप क्या है। इस बारे में मतभेद है (व्यवधान) मैं एक या दो मिनट और लूंगा। किसी ने बताया कि प्रधानमंत्री इन शर्तों पर सहमत हो गए हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस सब ब्यौरे में मत जाइए। यह आवश्यक नहीं है क्योंकि होता यह है कि यदि आप सही-सही स्थिति जानना चाहते हैं तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। कृपया इसे छोड़ दें। आप संसद में या समाज में इन सब बातों के बारे में इतने निश्चित नहीं हो सकते। इसके लिए थोड़ी गुंजायश होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : फिर भी मैं महसूस करता हूं कि इन बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। न्यायिक प्राधिकारी से उनका क्या तात्पर्य है ? क्या इसका अभिप्राय उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय की विशेष पीठ से या न्यायाधीशों की पीठ से या किसी अन्य न्यायिक मंच से या एक विशेष न्यायालय से है ? इन सब बातों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। इस सदन को इन सभी का स्पष्टीकरण मिलना चाहिए।

मैं कहता हूं कि सरकार ने सभी संबंधित दलों के साथ उनके और देश के दो भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों के अनुभवों के आधार पर वार्ता शुरू कर दी है या किए जाने का प्रस्ताव है।

अन्त में, भ्रांति और आशंका दूर करने के लिए क्या सरकार विश्व हिन्दू परिषद को ऐसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है कि वह अंतिम विश्लेषण के रूप में न्यायिक निर्णय को स्वीकार कर लें।

सभापति महोदय : अब श्री वी० एस० राव बोलेंगे। राव साहब आप कृपया अपना भाषण पांच मिनट में पूरा कर लें क्योंकि बहुत से दल समय पाने के हकदार नहीं है और फिर भी मैं समय दे रहा हूं।

श्री शीलभद्रयाज्ञेश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर चन्द शब्द बोलने और माननीय प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण मांगने का अवसर प्रदान किया।

महोदय, इस सभा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने दिनों तक इस सभा की कार्रवाई न चली हो क्योंकि एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई जिसमें किसी राज्य ने उच्च न्यायालय के निर्णय और निदेशों को लागू करने से इंकार कर दिया है। यह संविधान के उपबंधों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है जबकि सभी सदस्य उत्तेजित थे और हमने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी हैं। और हमें खुशी है कि अंततः, प्रधानमंत्री निर्माण कार्य रोकने में सफल हुए। मैं कहूंगा कि काफी विलम्ब हो चुका है क्योंकि राष्ट्रीय एकता परिषद की अनेक बैठकें हुई और यह मुद्दा कोई नया मुद्दा बिल्कुल नहीं है। यह गत दो वर्षों या उससे भी अधिक समय से लटक रहा है। माननीय प्रधानमंत्री सोचकर कोई ऐसे कदम उठा सकते थे जिससे वर्तमान स्थिति से बचा जा सकता था। परन्तु चलो, कभी भी कार्रवाई न किए जाने से देर से कार्रवाई करना बेहतर है।

और सबसे अधिक हमें इस बात की खुशी है कि कोई खून-खराबा नहीं हुआ। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब एक बार खून-खराबा हो जाता है तो तनाव बढ़ता है और तर्क तथा उचित प्रकार का सारा चिंतन एक ओर रह जाता है और किसी बेहतर निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। अतः उस दृष्टि से हम बहुत प्रसन्न हैं और इस दृष्टि से भी कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने का कोई निर्णय नहीं किया क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो उसके परिणामस्वरूप इस देश के अनेक भागों में और तनाव बढ़ता। उस दृष्टि से हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं और आपकी अनुमति से हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप तथा एकता और अखंडता की रक्षा के निदेश दिए। और आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से दो स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा।

पहला, उन्होंने साधुओं से बातचीत की है। और अभी-अभी मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले है वह भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जब बातचीत से कोई उचित स्वीकार्य हल नहीं निकलता है तो फिर न्यायालय को यह उत्तर-दायित्व सौंपा जाएगा। यह ठीक है कि किसी भी सही सोच वाले व्यक्ति के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। हम इसका स्वागत करते हैं और उसके पक्ष में हैं। परन्तु मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या साधू और विश्व हिन्दू परिषद, जिन्होंने उस अधिग्रहीत भूमि स्थल में निर्माण का कार्य हाथ में लिया है, न्यायालय का निर्णय स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। हमने कुछ सदस्यों की बात सुनी है। वे फैजाबाद न्यायालय के किसी निर्णय को उद्धृत कर रहे थे जिसमें कार सेवा का ताला खोलने का निर्देश दिया गया था। जब न्यायालय का निर्णय उनके अनुकूल होता है तो वे कहते हैं: "हम न्यायालय के निदेशों के पक्ष में हैं; हम न्यायालय के निर्णयों का स्वागत करते हैं।" परन्तु इसी के साथ, यदि निर्णय उनके अनुकूल नहीं होता है तो वे कहते हैं, "नहीं, न्यायालय द्वारा कोई फैसला नहीं किया जा सकता है"।

अध्यक्ष महोदय : राव साहब, यह तो विदित ही है। कृपया इसे छोड़ें और मुद्दे पर आएं। और भी कई सदस्यों और नेताओं को बोलना है, और प्रधानमंत्री को उत्तर देना है। आपको एक ही बात पर इतना अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना चाहिए कि न्यायिक निर्णय स्वीकार किया जाएगा अथवा नहीं और यही प्रश्न है। अतः उसे अब कृपया छोड़ दें।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडेडे : यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। नहीं तो यह कार्रवाई पहले भी हो सकती थी। और आदरपूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय नेता एक बार साम्प्रदायिक सद्भाव समिति के लिए भी सहमत हो गए थे। वे मामले को न्यायालय को सौंपने के लिए भी तैयार हो गए थे परन्तु बाद में किन्हीं कारणों से उन्होंने उसे न मानने का निर्णय किया। अतः यह एक गंभीर मामला है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि कोई समाधान ढूंढने के लिए वह क्या कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह आवश्यक नहीं है। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैं पूछूंगा कि किस उपबंध का उल्लंघन हुआ है। अतः कृपया बैठ जाइए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडेडे : मुझे माननीय प्रधानमंत्री से दूसरा स्पष्टीकरण भी मांगना है। यह वास्तव में विश्व हिन्दू परिषद है जिसने निर्माण का कार्य हाथ में लिया है। विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव ** कह रहे थे कि चबूतरे का निर्माण एक स्थायी निर्माण होगा और वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वे मूल योजना के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं जिसके अन्तर्गत मन्दिर का गर्भ-गृह बाबरी मस्जिद में आएगा जिससे बाबरी मस्जिद को गिराने और वहां राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण करने की उनकी योजनाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है।

अध्यक्ष महोदय : आपका बहुत धन्यवाद। अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। ये सभी बातें पहले कही जा चुकी हैं।

**अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं प्रधानमंत्री से यह स्पष्ट स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या उन्होंने साधुओं और उन अन्य धार्मिक नेताओं के साथ जो उनसे मिले थे, अपनी बैठक में इस महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा की है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि हमारी तेलुगु देशम पार्टी उन्हें और उन सभी व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग देगी जो किसी भी समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाए बिना इस मुद्दे का मैत्रीपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए आम सहमति तैयार करने के कार्य में लगे हैं।

परन्तु इसी सभा में कुछ सदस्य कह रहे थे कि तीन या चार मास के बाद पुनः इस मुद्दे को उठाएंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि समय कोई मानदंड नहीं है। राष्ट्र, जनता भाई-चारे की भावना और साम्प्रदायिक सद्भाव अधिक महत्वपूर्ण है न कि आज तीन या चार मास का समय। यदि एक वर्ष भी लगे तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और कोई समाधान ढूंढना चाहिए।

आज इसी मुद्दे के कारण, विशेषकर युवाओं के मन में जहर घुलता जा रहा है। उनमें से कुछ युवा तो बहुत उत्तेजित हो रहे हैं और विभाजन होता जा रहा है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद और अन्य संगठनों से यह अपील करता हूं कि वे इस समस्या के समाधान के लिए जितना भी समय लगे उतना लगायें।

भारतीय जनता पार्टी से एक मित्र बता रहे थे कि पुराने जमाने में यह एक मन्दिर था। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जहां यह भी सत्य है कि पुराने जमाने में कुछ हिन्दू धार्मिक नेताओं ने कुछ बौद्ध अरामाम तोड़े थे, तो क्या वे वहां सभी हिन्दू मंदिरों को गिराएंगे और बौद्ध अरामामों का निर्माण करेंगे। मैं उनसे यह भी पूछता हूं कि पुराने जमाने में ऊंची जाति के लोग हरिजनों और गिरिजनों के शिक्षा प्राप्त नहीं करने देते थे और गांवों में चप्पल पहनकर नहीं आने देते थे। वे उन्हें कुओं से पीने का पानी भरने की अनुमति नहीं दे रहे थे; यदि कोई यह कहता है कि उनके दादा और पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, इसलिए वह भी उन्हें आज पीटेंगे; तो क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राव जी, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब भी इन्द्रजीत जी बोलेंगे।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : हमें आगे की सोचनी चाहिए, पीछे की नहीं। हमें सभी के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियां पैदा करनी होंगी ताकि हम एक रह सकें। धन्यवाद।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कौन से नियम और कौन से उपबंध का उल्लंघन किया गया है ? मैं इस प्रकार का कोई व्यवधान नहीं चाहता हूं।

श्री वी० धनंजय कुमार : उन्होंने विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव का नाम लिया है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न से सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, भारत ने एक लम्बे और कड़े संघर्ष के बाद

लगभग 5 वर्ष पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। हमारे लोगों ने महात्मा गांधी के शानदार नेतृत्व में जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांतों को दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया था और एक मजबूत, संगठित, धर्मनिरपेक्ष तथा जातिविहीन भारत की स्थापना की। लेकिन आज वह भारत कहां है? आज हम 1947 की अपेक्षा कहीं ज्यादा विघटित, कहीं ज्यादा साम्प्रदायिक और कहीं ज्यादा जातिवादी हो गये हैं। कहां गलती हुई है? हमें इसे बात पर विचार करना होगा। हमें बापू जी के प्रिय मुहावरे को इस्तेमाल करने के लिए अपने हृदय को ईमानदारी से टटोलने की जरूरत है।

अपनी प्रिय मातृभूमि को इस दयनीय स्थिति तक पहुंचाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। कोई भी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है यहां तक कि वे लोग भी जिम्मेदार हैं जो अपने आपको धर्मनिरपेक्षवाद के उच्च पुजारी होने का जोरशोर से दावा करते हैं। बड़े दुःख की बात है कि चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो उसने सम्प्रदायिकता से निपटने के लिए पिछले चार दशकों में बहुत कम काम किया है। 3 अप्रैल, 1948 को भारत की अंतरिम संसद, संविधान सभा (विधायी) ने भारत के राज-निकाय से साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकार किया था। इस संकल्प को भी अनन्तशयनम अय्यंगर ने पेश किया था, जो बाद में इस महान सभा के दूसरे अध्यक्ष बने। इसका जवाहरलाल नेहरू, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर, प्रो० ए० जी० रंगा और ताजम्मल हसन् ने समर्थन किया था। तथापि, यह दुख की बात है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के दो माह पश्चात पेश किए गए संकल्प को आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

फलस्वरूप, स्थिति बहत्तर हो गई। वास्तव में, रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद आज एक नई समस्या थी और संकेत करता है। मेरे विचार से साम्प्रदायिक जहर फैलाने का यह एक नवीनतम और घृणित लक्षण है। अतः मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस विनाश को सफलतापूर्वक रोक दिया है। श्री नरसिंह राव हम सभी की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने धैर्य और दृढ़ता से और इससे बढ़कर अपनी कुशल राजनीतिज्ञता के कारण इस समस्या का समाधान किया है। मैं उन्हें इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने चारों तरफ से लगातार पड़ रहे दबाव का सामना किया और "आपरेशन ब्लू स्टार' जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी। यदि यह घटना फिर से हो जाती तो वह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण, विनाशकारी और क्रूर साबित होती। हम अहिंसा के सिद्धांत को नहीं भूल सकते और हमें उन्हें भूलना भी नहीं चाहिए। अहिंसा भारत के लोगों का मूल स्वभाव है और इसकी वजह से हमने गोली चलाये बिना आजादी हासिल की है। हमें संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को भी नहीं भूलना चाहिए। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, संसदीय लोकतंत्र सरकार का सभ्य रूप है जो चर्चा, वाद-विवाद और आम सहमति पर आधारित है। अतः मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री उन अनेक चुनौतियों, जिनका हमारा देश सामना कर रहा है, के समाधान के लिए चर्चा और आम सहमति के मत पर दृढ़ हैं। मुझे तब यह जानकर प्रसन्नता हुई जब उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में अपने मित्रों से अनौपचारिक रूप से यह कहा कि "उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने या विवादित भूमि का अधिग्रहण करने का आपका सुझाव तो अच्छा है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? हमें न्यायालय के आदेश का भी पालन करना है।"

अध्यक्ष महोदय, हमें निष्पक्षता से संतों और साधुओं की भी प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने प्रधानमंत्री की अपील पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। यह सच है कि यहां बैठे अनेक मित्र साधु

और संतों से बहुत नाराज है। यह भी सच है कि साधु और संतों और उनके विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने देश को विनाश के कारगार पर खड़ा कर दिया है। तथापि, हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि भारत इस विनाश से इसलिए बच गया है क्योंकि साधु और संतों ने अन्ततोगत्वा उच्चतम न्यायालय के आदेश को मानना स्वीकार कर लिया है। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि तब क्या होता यदि उन्होंने, प्रधानमंत्री की इस अपील को नहीं माना होता भले ही उन्हें भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण करना है फिर भी उन्हें देश के न्याय के उच्चतम मंदिर का पूर्ण रूप से सम्मान करना चाहिए।

अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि अब हम क्या करें ? मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय से पूर्णतया सहमत हूं कि इस समस्या का मैत्रीपूर्ण ढंग से हल निकाला जाना चाहिए। महोदय, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह दृढ़ विचार है कि सभा से अपेक्षित संकल्प और सदभाव के बिना मैत्रीपूर्ण समाधान संभव नहीं है। केवल हमारा ही देश नहीं है जो इन समस्याओं का सामना कर रहा है। अन्य दूसरे देश भी है। इस प्रकार की समस्याओं का साधना करते हैं और सहमति से हल निकालते हैं। मैंने अपने ढंग से अन्य इसी प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

उदाहरण के तौर पर, अप्रैल, 1990 में मैंने इस्तम्बूल का दौरा किया। यहां पर एक समय सांता सोफिया का प्रसिद्ध केथीड्रील में विवाद का विषय रहा जिसे उसके स्थापना के 900 वर्षों के पश्चात एक मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था।

केमल अटाटर्क, आधुनिक तुर्की के निर्माता को सांता सोफिया कोंसर्टेटिनोपल्स के प्रसिद्ध केथीड्रल, जो 900 वर्ष तक ग्रीक प्राच्यचर्च का केन्द्र रहा है, के निर्माण के संबंध में तुर्कियों द्वारा किए गये गलत कार्य को ठीक करन का अवसर मिला। पन्द्रहवीं शताब्दी में ओसमनली तुर्कियों ने कोसर्टेटिनोपल्स पर विजय प्राप्त की और इस अद्वितीय केथीड्रल को आप सुपहिया नाम की एक मुख्य मस्जिद में बदल दिया था। केथीड्रल के सभी शिलालेख और पच्चीकारी, गारा और पलस्तर से ढक दिये गये थे। अरबी भाषा में पवित्र कुरान से ली गई पंक्तियों को इसकी दीवारों पर लिखा गया और केथीड्रल को अरबी रूप दिया गया। लेकिन सन् 1935 में आपा सुपहिया मस्जिद नहीं रही। होजाओं और मुल्लाओं को दूसरी मस्जिदों में भेजा गया। अमरीकी और जर्मनी से विशेषज्ञ बुलाये गये और बाइजेंताइन कला की महान उपलब्धि के रूप में केथीड्रल का मोरब बरकरार रखा गया। सांतासोफिया को एक संग्रहालय बनाया गया और वह अभी भी संग्रहालय है। जब मैंने केथीड्रल का चक्कर लगाया तो मुझे जवाहर लाल नेहरू की कही गई बातें सही लगीं। उन्होंने सन् 1935 में लिखा था ;

> "आपा सुपहिया एक बार फिर ईसाई युग में वापस लौट गई है—और वह भी केमल अटाटर्क के निर्माणानुसार।"

कहीं से भी ऐसा कोई सुझाव नहीं आया है कि विवादित राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद को एक राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जाये। ऐसा कोई भी कदम संतों, साधुओं तथा मोटे तौर पर सभी हिन्दुओं की सहमति से तथा उन अनुमति से भी उठाया जाना चाहिए। फिर भी हम ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए अरब देशों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति से भी प्रेरणा ले सकते हैं। वहां पर कोई हिन्दू-मुस्लिम समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब में अरबी

लोग हिन्दुओं को अस्थायी मंदिर तक के निर्माण की भी अनुमति नहीं देते। फिर भी अनेक कारणों की वजह से उनके समक्ष मस्जिद निर्माण के स्थल तथा स्थल परिवर्तन करने से संबंधित अनेक समस्याएं आती रहती हैं।

इसीलिए मैंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गत फरवरी में काहिरा जाना उचित समझा ताकि मिश्र के महान मुफ्ती महामहिम डा० मोहम्मद सैयद तन्टावी से तथा काहिरा के विश्व-विख्यात अल-अजहर विश्वविद्यालय के उच्च विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। इस वक्त मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि काहिरा में मेरी बातचीत बहुत रोचक तथा उपयोगी रही। यह 1990 की ग्रीष्म ऋतु में मेरे बगदाद, नाजेफ तथा करबला और उससे कुछ वर्षों पूर्व साऊदी अरब के दौरे के समय जैसी उपयोगी रही। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि शरियत तथा इस्लाम के अन्य कानूनों का उल्लंघन किए बिना इस्लामी देशों के उच्चाधिकारियों से बातचीत करना समस्या का सर्वसम्मत समाधान निकालने में उपयोगी होगा। अरब के देश इस विवाद को बहुत ही रोचक ढंग से देख रहे हैं। उनको इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि इस समस्या का कोई सौहार्दपूर्ण समाधान ही जाए। अब मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि समस्या का ऐसा समाधान न किया जा सके। जो सभी पक्षों को मान्य हो तथा जिसका सभी पक्ष सम्मान करें। किन्तु यह तभी संभव हो पाएगा। जब हम अपने पूर्वाग्रहों को भुला दें तथा एक दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना को तज दें हमें तुरन्त इस दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने आपको एक सच्चा राजनेता दर्शाया है से इसके समाधान की आशा की जा सकती है। इसलिए हम सभी को उन्हें हर तरह की मदद तथा सहयोग देना चाहिए। निहित स्वार्थों वाली अन्धाधुंध साम्प्रदायिक राजनीति अब काफी हो चुकी है। अब हमें सबसे उत्तम विकल्प खोजने का प्रयास करना चाहिए। हमें स्वयं, दल तथा सम्प्रदाय को भुलाकर तुरन्त देश का ख्याल करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या के मामले पर सदन में चर्चा हो रही है। देश के सभी बड़े नेताओं के विचार हमें सुनने को मिले हैं। यह मामला, यह समस्या एक राजनैतिक समस्या है लेकिन एक साल के अन्दर इसका राजनैतिक समाधान नहीं हुआ। आज देश के अन्दर सभी राजनैतिक दलों के, चाहे जो भी सत्ता पर होता है, राजनैतिक दिवालिएपन का सबूत मिल रहा है। राजनीतिक लोग समाधान नहीं कर पाए, अब साधु-सन्तों का सहारा ले रहे हैं। आज तीन-चार महीने से निश्चित रूप से अशान्ति का वातावरण इस देश में विश्व हिन्दू परिषद और भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बनाने का काम किया है। एक साल से राष्ट्रीय एकता परिषद में भी इन बातों की चर्चा होती रही है और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा जाता रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होगा, वह सभी लोगों को मान्य होना चाहिए। सुप्रीम और हाई कोर्ट का निर्णय आपको मालूम है, उसके बाद भी और कार-सेवा बन्द करने के बाद भी साधु सन्तों और विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे और आपसी समझौता, पता नहीं किस तरह के आपसी समझौते से समस्या का हल करेंगे। आपसी समझौता—किस तरह का आपसी समझौता होगा, यह अखबारों में देखने को मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर बनाने के लिए हमको मैंडेट मिला है। मैं कहता हूं कि यह मंदिर धार्मिक सवाल नहीं रह गया है, यह राजनीतिक सवाल बना दिया गया है। इनको लोभ और लालच हो गया है कि मंदिर के नाम पर हम राज्य की सत्ता पर

बैठ सकते हैं, तो मंदिर बनाने के नाम पर हम दिल्ली की सत्ता पर भी बैठ सकते हैं। इस तरह का विचार और सोच इनके दिल में पैदा हो गया है। ये कारगर भी हो रहे हैं, इसीलिए आज ये मंदिर बना रहे हैं। अखबारों में आया है कि मस्जिद हम नहीं गिरायेंगे, लेकिन मंदिर बनायेंगे और मस्जिद बीच में रहेगी। चारों तरफ से मंदिर बनाकर हम मस्जिद को घेर देंगे। ···(व्यवधान)··· ऊपर से भी घेर देंगे और मस्जिद को गिरायेंगे नहीं तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक हैं, वे मस्जिद के अन्दर कैसे जायेंगे। हम उनसे कहना चाहेंगे, आपको हिन्दुस्तान के हिन्दुओं की बड़ी चिन्ता है, लेकिन जो हिन्दुस्तान के बाहर रहने वाले हिन्दू हैं, उनकी भी आपको चिन्ता होनी चाहिए। हम अटल जी की इस बात से सहमत हैं, हम छोटी पार्टी के लोग उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक इस देश के अन्दर मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों से राजनीति होती रहेगी, तब तक वह काम बन्द नहीं होगा। हमें उनकी इस बात से संतोष मिलता है तो फिर किस तरह से समाधान निकाला जाएगा ?

आज इस मंदिर -- मस्जिद के झगड़े से सबसे ज्यादा झारखण्ड के लोग दुखी हैं। इस देश के अन्दर काश्मीर की समस्या है, पंजाब की समस्या है, बोडो की समस्या है, झारखण्ड की समस्या है और जब तक हम झारखण्ड के सवाल पर बात करने के लिए जाते हैं, तब तक यहां फिर मंदिर और मस्जिद का सवाल आ जाता है। अयोध्या की समस्या मिरगी की बीमारी हो गई है। इसको दबा देकर तीन-चार महीने के लिए रोक दिया गया है। इस मिरगी की बीमारी का परमानेंट इलाज खोजने के लिए भारत देश के प्रधान क्या उपाय कर रहे हैं—हम लोग और इस देश की जनता जानना चाहती है ? अयोध्या की समस्या पिछले कई प्रधान मंत्रियों के सामने रही है। चन्द्र शेखर जी के सामने भी यह समस्या रही है और अब राव जी देश के प्रधान मंत्री हैं, उनके इस पद पर रहते हुए अयोध्या का सवाल सुलझेगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बस मैं समाप्त कर रहा हूं। आप क्यों इतना तड़प रहे हैं इन लोगों को इस देश के अन्दर कुछ नहीं चाहिए। अभी यह अयोध्या का मामला उठाया गया है, हर्षद मेहता के केस को दबाने के लिए और हमने सुना है कि सौ करोड़ रुपया इधर से उधर हुआ है। (व्यवधान) यह सब खेल इसलिए किया जा रहा है कि वहां अयोध्या में आन्दोलन हो, कारसेवा शुरू हो ताकि हर्षद मेहता की बात को न उठाया जा सके, यह सवाल है। ये लोगों को पानी नहीं चाहिए, इन लोगों को देश में विकास नहीं चाहिए। किसानों को खाद नहीं चाहिए और इन लोगों को सिर्फ मन्दिर-मस्जिद चाहिए।

ये मन्दिर-मस्जिद नहीं बनाना चाहते हैं, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मन्दिर के नाम पर गद्दी पर बैठे हैं इनकी नजर नरसिंह राव जी की गद्दी पर लगी है, उस गद्दी पर इनकी नजर है, मन्दिर पर इनकी नजर नहीं है। प्रधानमंत्री जी हम लोग आपके साथ हैं इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरी तरह से सख्ती से निपटें, डरिए मत, नहीं तो यह देश खतरे में पड़ जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावना व्यक्त करता हूं। महीनों के विचार-विमर्श तथा उत्तेजनापूर्ण बहस के पश्चात् ऐसा लगता है कि शायद अन्त में हम अयोध्या के जटिल तथा ज्वलंत मुद्दे के किसी स्थायी समाधान के लिए सही रास्ते पर आ रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हर काम करने के लिए एक सही वक्त होता है। हम देख रहे हैं कि वह वक्त अब आ गया है। महोदय, प्रायः हम देखते हैं कि कमजोर दिमाग घातक सिद्ध होता है क्योंकि हमारे ऐसे दिमाग में उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का पर्याप्त धैर्य नहीं होता और हम जल्दबाजी में एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास करने लगते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रहे एक से एक नए परिवर्तनों तथा माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि अयोध्या की इस समस्या का सौहार्दपूर्ण तथा स्थायी समाधान करने के लिए प्रत्येक दल को इस मुद्दे पर पुनः विचार करना पड़ेगा।

भारत जैसे धर्म-निरपेक्ष देश में मैं महसूस करता हूं कि इस जैसी समस्या का समाधान धर्म निरपेक्ष तरीके से करने के सिवाय अन्य कोई तरीका नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद तथा संसदीय शिष्टमण्डल, जिसका मैं भी एक सदस्य था, ने दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर जोर दिया है अर्थात संयम बरता जाये और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढा जाये। राष्ट्रीय एकता परिषद तथा संसदीय शिष्टमण्डल के प्रतिवेदन में इन्हीं दो बातों पर जोर दिया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय एकता परिषद ने राजनैतिक दलों, धार्मिक नेताओं, प्रचार माध्यमों तथा विभिन्न अन्य संगठनों समेत सभी से यह अपील की थी कि वे ऐसी कोई भी बात न कहें तथा ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे देश में साम्प्रदायिक भावनाएं भड़कें। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के दायरे में हमें इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए।

जिस संसदीय शिष्ट मण्डल ने अयोध्या का दौरा किया था उसने भी अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि यद्यपि राम-जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दा विवाद का विषय बन गया है किन्तु इस समस्या का समाधान करने के लिए इसे केवल तकनीकी दृष्टि से ही देखना ठीक नहीं होगा।

जिस संसदीय शिष्टमण्डल ने अयोध्या का दौरा किया था उसने अपने प्रतिवेदन में यही टिप्पणी की है। अब, इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल ऐसे धर्मनिरपेक्ष तरीके से ही इस जटिल समस्या का सही समाधान किया जा सकता है ... इससे अयोध्या मुद्दे का शान्तिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण समाधान हो जाएगा, जिसकी आज हमें आवश्यकता है।

महोदय, इसे ध्यान में रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि यह आवश्यक है कि सभी ऐसे राजनैतिक दल तथा ताकतें जो अपने आपको धर्मनिरपेक्ष समझते हैं तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्तों का पालन करते हैं, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से इस समस्या का दल करने वाली ताकतों के साथ मिल जाएं और अयोध्या मसले का शान्तिपूर्ण समाधान करने के लिए स्वेच्छा से अपना सहयोग दें। यह तरीका केवल उनके दृष्टिकोण को ही नहीं दर्शाएगा बल्कि यही साबित कर देगा कि राष्ट्र तुच्छ तथा संकीर्ण विचारों से भी ऊपर उठ सकता है। जब राष्ट्र हित की कोई बात हो तो यह और भी ऊपर उठ सकता है तथा उससे परे भी देख सकता है तथा राष्ट्रहित में फैसला करने में समर्थ है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्र को ऐसे समाधान की आवश्यकता है जो परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर हो जो आपसी समझ-बूझ से किया गया हो तथा जो न्यायपूर्ण हो। यदि सभी कुछ मैं ही लेना चाहूं तथा दूसरों का ध्यान न रखूं तो मैं समझता हूं कि ऐसा रवैया ठीक नहीं है। यह दोनों पक्षों को मन्जूर होना चाहिए। ऐसी भावना आनी चाहिए तथा इसी भावना से हम समाधान कर सकते हैं। इसीलिए मैं महसूस करता हूं कि यह कहना गलत है

कि किसका अधिकार ज्यादा है। मैं समझता हूं यह उससे हट के है। यदि हम एक के अधिकारों के बारे में ही कहते जाएं उसे ही प्रोत्साहित करते जाएं तथा उसे उचित बताते जाएं, विवाद जारी रहेगा तथा यह चलता ही रहेगा। इस समय हमें अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए।

महोदय, हमने इतिहास से यह सीखा है कि जब दो अधिकारों के बीच झगड़ा हुआ है मनुष्य ने सदैव संकटों का सामना किया है। जब कभी सही और गलत के बीच झगड़ा हुआ उस समय मानवता ने कभी भी परेशानियों या संकटों का सामना नहीं किया। इसके समक्ष केवल तभी संकट आए हैं जब कभी दो अधिकारों के बीच झगड़ा खड़ा हुआ हो।

महोदय, अयोध्या के मसले को दो अधिकारों के बीच झगड़े का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए किन्तु हमें परस्पर समझौते की भावना से इसे हल करना चाहिए तथा अयोध्या के मसले को न्यायालयों के मुकदमों के समान नहीं समझना चाहिए। यह कहीं उससे अधिक है। इसे एक सामान्य न्यायालय का मामला नहीं समझा जाना चाहिए यह उससे भी कहीं बढ़कर है, इसके समाधान के लिए हमें पूर्ण रूप से न्यायालय पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह वास्तव में ही एक बेहतरीन भाषण है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : माननीय अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य के पश्चात समझौते से संबंधित जो संदेह प्रस्तुत किए गए हैं, उनके बारे में प्रधान मंत्री जी स्पष्टीकरण करेंगे। मैं एक बात सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं और इस संबंध में महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अंतुले जी की स्पष्टवादिता की मैं प्रशंसा करता हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रश्न किसी भी रूप में न्यायालय से अन्तिम रूप में निर्णीत नहीं हो सकता। यदि न्यायालय निर्णय करेगा तो देश के सारे हिन्दू या सारे मुसलमान उसको स्वीकार करेंगे, यह संभव नहीं है। इसी स्पष्टवादिता को साथ लेकर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समझौते के द्वारा इसका किसी प्रकार से हल निकाला जाए। इसके बारे में जितना भी सहयोग हो, सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य और अन्य जगहों पर जहां-जहां भी इससे संबंधित व्यक्ति हैं, वे सहयोग देंगे।

परन्तु अध्यक्ष महोदय, यहां इस सदन में कुछ बातें कही गयीं, चूंकि समय बहुत कम है, मैं कुछ प्रश्न पूछ कर बैठ जाऊंगा ताकि इसका उत्तर प्रधान मंत्री जी अपने भाषण में दे सकें अध्यक्ष महोदय, यहां यह कहा गया और बहुत जोर-शोर से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी और साधु-संत संविधान, न्यायालय और कानून तथा व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इस कारण से पिछले 10-20 दिन के अन्दर, यहां पर ही नहीं, सारे राष्ट्र के अन्दर खतरनाक स्थिति बनी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, क्या राष्ट्र में जब लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की भावनाओं का प्रश्न होता है, सिद्धान्तों का प्रश्न होता है, भूतपूर्व इतिहास में ऐसे प्रसंग नहीं आए जब न्यायालय की आज्ञाओं पर पुनः विचार करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से बार-बार प्रार्थना की गई। यहां मैं उदाहरण देना चाहूंगा। अभी-अभी कावेरी पानी के प्रश्न को लेकर कर्नाटक की सरकार ने न्यायालय की आज्ञा के विरुद्ध एक आर्डिनेंस जारी किया, जिसके द्वारा उस आज्ञा को निरस्त किया गया।

उसके पश्चात् आज भी समाचार पत्रों में यह जिक्र है कि कर्नाटक में अब भी जन आन्दोलन जारी है और काबाजी के न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए पानी के फैसले से तमिलनाडु की जनता को आज भी लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे पश्चिम बंगाल से आने वाले मित्रों ने बहुत बातें कहीं न्यायालय के निर्णय के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कुरान के बारे में चांद मल चोपड़ा ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अन्दर रिट याचिका प्रस्तुत की। श्रीमान्, रिट याचिका के बारे में महिला जज ने उसकी एडमिशन कर ली, उसके पश्चात् वहां पर हाउस के अन्दर ज्योति बसु ने यह कहा :

[अनुवाद]

"मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने (9 मई टेलीग्राफ) कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर उस रिट याचिका के बारे में जिसमें कुरान के कतिपय अंशों को 'घृणित कार्य' बताते हुए चुनौती दी गई है। श्री बसु, जो फारवर्ड ब्लाक के विधायक को उत्तर दे रहे थे, ने यह भी महसूस किया कि न्यायालय को इस याचिका को तुरन्त खारिज कर देना चाहिए था क्योंकि इसका विषय धर्म से संबंधित है।"

अध्यक्ष महोदय : सीधी बात पर आइये। हम नहीं चाहते कि आप सभी मुद्दों का उत्तर दें। हम आपके विचार सुनना चाहते हैं; इसलिए उनके विचारों की तुलना में आपके विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उसमें आगे कहा गया है : "मैंने महाधिवक्ता से भी कहा है कि वह इस संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करें"। श्री बसु ने आगे कहा :

[हिन्दी]

इन्द्रजीत गुप्त जी ने बड़ी बातें कहीं कि न्यायालय का आदर नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे ही मूल बात चाहते हैं न कि दूसरों से।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यह श्री तिमिर हरण सेन गुप्ता, उप सचिव, गृह विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार का हलफनामा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे एक तरफ रख दें।

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैं कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं :

[हिन्दी]

उसके पश्चात् अशोक सेन को रातोंरात भेजा गया। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट एडवोकेट की तरफ से जो वहां पर जवाब पेश हुआ।

[अनुवाद]

पृष्ठ 148 पर लिखा है :

"मैं यह भी कहता हूं कि कुराने पाक एक पवित्र पुस्तक है दुनिया की कोई भी ताकत इस पर निर्णय नहीं कर सकती और किसी भी न्यायालय को इसके सम्बन्ध में निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है।

इस माननीय न्यायालय को दुनिया के मुसलमानों की पवित्र पुस्तक कुरान पर निर्णय करने की अधिकारिता नहीं है क्योंकि इस्लाम के अनुसार उसका कोई भी शब्द नहीं बदला जा सकता।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, न्यायालय ने भी यही कहा कि धर्म के मामले में हम किसी भी प्रकार से दखल नहीं करते. धर्म के मामले में हम निर्णय नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि जन्म स्थान कहां पर है, जन्म भूमि है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर बहुत विवाद किया जाता है। कहा जाता है कि न्यायालय से इसका निर्णय करा लिया जाए। एक बात और कही जाती है कुरान के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता, मजहब के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता। मुसलमान मजहब के बारे में निर्णय नहीं हो सकता तो हिन्दू मजहब के बारे में कैसे निर्णय हो सकता है, यह मैं जानना चाहता हूं।

आपके माध्यम से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि हमारे कलकत्ता हाईकोर्ट के अन्दर एक नहीं दूसरी बार यह प्रश्न उठा···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दोनों ओर से अनगिनित विनिर्णय हुए हैं। हमें इनमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : सिंघिया जी यहां बैठे हुए हैं तो क्या यह सच नहीं है कि जब प्रिवी-पर्स का जर्जमेंट हुआ तो कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में जो तीन जजेस थे उस बैंच में·····* (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। यह कार्यवाही का अंश नहीं माना जाएगा। कृपया इसे छोड़ दें।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। इतिहास के अन्दर पहला कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट मोतीलाल बर्सेस स्टेट आफ उत्तर प्रदेश नेशनेलाइलेशन के खिलाफ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिया जिसको सरकार ने अपदस्थ कर दिया था तो उन्होंने कहा—

[अनुवाद]

एकान्त में बैठे न्यायाधीश करोड़ों लोगों की इच्छाओं को नकार नहीं सकते।

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उसके बाद एक नहीं बल्कि जितने अमेंडमेंट हुए हैं तो वे सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णयों को अपदस्थ करने के लिए हुए हैं, राजनीति और सामाजिक क्षेत्र के अन्दर और अमेरिका के अन्दर ·····(व्यवधान) जब रूजवेल्ट की न्यू डील में नेशनेलाइजेशन को नहीं माना तो उस जज ने कहा कि मैं इस प्रकार के निर्णय को नहीं मानता···(व्यवधान) मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है। लेकिन जनता की भावनाएं, जनता की सारी नीतियों का उसमें दखल नहीं हो सकता। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कांग्रेस के श्री तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो बनारस के अन्दर एक मोहल्ले में सुन्नी कब्र को हटाकर के शिया के यहां ले जाने के लिए··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब आप समाप्त करें। यह आवश्यक नहीं है। कृपया समझें कि हम यहां बैठे हैं और पूरे राष्ट्र तथा तथा सभी दलों की कठिनाइयों को महसूस कर रहे हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए आपके विचार जानना चाहेंगे।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : आपके आदेश के अनुसार मैंने यह निवेदन इसलिए किया था कि राष्ट्र के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं। यहां समझौते की बात हुई, वह बहुत अच्छी बात है। मैं उस कमेटी में था जो चन्द्र शेखर जी के समय में मिली थी। उस कमेटी में बातचीत अच्छे वातावरण में हुई थी। उसी वातावरण को आगे हमारे प्रधान मंत्री जी चलाना चाहते हैं। वह कमेटी 4-12-90 को मिली, जो बात हुई उसकी दो लाइन सुनाता हूं···(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर ने यही प्रश्न रखा था कि केवल यह बात तय की जाए यहां पर कोई मन्दिर था जिसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनायी। यह इसलिए आवश्यक है कि हजारों प्रश्नों पर जिस पर ग्यारह मुकद्मे और छह रोट न्यायालय में चल रहे हैं और चार सौ गवाह हैं, उनका निर्णय चार सौ वर्ष भी नहीं हो सकता। जो फंडामेंटल प्रश्न है वह यह है कि क्या यहां पर कोई मन्दिर था जिसको तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनायी।

4.00 म० प०

इस प्रश्न पर रेफरेंस किया था कमेटी को। मैं चाहूंगा प्रधान मंत्री भी समझौते की बातों को केवल इस एक बिन्दु तक सीमित रखें और इसी बिन्दु के सम्बन्ध में जब वहां पर वार्ता हुई तो उस वार्ता के अन्दर आपको निवेदन करना चाहता हूं नेवल्स डिस्ट्रिक्ट जो गजेटियर है उसको वहां प्रस्तुत किया गया। जिसमें लिखा था :

[अनुवाद]

"1528 ई० में बाबर अयोध्या आया और एक सप्ताह वहां ठहरा था। उसने प्राचीन मंदिर को नष्ट किया और उसने स्थान पर एक मस्जिद बनाई जिसे अभी तक बाबरी मस्जिद कहते हैं।"

अध्यक्ष महोदय : हम यहां कोई साक्ष्य नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : इसको लेकर श्रीमन् जब वहां वार्ता शुरू हुई तो शरद पवार ने वहां कहा उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

"इस पर श्री शरद पवार ने पूछा कि क्या सरकारी गजट में कोई उल्लेख है या नहीं। श्री जिलानी ने कहा कि ब्रिटिश सरकारी गजट में इसका उल्लेख है। श्री वेंकटरमन ने बताया कि गजट तथ्यों पर आधारित थे। लेकिन श्री आजम खान ने दावा किया कि यह समस्या अंग्रेजों की बनाई हुई थी ताकि समाज में विभाजन हो।"

[हिन्दी]

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रधान मंत्री समझौते की वार्ता को इस एक बिन्दु तक सीमित रखें और उसके बारे में जो सहयोग व सहायता चाहेंगे दोनों पक्षों से वह मिलेगी। यह उचित नहीं है कि यहां पर यह कहा जाये कि बी० जी० पी० ने या साधु-संतों ने संविधान को या न्यायालय को या कानून व्यवस्था को नहीं माना या उनकी अवमानना की। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है उसके अनुकूल भारतीय जनता पार्टी और हमारा नेतृत्व पूर्णतः सहयोग देने को तैयार है और इस सहयोग का उपयोग लेकर माननीय प्रधान मंत्री इसका इसका हल निकालें।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : धन्यवाद श्रीमान्, मेरे हृदय में बहुत-सी बातें भरी हैं किन्तु मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप कम समय में ही बहुत-सी बातें कहने में सक्षम हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : श्रीमान्, कुछ सदस्यों ने प्रधान मंत्री को देश में तनाव कम करने और राष्ट्र को कुछ राहत दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है। मैं महंत अवैद्यनाथ और श्री गुमान मल लोढा को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अपने जोरदार भाषणों से यह याद दिलाया है कि यह राहत कितनी अल्प है और इसकी नींव कितनी कमजोर है।

श्रीमान्, सहायता या राहत एक सापेक्ष शब्द है। हमारे प्रधान मंत्री का राहत पहुंचाने का तरीका यह लगता है कि पहले आप किसी स्थिति को तब तक बिगड़ने दें जब तक वह सुधारने लायक न रहे फिर आप थोड़ी-सी राहत पहुंचाएं जो बहुत बड़ी लगेगी।

इस सभा से तथा प्रधान मंत्री से मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकार ने पहले से ही कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। जब विवादग्रस्त भूमि को सौंपा जा रहा था, जब कुछ ढांचों को तोड़ा जा रहा था तब वहां सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की ?

बाद में 27 अप्रैल को जब बोम्मई समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की गोलमोल बातों के बारे में स्पष्ट कहा गया था फिर भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। उस समय इस खतरनाक तथा उत्तेजक काम को टाला जा सकता था जो उस विवादग्रस्त

भूमि पर शुरू हुआ किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता नहीं यह 'स्मारं-स्मारं स्वगृह चरितं वास्तुतो मुरारिं' वाला मामला तो नहीं है।

क्या माननीय प्रधान मंत्री उस मंत्री के बारे में सोच रहे थे जो डावोस में उनसे छूट गया था या जो घोटाले के कारण अलग हो गया और इसलिए जो पुरी में जगन्नाथ की तरफ जंगल की ओर चला गया और इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं कर सके ?

9 जुलाई के बाद भी कुछ नहीं किया गया। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक भी ऐसे समय में बुलाई गई जब उसे असफल होना ही था। हम जानना चाहते हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ। दूसरे मैं जानना चाहती हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन श्रीमान्, हम प्रधान मंत्री से भी स्पष्टीकरण चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसे छोड़ दें। मैंने आपको बोलने का समय इसलिए दिया है कि आप कुछ अच्छे सुझाव देंगी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : जो प्रधान मंत्री ने कहा है और जो उस तरफ के हमारे मित्रों ने समय सीमा के बारे में कहा है—तीन महीने या चार महीने—उसमें अंतर है। मैं जानना चाहती हूं कि भाजपा के मित्र बार-बार तीन महीने की सीमा के लिए क्यों कह रहे हैं। क्या यह कार्तिक उत्सव के कारण है जो उस दौरान होगा और जिसमें भारी संख्या में निर्दोष तीर्थ यात्री वहां एकत्र होंगे। क्या उनका उपयोग हिन्दू कट्टरवादियों द्वारा किया जाएगा ? क्या यही कारण है ? तीन महीने का समय क्यों निर्धारित किया जा रहा है ? क्या सरकार इससे सहमत होगी ?

श्रीमान, यह भी कहा गया है कि प्रधान मंत्री मानते हैं कि एक उच्च न्यायिक निकाय के समक्ष सामग्री प्रस्तुत करने में चार महीने तो लग जाएंगे। उस ओर के माननीय सदस्यों ने कहा है कि तीन महीने का समय अंतिम सीमा होगी जिसके बाद प्रधान मंत्री को दिया गया आश्वासन बाध्यकर नहीं होगा। क्या वे लोग अन्ततः न्यायिक निर्णय से सहमत होंगे ? वह अन्य प्रश्न है जिसे उठाया गया है। श्री चिन्मयानन्द तथा श्री दीक्षित के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे न्यायिक निर्णय से सहमत होंगे।

एक अन्य मुद्दा जिसे मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि विवादित स्थल पर कार्य क्या वास्तव में रोक दिया गया है। दी टाईम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार, जबकि कार सेवकों को उस स्थल, जिसे कि चबूतरा कहा जाता है, से अलग हटा दिया गया है, उत्तर प्रदेश में विश्व हिन्दू परिषद —जोकि मुख्य कर्ता-धर्ता थे—के वक्तव्य से ऐसा आभास होता है कि वे उस चबूतरे पर कार्य जारी रख रहे हैं। यदि यह सही है तो इसका मतलब है कि निर्माण कार्य तो रुका नहीं है। इसके अलावा आज के दैनिक जागरण में प्रकाशित एक खबर के अनुसार एक महन्त चबूतरे के ऊपर बैठकर 24 घंटे हनुमान चालीसा का जप कर रहा है, और उस स्थल को एक प्रकार की धार्मिकता प्रदान कर रहे हैं जोकि बिलकुल गैर-कानूनी है···(व्यवधान) यद्यपि उन्होंने कार सेवकों को विवादित स्थल से अलग हटा दिया है, लेकिन क्या वे गर्भगृह की ओर सभी दिशाओं से नहीं आ रहे हैं ?

यदि प्रधान मंत्री, मस्जिद को बिना गिराये मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि वह मंदिर कहां बनवाया जाएगा क्योंकि प्रधान मंत्री के भाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है। अतः, महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कैसे कहा कि टकराव की स्थिति को टाला जा चुका है। इसके विपरीत इससे ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय के आदेश तथा संविधान की अवहेलना कर आप जो चाहें कर सकते हैं। वास्तव में इस टकराव की चाल से उन्होंने निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया है और जबकि यह संकट व्याप्त था, रक्त-पात की हवा जोरों पर थी; यदि इसको रोक दिया गया तो सारे देश में खून-खराबा हो जाएगा, सारे देश में साम्प्रदायिक दंगे हो जाएंगे। हम यह नहीं जानते कि यदि कोई कार्यवाही की जाती तो वास्तव में ऐसा होता परन्तु ऐसी अफवाह जोरों पर थी। ऐसी अफवाहें कहां से उठती हैं? ऐसे आतंक, ऐसा भय का निर्माण करने से वे लोग अपने पहले चरण का कार्य करने में सफल हो गए हैं और इसलिए अतः मैं ऐसा नहीं समझता कि टकराव की स्थिति को हटा दिया गया है अपितु मेरे विचार से टकराव के लिए रास्ता खोल दिया गया है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में जिस मैत्रीभाव से आपस मे निपटारा कर एक उचित वातावरण का निर्माण करने की बात कही है वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विवादित क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न उकसाने वाली आशंका पर काबू न पाया जाए। किसी भय के कारण लिया गया निर्णय कोई निर्णय नहीं होता। यह जोर-जबरदस्ती में लिया गया निर्णय है और जब तक यह भय व्याप्त रहेगा, किसी मैत्रीभाव से निपटारे का प्रश्न ही नहीं उठता। तीन-चार महीने के पश्चात कुछ लोग पुनः विवादित क्षेत्र में आकर वैसा ही खून-खराबा और साम्प्रदायिक दंगे का भय उत्पन्न कर देंगे। जब तक ऐसा भय व्याप्त रहेगा, बातचीत तथा मैत्रीभाव से समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है।

वास्तव में, हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों के लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमे उनके लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। जोर-जबर्दस्ती से राय कायम करने की कोशिश की जा रही है। अतः, सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि विवादित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। इस बात को देखते हुए हम चाहते हैं कि सरकार इस क्षेत्र में कार्य करे।

एक माननीय सदस्य : सरकार कैसे करेगी ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : हम लोग आपके साथ इस विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं। आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करते ?

इस भय को दूर करने के पश्चात तथा सकारात्मक कदम उठाने के बाद ही मैत्रीभाव से इस समस्या के समाधान हेतु विचार-विमर्श प्रारम्भ किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री इरा अन्बारासु, आप एक प्रभावी वक्ता हैं। आज मैं आपका सुरीला भाषण सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ये क्या चल रहा है पीछे ? आप बैठ जाइए । ये अच्छी बात नहीं है । आप अपनी जगह पर बैठ जाइए ।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : ये सबसे अच्छी बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम इनको बाद में सुनेंगे ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अन्नारासु इरा (मद्रास सेंट्रल) : अध्यक्ष महोदय, जब उन्नत देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रौद्योगिकी विकास की चर्चा कर रहे हैं, उस समय हम लोग मस्जिद और मंदिर पर झगड़ रहे हैं। मुझे यह जानकर वास्तव में बहुत अधिक तकलीफ हुई है कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस तरह के विवाद में उलझा है । कोई भी विकसित देश इस तरह के फालतू विवादों में उलझकर अपने आपको नष्ट नहीं करना चाहेगा । सम्पूर्ण विश्व हम पर हंस रहा है । यही उचित समय है कि हमें किसी भी कीमत पर इन साम्प्रदायिक मुद्दों को समाप्त करना होगा ।

तथापि, राम-जन्म भूमि—बाबरी मस्जिद के इस जटिल मुद्दे से निपटने हेतु दिखायी गई दूरदर्शिता के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं । हमारे प्रधान मंत्री अब राजनीतिक नहीं रहे । वह एक विद्वत्तापूर्ण नेता के रूप में उभरे तथा साधुओं और महतों से विचार-विमर्श कर एक भयानक खून-खराबा तथा साम्प्रदायिक दंगे को रोका है । उनके द्वारा समय से कार सेवकों को रोकने की सराहना की जानी चाहिए । कानून का पालन करना, न्यायपालिका का सम्मान तथा धर्मनिरपेक्षवाद तथा लोकतंत्र को बचाये रखने के प्रति उनका वादा सराहनीय है । उनका वक्तव्य स्पष्ट है तथा वह किसी टकराव की प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते । इस जटिल समस्या को मैत्रीभाव से निपटने हेतु उनके पहल से निश्चय ही एक अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण समाधान निकलेगा ।

यहां मैं महंत अवैद्यनाथ के चरण स्पर्श करना चाहता हूं । मैंने उनका भाषण सुना जिसमें उन्होंने मुहम्मद गजनी तथा अन्यों द्वारा हजारों मंदिर को तोड़े जाने की बात कही है । लेकिन, हम लोग इन मंदिरों के पुनरोद्धार का कार्य जारी रखेंगे । यह स्थान नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपने विचार रखें । आपको, दूसरों की बातों का उत्तर देने का हक नहीं है ।

श्री अन्नारासु इरा : मैं अपने सभी मित्रों से कुछ और समय सुनने का अनुरोध करता हूं ।

यदि हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि आर्यों ने भारत में आकर द्रविड़ों को भगा दिया । अब यदि सभी द्रविड़ एकजुट होकर आर्यों को यहां से भगाना चाहें तो क्या वे जाने को तैयार हैं ? यह मेरा प्रश्न है । मैं जानता हूं कि यह कोई समझदारीपूर्ण प्रश्न नहीं है । अतः, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अब हमें प्राचीन इतिहास में न ले जायें । लेकिन, इस समस्या का समाधान एक मंदिर और मस्जिद से संभव नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है । मैं भारतीय जनता पार्टी की गलत चाल से परिचित हूं । भारतीय जनता पार्टी मंदिर मुद्दे पर जीवित रहना चाहती है जबकि जनता दल मंडल मुद्दे पर । वामपंथी दलों को उनके राष्ट्रीय मुद्दे पर बैर-

प्रतिबद्धता प्रवृत्ति के कारण लोगों ने छोड़ दिया है। इसीलिए, मैं यहां सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी अंतरात्मा, अपने हृदय और मन को टटोलें तथा ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए एकजुट हो जायें।

कुछ सदस्यगण इस बात से उत्तेजित थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। आपने अंत में सबसे अच्छा मुद्दा उठाया है। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री अन्नाराजु इरा : महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारे प्रधान मन्त्री ने विशेष धैर्य का परिचय दिया है तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु उनके द्वारा दर्शाया गया धैर्य और दूरदर्शिता, आगे आने वाले प्रधान मंत्रियों के लिए निश्चय ही एक अच्छा उदाहरण है।

भारतीय जनता पार्टी के पिता संसद सत्र की पूर्व संध्या पर राम मन्दिर का मुद्दा उठायेंगे या जब कभी चुनाव होना हो तो जनता दल संसद सत्र की पूर्व संध्या पर मंडल का मुद्दा उठायेगा तो वामपंथी दल बोफोर्स का। अतः लोगों को इन राजनैतिक दलों के कुटिल इरादों को समझना चाहिए। कोई भी दल आम आदमी की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने को तैयार नहीं है। क्या एक मन्दिर का निर्माण करके वे उन हजारों-लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे जो रोजगार, उचित भोजन और उचित मूल सुविधाओं के अभाव में इस देश में कष्ट भोग रहे हैं? क्या एक मस्जिद की रक्षा करके वे इस देश से गरीबी का उन्मूलन कर देंगे या इस देश के पीड़ित असंख्य लोगों को मूल सुविधायें उपलब्ध करा देंगे? अतः हमें इस क्षेत्रीय मुद्दे पर अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरा प्रश्न यह है कि इस मुद्दे पर हम सभी को विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको हमारे धैर्य की भी कदर करनी चाहिए।

श्री अन्नाराजु इरा : हमारे अन्दर कुर्बानी की भावना होनी चाहिए चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान। मुझे आन्ध्र प्रदेश में घटित एक घटना याद है जब प्रसिद्ध नहर···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अन्नाराजु जी, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री अन्नाराजु इरा : जब नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया जा रहा था तो लोगों को एक अत्यंत बहुमूल्य अवशेष मिला जो बौद्ध धर्म से सम्बन्धित था। अतः उन दिनों बौद्ध धर्म से संबंधित लोगों ने आन्दोलन किया था कि इस बांध का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक साक्ष्य है। आन्ध्र प्रदेश में सभी बौद्ध एक हो गये और उन्होंने आन्दोलन किया। लेकिन मैं आन्ध्र प्रदेश के लोगों की समझदारी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बौद्ध मन्दिर की बजाय बांध को वरीयता दी। हम यहां भी इसी प्रकार का निर्णय चाहते हैं। चाहे मुसलमान हों या हिन्दू, हमें मस्जिद या मन्दिर के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह राष्ट्रीय हित में है। हमें किसी भी बात के लिए कुर्बानी देने के लिए सामने आना चाहिए। मैं एक और अन्य उदाहरण देना चाहूंगा···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्वारासु जी आप इस बात को समझिये कि आपको बिना बारी के समय दिया गया है। आप कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री अन्वारासु इरा : महोदय, एक प्रश्न के पश्चात मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

मैं एक प्रश्न पूछता हूं। यदि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लोगों को मस्जिद या मंदिर के नीचे तेल मिल जाता है तो क्या वे लोग देश के फायदे के लिए तेल लेने हेतु मंदिर या मस्जिद की कुर्बानी देने के लिए सामने नहीं आयेंगे ? कल्पना कीजिये। हमारे अन्दर इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। हमें राष्ट्र के हित के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। (व्यवधान) मैं एक और बात कहूंगा। हमारे प्रधान मंत्री एक विद्वान राजनेता हैं। ऐसा इसलिए मत सोचिये कि वह एक धैर्यवान और शांत भाव के व्यक्ति हैं और इसका यह मतलब न लगाइये कि यह उनकी कमजोरी है। मैं यह जानता हूं कि वह हर स्थिति का बखूबी सामना करेंगे। उनमें इस बात की क्षमता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अन्वारासु जी, यदि आप अब अपना बोलना बंद नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आपकी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अन्वारासु इरा : महोदय; ठीक है; अब मैं पश्चिमोत्तर की बात कहते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री जी मुझे बख्शते नहीं लगेंगे यदि मैं उनकी ...** नेता के साथ तुलना करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मुझे यह निर्णय करना चाहिए कि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाये या नहीं।

श्री अन्वारासु इरा : हमारे प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि इस देश के राजनैतिक** को किस प्रकार वश में रखा जाये (व्यवधान) हमें डींगी नहीं बनना चाहिए। हमें कोई स्थायी हल ढूंढना चाहिए। हमें इस बात पर इस माननीय सभा में चर्चा करनी चाहिए कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाये, इस देश के लाखों लोगों को कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जाये और भारत को एक शांतिप्रिय, समृद्ध और आधुनिक देश कैसे बनाया जाये। धन्यवाद (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री सोमनाथ चटर्जी से अनुरोध करूंगा कि वह बोलें। इसके बाद वी० पी० सिंह जी और उनके बाद श्री आडवाणी जी बोलेंगे, और तत्पश्चात मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संबंध में उत्तर दें।

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? आप मुझे बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने का हक नहीं है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री बाइमा सिंह युमनाम : मैं काफी समझ से अनुरोध कर रहा हूं। आप मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर रहे हैं। मैंने बोलने के लिए कई बार अनुमति मांगी है। आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। इससे मुझे अत्यंत दुःख हुआ है। आप कृपया मुझे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप कुछ प्रश्न कर सकते हैं। आप केवल पांच मिनट तक बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो मिनट का समय हमको दीजिये। हमारा भी नाम आपके पास आया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। मैंने सब लोगों को टाइम दिया है और जितना आवश्यक था उससे ज्यादा टाइम दिया है। इसलिए कृपया अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री बाइमा सिंह युमनाम : महोदय, ऐसी समय-सीमा निर्धारित करने पर तो बोलना अत्यंत कठिन हो जायेगा। फिर भी मैं बोलूंगा।

जब मैं अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना चाहता था उस समय आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। जब मैं किसी विधेयक पर बोलना चाहता था तब भी मुझे अनुमति नहीं दी गई। मैंने कई बार अपना नाम दिया है। **(व्यवधान)** मैं इस माननीय सभा को एक ठोस प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस विवादित ढांचे को ऐतिहासिक स्मारक के प्रतीक, हमारे धर्म निरपेक्षवाद, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मैं यह प्रस्ताव पिछले कई दिनों से इस सभा में भाषणों को सुनने और उस पर विचार-विमर्श के पश्चात रख रहा हूं। मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में भाषणों और वहां पर हुए विचार-विमर्श को भी सुना है। मैं उस समिति का सदस्य हूं। मैंने सभी नेताओं को बड़े ध्यान से सुना है। मैं इन सभी अवसरों पर चुपचाप रहा। अभी तक मैंने अपना मुंह नहीं खोला है। जब मुझे बोम्मई जी के नेतृत्व में अयोध्या के लिए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया तो मैं इस पेशकश को स्वीकार करने में हिचकिचा रहा था क्योंकि मैं रामभक्त हूं। मैं डर रहा था क्योंकि मेरे वहां जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। तो भी मैं वहां गया; मैंने उस स्थान को देखा और उस क्षेत्र का दौरा किया।

अध्यक्ष महोदय : हम यह जानना चाहते हैं कि आपने क्या महसूस किया और इस संबंध में आप क्या सुझाव दे सकते हैं। अब आप कृपया उस प्रश्न पर आइये।

श्री बाइमा सिंह युमनाम : ढांचे को देखने के बाद मैं बहुत बदल गया हूं। इससे पहले मैं यह सोचता था कि इस मंदिर का वहां पर अवश्य निर्माण होना चाहिए। लेकिन उन सभी कारणों, अनेक तर्क-वितर्कों को सुनने के पश्चात तथा राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठकों में घंटों बैठने के बाद मैं बदल गया हूं। मैंने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में दो बार भाग लिया।

अध्यक्ष महोदय : हम आपके विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। आप कृपया उनसे अ गत करायें। समय बहुत थोड़ा है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : जब आप बड़े-बड़े भाषण सुन सकते हैं तो आप मेरे भाषण को सु ने के लिए केवल पांच मिनट क्यों नहीं दे सकते ?

महोदय, इस मुद्दे पर बहुत कुछ सुनने के पश्चात इस देश में धर्मनिरपेक्षता के लिए, रा ष्ट्रीय एकता के लिए मैं यह प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। मेरा प्रस्ताव है कि इस विवादित क्षेत्र को ' सा क्षेत्र घोषित किया जाये जिस पर किसी का भी अधिकार न हो, और उस स्थान पर, जो इ स स्थान से समान दूरी पर हो, दो ढांचों, एक राम मंदिर और दूसरा मस्जिद के लिए, का निर्माण र रने की अनुमति दी जाये। मैं जानता हूं कि इसके लिए इस विवाद में शामिल सभी दलों को : ारी कुर्बानी देनी होगी।

महोदय, गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षवाद और देश में साम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। हम इसी उद्देश्य के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार क्यों न रहें ? यह मेरी सुविचारित राय है कि यदि हम इस स्थिति को और अनेक वर्षों तक बने रहने देते हैं तो हमें इस देश के एक और विभाजन का सामना करना होगा। विश्व में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। रूस और पूर्व यूरोपीय देशों में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। पहले हमारे देश का विभाजन हुआ जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान और बाद में बंगलादेश बना। अतः यदि हम इस मुद्दे को ऐसे ही जारी रखते हैं तो इस देश का एक और विभाजन हो जायेगा।

महोदय, मणिपुर में लोगों द्वारा हिन्दू धर्म को ग्रहण करने से पूर्व वहां पर बहुत से ढांचे पहले से ही मौजूद थे और लोग अपने देवताओं की पूजा करते थे। जब महाराजाओं ने हिन्दू धर्म को ग्रहण किया तो उन ढांचों को तोड़कर अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया था। यदि बाबरी मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त किया जाता है तो मणिपुर जैसे अनेक स्थानों पर समस्यायें खड़ी हो जायेंगी और वहां पर बुरे हालात पैदा हो जायेंगे।

अतः मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे प्रस्ताव सहित इन सभी बातों पर विचार करें। समय के अभाव के कारण मैं और आगे नहीं बोलूंगा। अंत में, मैं इस मुद्दे के समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करता हूं।

आचार्य विश्वनाथ दास शास्त्री (सुल्तानपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल से इस सदन में राम भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर विवाद पर विचार चल रहा है। इस बारे में पहले भी बहुत कुछ सुना जा चुका है। माननीय सदन के सामने मैं अति संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। आपने जो पांच मिनट में बात समाप्त करने के लिए कहा है, मैं उस पांच मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राम जन्म-भूमि की समस्या राम जन्म जन्मभूमि बनाम बाबरी मस्जिद, जिसको कहा जा रहा है, इसका समाधान एकमुश्त होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं, भागों में नहीं। दूसरी बात कि राम जन्म-भूमि की समस्या पर विचार करते समय एक बात दिमाग में निकालनी पड़ेगी कि यह समस्या मन्दिर और मस्जिद की समस्या है। राम जन्म-भूमि की समस्या मंदिर और मस्जिद की समस्या नहीं है, हिंदुस्तान के अवाम की भावनाओं की समस्या है।

प्रभु श्रीराम की जन्म-भूमि से परे हिन्दुस्तान की जनता की भावना जुड़ी है। मैं अयोध्या का मूल निवासी हूं। जब से मैंने होश संभाला है, तब से जिसको आप विवादित ढांचा कहते हैं, उसमें जाकर बड़ी श्रद्धा से चरणामृत लेता रहा हूं, प्रसाद पाया हूं। सींखचों के अन्दर हाथ डालकर चरणामृत लेने की परम्परा एक फरवरी, 1986 तक वहां रही है और एक फरवरी, 1986 को राम जन्म-भूमि को राम जन्म-भूमि मानकर अदालत ने ताला खोलने के आदेश दिए थे। उससे पहले 1950 में अदालत ने हिन्दुओं को राम जन्म-भूमि को राम जन्म-भूमि मानकर दर्शन करने का आदेश दिया था, जो आज तक लगातार चलता चला आ रहा है।

मंदिर अनेक बन सकते हैं, टूट सकते हैं। डैम बनाने के नाम पर, सड़क चौड़ी करने के नाम पर मस्जिद भी तोड़ी गई है, मंदिर भी तोड़ा गया है। इस देश में ही नहीं, इस्लामिक देशों में भी मस्जिद तोड़ी गई हैं, इसका प्रमाण है। मंदिर और मस्जिद एक अलग विषय है लेकिन प्रभु श्रीराम की जन्म-भूमि वहां है, यह एक इतना ही मात्र प्रमाण है कि इस देश की करोड़ों करोड़ जनता प्रति-वर्ष अयोध्या के तीन मेलों के अंदर चैत रामनवमी, श्रावण और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सवभग तीन करोड़ जनता वहां आकर माथा टेकती है, राम जन्म-भूमि को राम जन्म-भूमि मानकर।...(व्यवधान)...यह तय है और हमारी पीढ़ियों ने इसे तय किया है इसलिए आज इसको हम झुठला नहीं सकते, इसको बरगला नहीं सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन में आप मुझे इजाजत दें, दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। सारा ईसाई जगत यह मानता है कि ईसा मसीह कुआरी कन्या से पैदा हुए थे, क्या इसे कोई अदालत तय करेगी ? यह उनकी श्रद्धा का, उनके विश्वास का प्रश्न है, उनकी आस्था का सवाल है, इसे कोई अदालत का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर की एक मस्जिद के अंदर पैगम्बर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, यह इस्लामिक जगत की आस्था, श्रद्धा और उनके विश्वास का प्रश्न है, इसको अदालत का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार से राम जन्म-भूमि में हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रश्न है, इसे अदालत का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता।

मैं इस माननीय सदन से एक बात कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने पहल की और बहुत अच्छी बात है। तीन महीने, चार महीने, साढ़े तीन महीने, पता नहीं कैसा विवाद छिड़ा हुआ है। सन्त अयोध्या में जाकर बताते हैं कि तीन महीने का समय दिया है, प्रधान मंत्री ने कहा है कि 4 महीने का समय दिया है। सचमुच 4 महीने का समय पिछले प्रधान मंत्री के लिए भी घातक हुआ है, कहीं वैसा न हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। माननीय प्रधान मंत्री से इस सदन में बड़ी शालीनता, गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस मसले को यह बात दिमाग में रखकर हल नहीं किया जा सकता, किसी भी देश में दो वर्ग आपस में टकराकर शांति स्थापित नहीं कर सकते। आज यह मसला सारे देश का है, आज एक बन्धु ने कहा कि यह राजनैतिक मसला है, यह राजनैतिक मसला कतई नहीं है।

मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते इस सदन में आने के कारण यह बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद राम जन्म-भूमि को राजनीति का प्रश्न नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के पास 10 ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, जिन पर राजनीति कर लेगी। राम जन्म-भूमि को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने भी इसको राजनीति का खेल बनाने की कोशिश की, जैसा अभी किया गया है। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा किया गया, कहा गया कि हमने शिलान्यास किया है, हम मन्दिर बनाएंगे और बाद

में मन्दिर बनाने की बात आपने ही अपने चुनाव घोषणा-पत्र में व्यक्त की है। मन्दिर वहां बनना चाहिए और···(व्यवधान)·· आपने कहा है, आप अपने चुनाव घोषणा पत्र को आप पढ़िये, फिर पढ़ लीजिए, पुनः पढ़ लीजिए वह राम जन्म-भूमि राम जन्म-भूमि है,उस पर किसी प्रकार का विवाद तत्काल समाप्त होना चाहिए। उस पर विचार करने के लिए यदि स्वस्थ मन-मस्तिष्क से बैठेंगे, तो अदालत के दायरे से बाहर इस देश में एक आम राय बन सकती है कि इसका यही एक मात्र हल है। स्वस्थ मन-मस्तिष्क से एक बार ईमानदारी के साथ बैठकर, मिल करके इस समस्या का समाधान ढूंढें।

इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता जो पहले ही उठाए जा चुके हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री के बातचीत द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने के उनके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं। परन्तु उन्हें वर्तमान स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखना चाहिए तथा किसी समझौते पर पहुंचने मे बातों को कहां तक सत्य मान सकते हैं क्योंकि जिन लोगों से वह बातचीत करेंगे वे इस मामले में, जिसकी हमें बहुत चिंता है, खुले दिमाग वाले प्रतीत नहीं होते।

मैं निष्क्रियता के प्रति अपनी आपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। एक समय ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार निरन्तर निष्क्रिय बनी हुई है। 18-19 दिन तक कार्य चलते रहने दिया गया। प्रधान मंत्री ने किसी भी प्रकार से उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की।

इस वाद-विवाद में मुझे गृह मंत्री कहीं नजर नहीं आए। वह स्पष्ट रूप से अपने स्थान से गायब हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : मैं यहां हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अच्छा ! आप वहां हैं। ठीक है।,

हमें बताया गया है कि "सरकार निर्णय कर रही है। सी० सी० पी० ए० की बैठक हो रही है।" परन्तु कुछ नही हुआ। अति महत्वपूर्ण समय गंवा दिया गया और इस अवधि के दौरान एक निश्चित सरकार ने योजनाबद्ध ढंग से लोगों को वहां एकत्र किया ताकि न्यायालय के आदेश को लागू करने में बाधा डाली जा सके और एक उन्माद पैदा किया गया।

यह हमारी आपत्ति थी। सरकार की इस थरथराहट और विलम्ब ने एक विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी और जैसा कि मैंने उस दिन कहा, सारा देश वास्तव में बारूद के ढेर पर बैठा था। इस देश में एक विधीधिका का बड़ा जोखिम पैदा हो गया था।

तथापि, कुछ प्राप्ति हुई है और हमें खुशी है कि काम वहां रुक गया है और वहां अब कुछ राहत है।

परन्तु यह आवश्यक है कि हमें इस सरकार की कार्य प्रणाली का आत्म-विश्लेषण करना चाहिए। हमने देखा कि इस देश में 18-19 दिन तक कोई सरकार कार्य नहीं कर रही थी और स्थिति को खतरनाक मोड़ तक जाने दिया गया। अब प्रधान मंत्री के वक्तव्य से दो बातें सामने आई हैं। पहले भाग में तो स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि राज्य सरकार जान-बूझकर

न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही थी । यह बहाना बनाया गया कि "हम वहां स्थिति पर काबू नहीं पा सकते ।" अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार उस स्थल को खाली कराने में अक्षम थी । क्या इससे बहुत गंभीर प्रश्न पैदा नहीं होते ? हमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पर्यटक स्थल बनाने के लिए उक्त स्थल को अधिग्रहीत किया था । उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में इस स्थल के कब्जे की हकदार थी । किसी गैर-सरकारी अभिकरण द्वारा इस स्थल पर कार्य कैसे चलने दिया गया ? भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिन्दू परिषद् की ओर से बोलने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है । उत्तर प्रदेश की इस सरकार ने उस भूमि पर जिसे उसने एक पर्यटक काम्पलैक्स स्थापित करने के उद्देश्य से स्थापित किया था, कैसे विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी को ले लेने दिया गया और कैसे न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कार्य करने दिया गया ? सरकार कह रही है : "हम नहीं जानते । अब हम काबू नहीं कर सकते । हमें खेद है ।" मैंने माननीय गृह मंत्री को सूचित किया था । मुझे सुश्री सुभाषिनी अली से एक संदेश मिला है । उन्होंने कहा है : "अभी भी ज्यादा लोग वहां नहीं हैं । परन्तु हमें सूचना मिली है कि वे वहां लोगों को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं और वे रात-ही-रात में लोगों को जमा करेंगे ।" मैंने गृह मंत्री को सूचित कर दिया था । उन्होंने कहा : "मेरे पास अपनी गुप्तचर सेवा है ।" बस इतनी ही बात हुई । वहां 300 व्यक्तियों से बढ़कर 3000, 4000 और 5000 व्यक्ति एकत्र हो गए । जब उस भूमि के अधिगृहण का प्रश्न सामने आया तो मैं नहीं जानता कि सरकार इस पर सहमत क्यों नहीं हुई ? उससे यथास्थिति बन सकती थी । हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि अंततः केन्द्रीय सरकार द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण अपने प्रयोजनार्थ नहीं किया जाना था; बातचीत द्वारा कोई समझौता करके या न्यायिक निर्णय द्वारा इसे उस पक्ष को दे दिया जाता जो इसका हकदार होता । भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शेष सम्पूर्ण विपक्ष का हमारा यही अनुरोध था । हमने ऐसा ही कहा था । हम माननीय प्रधान मंत्री से मिले थे । उन्होंने भी कहा था कि सभी दलों से परामर्श किया जाएगा । परन्तु ऐसा नहीं किया गया । उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया ? यह स्थिति की गंभीरता है । प्रश्न यह है कि संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए लोगों का शिखंडियों के रूप में प्रयोग कर रही है । यह उनकी वचनबद्धता है । अब इस सत्य से इंकार नहीं किया जा सकता । कुछ भी लुका-छिपा नहीं है । कुछ भी छिपा हुआ नहीं है । उन्होंने खुले आम कहा है कि मन्दिर बनेगा और उसी स्थल पर बनेगा । संसार में कोई ताकत नहीं जो रोक सके; इसमें अधिनिर्णय का प्रश्न ही नहीं है; न्यायालय का कोई प्राधिकार नहीं है । मैंने देखा कि जब वह बोल रहे थे, श्री गुमानमल लोढ़ा पीठ से निवृत्त हो गए हैं, वह प्रसन्न थे क्योंकि पूरे भाषण में उनका मत था कि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जाए । उसके पूरे भाषण का लहजा यही था । वह यहां न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन को न्यायोचित ठहराने के लिए ऐसे उदाहरण बता रहे थे जब न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया । स्थिति यह है । क्या आज मुद्दा मंदिर बनाम मस्जिद का है ? या क्या आज मुद्दा है : मंदिर और मस्जिद, दोनों को बनाए रखने का ? मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री कृपया इसे बिल्कुल स्पष्ट करें । मैं उनके पहले के वक्तव्य की सराहना करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में मस्जिद को तोड़ने, छूने या क्षति नहीं पहुंचाने दी जाएगी । मेरे विचार से इसमें सब कुछ शामिल है । परन्तु यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ओर से बार-बार खुले आम क्या कहा जा रहा है ? हम श्री लाल कृष्ण आडवाणी के विचार जानने की प्रतीक्षा में हैं । प्रश्न केवल यह है : वहां मंदिर रहेगा या वहां मस्जिद रहेगी ? मस्जिद

रहेगी या मंदिर बनाया जाएगा ? दोनों चीजों का अस्तित्व बने रहने का तो प्रश्न नहीं है; प्रश्न सद्भाव और शांति बनाए रखने का है; राष्ट्रीय एकता बनाए रखने का है; राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने का है। उनके विचार से मुद्दा यह नहीं है। इस मामले में हम उनका क्या दृष्टिकोण पाते हैं? कुछ भी गुप्त नहीं है। एक साधु संत आचार्य धर्मेन्द्र ने यह कहा है और उनके अनुसार राम जन्म-भूमि के आस-पास का क्षेत्र किसी मानव निर्मित संविधान, विधि, नियम या न्यायालय के आदेशों से बंधा नहीं है; यहां राम लला का कानून चलता है और उसके लिए यहां क्या किया जाएगा, यह हम हिन्दू निर्णय करेंगे···।" इसका आज तक किसी ने खंडन नहीं किया है। फैजाबाद के माननीय सदस्य ने कहा था : "हम किन्हीं कानूनों का या न्यायालय के निर्णयों की परवाह नहीं करते ; राम भक्तों के लिए ताकत ही एकमात्र कानून है।" इसका भी कोई खंडन नहीं हुआ। ये बहुत खतरनाक सिद्धांत हैं। वे कहते हैं कि जहां तक उस भूक्षेत्र का संबंध है, भारत में, कोई कानून लागू नहीं होता, कोई संविधान लागू नहीं होता। उस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कह रहे हैं : "यह हमारी मर्जी है।" (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सभा के सदस्य के विरुद्ध आरोप लगाया गया है। इसे एक नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आरोप है ? (व्यवधान)

श्री राम नाईक : उन्होंने आरोप लगाया है कि सदस्य न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगे। उनकी ओर से यह आरोप लगाया गया है। यह उन पर सीधा आरोप लगाया गया है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यदि यह कोई आरोप है और यह पत्रिका में प्रकाशित हुआ है तो आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं। उन्होंने पत्रिका से उद्धृत किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी पहले तो आप कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : नियम बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई आरोप लगाना है···

अध्यक्ष महोदय : आरोप क्या है ?

श्री राम नाईक : आरोप यह है 'उन्होंने ऐसा कहा है'। उन्हें उद्धृत किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आपका कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम कैसे जान सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप इंकार क्यों नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा ? (व्यवधान)

श्री राम नाईक : हम इंकार कर देंगे। (व्यवधान) यदि आप यहां कुछ कहना चाहते हैं, तो आपको नोटिस देना होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और इस बारे में मुझे निर्णय करने दें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : यह नियम के अंतर्गत है।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम का हवाला दे रहे हैं ?

श्री राम नाईक : मेरे पास पुस्तक है। मैं ढूंढ़कर आपको बता दूंगा। इस बीच, इसे चलने दें। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं इस ओर के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि यदि उनके पास इसका कोई उत्तर है, तो वे इसका उत्तर दें। विपक्ष के नेता बोलेंगे। वे इंकार करें कि मेरी समझ गलत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथजी, यदि मैंने इसे ठीक से समझा है; आपके वक्तव्य का विरोध करने वाले सभी सदस्यों का सोचना है कि न्यायालय के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए और यदि आप कहते हैं कि किसी ने कहा है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करेंगे, वे कहते हैं—यह मानहानिकारक है। यह अच्छी बात है। कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अत्यधिक सराहना करता हूं। (व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपकी व्यवस्था स्वीकार की जानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः, यदि उस पार्टी में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं कि न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया जाये, तो उनका भंडाफोड किया जाये ताकि हमें भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा के बारे में मालूम हो सके। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : इस संबंध में नियम 353 है। यह नियम किसी व्यक्ति के विरुद्ध दोषारोपण से संबंधित प्रक्रिया के बारे में है।

इसमें कहा गया है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके :

परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोक-हित सिद्ध नहीं होता।"

यह केवल मंत्रियों से ही संबंधित नहीं है । अतः···

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के इस प्रश्न का समर्थन करता हूं जो आपने उठाया है । मैं समझता हूं आपका कहना यह है कि न्यायालय के आदेश को स्वीकार किया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : नहीं, नहीं । वह बात नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चटर्जी, तकनीकी रूप से, वे उचित प्रतीत होते हैं । परन्तु हम इसका अर्थ लगा सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सदन में प्रत्येक सदस्य और देश में प्रत्येक व्यक्ति से हमारी अपील है कि यदि बातचीत द्वारा कोई समझौता संभव नहीं है, जिसके लिए प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए, तो न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया जाना चाहिए । वे 'हां' अथवा 'नहीं' कहें । यदि वे ऐसा कहते हैं तो हम यहीं अभी ठहर जाते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उनके कथन का आशय 'हां' है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें इस पर और चर्चा नहीं करनी चाहिए । वे ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं ? वही परेशानी है ।(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : वे उस सदस्य का जिक्र कर रहे हैं जो सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या समस्या है ? मैंने विनिर्णय दिया है । आप क्यों खड़े हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस सदन के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके प्रति और हमारे प्रति भी शिष्टाचार दिखायें ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वाराणसी से निर्वाचित माननीय सदस्य ने कल ठीक ही कहा था कि न्यायालय के ऐसे अनेक आदेश हैं जो पूजा आदि के लिए किये जा रहे कतिपय कार्यों को न्यायोचित ठहराते हैं । जहां तक न्यायालय का आदेश उनके अनुकूल होता है वे उसे स्वीकार करते हैं । परन्तु यहां समझ-बूझकर यह प्रयास किया गया है और यह समय में न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा के उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत किये गये हैं जैसे उनसे भविष्य में न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा को न्यायोचित मान लिया जाएगा । इसलिए, यह ऐसा मुद्दा था, मैं समझता हूं कोई भी आगे आकर ऐसे अनेक उदाहरण हैं । मान लीजिए, कुछ बुरे उदाहरण हैं, तो क्या हम यहां उस बुरे उदाहरण है, अनुसरण करें ? हमने शाहबानों के बारे में निर्णय को विधायी प्रक्रिया द्वारा बदलने का विरोध किया था । हमने प्रत्येक पंक्ति का विरोध किया था; हमने यह कहकर विरोध किया था कि आपने

यह गलत किया है। परन्तु वह उदाहरण इसे न्यायोचित नहीं ठहराता कि भविष्य में न्यायालय के किसी आदेश का किसी सरकार द्वारा जानबूझकर उल्लंघन किया जाये। और मैं कुछ ऐसा ही होता हुआ देख रहा हूं। यह तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार का केवल एक चतुराई पूर्ण प्रयास है क्योंकि वे अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। यह अस्थायी रूप से झुकना तो केवल इसलिए है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में अत्यधिक सावधान रहें क्योंकि जो समय सीमा वे चाहते हैं, वह तो विलम्ब के लिए है। इसका सदुपयोग कैसे करना है? साधु और सन्त, जिनमें से अनेक यहां भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर बैठे हैं; वे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं; ये बजरंग दल का प्रतिनिधित्व करते हैं और मैं नहीं जानता कि पार्टी के भीतर किस-किस दल का वे प्रनिनिधित्व करते हैं। अतः यहां तो वे प्रधान मंत्री के साथ इस बात पर सहमत हो गये थे कि वे बाहर जाकर एक लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करेंगे—हम नहीं जानते कि यह कहां है—परन्तु उसी समय, वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आपको तीन महीने अथवा चार महीने का समय दे रहे हैं। उन्हें चार महीने से अत्यधिक आपत्ति है; वे वी०पी० सिंह की सरकार की अवधि के बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। और वे कहते हैं कि यह अवधि पांच महीने अथवा तीन महीने अथवा साढ़े तीन महीने की हो सकती है, परन्तु माननीय प्रधान मंत्री जी, आपको इस अवधि के दौरान ही मंदिर का निर्माण करने की अनुमति देने के लिए सहमत होना होगा। क्या उनका मस्तिष्क खुला है? मैं पुनः यही प्रश्न कर रहा हूं। क्या यह चर्चा स्वतंत्र माहौल में होगी अथवा भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिन्दू परिषद द्वारा अपनाई गई स्थितियों के अन्तर्गत?

महोदय, यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधान मंत्री जी, आप क्या विचार-विमर्श करेंगे? मुझे विश्वास है कि आप इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। क्या आप यह विचार-विमर्श करने जा रहे हैं कि वहां यह मस्जिद रहेगी या नहीं रहेगी? हम उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकते। वहां मस्जिद को कायम रखने अथवा न रखने पर किसी प्रकार का विचार-विमर्श नहीं हो सकता। मूल बात यह है कि मस्जिद को कायम रखते हुए मंदिर का निर्माण कैसे किया जाये। वहां उन्हें अपनी इच्छा का मंदिर बनाने दीजिए, हालांकि हमारे पास उसका नक्शा नहीं है। बार-बार अनुरोधों के बावजूद भी हमारे पास उस स्थान का नक्शा नहीं है कि वे वहां क्या निर्माण करने जा रहे हैं, और यह मंदिर कितना विशाल होगा।

अतः, महोदय, इन मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे इस तथ्य को न भूलें, किसी सुखाभास में न रहें। इसमें कोई सुखाभास नहीं होगा। आपको वहां अपने मित्रों से सावधान रहना है। किसी ने आपको "सर्कस मास्टर" कहा है, आपको अपने सामने बैठे मित्रों से सावधान रहना है, आपको अपने पीछे बैठे मित्रों से सावधान रहना है। वे आपका कैसे उपयोग करेंगे, कोई नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं।

महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा और मैं आपकी जानकारी में भी यह बात लाना चाहता हूं कि इस देश में उन जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा क्या कहा जा रहा है जिन्हें हमारे राष्ट्रीय जीवन में काफी महत्व दिया जाता है। विश्व हिन्दू परिषद का महासचिव कहता है: "मुसलमानों से कहिए कि यदि उनका कोई अधिकार है तो वे उसे छोड़ दें और हिन्दुओं के साथ अच्छे संबंध कायम करें। अब इस प्रश्न पर उन्हें सहमत होना होगा; यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो उन्हें सहमत होने के लिए बाध्य किया जायेगा।"

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ, हम पत्रिकाओं से उद्धरण नहीं देते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक ऐसे मुद्दे पर दिया गया महत्वपूर्ण वक्तव्य है जो सम्पूर्ण देश को आलोड़ित कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु हम पत्रिकाओं से उद्धरण नहीं दे सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब इन वक्तव्यों का हवाला कैसे दें ?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे अपने शब्दों में कह सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, महोदय, मैं कहता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद के महासचिव ने कहा है कि स्वयं न्यायालय भी संविधान का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा है कि न्यायालय ऐसे मामले पर निर्णय दे रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुसार, न्यायालय लोगों के विश्वास के बारे में निर्णय नहीं कर सकता; अतः, यदि न्यायालय ही संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं तो हम उनकी बात क्यों मानें।

महोदय, यह एक ऐसे संगठन के प्रतिनिधि का महत्वपूर्ण वक्तव्य है जिनसे अन्य प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधान मंत्री कई दिनों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें उनके साथ कोई समझौता होने की आशा है। यदि आप उनका हृदय परिवर्तन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। किन्तु हमें यह आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो हथकंडा अपनाया गया है वह उनकी सरकारों को बचाने के लिए है। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी सरकारें न चली जाएं। यह हथकंडा अधिकाधिक उन्माद पैदा करने के लिए अपनाया जा रहा है। आज इस सदन में लोगों को यह कहा जा रहा है कि तीन माह पर्याप्त हैं, उसके बाद हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। हमें न्यायिक फैसले की परवाह नहीं है।

श्री राम नाईक : किसी ने ऐसा नहीं कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वक्तव्य का भाव यही है।

श्री राम नाईक : क्या सद्भावनापूर्ण भाषण है। यह किसने कहा है किसी ने नहीं कहा। हम भाषणों को सुन रहे हैं। एक वरिष्ठ व्यक्ति, एक दल का नेता लोगों को अनावश्यक रूप से भड़का रहा है। यह सद्भावना पैदा करना नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आडवाणी से अनुरोध करूंगा कि जब वह मेरे बाद बोलें तो वह स्पष्ट करें। वह कहें जो मैंने समझा वह गलत है तब मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके भाषणों को गलत समझा है। इसलिए यदि तीन मास या साढ़े तीन मास या पांच मास की बातचीत के बाद सभी को स्वीकार्य हल नहीं खोजा जा सका तो प्रधान मन्त्री ने सही कहा है कि इसका फैसला न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

प्रधान मंत्री के भाषण में एक महत्वपूर्ण वाक्य यह है—मैं शायद प्रधान मंत्री के वक्तव्य को उद्धृत कर सकता हूं—"मेरा विश्वास है कि सरकारी स्तर पर यह प्रक्रिया 4 मास में पूरी की जा सकती है।" इसका अर्थ यह हुआ मामले को न्यायालय के समक्ष लाना; सभी मामले वहां लाए जायेंगे, इस प्रकार समझौता हो सकता था, किन्तु मुझे इसका जवाब नहीं मिला।

प्रधान मंत्री के अनुसार दूसरा पक्ष इससे सहमत हो गया था; किन्तु हमें ऐसा नहीं लगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी न किसी को तो दूसरे का निर्णय स्वीकार करना होगा। यदि यह संयुक्त प्रयत्न है, एक संयुक्त निर्णय है, स्वीकार्य निर्णय है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है और हम इसके लिए कितने दिनों, महीनों और सालों से प्रयत्न कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश यदि यह संभव नहीं होता, हालांकि मैं चाहता हूं कि यह सफल हो, तो इस समस्या का हल कैसे होगा? यह केवल अदालत के द्वारा ही हो सकता है। यह सब प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए हैं कि न्यायालय इस मामले में निर्णय नहीं दे सकती है; यह जनादेश का प्रश्न है; यह किया जाना है इसे हम करेंगे। इसलिए यह जनादेश बनाम संविधान का मामला हैं। यह जनादेश बनाम विश्वास का मामला है। उनके अनुसार यह जनादेश और विश्वास दोनों ही है।

इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह अत्यधिक सतर्क रहें। उन्हें वह गल्तियां नहीं दोहरानी चाहिए जो उन्होंने हाल ही में कीं और जिनके कारण स्थिति काबू से बाहर हो गई। इस प्रकार की स्थिति में सर्वसम्मति पर पहुंचने के उद्देश्य से प्रतीक्षा करने का उन्हें अधिक समय मिलेगा और वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपने को संगठित करेंगे। उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता दिया है।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इसे स्पष्ट करें। हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती यदि प्रधान मंत्री बातचीत द्वारा या अदालत के निर्णय द्वारा कोई फैसला होने तक उस क्षेत्र के संबंध में यथास्थिति बनाए रखते। आप वहां यथास्थिति बनाए रखने का आश्वासन किस प्रकार देंगे? हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह इस भूमि का अधिग्रहण कर लें तथा अन्ततः जिस किसी के पक्ष में फैसला हो उसे बिना कोई रद्दोबदल किए जमीन का कब्जा दे दिया जाए।

5.00 म० प०

महोदय, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक बड़ा मंच तैयार किया गया है—कंक्रीट मंच, एक स्थायी ढांचा। यह निर्माण किस प्रयोजन से किया गया है? पर्यटक वहां क्या करेंगे। क्या बहुत बड़ा 120 फुट × 120 फुट का विशाल, कंक्रीट का पक्का मंच तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दौरान इसका इस्तेमाल कौन करेगा? इसका प्रयोग किस प्रयोजन से होगा? हम जानना चाहते हैं कि क्या यह उस मन्दिर का हिस्सा है जिसका निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है (व्यवधान) मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस सदन तथा देश को आश्वासन दें कि वह सभी प्रकार से यथास्थिति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। जो भी निर्माण किया गया है यह हमारी इच्छा के विरुद्ध किया गया है। किन्तु आगे किसी भी ऐसे निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो बातचीत द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधक हो। इसलिए हम माननीय प्रधान मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह इसे स्पष्ट करें: किसी को भी इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार जिसकी कि इस मामले में विशेष जिम्मेदारी है, की अकर्मण्यता या निष्क्रियता के कारण कोई इस देश के लोगों, इस देश की एकता और अखण्डता के साथ खिलवाड़ कर सकता है।

सही दिशा में किए गए हम आपके सभी प्रयासों का समर्थन करेंगे। कट्टरपंथी ताकतों के साथ कोई भी समझौता न करें, उन लोगों के साथ कोई समझौता न करें जो तर्क को नहीं मानते और खुले आम यह कहते फिर रहे हैं, "हम यह लेंगे या नहीं।"

अध्यक्ष महोदय, कल से चल रही इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर हमारी कुछ आपत्तियां हैं। किन्तु जब तक वह देश की अखण्डता और एकता के साथ कोई समझौता नहीं करते, प्रतिक्रियावादी और कट्टरपंथी ताकतों से समझौता नहीं करते, हमारी शुभकामनाएं और पूर्ण सहयोग उनके साथ है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे ही बोलने के लिए इच्छुक नहीं था। हमारे दल की तरफ से शरद यादव जी और शाहबुद्दीन जी बोल चुके हैं और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बोलने वाले हैं। कल और आज दो दिन से इस हाउस में हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में बहस हो रही है, यह एक ऐतिहासिक दिन है। मैं आपकी इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सदन के जिन माननीय सदस्यों ने इस वितर्क में हिस्सा लिया है मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हू। जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को देखकर, सोचकर यहां बोला मैं उसके लिए उनका आभारी हूं। मैं सारे सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं हम लोग सन 42 के भारत छोड़ो आन्दोलन की क्रांति की गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। मैं दो ही उदाहरण दूंगा हमारी संसद और संसद के बाहर की दुनिया प्रधान मत्री जी के जवाब के बारे में और सदन के फैसले के बारे में इन्तजार में है कि यह सदन एक बहुत अहम् मसले पर क्या फैसला करने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आपको लिखा मैं सुबह से सोच रहा था हिन्दुस्तान के सम-सामयिक इतिहास से एक-दो उदाहरण मैं दूंगा और राष्ट्र तथा संसद को कहूंगा कि जितने भी यहां दल हैं वे दल की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र के भविष्य के नाते, राष्ट्रीयता और हिन्दुस्तानियत को बरकरार रखने के नाते सोचेंगे और फैसला करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में साम्राज्यशाही का खात्मा करने के लिए और दुनिया में जो ऐशियाई-अफ्रीकी दलित देश थे, उनको गोरे लोगों की साम्राज्यशाही से मुक्ति दिलाने के लिए रास्ता दिखाने का काम किया था लेकिन मैं अपने बुजुर्ग लोगों को माफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि वे राष्ट्र को इकट्ठा नहीं रख पाये। हम उस वक्त विद्यार्थी थे। हमारा राष्ट्र विभाजित हो गया और वह भी धर्म के आधार पर। उस समय इतना बड़ा पाप हो गया लेकिन देश के अन्दर उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं हुआ। पार्टिशन के खिलाफ लोग खेल नहीं गये। 1941-42 जबकि उसमें हमारे राष्ट्र के बाहर नेता जी सुभाषचन्द्र बोस आजाद हिन्द फौज बनाकर हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए संग्राम छेड़ रहे थे। मैं आज इस सदन को उन तीन आदमियों की याद दिलाना चाहता हूं। चूंकि श्री लोढा जी ने श्री सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी प्रतिबद्धता कही है, इसलिए मैं उन तीनों के नाम ले रहा हूं—श्री सहगल, श्री शाहनवाज खां और श्री ढिल्लन इन तीनों पर मिलिट्री कोर्ट में मुकद्दमा चल रहा था। ये तीनों नाम राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। लेकिन मैं इस सदन के उन सदस्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो अलग रास्ते पर चले गए। वह राष्ट्रीयता हिन्दुस्तानियत की

चीज भुला दी गयी है और कुछ दूसरे ढंग से हमारे सामने रख दी गयी है। इसलिए हम जब पार्टिशन देख चुके हैं, उसको भुगत चुके हैं तो आपके जरिए सारे सदन के सामने विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आगे चलकर वार्तालाप होने के अन्तिम दौर पर जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो वह हिन्दुस्तानियत का प्रतीक होगा, संविधान का प्रतीक होगा। जब सब मानते हैं और उसका कोई विकल्प नहीं है तो क्या हम लोग जो सारे सांसद यहां बैठे हैं, इस फैसले पर सहमत नहीं हो सकते ? अन्तिम तौर पर हमारे देश की हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, वह मान्य होगा ? इसलिए कि वह फैसला हमारी संविधान की राष्ट्रीयता का प्रतीक है और वह फैसला पर्यायवाची शब्द है कि उसका कोई विकल्प नहीं है। क्या इस तरह का कोई फैसला और संविधान की रक्षा दोनों हम इस सदन में नहीं कर सकते हैं ? असल में यह राष्ट्रीयता का सवाल है। जाने-अनजाने दुनिया देख रही है कि हम सांसद लोग को माने या नहीं माने बाबरी मस्जिद राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गयी है उनकी रक्षा करना और उसके साथ-साथ राम मंदिर बनाना और वह मस्जिद डेस्ट्राय न करके बनाना। यह राष्ट्रीयता की द्योतक हो गयी है, क्या उस चीज को यहां इकट्ठे होकर सर्वसम्मति से नहीं कर सकते हैं ? इसलिए कि जो डिस्सेंट नोट रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानने में कुछ हिचकिचाहट है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से खड़ा हुआ हूं। इसलिए ये दो चीजें मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय जीवन में गांधी जी ने कम्युनल हारमोनी के लिए अपना बलिदान दिया और राष्ट्रीय आन्दोलन के समय नेता जी सुभाषचन्द्र बोस और गांधी जी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमें यह नेशनहुड मिला जिसका हम अभी भोग कर उपभोग कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि हजारों सालों की लड़ाई के बाद हमने यह राष्ट्र पाया है तो क्या उसे हम खो देंगे ? डेढ़ हजार साल के बाद हमने हिन्दुस्तान को एक राष्ट्र के नाते पाया है इसलिए हिन्दुस्तानियत की खातिर जबकि यह तर्क खत्म होने वाला है, मैं सहयोगी सांसदों को कहना चाहता हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की तरफ देखना चाहिए, हिन्दुस्तानियत की तरफ देखना चाहिए। हमें बहुत तकलीफ हुई जब कल शरद जी के बाद जो सदस्य बोले, उन्होंने कोणार्क का नाम लिया, खजुराहो का नाम लिया। शरद जी ने ताजमहल का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने ताजमहल का नाम नहीं लिया। हमें तकलीफ है कि क्या ताजमहल हिन्दुस्तान की कंपोजीट कल्चर का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह से दिमाग में कुछ कमजोरी रह जाती है, उसके चलते हमें राष्ट्र की जो पूजा करनी चाहिए, नेशनहुड के प्रति जो सम्मान देना चाहिए वह हम नहीं दे पाते।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे विनती की थी कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह बहुत अहम सवाल है, हमारे जीने-मरने का सवाल है। जैसे शेक्सपीयर ने कहा था कि—

[हिन्दी]

सवाल यह है कि है या नहीं है।

[अनुवाद]

इसलिए जब यह चीज है तो हमें दलबाजी के ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की खातिर फैसला लेना चाहिए, इतना ही मैं आपसे विनती करना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, कल भी और आज भी एक गम्भीरता के वातावरण में, शांति के वातावरण में माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। अन्त में कुछ नोंक-झोंक जरूर हुई। लगता है समय ऐसा आ गया है कि इस बहस को भी हम लोग अच्छी खत्म करने की कोशिश करें। खाली यह नहीं कि सिर्फ बहस का मुद्दा बना रहे बल्कि देश में भी कोई सामंजस्य का रास्ता इससे निकले।

मान्यवर, मैं आज कोई लंबी बहस नहीं करना चाहता और न बहस की मनादी शामिल है। क्योंकि कभी जब गम ज्यादा हो जाता है तो गुस्सा भी शायद उसी में घुस जाता है। फिर एक पखवाड़े में जो कुछ हुआ उसने हम सब लोगों को झकझोरा है और इस बीच हमारे मूलभूत आधारों की ईंटें भी शायद हिलने लगीं—चाहे न्यायालय हो, चाहे सरकार हो, चाहे संसद हो। इसलिए आज यह प्रश्न नहीं है कि हमारी बहस के मुद्दे क्या हैं। बहस हमने बहुत की है, आगे भी करने का अवसर मिलेगा, लेकिन आज हम क्या रास्ता निकालें यह ज्यादा महत्व की बात है।

यह राम जन्म-भूमि और बाबरी मस्जिद की समस्या आग भी है और अमृत भी है। न सुलझे तो आग है और सुलझ जाए तो देश के लिए अमृत है। यह आग न बने, अमृत बने, इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करना है क्योंकि इस देश को जीना है और यह देश जिएगा इसलिए इसको अमृत बनाने के अलावा हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा विश्वास है कि यहां के लोगों में और इस सदन में भी वह दूरदर्शिता है, धैर्य है, विवेक है कि एक रास्ता निकले।

मान्यवर, मेरा इस धरती पर विश्वास है, हम लोगों में से बहुतों का विश्वास है केवल मेरा ही नहीं। यह जोड़ने वाली धरती रही है, माटी रही है। इसका रस अभी गया नहीं है, यह अभी सूखी नहीं है। अब भी इसकी जनता के अन्दर जो धारा है वह सरसता की धारा है, वह उम्मीद है और उसी पर मेरा विश्वास है। वह विश्वास हमारी बहसों में नहीं है। यह अन्तः धारा ही हमारी एक आशा है।

मैं इसलिए कहता हूं कि कुछ जुड़ा भी रहा। मैं उन बारीकियों में नहीं जाता लेकिन आज जरूरत है कि हम वह वातावरण बनायें। मेरा विश्वास है कि तमाम लोग इसका हल चाहते हैं और जैसा कि ओपीनियन पोल में भी दिखाया गया कि चेतना और दिशा इस देश की सामंजस्य की है। किसी एक बिंदु पर हमारा मतभेद हो सकता है लेकिन सामंजस्य रहे मतांतरों के होते हुए भी, देश के अन्दर मनान्तर नहीं पैदा हो, यह भी हम लोगों की जिम्मेदारी होती है। आज वह सवाल नहीं है कि किसने देश को कैसे संभाला। हम लोग यह बहस बहुत करेंगे, दलों में करेंगे कि आपने ऐसा संभाला, आपने वैसा संभाला, कुछ आपको भी कहेंगे कि आपने ऐसा संभाला, आप हमको कहेंगे कि आपने ऐसा संभाला लेकिन आज वह सवाल नहीं है कि हम लोगों ने इसको संभाला, एक-एक करके, लेकिन सवाल यह है कि हमने मिलकर इस देश को कैसे संभाला और इस देश ने अपने को कैसे संभाला, आज बहस के बाद, हम उस मोड़ पर आ गये हैं।

अन्य देश भी हमें देख रहे हैं और जब अन्य देश देखते हैं कि यह देश अपने को संभालेगा या नहीं, उस प्रश्न में, हम समझते हैं कि दिल के अन्दर से हम सब लोग एक जैसे हैं, हम लोग अलग नहीं हैं बल्कि हम सब लोग चाहते हैं कि भारत अपने को संभाल करके, दुनिया के सामने यह साबित कर सके कि इतने बड़े प्रश्न को हम संभाल सकते हैं और किसी भी बड़े मुद्दे को हम हल कर सकते हैं। वह इतिहास को भी बदलने का काम होगा, आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। इसलिए हम उस नोंक-झोंक में नहीं जाना चाहते। हमें यह अवसर मिला है।

माननीय प्रधान मंत्री जी आपने कई चीजें हल कीं परन्तु हम लोगों को शिकायत है कि कई चीजें हो सकती थीं, वे नहीं हो पायीं। आपको भी शिकायत हो सकती है लेकिन उनको छोड़ देना चाहिए। उन सब चीजों को छोड़कर, यह जरूरी है कि आपको समय मिला है, हम लोग नहीं जानते कि तीन महीने का, चार महीने का या पांच महीने का मिला है और चार महीने अशुभ मानते हैं, चार महीने का हमको भी मिला था, वह आपको न मिले, चार महीने वाला, क्योंकि चौमासा तो है ही चौमासा, चतुर्मास जो है बहरहाल, लेकिन है यह समय उधार का ही प्रधान मंत्री जी। उधार आपको बहुत मिला है और आप उसमें सफल भी रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इस उधार में भी सफल सिद्ध हों···(व्यवधान)···हां, उधार का समय हमको भी दिया था इन्होंने, अनुभव की बात बताता हूं, लेकिन आपकी आशा ज्यादा है। चार महीने का जब हमको समय मिला था उधार का, तब हमने मण्डल नहीं किया था, और बीच में मंडल हुआ···(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : आपको तो 10 महीने दिये थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इसलिए वह उधार का समय जो है, उसका ठीक से उपयोग नहीं हो सका नहीं तो हल तभी हो जाता, बीच में मंडल न हुआ होता तो···(व्यवधान)···

इसलिए आपको भी चार महीने का उधार का समय मिला है और आपकी आशा ज्यादा है क्योंकि आपने मंडल नहीं किया हुआ है इसलिए हो सकता है और तभी इन चार महीनों में हमें आशा ज्यादा है।

उस समय हमें भी थोड़ी हलकी झलक मिली थी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको भी जानकारी होगी कि बहुत लोग इसी सदन में हैं, बड़ा सक्रिय सहयोग देते थे, दोनों तरफ से। मैं मानता हूं अटल जी, यहां स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। यूनुस सलीम साहब यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने प्रयास किए और बाहर के धर्मगुरुओं ने, शंकराचार्यों ने, कुछ अपने आलिमों ने, एक रास्ते के कगार पर लाने की बात आयी थी, लेकिन हमने जो बात कही, शरद जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं मंडल भी था। ठीक है, हमने कीमत दी, हमें अफसोस नहीं है उसका, राकेट जल जाता है लेकिन सैटेलाइट आरबिट में आ जाता है, हम लोग जल भले ही गये हों लेकिन सामाजिक न्याय का उपग्रह है वह आरबिट में आ गया है।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग मिटे हैं और हमारा उदाहरण दिया जाता है। हम इसलिए कहते हैं, आपको भी चेतावनी दी जाती है कि देखिए वी० पी० सिंह की तरह मत हो जाइएगा। कई बार चेतावनी मिली, उसमें भी इशारा है कि मिट गए हम लोगों के सामने, लेकिन "ऐ मिटे भले ही हों, परन्तु बीज की तरह मिटे हैं, पेड़ और दरख्त की तरह सामाजिक न्याय देकर मिटे हैं।" सभी सदस्यों ने कहा, प्रधान मंत्री जी की भावनाओं के बारे में, हो सकता है सारी चीजों को वे न कह सके हों। मैं जानता हूं कि हर मौके पर प्रधान मंत्री सारी चीजों को नहीं कह सकता, लेकिन कभी-कभी कुछ तो कहना ही पड़ता है। उसमें यह बन गया और हमारे दीक्षित जी यहां मौजूद हैं, उन्होंने साधुओं ने और सन्तों ने वहां जाकर कहा और उन्होंने अधिकृत किया कि आप जाकर सदन में भी उनकी भावनाओं को रखिए कि तीन महीने के अन्दर सिलटा देंगे। अब कहते हैं, आपके बयान को देखकर कि सलटाया नहीं पलटा दिया है। अब हम लोग नहीं जानते कि सलटाया है या पलटाया है। तो इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि आपकी जो समझ थी और सन्तों की जो समझ थी, उसमें एक-दो दिन के अंदर ही यह सलटाया और पलटाया हो रहा है, यह क्या है? यह स्थिति

हम सबको असमंजस में डाले हुए है कि आगे भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा ? सन्तों का कहना है कि न्यायालय की बात हमसे कोई नहीं हुई, अब यहां आपके बयान में न्यायालय की ओर इशारा है या अथॉरिटी की ओर इशारा किया है कि जुडीश्यल अथॉरिटी होगी, भले ही उसको आप परिभाषित नहीं कर सके हों, लेकिन उसकी समझ में अभी से कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस समझ में जो अंतर है, उस पर बजाय हम टीका-टिप्पणी करें, इस समझ का जो अन्तर है, उसको तत्काल आपस में बातचीत करके निपटाने का काम करें। एक समतल भूमि पर बात करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें, तो हम लोगों को भी सन्तोष होगा, आप इसमें सफल होंगे, तो हम सबको सन्तोष होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारा सुझाव है कि एक व्यापक पहल भी होनी चाहिए। आपने पहल की, कुछ तबकों से बात हुई, ऐसा अहसास होता है, आपने उनसे पहले बात की, लेकिन इस नयी पहल में अभी तक उनसे बात नहीं हुई, वे हमारे अकिलयत के लोग हैं, हमारे अकिलयत के भाई हैं और मुझे विश्वास है कि पहले भी आपने बात की है और अभी भी बात करेंगे। फार्मल ढंग से भी बात करेंगे और खाली दलों से ही नहीं, बल्कि कुल दलों को भी मिला दिया जाए और सभी संगठनों को बता दिया जाए, तो भी हमारे देश से ये बड़े नहीं होते। हमारे समाज में और भी वजनदार लोग हैं। हमारे धर्म गुरू भी हैं। मेरा विश्वास है कि सकारात्मक दृष्टिकोण धर्मगुरुओं का भी होगा और हमारे आलिमों का भी होगा। आलिमों को भी आप इस वार्ता में जरूर शामिल करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष जी, आपने इस बहस को एक ढर्रे पर लाने का काम ही नहीं किया है, बल्कि मार्ग-दर्शन किया है, नेतृत्व किया है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उसी दायरे के अन्दर अपने सुझावों को रखूं। यह बात सही है कि हमारी यह एक उपलब्धि है। हमने, अपने मत-मतान्तर क्या हैं, उस पर नहीं जहां-जहां मतैक्य है, उन आधारों को लेकर आगे चलने का, सुदृढ़ करने का काम किया है।

अध्यक्ष जी, एन० आई० सी० का रिजोल्यूशन है। मैं मानता हूं कि वह एक उपलब्धि है। कुछ यह मानते हैं कि नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वह एक उपलब्धि है, जिसके अन्दर सभी राजनीतिक दल बी० जे० पी०, वामपंथी, जनता दल, टी० डी० पी० आदि सब शरीक होकर इसको दिशा दें। फिर उस आधार को मानकर देश को आगे बढ़ाया जाये। इसको मानने का सभी से हमारा अनुरोध है। एन० आई० सी० का जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था, अगर उस पर सदन भी किसी न किसी रूप में मोहर लगाये तो वह बहुत अच्छा होगा। चूंकि एक बार उस पर मोहर लग चुकी है, अगर यहां से भी एक अच्छा सन्देश जाता तो बहुत अच्छा होता।

अयोध्या में मन्दिर बने, इसका इलेक्शन के समय भी प्रचार हुआ, लेकिन मस्जिद न टूटे, उसमें 80 फीसदी का मत आया। यह केवल हमारी राय नहीं है, बल्कि देश की भी राय है। बहुत अन्तर की बात नहीं है, सवाल दो हैं जो हमको विभाजित करते हैं कि वह कहां बने। इससे बड़ा सवाल जुड़ा हुआ है इसका अन्तिम फैसला कौन करे। यहीं पर सब बात अटकती है। कहां का भी छोड़ दें तो भी आज पूरी बहस यहां पर आकर अटकी हुई है और बहुत-सी मौलिक चीजों को घसीट रही है। हमारा ख्याल है कि हम मिलकर इन सब पर गंभीरता से सोचें। विभिन्न पक्षों का फैसला अन्तिम कहां होगा, इस पर आयें।

एक बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि अन्तिम फैसले का क्या स्वरूप हो ? इस पर मैं

अभी नहीं कहना चाहता हूं। कुछ भी स्वरूप हो सकता है। हमें श्रद्धा से फैसला करना है, कोर्ट से फैसला करना है, आपसी सद्भाव से करना है। जब तक फैसला नहीं हो जाता है, उस बीच में आपसदारी से अगर कोई फैसला हो जाता है तो बहुत आसानी होगी। उस आपसदारी को बनाये रखने के लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस पर भी जरूर विचार किया जाये। अगर इस तरह का आश्वासन मिलता है तो बहुत भरोसा पैदा होगा और एक अच्छा वातावरण बनेगा। हमें इस बात की खुशी होगी कि हमने देश की समस्या को हल कर दिया। मेरा ख्याल है, प्रधान मंत्री जी इस दिशा में पहल करेंगे और इस तरह का एक आश्वासन हम लोगों को देंगे।

एक चीज हम बहुत नम्रता से आडवाणी जी और अटल जी से निवेदन करना चाहते हैं। अब असली बात आ रही है कि अन्तिम फैसला अदालत का ही होगा। यह विश्वास की बात है। हम लोग यह तर्क देते हैं कि अगर आप सदारी से नहीं होगा तो अदालत से होगा। हमारा ख्याल है कि मौलिक मतभेद हम लोगों का यहां आ रहा है। कहां वाला स्थान तो फिर भी तय हो सकता है और अगर यह भी तय न हो पाया कि कहां होना है तो उससे जुड़ी बात यह है कि अदालत से नहीं होगा तो कहां से होगा यह चीज हमारे मतांतरों में आई हुई है। आपका कहना है कि धर्म और विश्वास की चीजें न्यायालय में तय नहीं की जा सकती हैं। आपका यह भी कहना है कि कई बार अदालत के फैसले आये लेकिन प्रशासनिक ढंग से वह लागू नहीं हो सके। आप आज उनको खंडन और विखंडन वाली बहस में न लायें। इस बिन्दु पर ठहरी हुई यह चीज है। देश को कैसे चलाना है, यह जिम्मेदारी आपको मिली हुई है। आज आप पर यह जिम्मेदारी है। कल किसी और पर पड़ेगी और सब कठिनाइयों में पड़ेंगे। जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा, सब कठिनाइयों में पड़ेंगे। इस मसले को हम आज का ममला न मानें, यह भविष्य का मसला है। इस देश को चलाने का मसला यहां खड़ा हुआ है। इस देश को कैसे चलाना है, सब मिलकर इसमें सहयोग दें। ठीक है, आस्थायें फाइनल होती हैं, कॉन्शन ऐसी चीज है, जो फाइनल होती है। यूनिकनैस इन डिसीजन होता है, लेकिन अगर देश को और शासन को चलाना है, अगर विभिन्न आस्थाओं में टकराव हो जाये, तो कोई एक आस्था दूसरी आस्था से कम नहीं मानी जा सकती है। यहां कोई कैटेगराइजेशन ऑफ आस्थाएं नहीं हैं, प्रायरटीज ऑफ आस्थाएं नहीं मान्य की गई हैं। अगर दो आस्थाओं में टकराव हो जाए और रास्ता न निकलता हो, तो माननीय प्रधान मंत्री जी और आप सब लोगों को बैठकर करना होगा, हम लोगों को बैठना होगा कि कैसे इस देश का रास्ता निकलेगा।

है आस्थाओं की बात, हम खाली हिन्दू मुस्लिम आस्थाओं पर नहीं जाते हैं, हम एक उदाहरण दें। वहीं पर साक्षी गोपाल का मन्दिर है, हम मन्दिर के उसको खण्डन करने के लिए तर्क नहीं दे रहे हैं, साक्षी गोपाल के जो महन्त जी हैं, उनकी आस्था थी कि साक्षी गोपाल का मन्दिर वहीं रहे। द्वारिका के जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने बयान दिया कि वहां पर···(व्यवधान)··· देखिए, इस पर बाद में बात करें, हैं आज शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि नहीं, साक्षी गोपाल के मंदिर में वह है तो होना चाहिए। अब इसमें हिन्दू आस्थाओं का टकराव हो गया, क्या किया जाए, कैसे निपटें, कौन निर्णय करे ? कैसे देश चलावें, आप कैसे चलाएंगे, कोई और करेगा, कैसे चलावेंगे। नतीजा क्या हुआ ? हुआ क्या, एक आस्था से घबराकर दूसरी आस्था अदालत में पहुंची और प्राकृतिक साक्षी गोपाल के महन्त जी अदालत गये। अगर हम लोग इन दो आस्थाओं को तय करने का रास्ता निकालें, तो शायद रास्ता निकाल लें।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से, मेरी जानकारी है कि साक्षी गोपाल के मन्दिर के महन्त अदालत में नहीं गये हैं, बल्कि यह जो कार सेवा हो रही थी, उसमें सबसे आगे बैठकर वही कार सेवा कर रहे थे। मैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह से कहूंगा कि तथ्यों को देख करके कहें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, आपने सुधार दिया। अभी तक अखबारों से मुझे जो बोध हुआ था, शायद गलत है, अच्छी बात है लेकिन यह उदाहरण पैदा हो सकता है। यह नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। मैं सुधार लेता हूं, अच्छा हुआ, आपने बता दिया। तो मैं यह समझता हूं कि इसमें, क्योंकि···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये, दो मिनट।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अभी तक हम लोग चुपचाप थे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, इसमें गरिमा नहीं है···

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस तरह यह गरिमा रहेगी कि नहीं रहेगी ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइये। बैठे-बैठे आपको इतनी आपस में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं उसकी व्यवस्था दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। आप भी बैठिए। आप भी वैसा ही कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से यह यह चर्चा करने की यहां पर सम सब लोगों ने कोशिश की, उसमें सबसे अच्छे सुझाव···

···(व्यवधान)···

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इस तरह यहां किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा फिर। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आपको इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आपको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा भाषण चल रहा है और अच्छे सुझाव आ रहे हैं। आप कृपया उनकी बात सुनिएगा और आप बीच-बीच में उनकी तरफ से बात करके जो उनको डिसटर्ब करते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। देखिए, आपस में बातें नहीं होंगी।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यह बात निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग बैठकर, अगर कहीं आस्थाओं में टकराव हो जाए और इस देश को आगे चलाना है, क्या रास्ता बनायें, इस पर विचार करना चाहिए। इसमें सबकी जिम्मेवारी है और सबका इसमें

राष्ट्रीय हित है। मेरा मानना है कि कहीं-न-कहीं हमको संविधान के दायरे के अन्दर कुछ रास्ता खोजना होगा। संविधान में अगर कहीं कमजोरी है तो उसको निकालना होगा। हम लोगों ने जो अभी तक बनाया है, उसमें सबसे ऊपर हमले या केन्द्र अदालत के विश्वास बिन्दु पर बने हैं। हम यहां कानून पास करते हैं, वह वहां जाकर भी रद्द हो जाता है। हमारे बारे में बहस हो सकती है, दलों के बारे में बहस हो सकती है और एग्जिक्यूटिव के बारे में लोग बहस करते हैं, लेकिन अब भी नागरिकों को अपने अधिकार का कोर्ट में विश्वास बिन्दु ठहरा हुआ है तो न्यायालय में। क्या उस बिन्दु पर हम कोई प्रश्न-चिन्ह लगाकर कोई रास्ता खोज पायेंगे और इन टकरावों का रास्ता कैसे निकालेंगे? मेरा मानना है, न्यायालयों पर यह विश्वास बिन्दु जो बना हुआ है, उस पर प्रश्न-चिन्ह लगाने का काम अच्छा नहीं होगा। हमने किया है तो भी बुरा है और यह कोर्ट का उदाहरण है कि पहले भी हुआ है, तो क्या हम लोग ऐसे उदाहरणों को पुष्टि करते हुए, उसको नैतिक बल दे दें, उसका अंतिम नतीजा क्या होगा। यह संघ रह जाएगा कि नहीं, इसमें एक मसले पर जीत-हार हो सकती है। वहीं उदाहरण लेकर उल्लंघन के रास्ते पर जायें, उनको फिर से बांधने का रास्ता रह पाएगा—इस पर बहुत गम्भीरता से हम लोगों को दलों से ऊपर उठकर इसका एक रास्ता निकालें। जब तक ईमानदारी से प्रधान मंत्री जी इसका जवाब नहीं होगा, हम लोग अगर नहीं देंगे, दो आस्थाओं के टकराव की बहस आज यहां खड़ी हो गई, कौन से रास्ते से इस देश को संभाला जाए, इस पर ईमानदारी से बहस होकर के आपसदारी से कोई रास्ता नहीं निकलेगा, चाहे कन्वेंशन बनाइए, कानून न बनाइए—कन्वेंशन और मर्यादाओं से भी देश चलता है—अगर वह भी बन जाएगा तो राम जन्म-भूमि पर जो बहस छिड़ी हुई है, उसका उत्तर निकालना पड़ेगा। इसकी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, देश को आगे चलाना है। हम पुराने इतिहास को सुधारने में लगे हैं, लेकिन नया इतिहास बनाना है। कहीं ऐसा न हो कि पुराना इतिहास बनाने में, उनको सारे पन्नों को फिर उलटने में हम आगे के इतिहास को भूल जाएं। यह भूल भी बड़ी भारी राष्ट्रीय भूल होगी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अन्तुले जी ने कहा है कि खून-खराबा बचा। मैं भी मानता हूं कि राहत की सांस ली है, लेकिन यह भी जाने रहिए कि आपने जो इसकी पुष्टि की है, अगर दस खून के घूंट पीकर शान्ति होती है, तो वह खून की घूंट जहर बनती है। सवाल ब्लड-शैड का नहीं है, इस देश को चलाने का है। अगर यही तर्क देकर ब्लड-शैड बचा, बैड-ब्लड बचाने का सवाल है और बैड-ब्लड कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए हम एक साथ बैठें, तब वह रास्ता निकलेगा, केवल इस तरह के तर्क से नहीं निकलेगा। एक चीज हम माननीय प्रधान मंत्री जी से कहेंगे और सब कोई आशा भी करते हैं कि कुछ न कुछ जरूर आज कहें, कुछ बताएं जरूर, सब न बताएं थोड़ा-सा बताएं। कृष्ण मिट्टी खाए थे और यशोदा ने पूछा कि तुम मिट्टी खाए हो, तो उसने कहा कि मिट्टी नहीं खाया—

"नाहम् भक्यति वानम्", बोल दिया। तो फिर उसके बाद बलराम ने कहा कि ये तो मिट्टी खाए हैं तो फिर कृष्ण क्या बोले, भाई को कैसे कहें कि झूठ बोल रहा है। उन्होंने मां यशोदा से कहा कि मेरा मुंह खोलकर देख लो, तो कुछ तो मुंह खोल दीजिएगा ताकि हम लोग भी कुछ देख सकें। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : वह मां और बेटे के बीच का मामला था। (व्यवधान) बेटा कहिएगा तो बहुत बताऊंगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह खाली मां और बेटे का मामला नहीं था, भाइयों का भी मामला था और दीक्षित जी ने भी एक गवाही दे दी है, कि मिट्टी खाए हैं कृष्ण, कुछ कहें हैं वहां सन्तों को, लेकिन एक बात और है···(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : बलराम कौन हैं ? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जाखड़ जी बैठे हुए हैं। (**व्यवधान**) जाखड़ जी बुरा मान जाएंगे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : असल में यशोदा कौन हैं, यह देखना पड़ेगा।

(**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, कृष्ण ने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया तब यशोदा को बोध हुआ, तो पूरा ज्ञान जब देंगे तो हम लोगों को भी पूरा ज्ञान हो जाएगा। वे बृहद दर्शन जब देंगे तो हम लोगों को भी बोध हो जाएगा। अभी शायद हो सकता है कि शंका में हों। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : विश्वनाथ को और क्या ज्ञान होना बाकी है ? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अटल जी, विश्वनाथ के बारे में एक चीज तो रही है कि उन्होंने कभी जन्म नहीं लिया, कोई जन्म-भूमि का उसका विवाद नहीं है। वह आता है तो साक्षात आता है और सबका विनाश करके चला जाता है। (**व्यवधान**) शंकर की एक और विशेषता है, उसके पास कौन रहते हैं—भूत-प्रेत, सांप और बिच्छू, लेकिन वह प्रतीक हैं। जितने दबे, कुचले, समाज से भागे हुए लोग हैं उनको लेकर के रहता है। इसीलिए जो शंकर हैं वही नयी रचना का आधार रख सकते हैं कोई दूसरा नहीं। (**व्यवधान**)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : भस्मासुर को वरदान भी देता है और विष्णु जो हैं वे यथार्थवादी हैं और जब भी अवतार लिया तो यथार्थवाद की रक्षा करने के लिए लिया, इसीलिए उन्होंने संबंध सरस्वती से नहीं किया, लक्ष्मी से किया। सत्ता और लक्ष्मी का बहुत पुराना संबंध है, सदा चक्रो लक्ष्मी···। शंकर जी तो धतूरा पीने वाले सबसे अलग हैं। बहरहाल इस तरह से दूसरी तरफ चले जायेंगे।

एक चीज और है, आप ही के एक सदस्य ने कहा कि आप रिंग मास्टर हो जाएंगे, सरकस के रिंग मास्टर, ठीक है, बुरी बात नहीं है। एक गुण है रिंग मास्टर में, बड़े-बड़े शेर और बड़े-बड़े बब्बर, जब रिंग मास्टर चाबुक लेकर आता है, स्टूल पर खड़े हो जाते हैं। अगर आप रिंग मास्टरी करें, हम यह नहीं कहते कि हमेशा करने की जरूरत है, लेकिन कभी-कभी जरूरत पड़ती है। सवाल यह नहीं है कि घोड़ा किधर गया, सवाल यह है कि घोड़े की लगाम कौन पकड़े है, सवार पकड़े है या सईस पकड़े है। आप सवार हैं, हम सब लोग सईस हैं। घोड़े की और देश की सेवा करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : घोड़ा कौन है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : घोड़ा देश है, हम लोग तो सईस हैं, सेवा कर रहे हैं।

इसमें जो प्रश्न-चिन्ह लगा है वह यह लगा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आडवाणी जी अटल जी, आप भी विचार करें। लखनऊ आप भी गए थे, मैं भी गया था, एक ही ट्रेन में गए थे। (**व्यवधान**)

एक ही ट्रेन में गए थे और दोनों के स्वागत के लिए लोग आए हुए थे। अखबार में पढ़ा कि दोनों के टकराव की स्थिति को पुलिस ने बचाया, मैं नहीं जानता कि टकराव की स्थिति थी, लेकिन अखबारों की भी खूबी होती है, लिखते हैं। ठीक है, कहीं टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर एक गंभीर स्थिति थी, जब मैंने वहां पर अल्पसंख्यकों से बात की तो उनके मन में एक पीड़ा थी। अल्पसंख्यक भाइयों ने कहा कि हम मुकदमा क्यों करें, मुकदमा हम हटा लें। न्यायालय से नहीं मिला तो नहीं मिला, अगर मिलेगा भी तब भी हमको न्याय मिलने वाला नहीं है, सरकार हमको नहीं देगी। असल में क्या होता है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी मनोदशा यह थी, वे बहुत निराश थे। यह जो मन:स्थिति है, किसी भी वर्ग में हो, यह ठीक नहीं है. हम उम्मीद करेंगे कि आप इस मन:दशा को दूर करेंगे। और यह कोर्ट का अंत में है, हम चाहते हैं कि कोर्ट में न जाना पड़े, किसी अथारिटी में न जाना पड़े, इस बहस में से कुछ निकले, आज शाहबुद्दीन साहब ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज बताई हैं, ठीक है, कोई चीज होती है तो उसमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज बताई, आएसदारी में कोई भी चीज निकलती है तो उसमें योगदान देने की बात है, लेकिन क्या टर्म्स हों, टर्म्स के बारे में हमारा ख्याल है कि अगर आप बातचीत करें तो कुछ निकल सकता है, क्या हो, कैसे हो, इसके बारे में एक चीज शरद जी ने कही, वही एन आई सी रेजोल्यूशन में है, वही चीज शरद जी ने अपने भाषण में कही है। एन आई सी के रेजोल्यूशन को, यदि आप चाहते हैं कि यहां की बहस में से कुछ निकले तो हम समझते हैं कि एन आई सी रेजोल्यूशन जो है, जिसको दूसरे रूप में शरद जी ने कहा है, उसका हम सब समर्थन करें, सबने समर्थन किया है, तो इस तरह से आज की बहस से एक सकारात्मक चीज निकलेगी, जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, जब से आप बैठे हैं। लेकिन इस सारी चीज का इनीशिएटिव प्रधानमंत्री जी आपको लेना होगा, हम लोग सहयोग दे सकते हैं, लेकिन इनीशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा इन सारी दिशाओं में।

इस सारी बहस के बाद मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, हालांकि यह स्थान नहीं है, इसके साथ एक और बहस जुड़ी हुई है और वह यह है कि राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप क्या हो। यह सदन उसका फैसला नहीं कर सकता, न कानून पास कर सकता है और न रेज्योलूशन। क्योंकि जन-जीवन में वह बहस आयी है वह परिलक्षित होती है यहां। शरद जी ने और चिन्मयानन्द जी ने अपनी भावना कही, क्या हमारी राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप हो। अलग-अलग है। एक हिन्दू भावना से जुड़ी हुई है, एक मुस्लिम भावना से जुड़ी हुई है। आपका मानना है यह बहुमत से है, अगर इस पर राष्ट्रीय आधार बनेगा तो राष्ट्र सुदृढ़ होगा, उसमें अल्पसंख्यकों की हिफाजत होगी। आपका एक दृष्टिकोण है, उस पर आपका दल चल रहा है, आप स्वयं कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं। हम लोगों का मानना है कि स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ मूल्य रहने चाहिएं जिसके आधार पर यह देश बना है, आजाद हुआ है। वही इसकी मूलभूत आधारशिला हो सकती है। विश्वासों की बात है। हम लोगों का मानना है कि इतिहास के पिछले पन्नों को कितनी बार देखा जाए। क्या इतिहास के पन्नों में यथार्थ खून नहीं है कि उन पन्नों की रिहर्सल करके हम फिर उतना खून बहाने की तैयारी करें? उस खून को धोने के लिए न गंगा में इतना पानी है और न इबादतगाहों में प्रार्थना की ताकत है कि वह शांति या सांत्वना दे सके।

जैसे हमारे एक साथी ने कहा, कहां तक जाएगी बात, 400 साल से उठा रहे हैं, उन्होंने बहस खड़ी कर दी हजारों साल पहले आइये, आदिवासी यहां पर राज करते थे, एक जमाने में आर्य आए, तब से दस्यु बना दिया गया, आज तक वे दस्यु बने हुए हैं, दस्यु जातियां बनी हैं, वही पिछड़े, दलित वर्ग बन गए। मैं नहीं मानता हूं। मैं यह बहस नहीं उठा रहा हूं। लेकिन यह लकीर खिसकती

जाएगी और आगे। आज कोई आन्दोलन नहीं है, लेकिन आन्दोलन खड़ा हो सकता है। इस पर हम लोगों को गम्भीरता से आपस में बात करनी चाहिए।

एक चीज और है। मैं कोई धर्मज्ञ नहीं हूं, लेकिन हिन्दू परिवार में पैदा हुआ हूं, माता-पिता ने पाला-पोसा। उन्होंने सिखाया हिन्दू धर्म एक चीज है, लेकिन हिंदू गोलबंदी कभी नहीं सिखाया। हिंदू गोलबंदी और हिंदू धर्म में फर्क मैं मानता हूं। क्योंकि हिंदू धर्म तत्वों की बात कहता है। यहीं पर कहा गया "सर्वभूत हिताय", हरएक के हित के लिए हिंदू धर्म है। "सर्वे-भवन्तु सुखेन", यह कल्पना है, इसमें हमारा भी विश्वास है। एक यहां की परम्परा रही—उदात्तता। यह न भूलें दशरथ के दरबार में आठ ब्रह्म ऋषि थे, उसमें जाबाल नास्तिक थे, अनिश्वरवादी थे। राम के पिता ने अपने दरबार में एक नास्तिक को आठ ब्रह्म ऋषियों में रखा। हमारे यहां एक परम्परा रही है। हमने उनको भगा नहीं दिया। यह एक टालरेंस का, सहिष्णुता का उदाहरण है। आप याद रखिए कि राम जब अयोध्या छोड़ कर जाने लगे, उनको मनाने के लिए जाबाल भी गए थे, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे वे राम को मनाने गए थे। आज राम के नाम पर उस उदाहरण से हम कुछ लें अगर धर्म की परम्पराओं को लेते हैं।

यह भी कहा गया "सर्वदेवम नमस्कार: केशवम प्रतिगच्छंति" जो भी प्रार्थना की है वह केशव को ही जाती है, चाहे जिसकी प्रार्थना हो। यह भी आस्था की बात है। हिंदुत्व की बात करेंगे तो हिंदुत्व की बहस होनी चाहिए।

मैं मानता हूं कि धर्म का आधार है। जब बात उठाएं तो यह बहस आती है। जब सब प्रार्थनाएं एक ही जगह जा रही हैं तो प्रार्थना घरों की इतनी लड़ाई क्यों होती है। अपने समाज की कई चीजों पर कल शरद जी ने पीड़ित होकर कहा कि गर्व नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति, हमारे विचारों और दर्शन में बहुत-सी चीजें हैं जिन पर हमको गर्व है और जिनको विश्व ने माना है। शरद जी ने कहा कि हमारा दर्शन ऐसा है जो विश्व को लपेटने वाला है, अंगीकार करने वाला है। हमने जो समाज की रचना की, वह बांटने वाली रचना की है, उसको स्वीकार करना होगा। हम पीड़ित हैं और जब शरद जी ने कहा कि जब समझने की बात है तो वह कभी-कभी तीखे ढंग से आती है। मैं एक अनुभूति बताता हूं। आज हम यहां अयोध्या की बहस कर रहे हैं। दिल्ली में पंचकुइयां रोड पर महर्षि बाल्मीकि का मंदिर है। आज उसकी कोई बहस नहीं कर रहा है। उसको मैंने जाकर देखा है। उस मंदिर के सामने गांधी जी रहे थे, उनका कमरा है और उनकी स्मृतियों की सारी चीजें वहां लगी हुई हैं। सामने सड़क है। प्रधान मंत्री जी, महर्षि बाल्मीकि मंदिर के सामने दिल्ली में क्या हो रहा है। वहां पूरे शहर का कूड़ा डालने का इंतजाम महर्षि बाल्मीकि मंदिर के सामने हो रहा है। यह समाज की व्यवस्था है। इसकी पीड़ा बता रहा हूं। यह कहा गया है कि बाल्मीकि अगर तुम मनुष्य हो तो भी तुम्हारे सिर पर मैला है और तुम देवता हो जाओगे तो तुम्हारे सिर पर मैला रहेगा। लेकिन इसकी बहस यहां पर नहीं है।...(व्यवधान) एक पक्ष है और जो पीड़ा उन्होंने बताई है, मैं उसको नहीं कहता, किसी के ऊपर नहीं कहता हूं। तुलसीदास जी के वचनों को कहता हूं। तुलसीदास जी ने कहा कि सबसे कठिन जाति है मानव की और जो जातियां चुमान में रहती हैं उनका कितना कठिन जीवन है। अगर इस पर बहस रखवाते हैं तो इस पर बहस हो जाए। यह एक पक्ष है। राम तो इंसान बनकर इंसानियत से अलग नहीं हो सकते और "व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, जो आज प्रेम भगवतीवश कौशल्या गोद", जो निरंजन और निर्गुण है, वह प्रेमवश कौशल्या की गोद में है। यह

ब्रह्म का स्वरूप है, उसका टकराव का स्वरूप कभी नहीं रहा। जो प्रेमवश कौशल्या की गोद में रहा तो आज उसके स्वरूप को बनाए रखने की जरूरत है···(व्यवधान) राम राज्य में क्या वर्णन है—"सब नर करहीं परस्पर प्रीत, चलहीं स्वधर्म निरंत सुघनीति" स्वयं प्रीति करते हैं तो स्वधर्म की भी उनकी स्वतंत्रता है। अपने-अपने धर्म की स्वतंत्रता राम राज्य में कहा गया है।··· (व्यवधान) यह कैसे राम राज्य मिला। राम ने स्वर्ण लंका को खत्म किया, इसे भी समझिए। यहां तो आज स्वर्ण का राज किया है। जो पांच किलो सोना ले आया तो भी राज करता है।

6.00 म० प०

स्वर्ण राज कोई खत्म नहीं हुआ है। यह पूंजी और थैली का राज है। स्वर्ण की लंका का दहन हुआ तब यह मिला है, किसको लेकर मिला बंदर, भालू इत्यादि को और टोपी उपेक्षित रही, मण्डल बहुत पुराना चला है राम ने भी मण्डल किया था तब जीता था रावण को उस समय।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : राम ने बच्चों को जलवाया नहीं था, राम के समय में बच्चे जले नहीं थे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जिसने भी किया यादवों का साथ लिया तब कंस को मारा है।

अब मैं समाप्त करता हूं। इस बहस से जो प्रश्न दब गये हैं उनको भी मैं खाली दो प्रश्नों के रूप में रखना चाहता हूं। आडवाणी जी धर्म के पक्ष में हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है··· (व्यवधान)·· मैं कहता हूं उस पर बहस हो···(व्यवधान)···आप सुनिये तुलसी के शब्द, एक दिन आपको मानना पड़ेगा और तुलसी के शब्दों पर बहस होनी चाहिए।

कोई खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भये
वानिक को न वानिकी, न चाकर को चाकरी।
जीविकाविहीन दो मानुष कहें एक-एकन कहां जाई भाई।

आज की दशा ऐसी ही है। इस पर बहस लाइये, यह बहस दब गई है। किसान को खेती नहीं, भिखारी को भीख नहीं, वानिक को वाणिज्य नहीं और नौकर को चाकरी नहीं और आज का नौजवान है उसका वर्णन देखिये :

जीविकाविहीन लोग सोच एक एकन कहां जाई।

यानि एक अनएम्प्लायड दूसरे से कह रहा है कहां जायें, क्या करें। इसलिए आप इस पक्ष को भी लाइये, आप उसको दबा देते है।

अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं बैठ जाऊंगा। जब भीष्म पितामह से पूछा गया कि आपने क्या फैसला किया, क्यों दुर्योधन का साथ दिया तो उन्होंने कहा "अर्थस्यो पुरुषो दासो।" मतलब पुरुष अर्थ का दास है। दास्यो न अर्थस्य कोय, मतलब अर्थ किसी का दास नहीं है। पूंजी के सब दास हैं और पूंजी किसी की दास नहीं है। प्रधानमंत्री जी हम लोग बाहर से पूंजी ला रहे हैं, इस पर भी बहस होनी चाहिए। मैं उन पक्षों को कह रहा हूं कि यह भारी पड़ेगा, टकराव वाला यह विषय है। यह बात सही कही गई है कि गंगा नहीं बदलती है, गंगा के किनारे भले न बदलते हों, लेकिन धारा हमेशा नवीन रहती है। अंत में सागर में जाकर

मिलती है। इस देश में विचारों की धारा हमेशा बहती रहेगी और यह धारा जनसागर में मिलेगी यही उसका लक्ष्य होता है। यहां के विचारों को भी जन सागर में मिलाकर हम रास्ता निकाल सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में इस बात से करूंगा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक टकराव टल गया है। प्रसन्नता को औपचारिक रूप से तो सबने व्यक्त किया है किंतु भाषणों में से कुछ-कुछ लगता था कि टकराव टल गया है, इसका कुछ अफसोस है। बहुत उकसाया, बहुत जोर लगाया. संसद की कार्रवाई तक नहीं चलने दी इस बात के लिए कि आप सरकार को भंग करिये। एक समय था जब हमारे मित्र कहते थे कि हम धारा 356 के अनुकूल नहीं हैं और हम तो केवल एक्विजीशन की बात करते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एक स्टेज आयी जब उन्होंने इस बात पर जोर लगाया कि अब हमने अपना समय बदल दिया है। यहां मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टकराव टल गया, वहां मुझे इस बात का अफसोस है कि टकराव के कगार पर स्थिति को क्यों पहुंचाया गया ? इसके लिए मैं इनको नहीं, सरकार को दोषी मानता हूं। आखिरकार तो सालभर ही हुआ है। इस सरकार को शासन संभाले एक साल हो गया है और यह सरकार इस बात से अपरिचित नहीं थी हर चुनाव में एक न एक बिंदु बहुत अधिक उभर कर आता है।

अध्यक्ष महोदय, यों तो 1977 का जब चुनाव हुआ था तब भी देश में गरीबी की भयंकर समस्या थी। बेरोजगारी के अलावा और अनेकों समस्यायें थीं जिनके बारे में हर दल अपने-अपने घोषणा-पत्र में विस्तार से लिखता रहा है कि अगर हम सरकार में आयेंगे तो यह करेंगे, हम सरकार में आ गये तो वह करेंगे आदि। लेकिन इस चीज का निर्णय किया कि कौन हिंदुस्तान का बतवाता एमरजेंसी को सही मानता है और कौन मतदाता एमरजेंसी को गलत मानता है। जो सही मानता है, वह कांग्रेस को वोट दे और जो गलत मानता है वह कांग्रेस विरोधी लोगों को दे। तो इस प्रकार एमरजेंसी का इश्यू चुनाव का निर्णायक इश्यू बन गया। सन् 1980 में लोक सभा का चुनाव फिर हुआ और जनता पार्टी की झगड़ेबाजी निर्णायक इश्यू हो गया। ऐसा नहीं था कि गरीबी की समस्या नहीं रही, ऐसा नहीं कि शिक्षा-अशिक्षा समस्या नहीं रही। फिर उसके बाद 1984 का चुनाव हुआ। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा-पत्र में सभी बातें लिखीं। यहां पर सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातें लिखी जिस बात ने सारी जनता को प्रभावित किया—वह थी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या और वह हत्या चुनाव में निर्णायक बन गयी।

अध्यक्ष महोदय, जिस समय 1989 का चुनाव हुआ तो उस समय एक बात और उभरकर आयी और वह थी बोफोर्स। उस समय हमारे जनता दल के नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री बने। उस समय भी सभी समस्यायें थीं और सभी पार्टियों ने सभी समस्याओं का उल्लेख किया था और इन्हीं में जनता ने निर्णायक मुद्दा माना बोफोर्स को। उस समय कहा गया कि कौन-सा डिफेंस डील हुआ है, उसमें लोगों ने पैसा नहीं खाया यदि खा भी लिया तो क्या अनर्थ हो गया ? सारी कार्रवाई पोस्टपोंड की गयी, विपक्षी सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव लड़ा और इस प्रकार एक केन्द्र बिंदु बोफोर्स बन गया। हम ऐसा निष्कर्ष मानते हैं कि हिंदुस्तान में आम जनता के नेता यह समझने की कोशिश करते हैं कि उच्च स्थानों पर

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उसी प्रकार से मानता हूं कि सन् 1991 का जो चुनाव हुआ था उस समय अयोध्या केन्द्र बिंदु बन गया, एक निर्णायक इश्यू बन गया। यह ठीक है और आप कह सकते हैं···(व्यवधान)···मेरी बात से किसी को मतभेद हो सकता है लेकिन मैं जब इस बात को बार-बार कहता हूं कि अयोध्या के विषय में हमारे ऊपर जवाबदेही डालिए तो मैं इस कारण कहता हूं। जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पर बोफोर्स के मामले की जांच करने की जवाबदेही थी, चंद्रशेखर जी की जवाबदेही नहीं लगी इसलिए उन्होंने बयान दे दिया कि यह तो एक सब इंस्पेक्टर का काम है, वह कर लेगा। लेकिन विश्वनाथ जी को जवाबदेही लगी और इसीलिए उन्होंने उसको परस्यू किया। परस्यू करने के बाद एक स्थान पर पहुंचे मगर ठेठ तक नहीं पहुंच पाए और ठेठ तक पहुंच जाएंगे, ऐसा यहां प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक तो नहीं पहुंचे। अभी तक तो उस वकील को भी नहीं ढूंढ पाए जिसने माधव सिंह सोलंकी को वह पत्र दिया था।

सरकार इसमें रुचि नहीं रखती या हम नहीं चाहते कि देश की सारी लीगल स्थितियों को देखकर इसको परस्यू किया जाए। मैं इस बात का उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूं कि मैं जानता हूं कि पिछले साल जब श्री नरसिंहराव जी ने सरकार बनाई थी, उसके तुरंत बाद अगर ये बयान देते जो आपने आज दिया है, मैं केवल उसके अथॉरिटेटिव पार्ट की बात कर रहा हूं, पूर्व के प्रिंयेम्बल की नहीं कि जिस स्थान पर पूर्व की सरकारों ने इस मामले को छोड़ा था मैं उसको उठाकर आगे बढ़ूंगा, तो शायद स्थिति कगार तक नहीं पहुंचती जैसे अब पहुंच गई है। क्या देश में यह संदेश नहीं जाएगा कि जब तक किसी विषय में स्थिति को कगार तक न पहुंचाया जाए तक तब तक सरकार हिलती नहीं? क्या यह यही संदेश है? चाहे जितने आरोप हम लगाएं, मेरे साथियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को इकट्ठा किया और कानून का उल्लंघन किया, ये सारे आरोप वे लगा सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम कानून का पालन करेंगे, हम कोर्ट की आज्ञा की अवमानना नहीं करेंगे और साथ ही साथ जनादेश को भी भूलेंगे नहीं, यह कहा था।···(व्यवधान)···आप नाराज हो जाएं भले ही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसकी पूर्ति वह कर पाए। उसमें वक्त लगा, परिश्रम लगा, राजमाता को अयोध्या जाना पड़ा संतों को समझाने के लिए और संतों ने कहा कि प्रधान मंत्री जी इसको करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमने कहा कि आप चलकर बात कर लीजिए कि करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि हमने यह बात मान ली कि कोर्ट की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है कि हम पालन करें, केवलमात्र इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन आगे इस दिशा में प्रगति होगी या नहीं। हमने कहा कि कम से कम पिछली सरकारों ने जो कुछ किया था, उन सरकारों के किए हुए काम से आगे बढ़ाने के लिए हम वर्तमान प्रधान मंत्री को कहेंगे और आप उनसे मिलकर देखिए। उसी में से यह बात निकली है, लेकिन मुझे इस बात की शिकायत है और मैंने व्यक्तिगत रूप से भी प्रधान मंत्री जी को कहा कि पिछली सरकारों में— राजीव जी के समय में बूटा सिंह जी इस मामले को देखते रहे। राजीव जी के समय भी यह प्रश्न आया था। फिर विश्वनाथ जी की सरकार आई, उनको भी इस समस्या से उलझना पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर जी की सरकार आई। मैंने उसी दिन संसद में कहा था और मैं आज भी कहता हूं कि अगर कुछ प्रगति हुई तो चंद्रशेखर जी के द्वारा हुई और उस प्रगति के दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। जो दोनों पक्ष थे, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले थे – विश्व हिन्दू परिषद के लोग एक तरफ और बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के लोग दूसरी तरफ। इन दोनों को टेबल पर लाना,

लगातार उनमें बातचीत करवाना, उनको यह कहना कि आपका जो दृष्टिकोण है वह आप लिपिबद्ध करके और विशेषज्ञों से सलाह लेकर दस्तावेज हमको दें। दस्तावेज आए—उधर से भी आए और इधर से भी गए। दस्तावेजों की अदला-बदली हुई और उन दस्तावेजों पर आपको क्या टिप्पणी करनी है, क्या आपत्ति करनी है यह आप बताइए। यह भी दिया गया।

[अनुवाद]

पूरी कार्यवाही कुछ समय तक चली है ?

[हिन्दी]

मैं बहस में नहीं जाता हूं क्योंकि एक तरफ से जो दस्तावेज दिए गए उनमें क्या था कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं, वह तो अफगानिस्तान में हुए। एक दूसरा पेपर था जिसमें लिखा था कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। और तीसरे में कहा गया था कि राम का जन्म इजिप्ट में हुआ था, ऐसे भी कागजात दिये गये हैं। लेकिन मैं इस समय उसमें नहीं जाता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि एक तरफ तो दोनों पक्षों को एक-साथ एक टेबल पर लाना, दस्तावेजों की अदला-बदली करना और तीसरी बात कि किसी एक बिन्दु पर, कि किस बिन्दु पर निर्णय होगा, उसका निर्णय कर लेना, यह महत्वपूर्ण है। प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी बातचीत में इस विषय पर भी चर्चा हुई थी क्योंकि मैंने जब आपका बयान पढ़ा, आपका वक्तव्य पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ। आपने एक तरफ सही लिखा है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं, आपने लिखा है—

[अनुवाद]

"मैंने उनसे भी कहा था" "उनसे" अभिप्रेत है वे धार्मिक नेता जो उनसे मिले थे कि एक बार काम रोक दिया जाता है, मैं पहली सरकार द्वारा शुरू किये गये उन प्रयासों को पुनः शुरू करूंगा जो अधूरे रह गये थे।

[हिन्दी]

इसमें से अर्थ मैं यह समझा कि जो चीज चंद्रशेखर जी ने की थी और जहां उन्होंने छोड़ा था, उस बिन्दु से आप आगे बढ़ायेंगे।

[अनुवाद]

"इसे शुरू करने का उद्देश्य बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण हल करना है।"

[हिन्दी]

इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इसके आगे जो बात जोड़ी गयी है—

[अनुवाद]

"यदि यह आवश्यक हो जाता है तो विभिन्न न्यायालयों में इस विषय पर लंबित पड़े हुए मुकद्दमों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकेगा और उन पर एक न्यायिक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा और उसका निर्णय सभी पक्षों को अनिवार्यतः मान्य होगा। इसमें ठीक प्रकार से सरकारी स्तर पर अधिक कार्यवाही करने और न्यायालयों से विचार करने के लिए समुचित निवेदन करने की आवश्यकता होगी। मैंने अपना यह विश्वास व्यक्त किया था कि सरकारी स्तर पर इस

कार्य में शीघ्रता की जानी चाहिए और यह चार महीनों के भीतर पूरा होना चाहिए । मुझे इसके संबंध में एक समझौते का पता लगा है ?"

[हिन्दी]

संत लोग जब आपसे मिलने गये थे, जब वे लौट कर आये, तब भी मेरी, वाजपेयी जी की, डा० जोशी जी की उनसे बातचीत हुई थी । उसके बाद भी हम मिलते रहे और बातचीत होती रही । अभी-अभी यहां पर बोलने से पहले, जब मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने फिर से उसे चैक करने के लिये महन्त जी को यहां बुलाकर पूछा कि क्या यह बात हुई थी, जिसके बारे में कहा गया है कि—

[अनुवाद]

एक सहमति थी "मुझे इसके संबंध में एक समझौते का पता लगा है ।"

[हिन्दी]

क्योंकि मेरी अपनी राय है और उसको सोमनाथ जी सही इंटरप्रेट करेंगे—

[अनुवाद]

मैंने नहीं कहा है कि यह पूरा मामला न्यायसंगत नहीं है । नहीं । मैंने केवल यह कहा है कि इसमें कुछ पहलू हैं जो न्यायसंगत नहीं हैं ।

[हिन्दी]

जब मैं यह कहता हूं तो मैं अपनी तरफ से आस्था के सहारे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास यह बोम्बई की रिपोर्ट है, बोम्बई की रिपोर्ट के साथ-साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय है, वह निर्णय दिनांक 7-11-1989 यानी 7 नवम्बर, 1989 का है । उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय में अंतिम वाक्य यह है—

[अनुवाद]

यह संदेहयुक्त है कि मामले में शामिल कुछ प्रश्नों को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा हल किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

इसका अर्थ क्या होता है । ऐसे कई मुद्दे होते हैं, जिनके बारे में कोर्ट ही स्वयं कहता है कि यह मामला ज्यूडीशियल प्रोसैस से हल नहीं होगा । इस मामले में, मैं अंतुले जी से सहमत हूं कि यह मसला आज जिस रूप में बन गया है, जिस प्रकार का बन गया है और जितनी अधिक मात्रा में जनता इसमें उलझ गयी है, उसके बाद भी कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला भी कहां तक इम्पलीमेंट हो सकेगा, इसके बारे में हमेशा संदेह होगा ।

मेरा कहना यह है और जिसको कह सकते हैं—

[अनुवाद]

इस समस्या का समाधान मुकदमेबाजी नहीं है ।

[हिन्दी]

एक बात और है। परसों एक बहुत बड़े यहां के उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट हैं, सोमनाथ जी स्वयं भी इस बात की पुष्टि करेंगे, उन्होंने कहा है कि ये जितने सारे स्यूटस पैंडिंग हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने वे देखे हैं। उनमें कितने गवाह बताये गए हैं, गिनाये गए हैं, उनकी सूची भी उन्होंने देखी है। इसके आगे उन्होंने कहा है कि 250 के करीब गवाहों की लिस्ट तो उन्होंने देखी है, सब स्यूट्स भी नहीं देखे हैं और इन 250 गवाहों को अगर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच दूसरा कोई काम न करे, कोई काम न करे बल्कि सुबह से शाम तक और दिन-प्रति-दिन इसी बात को लेती रहे, तो भी सिविल प्रोसीजर कोड और जो कानून की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में, इसको हल करने में दो-तीन साल से कम समय नहीं लगेगा। और इस बीच में कुछ और मुद्दे आ जाएंगे। अब यह बात सुनने के बाद मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री जी ने यह बात क्यों लिखी, क्योंकि प्रधान मंत्री की कही हुई बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसकी चर्चा सन्तों से नहीं हुई, सन्तों से चर्चा हुई तो केवल यह कि चन्द्रशेखर जी ने जहां मामले को छोड़ा था उससे आगे बढ़ा जाए और चन्द्रशेखर जी को और उनकी सरकार को, उस समय आपकी पार्टी समर्थन दे रही थी। मुझे यह जानकर खुशी है कि चन्द्रशेखर जी ने जो दृष्टिकोण अपनाया था उसकी पुष्टि लिखित रूप से श्री राजीव गांधी ने एक पत्र में चन्द्रशेखर जी को लिखकर दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि केवल एक विषय की जानकारी करनी चाहिए और कोर्ट को उसी मामले में लाना चाहिए या न्यायाधीशों को उसी मामले में लाना चाहिए कि क्या किसी समय इस स्थान पर जिसको राम जन्म-भूमि कहा जाता है और जिसके ऊपर आज एक मस्जिद का ढांचा है, वहां किसी समय मंदिर था ? केवल एक पाइंट, और अगर था, तो यह हिन्दुओं के सुपुर्द कर दिया जाए, वहां वे अपना मंदिर बनाएं। यह दृष्टिकोण अपनाकर उन्होंने बातचीत शुरू की थी और यह दृष्टिकोण मानकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग बातचीत के लिए आए।

आज अगर यह एप्रोच अपनाई गई, तो नम्बर वन, समस्या का हल नहीं होगा, नम्बर दो, निर्णय करने के लिए इतने विषय होंगे, जिनके बारे में हरेक को कहना होगा, हरेक को कहने का अधिकार हो जाएगा। अगर कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि यहां राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, तो यह फैसला कोर्ट कर ही नहीं सकता है। सही बात है। कोई कहता है कि उनका तो इजिप्ट में जन्म हुआ था, कोई कहता है कि नेपाल में जन्म हुआ, कोई कहता है कि अफगानिस्तान में जन्म हुआ। इसीलिए अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर जब भी अदालत की बात कही जाती है और जब भी भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है, तो एक बिल्कुल गलत धारणा पैदा की जाती है और एक सीधा सवाल मुझसे पूछा मणि शंकर अय्यर जी ने। मणि शंकर अय्यर जी ने कहा कि आप तो संविधान की शपथ लेते हैं, तो अगर आपकी यहां की शपथ और बाहर की शपथ में कोई टकराव हो जाए, तो आप किसको मानेंगे ? मैं कहना चाहता हूं कि मेरी या मेरी पार्टी की संविधान के प्रति निष्ठा अनन्य है, अविभाज्य है। उसमें कोई इफ और बट नहीं है, कोई टकराव का सवाल नहीं है। मैं कोई टकराव नहीं देखता हूं। यों तो हर व्यक्ति की निष्ठा अपने परिवार के प्रति, वह जिस इंस्टीट्यूशन में काम करता है, उसके प्रति भी होती है। किसी को कहें कि तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति निष्ठा है, तुम्हारी संविधान के प्रति निष्ठा है, इन दोनों में टकराव हो जाए, तो क्या करेंगे ? निश्चित रूप से संविधान की निष्ठा सर्वोपरि है, लेकिन यह सवाल पूछ करके जिस प्रकार की धारणा सारे देश में पैदा की जा रही है, उससे किसका भला होगा ?

अध्यक्ष महोदय, चन्द्रशेखर जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्होंने कहा कि कुछ सफाई से बात होनी चाहिए। मैं इस मत का हूं कि सफाई से बात होनी चाहिए और इन्द्रजीत जी ने मेरे लिए कह दिया कि आप सफाई से बात करते हैं, और दूसरे भी करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सफाई से बात करने वाले जितने लोग हैं, वे सफाई से उत्तर दें। यहां पर सुलेमान सेट बैठे हुए हैं, उन्होंने कल सदन में कहा, आपने तो अपने उत्तर में जो जवाब दिया था, उसको कोट भी किया है, और मैं सुलेमान सेट जी को कोट करता हूं—

[अनुवाद]

मुझे बहुत खुशी है कि मस्जिद के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में मस्जिद की सुरक्षा की पूरी गारंटी दी है। उन्होंने यह राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में भी यह कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र में मस्जिद को पूरी सुरक्षा देने के लिए गारंटी दी गयी है। मैं यह उद्धृत करता हूं, "कांग्रेस को मस्जिद को गिराये बिना मंदिर का निर्माण करना है।"

[हिन्दी]

इससे वे संतुष्ट हैं, मगर पूरे संतुष्ट नहीं हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने विवादित ढांचे के बारे में नहीं कहा है बल्कि उन्होंने "मस्जिद" कहा है, मस्जिद की सुरक्षा से ढांचे की सुरक्षा अभिप्रेत नहीं है लेकिन इसका अभिप्राय है कि बाद में मूर्तियां हटा ली जायेंगी और मस्जिद को छोड़ दिया जायेगा।

[हिन्दी]

आपने बिल्कुल सफाई से बात कही है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी और बाकी सारे जितने लोग बोलते हैं, वे भी जरा सफाई से बात करें। मेरी मान्यता है कि आज हमारे ऊपर कोर्ट की अवहेलना, अवमानना, अवज्ञा के दोष बार-बार दिए जाते हैं जबकि सारे आन्दोलन की शुरूआत कोर्ट के आदेश के खिलाफ बनी हुई बाबरी एक्शन कमेटी से है। आज अयोध्या में जो कुछ भी है, मैं बाकी उदाहरण नहीं दूंगा, मैं समझता हूं सारे उदाहरण अनावश्यक थे और मैं इस बात से सहमत हूं जो यह कहते हैं कि अगर किसी और सरकार ने किसी कोर्ट की अवज्ञा की तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी। मैं जानता हूं कि नहीं करेगी। लेकिन मैं यह भी सावधान करना चाहता हूं कि देशभर में इस समय जो जनमानस है, जिसका जिक्र अभी हमारे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया और सही जिक्र किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की। मैं कहता हूं कि पूरे देश की चिन्ता कीजिए, केवल अल्पसंख्यकों की मनोदशा का वर्णन नहीं कीजिए।

आज अगर उनको यह बात बताई जाती है कि कलकत्ता में एक मस्जिद कानून के खिलाफ बनी, कार्पोरेशन की परमिशन के बिना बनी, एक्सट्रा बनी और हाई कोर्ट ने कहा कि ऐडीशनल जितना है उस स्ट्रक्चर को ढा दो, तोड़ दो। वहां की सरकार ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति हमारे लिए पैदा हो जाएगी। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं कहता हूं कि उनका अधिकार

है। उनका सरकार को आकर यह कहने का अधिकार है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी इसलिए आप हमको छूट दे दीजिए और हाई कोर्ट ने छूट दे दी। यदि इस बात की जानकारी सारे देश को होगी और वे कहेंगे कि अच्छा, उस मामले में तो आपने ऐसा किया और यहां के लिए हाई कोर्ट कहता है कि इसको ढा दो, तोड़ दो। उसका क्या परिणाम होगा। अच्छा होगा क्या?

आप शिकायत कर रहे थे कि सरकार ने एक्वीजीशन क्यों नहीं किया। यद्यपि आप एक्वीजीशन के आगे बढ़ गए थे, आप तो डिसमिसल तक पहुंच गए थे। लेकिन एक्वीजीशन नहीं किया उसका कारण है कि ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार प्रमाणिकता से कोशिश कर रही है, उनको कठिनाई है कि एक्वीजीशन करने के बाद ओपरेशन ब्लू स्टार फिर से करना पड़ेगा। यह वे नहीं चाहते। मैं समझता हूं कि समझदारी का काम किया, बुद्धिमत्ता का काम किया। उत्तर प्रदेश की सरकार के लोग हमको कहते थे कि आप ही कह दें कि एक्वीजीशन कर लो, हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन हमको लगता था कि यह तरीका ठीक नहीं है। आखिर सरकार का दायित्व है और उस दायित्व को उत्तर प्रदेश की सरकार भी निभाए। हम यह भी चाहते थे।

नेशनल इनटैगरेशन काऊंसिल की मीटिंग में कल्याण सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा और पालन करवाने की कोशिश भी करूंगा लेकिन अनुपालन करवाने की कोशिश में मैं सन्तों पर गोलियां चलाऊं, उसी प्रकार से करूं जैसा पूर्व सरकार ने 30 अक्तूबर या 2 नवम्बर को किया था, यह मैं करने वाला नहीं हूं। इसके लिए नेशनल इनटैगरेशन काऊंसिल मुझे जो दण्ड देना चाहे मैं लेने को तैयार हूं।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : यह केवल दिखावा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : ये आप हैं जो देश का ऐटमौसफीयर खराब कर रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, इन्द्रजीत गुप्ता जी ने एक बात की ओर ध्यान दिलाया उसके लिए मैं उनका आभारी हूं कि इस मसले की प्रतिक्रिया केवल देश में ही नहीं विदेश में भी हो सकती है। उन्होंने चिंता प्रकट की कि बंगलादेश में बसने वाले हिन्दू, वहां पर जो मन्दिर हैं, उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बंगलादेश के हिन्दुओं के बारे में वे चिन्तित हैं या बंगलादेश में जो मन्दिर हैं उनके लिए चिंतित है। मुझे संतोष होता अगर यही चिन्ता वे, जब अनन्तनाग में मन्दिर तोड़े गए थे या वहां से दो लाख हिन्दू निकाले गए, तब व्यक्त करते या पार्टियां व्यक्त करतीं।

आज हिन्दुस्तान में जो दोहरे मापदंड हैं वे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। सारे हिन्दुस्तान की सारी पोलिटीकल पार्टीज, एक प्रस्ताव उन्होंने पास किया हो···(व्यवधान) हमारे कश्मीर के दो लाख हिन्दू दर-दर भटक रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप यहां उपस्थित हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो काम पूर्व प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया है, आप करिए और आकर इनकी दशा देखिए।

जम्मू और यहां के कैम्पों में जाकर इनकी दशा देखिए कि उनकी कितनी दुर्दशा है। हिन्दुस्तान का सारा मीडिया अयोध्या के मसले को लेकर भरा हुरा है। सारे पत्र, पत्रिकायें अयोध्या को लेकर भरी हुई हैं और सारी पोलिटीकल पार्टीज और हरेक आदमी अयोध्या की ही बात करते हैं। जैसे कि इसका कोई भूत बना हुआ है; इसी की ही बात करते हैं जबकि वहां मन्दिर-मस्जिद का झगड़ा नहीं है। आप मुझसे सहमत नहीं होंगे लेकिन मैंने अनेक बार कहा है।

[अनुवाद]

कि यह मन्दिर-मस्जिद का झगड़ा नहीं है। यह मन्दिर तथा एक ऐसे भवन, जो मस्जिद नहीं है, के बीच विवाद है।

[हिन्दी]

वहां मस्जिद थी, लेकिन आज मस्जिद नहीं है, मस्जिद का ढांचा है और क्या मस्जिद में मूर्तियां रखी जाती हैं। रामलला की मूर्ति क्या मस्जिद में रखी जाती है···(व्यवधान)

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें इससे घोर आपत्ति है। यह बगल में बैठकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शाहाबुद्दीन, आपको यह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : कौन-सा शब्द महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपकी तो कथन-शैली परिष्कृत भी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए मैं आपकी भर्त्सना करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीमा-पार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहाबुद्दीन, आपको यह समझना चाहिए कि हम इस विषय पर बहुत ही सावधानी से चर्चा कर रहे हैं। जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है उनका इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं था। मैं जानता हूं कि आपकी कथन-शैली परिष्कृत है, आप किसी बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे। किन्तु मुझे समझ में नहीं आता कि आप इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आडवाणी जी से केवल एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब भूमि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन के प्रयोजन से अधिगृहीत की गई थी तो अधिग्रहण के पश्चात सरकार ने भूमि का कब्जा भी ले लिया होगा। तो विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल तथा अन्यों को कब्जा किस प्रकार दिया गया ?

दूसरे, कलकत्ता में जो मस्जिद है उसके बारे में जो आपने कहा है, केवल इसका एक भाग ही मंजूरशुदा नक्शे से बाहर है न कि पूरी मस्जिद। हालांकि मुझे इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है किन्तु, मैं पता करूंगा। यह बात नहीं है कि पूरी मस्जिद ही अवैध हो।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : कृपया सभा को गुमराह न कीजिए। आप भली-भांति यह जानते हैं कि मुसलमान बाबरी-मस्जिद में 450 वर्षों से अर्थात 1428 से, अप्रैल, 1949 तक पूजा करते आ रहे हैं। वे मूर्तियां अन्दर कैसे आ गयीं ? इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय में दायर किए गए शपथ-पत्र में यह कहा है कि मूर्तियां वहां लुक-छिपकर तथा अवैध रूप से आधी रात को रखी गई। यह सत्य है। न्यायालय ने मूर्तियां नहीं रखीं। मूर्तियां कुछ शरारती तत्वों द्वारा उस सरकार के कारण वहां रखी गयी तथा विधि न्यायालयों ने हमें यह कहा कि चूंकि मामला निर्णयाधीन है, हमें मजबूरन इबादत बन्द करनी पड़ी। हमने स्वयं इबादत करना बन्द नहीं किया। आज भी उस पर हमारा हक है और वहां से मूर्तियां हटते ही हम वहां फिर इबादत आरम्भ कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ठीक है, आपने कम से कम यह बात साफ की कि हम लोग उन मूर्तियों को हटाना चाहते हैं। जो सज्जन यहां बोले, वे भी इस बात से सहमत हैं, और कल्पना करिए कि आज एक वहां पर मूर्ति रखी है, कोर्ट के आदेश के अनुरूप, अनुसार। हाईकोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है···(व्यवधान) देखिए, यदि चाहें तो मैं पढ़कर सुना दूंगा कि (व्यवधान) अब, मैं बहस नहीं कर सकता, महोदय। अध्यक्ष जी, कोर्ट की अभिमति नहीं, कोर्ट ने कहा है कि पूजा जारी रहेगी, कोर्ट ने फैसला किया है कि दरवाजे खोले जाएंगे, हमने फैसला नहीं किया, किसी विश्व हिन्दू परिषद् ने जबरदस्ती···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय कब आया ? मूर्तियां तो मस्जिद के अन्दर थी हीं। निर्णय कब तथा किस न्यायालय द्वारा दिया गया ?··· (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 1950 में जिला न्यायालय···(व्यवधान)

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : मूर्तियों के मसले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं पूरा इतिहास नहीं सुनना चाहता हूं। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफीडेविट्स, जो उनके पास आये हैं, यह फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, उनके अनुसार 1936 के बाद किसी ने वहां पर पूजा नहीं की है, नमाज नहीं पढ़ी है···

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : 22 दिसम्बर, 1949 तक नमाज होती रही है। पण्डित नेहरू ने पण्डित पन्त को इस बारे में खत लिखा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : लेकिन मैं 1936 नहीं कहता हूं, मैं यह कहता हूं कि 1949 में, जब यह कहते हैं कि वहां पर मूर्तियां रखी गईं और 1950 में जब कोर्ट ने यह होल्ड किया कि 1936 से चूंकि वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई है, उनका कथन अगर असत्य है तो आज यहां पर दिन भर कोर्ट की दुहाई देने वाले उसको झूठा कहते हैं और कहते हैं कि मैं भी उसके कारण झूठा हूं लेकिन कोर्ट ने होल्ड किया कि 1950 के बाद यहां पर कोई पूजा अनन्त चलती रहेगी, नमाज कोई नहीं पढ़ेगा और उसके बाद से, 1950 के बाद से वहां पर कोई मुसलमान नहीं गया, यह बात बिल्कुल करेक्ट है।

श्री मुहम्मद युनुस सलीम (कटिहार) : यह सच है···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह सच है और अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आपने स्वीकार किया कि कोर्ट के आदेश से 1950 के बाद से लेकर वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। 1950 से लेकर वहां पर मूर्ति की पूजा होती रही है और कोर्ट के आदेश से ही दरवाजे खोले गए हैं, हमने नहीं खोले और कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट में चेलैंज हुआ था। हाईकोर्ट में चेलैंज हुआ··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुहम्मद युनुस सलीम : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया था तथा वह लम्बित है···(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं चाहूंगा कि श्री सोमनाथ जी अपने आपको कानूनी मुद्दों से अवगत कराएं क्योंकि वे मुझे सलाह दे रहे हैं। मुझे कानूनी मुद्दों का पता है। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद युनुस सलीम : मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप ऐसी कोई भी बात न कहें जो तथ्यों के विरुद्ध हो। मैंने पूरे मामले का अध्ययन किया है। मुझे पता है कि फैसला फैजाबाद न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा दिया गया था। एक रिट याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दायर की गई है। रिट याचिका लम्बित पड़ी है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब वह याचिका दायर की गई थी उस समय यह यथापूर्व स्थिति आदेश पारित किया गया था कि इमारत में कोई आगे सुधार या रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ताला खुला है। कम से कम यह सरकार बैठी हुई है, जिसके कार्यकाल में वह दरवाजे खोले गए और यह आरोप लगाया गया कि उस जज ने उस समय के किसी मंत्री के कहने पर किये थे। वह जज मुझे मिले थे और वह जज मुझे कहने लगे, मैंने उस मंत्री को कभी शक्ल ही नहीं देखी, जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है, यह उन्होंने मुझसे कहा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमने नहीं कहा। मन्दिर खुलवाने के लिए हिन्दू न्यायालय में गए थे, तथा न्यायालय के आदेशानुसार वहां पूजा की जा रही है; तथा उसी न्यायालय ने यह कहा है कि और आगे निर्माण नहीं किया जाएगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह मैं समझता हूं। उन्होंने कहा था कि न तो आगे कोई निर्माण होगा लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि आगे कोई पूजा नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : निर्माण कार्य बंद क्यों किया गया ? मुद्दा यह है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको बताऊंगा। अब, अध्यक्ष जी, एक गलतफहमी जो लगातार प्रकट हो रही है, मालिनी जी को जब मैंने सुना और यह गलती सोमनाथ जी ने नहीं की, उनको क्योंकि पता है···

[हिन्दी]

अब, अध्यक्ष जी, एक गलतफहमी जो लगातार प्रकट हो रही है, मालिनी जी को जब मैंने सुना और यह गलती सोमनाथ जी ने नहीं की, उनको क्योंकि पता है···

[अनुवाद]

अधिगृहीत भूमि—यह कोई विवादग्रस्त क्षेत्र नहीं है। विवादग्रस्त क्षेत्र तो इमारत है। (व्यवधान) मैं झुक नहीं रहा महोदय (व्यवधान)। आपका अपना दृष्टिकोण है। आप उसे बता चुके हैं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं दोनों में भेद बता रहा हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह आप आडवाणी जी से अन्तिम स्पष्टीकरण मांगेंगी। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने कहा है कि मुद्दा मन्दिर या मस्जिद का नहीं है। यह मस्जिद नहीं है क्योंकि यहां पूजा तो होती नहीं। क्या मैं विनम्रता से आपसे पूछ सकती हूं कि हमारे देश में ऐसे कितने मन्दिर हैं जहां पूजा नहीं की जाती ? क्या आप यह समझते हैं कि वे मन्दिर नहीं हैं ?

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, 2.7 एकड़ भूमि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अधिगृहीत की और जो भूमि ढांचे के नीचे है, इन दोनों भूमियों के प्रश्न थोड़े-थोड़े अलग हैं। इस समय जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हैं या इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिस पर सुनवाई हो रही है, वह 2.77 एकड़ की जमीन जो अधिगहीत की गई, उसके सम्बन्ध की है। मुझे स्मरण है—जिस समय सरकार अधिगृहीत कर रही थी, उस समय इस पर विचार हुआ कि पूरी की पूरी को क्यों न अधिगृहीत किया जाए। जहां पर मस्जिद का ढांचा खड़ा है और जहां पर रामलला की मूर्ति है। उसको और इसको मिलाकर के, जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने—श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार—पूरे को अधिगृहीत किया था, उसी प्रकार से हम भी क्यों न पूरे को अधिगृहीत करें। लेकिन जानबूझकर, सोच-विचार करके और सुविचारित ढंग से तय हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार कटुता पैदा न करे। हिन्दुस्तान के सारे मुसलमानों के मन में जो शंका है, वह शेष भूमि के बारे में नहीं है, वह शंका इस मस्जिद के ढांचे के बारे में है, इसलिए उसको एक्वायर न करके उसकी सुरक्षा करे। जो वचन उन्होंने नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल की मीटिंग में दिया उसकी सुरक्षा के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी सावधानी बरतती रहे। शेष को एक्वायर किया और शेष में ही शिलान्यास का स्थान था।···(व्यवधान)···मैं आपको बताता हूं, एक्वायर किया था पिलग्रिम्स की सुविधा के लिए।···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : टूरिज्म।···(व्यवधान)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सही बात है, टूरिज्म, पिलग्रिम्स···(व्यवधान)···आपको पता

नहीं है, शायद उन लोगों को पता है, कोर्ट के सामने जहां वह एफिडैविट दिया था, एबाउट टूरिज्म, एबाउट पिलग्रिम्स ट्रैफिक और इसी प्रकार से एक और एफिडैविट उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यह मानते हैं कि वह राम जन्म स्थान है तथा यहां पर मंदिर बनना है। हम समझते हैं कि मंदिर बनाने से भी यहां पर टूरिज्म का प्रमोशन और होगा और इसीलिए यह चीज···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब तो सरकार को ही मन्दिर का निर्माण करना चाहिए था। सरकारी भूमि को इस संगठन को कैसे दे दिया गया ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको बताता हूं। हमें स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से सबक सीखना चाहिए था। नेहरू जी की अध्यक्षता में सोमनाथ मंदिर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था (व्यवधान)। जो मंदिर पहले था उसे तोड़-फोड़ दिया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हमने नहीं किया और नेहरू जी ने, नेहरू जी की सरकार ने, सरदार बल्लभ भाई पटेल ने एक निर्णय किया, गांधी जी ने उसको कहा कि यह ठीक नहीं होगा मंदिर अवश्य बनाइए यह मेरा आशीर्वाद है लेकिन सरकार बनाए यह हम ठीक नहीं समझते। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट बनाइए, (व्यवधान) ट्रस्ट के माध्यम से बनाइए। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम इन दोनों को अलग जोड़ेंगे तो···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : न्यायालय ने कहा है कि इसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अब मैंने आपके सब जवाब दे दिए हैं, संतोष हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब संतगण हमसे मिलने आए थे तो उनके मन में 2.77 एकड़ की बात नहीं थी और 2.77 एकड़ का मामला मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसा संकेत किया है हो सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जितने सारे इस बारे में पेटिशंस हैं वे अपने पास मंगा लें। उत्तर प्रदेश की सरकार से इस प्रकार की याचिका उनको भी आ चुकी है। अगर वह फैसला जल्दी हो जाता है तो बहुत अच्छा है लेकिन आपसे जो बातचीत हुई और जिसके बारे में आपका सारा बयान है उसका सम्बन्ध तो उस ढांचे के बारे में है जहां पर पहले मस्जिद थी, जहां पर आज रामलला की मूर्तियां रखी हैं और जिसके बारे में मुझे पिछले दिनों में एक विचित्र अनुभव हुआ। मेरे एक मित्र हैं, ईसाई हैं, वे प्रकाशक हैं और उनसे मैंने निवेदन किया कि तुम भी जा करके उसको देख आओ, जरा प्रत्यक्ष देख आओ कि क्या तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है और वह वहां गए, लौट करके आए हैं, उसके बाद से लेकर के जो उनको मिलता है उनसे वह दो-तीन सवाल पूछते हैं। उनसे कहते हैं कि बाबरी मस्जिद के बारे में आपको जानकारी है वे

कहते हैं, है तो आप मुझे इन सवालों का उत्तर दीजिए। उनसे पूछते हैं कि उसकी मीनारें कितनी हैं, फिर सामने लिखते हैं दो हैं, चार हैं, छः हैं। फिर उनसे पूछते हैं प्रतिदिन वहां पर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं 10 पढ़ते हैं, 50 पढ़ते हैं या सौ पढ़ते हैं या इससे भी ज्यादा पढ़ते हैं। जितने लोग उनसे मिले हैं उनमें से कोई दो लिखते हैं, कोई चार मीनारें और कोई छः मीनारें लिखता है। कोई लिखता है कि 50 लोग जाते हैं, कोई लिखता है कि सौ लोग जाते हैं। जब वह उनको कहते हैं कि वहां पर कोई मीनार नहीं है और वहां पर 40-42 साल से कोई नमाज पढ़ने नहीं गया तो वह कहता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो इतना सारा विवाद किसलिए है और फिर जब वह यह बताता है कि इस स्थान से दो कि० मी० के रेडियस में कोई मुसलमान नहीं रहता, कोई मुसलमान नहीं बसता, तो फिर कहते हैं कि यह सारा विवाद किसलिए है, क्यों यह सारा विवाद है ?

अध्यक्ष जी, मैं मणिशंकर जी की पूरी बात सुन रहा था और मेरी शिकायत है कि यह जो भाषण यहां होते हैं, जिस प्रकार का प्रचार देश भर में होता है और जिस प्रकार का प्रचार सरकार की ओर से भी होता है, यह मंदिर और मस्जिद का विवाद है और मंदिर के जो लोग हैं, हिन्दू देश के, वे वहां पर मंदिर-मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम देश भर में, दुनिया भर में हमारे खिलाफ होगा, अगर हम इन तथ्यों की जानकारी दें। (व्यवधान) चाहे कोर्ट आर्डर से, गलत कोर्ट आर्डर होगा, लेकिन कोर्ट आर्डर से 40 साल से वहां पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ···(व्यवधान)···

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, श्री आडवाणी जी ने कहा है कि विवादित क्षेत्र कोई विवादित क्षेत्र नहीं है। अब वह तर्क दे रहे हैं कि विवादित ढांचा कोई विवादित ढांचा नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मालिनी जी, मुझे दुख है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

मेरी शिकायत है कि हिन्दुस्तान में फंडामेंटलिज्म, जिसको आप हिन्दू फंडामेंटलिज्म कहते हैं वह हिन्दू फंडामेंटलिज्म नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, ये संकुचितता है, साम्प्रदायिकता है जैसे जातीयवाद में संकुचितता आती है, साम्प्रदायिकता में संकुचितता आती है।

[अनुवाद]

आप इस बात को मान लीजिए कि इसमें अन्तर है। मैं कट्टरवाद की परिभाषा जानता हूं।

[हिन्दी]

मैं इसी कारण कह रहा हूं हिन्दुस्तान में फंडामेंटलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। हिन्दुस्तान में पूजा पद्धतियां इतनी हैं कि उसमें एक और पूजा पद्धति हो जाए तो कभी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक साइकी है, मेजारिटी साइकी है। जिस देश का विभाजन हिन्दू-मुस्लिम आधार पर हुआ और विभाजन होने के बाद पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक राज्य घोषित किया, लेकिन इस देश ने अपने को 'मजहबी' राष्ट्र घोषित नहीं किया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : कृपया मेरी बात सुनिए (व्यवधान) इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाये । कृपया हम लोगों से ऐसा न कहें ।

[हिन्दी]

भारत आपका है, भारत हमारा है, इसको आप अलग-अलग नहीं कर सकते । जो पाकिस्तान चाहते थे, वे चले गए, हम नहीं चाहते थे । (व्यवधान)

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : अंग्रेजों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी या आपने लड़ाई लड़ी थी, जेलों में हम गए थे या आप गए थे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आपकी बगल में बैठे हुए लोगों ने क्या किया ?

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : हम जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त हम कहते थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बहुत अच्छा किया ।

श्री मदन लाल खुराना : मुस्लिम लीग ने क्या किया, जो मुस्लिम लीग आज कांग्रेस के साथ बैठी हुई है ।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट : वह मुस्लिम लीग दूसरी थी, यह मुस्लिम लीग दूसरी है, दोनों अलग-अलग जमातें हैं । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने कोई गलत बात नहीं कही है । आप मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं ।

आपको पूरा अधिकार है मुझसे असहमत होने का, लेकिन मैं मानता हूं कि हिन्दुस्तान में बावजूद इसके कि हिन्दू-मुस्लिम आधार पर विभाजन हुआ, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अपने को इस्लामिक, मजहबी राज्य घोषित किया, लेकिन भारत ने मजहबी राज्य का तिरस्कार किया, मजहबी राज्य को अस्वीकार किया, देश को सैकुलर बनाया और यह इस कारण से हुआ कि यह हिन्दू बहुमत देश है और अगर हिन्दू बहुमत देश नहीं होता, मुस्लिम बहुमत देश होता तो यह भी इस्लामिक देश बन जाता, मजहबी राज्य बन गया होता । अभी-अभी बंगलादेश हमारी सहायता से बना और जब शुरू हुआ तो सेकुलर राज्य के नाते शुरू हुआ, लेकिन थोड़े सालों के बाद, 15 साल के बाद फिर से इस्लामिक राज्य, मजहबी राज्य हो गया ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का गर्व करता हूं कि हिन्दुस्तान की राज्य परंपरा, परंपरागत राजनीति शास्त्र मजहबी राज्य को कभी स्वीकार नहीं करता, सेकुलर राज्य को स्वीकार करता है ।

अभी वी० पी० सिंह जी ने सही बात कही थी, दशरथ के जमाने का कोटेशन दे रहे थे, वहां पर जाबाल जैसे व्यक्ति को ब्रह्म ऋषि माना गया, उसको अपने सलाहकारों में माना गया,

यद्यपि वे नास्तिक थे, यहां नास्तिक हो या आस्तिक हो, भगवान में विश्वास करता हो या न करता है, वे बड़े नास्तिक थे, उनको भी पूरा सम्मान दिया गया। बड़े-बड़े प्रवर्तक, जावत जीवं सुखं जीवं, ऋणं कृत्वा घृतं पीवे, भस्मी भूतस्य देहस्य, पुनरागमनः कितां कहने वाले चारवाक को भी ऋषि कहा, यह हिन्दुस्तान की परंपरा है। यह परंपरा नहीं है कि शाहाबुद्दीन जी की तरह, जामिया-मिलिया के वाइस चांसलर ने कह दिया कि बेन लगाना गलत था तो कह दिया कि इस्तीफा दीजिए, हमारी यह परंपरा नहीं है। और इस परंपरा को अगर हमारा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो यह परंपरा असहिष्णुता वाली परंपरा नहीं है।

इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं कन्क्लूड करता हूं, आपने इस पर बल दिया है कि आगे क्या करना चाहिए, इस पर सोचा जाए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो जिन संतों से बातचीत हुई थी, उनके मन से यह भ्रम दूर किया जाए कि आपका सुझाव क्या है, क्योंकि इस वक्तव्य में कंट्राडिक्शन है, एक तरफ तो यह कहा है कि जहां पर पिछली सरकारों ने छोड़ा था, वहां से आगे बढ़ाऊंगा, तो पिछली सरकारों ने, राजीव गांधी जी के पत्र के अनुसार, चन्द्रशेखर जी की घोषणा के अनुसार सीमित किया था सारे विवाद को एक मुद्दे पर कि यहां पर किसी समय मंदिर था या नहीं था और अगर मंदिर था, यह प्रमाणित होता है तो फिर यह सुपुर्द कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष जी, मैं सुझाव देता हूं, क्योंकि संविधान की बहुत चर्चा हुई है। हमारे संविधान में केवलमात्र यह तरीका नहीं है जो आपने इसमें उल्लिखित किया है। क्योंकि आपने जो बात कही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सारे मुद्दे यहां लाए जाएं और फिर उनके ऊपर निर्णय हो। जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इसमें सालों-साल लग जायेंगे और यह मामला चलता रहेगा। यह मेरी पार्टी के हित में होगा, देश के हित में नहीं है। इसलिए सभी को कहता हूं कि आपको क्या हो गया, आप बार-बार यह विषय उठाते हैं, हमारा क्यों भला करना चाहते हैं। ऐसा लगता है वे पार्टियां तब तक संतोष नहीं करेंगी जब तक मन्दिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी केन्द्र में शासनारूढ़ न हो जाए। मैं कहता हूं एक ही तरीका है इस मामले को समाप्त करने का। चन्द्रशेखर जी और राजीव जी ने जहां अपनी बात छोड़ी थी उससे आगे बढ़ कर आर्टिकल 143 का उपयोग करें।

[अनुवाद]

> "अनुच्छेद 143 के अनुसार : "राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श करे। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।"

यह जो भी हो, यह एक प्रश्न है। इसे अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा जा सकता है और जब यह परामर्श प्राप्त हो जाये।

[हिन्दी]

उसके बाद हरएक कहता है कि दो तरीके हैं—नेगोसिएशन या फिर कोर्ट। मैं नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि इस मामले में,

[अनुवाद]

मुकदमेबाजी की आवश्यकता नहीं है। हां, विचार-विमर्श ही इसका उत्तर है।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मुकदमेबाजी किसने शुरू की ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, विचार-विमर्श ही इसका उत्तर है। यदि विचार-विमर्श से समाधान नहीं होता तो दूसरा रास्ता मुकदमेबाजी का है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इसकी कोई पूर्व शर्त है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं, मैं इसके लिए कोई पूर्व शर्त नहीं रख रहा हूं। यह प्रधान मंत्री को देखना है कि उन्होंने जो बातचीत शुरू की है वह समाप्त हो। इसका दूसरा रास्ता मुकदमेबाजी है।

[हिन्दी]

चन्द्रशेखर जी और राजीव जी का मैंने उल्लेख किया। मैं जब लेजिस्लेशन की बात करता हूं तो मुझे वी० पी० सिंह जी ध्यान में आते हैं।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने शासन काल के अन्त में तथा रथ यात्रा के अंत में ऐसा सोचा था।

[हिन्दी]

और कहा कि चलो अब लेजिस्लेशन करके कर देते हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने अध्यादेश पारित किया तथा बाद में दबाव पड़ने पर उन्होंने इस अध्यादेश को वापस ले लिया तथा भारत के इतिहास में एक मिसाल कायम किया।

[हिन्दी]

एक आर्डिनेंस निकाला और एक ही दिन में निरस्त कर दिया। मैं यह सुझाव देता हूं, क्योंकि यहां पर बैठे हुए सब लोग, हमारी पार्टी को छोड़ कर एक लेजिस्लेशन के भागीदार हैं, जिसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई, किसी से बात भी नहीं हुई, एमीकेबल सेटलमेंट की कोशिश भी नहीं हुई। मेरी पार्टी ने अयोध्या को छोड़ कर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन विश्व हिन्दू परिषद् ने तीन स्थानों का सवाल उठाया। मथुरा का भी उठाया, काशी का भी उठाया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यहां बैठे हुए सदस्यों में से, जो कहते हैं कि आप क्यों नहीं

काशी की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने मुझे कहा कि मैं काशी होकर आया हूं और काशी में जब मैं गया था वहां की स्थिति को देखकर मेरा तो खून खौलता था। कांग्रेस पार्टी के मेम्बर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, उन्होंने मुझे कहा। (व्यवधान) लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिवाए अयोध्या के और किसी सवाल को नहीं उठाया। आप लोगों ने बाकी सारे हिन्दुस्तान के मन्दिरों-मस्जिदों के बारे में कानूनन फैसला कर दिया कि 15 अगस्त, 1947 को जो स्थिति थी वही रहेगी। उस कानून में लिखा हुआ है कि इस विषय में कोई मामला कोर्ट में यदि पैंडिंग हो तो वह भी निरस्त माना जाएगा। ठीक है, मैं शिकायत नहीं करता हूं, आपको उसका मैंडेट मिला हुआ है। लेकिन मैं विरोध करता हूं, मैं शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंडेट मिला है, आपके घोषणा-पत्र में लिखा हुआ है। जिस प्रकार मैं मैंडेट की बात करता हूं और आप विरोध करते हैं, आप विरोध न करिए।···(व्यवधान) लेकिन यह कहकर कहूंगा कि उस स्टेज में जब बात-

7.00 म० प०

चीत फेल होती है तो वह सफल नहीं होती और दूसरा कोई तरीका नहीं है। रेफरेंस देकर सरकार जो उचित समझती है, वह उचित करने के लिए संसद के पास आए और कानून बनाए। यह एक प्रैक्टिकल तरीका सुझाया है। इस दिशा में प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ें वरना जितनी बातें कहीं गई हैं वह सब निराधार साबित होंगी और यहां बैठे हुए बहुत से लोग खुश होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग करते, डिसमिस कर देते तो उसकी प्रतिक्रिया जो होनी होती तो उसका आनंद लेते। ···(व्यवधान) अब कुछ निराशा हुई है। यहीं नहीं बल्कि दूसरी तरफ बैठे हुए कुछ लोगों में भी है···(व्यवधान) जिस दिशा में परिस्थितियों ने मोड़ लिया है, वह सही दिशा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले में अपना दायित्व निभायेगी। अपनी पार्टी की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ओर से कोई कसर नहीं रहेगी।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में—जो अधिक ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद रहा है—28 सदस्यों ने भाग लिया है। इसके लिए मैंने कहा था, मैं इस बात के लिए सहमत था कि हमें इस पर पूर्ण चर्चा करनी चाहिए। अतः मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस वाद-विवाद के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उससे मुझे बहुत लाभ हुआ है।

हम समझौतों के दौरान जिन मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करना चाहते थे, वे शायद यहां भिन्न रूप में हमारे सामने आए हैं; और मेरे पास उन क्षेत्रों के संबंध में, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, और उनके बारे में ध्यान दिए जाने की जरूरत है, कुछ बेहतर योजनाएं हैं।

समझौतों के दौरान इस रहस्योद्घाटन के बारे में पता चल गया होगा। इस वाद-विवाद ने कुछ हद तक समझौतों की प्रक्रिया और समय-सीमा को कम कर दिया है। मैं इस सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है।

मैंने एक सीमित मुद्दे पर वक्तव्य दिया था। सीमित मुद्दा यह था कि मैंने कार सेवा रोकने का अपने आप निर्णय लिया था। यदि इस कार सेवा को नहीं रोका होता तो जिस ढंग से मैं या सारा देश इस मुद्दे का हल चाहता है, वह नहीं निकल पाता और यह मुद्दा एक दूसरा ही रूप ले

लेता। अतः कार सेवा को रोकने संबंधी इस सीमित मुद्दे ने मुझे इन साधुओं को बुलाने के लिए प्रेरित किया। वे मेरे कहने पर आए; और मेरी उनके साथ जो बातचीत हुई, उसे मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया है. यदि इस तथ्य, कि इस मामले का हल निकालने के लिए काफी समय पड़ा है, के अलावा और कोई अर्थ लगाया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि अपने वक्तव्य में मैंने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल वही बातें हैं जो बैठक में हुई थीं।

मैंने उन्हें यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मेरा पहला कार्य, श्री चन्द्रशेखर ने और पिछली सरकार ने इस कार्य को जहां छोड़ा था, वहीं से शुरू करना होगा। मैं अभी भी इस बात पर अडिग हूं। मैंने उस प्रक्रिया को पहले ही शुरू कर दिया है। एक या दो दिन में सभी कागजी कार्यवाही को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक सैल खोलने जा रहा हूं। क्योंकि हमने देखा है कि हमने जो प्रयोग किया है उसके परिणामस्वरूप अनेक दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। लेकिन आज मैं यह सही ढंग से कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वे भी दस्तावेज उपलब्ध हैं। अतः मुझे इन दस्तावेजों को, चाहे वे कहीं हों या किसी के भी पास हों, इकट्ठा करना होगा। इस मामले को दोबारा से तैयार करना होगा और यह कहानी का अन्त नहीं है। यह पूर्णतया सम्भव है कि अन्य दस्तावेज और साक्ष्य भी हो सकते हैं जिन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है और ये साक्ष्य भी उतने ही संगत सिद्ध हो सकते हैं। अतः मैं एक प्रयोग करूंगा और मैं इस बात का वायदा करता हूं कि मैं इस प्रयोग को चार महीनों के भीतर—चाहे यह तीन महीने के या साढ़े तीन महीने या चार महीनों के भीतर हो—पूरा करूंगा। मैंने इस बात को दूसरे सदन में भी स्पष्ट किया है जहां उन्होंने चार महीनों के बारे में कुछ शर्तें लगाई हैं। मैंने कहा था कि "आप चार महीने की अवधि के बारे में इतना जोर क्यों दे रहे हैं? आप 10 दिन कम कर दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा।" उनमें से एक ने कहा था कि यह अवधि 5 महीने की हो सकती है।

अतः भावना और शब्दों की बात करते हुए यदि इस लचीलेपन में कोई कमी आई है और किसी भी रूप में यह मुकरने वाली बात है तो मैं यह कहूंगा कि यह वास्तव में कोई अभीष्ट बात नहीं है। न तो वे और न ही मैं किसी विशिष्ट तिथि पर जोर दे रहे थे। इसके पीछे यही भावना थी कि यह प्रयोग पूरा होना चाहिए। लेकिन पुनः यह कहानी का अन्त नहीं है। क्योंकि जब मैं यह कहता हूं कि यह जरूरी है तो इसका स्पष्ट रूप से यह मतलब है कि यदि इस प्रयोग का वास्तव में मैत्रीपूर्ण ढंग से हल नहीं निकलता है और यदि यह कांग्रेस के घोषणा-पत्र के अनुसार नहीं है तो अगला कदम क्या होगा? अगले कदम के संबंध में मैंने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया था कि इस बारे में न्याय निर्णय की प्रक्रिया एक सदस्यीय प्राधिकारी द्वारा निपटाये जाने की प्रक्रिया का सहारा लिया जायेगा।

मुझे उस समय यह कहने का अधिकार नहीं था और अभी भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि शायद यह प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय ही हो। मैंने कोई एक प्राधिकारी के बारे में कहा था। मैंने उच्चतम न्यायालय का नाम नहीं लिया था क्योंकि मैं न तो उच्चतम न्यायालय के पास गया हूं और न ही मैंने उससे कोई अनुरोध किया है और मेरे लिए यह कहना असामयिक होगा कि इसके लिए कौन-सा न्यायालय या कौन प्राधिकारी होगा। मैंने केवल एक प्राधिकारी के बारे में कहा था। इसके पश्चात् यह बात भी सामने आई थी कि जब हम इस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं तो इस मामले में मैंने कहा था कि यदि प्राधिकरण को इस विषय के संबंध में अवगत करा दिया जाता है तो मैं उस प्राधिकारी को यह हुक्म देने की स्थिति में नहीं हूं कि किस समय-सीमा

के भीतर वह अपना अंतिम विनिर्णय दें। साधु तुरंत इस बात से सहमत हो गए लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आप कम-से-कम उनसे या उस प्राधिकारी से इस बात का अनुरोध नहीं कर सकते कि वे इस मामले का यथाशीघ्र निपटान करें। मैंने कहा था कि हां प्रत्येक वादी को, प्रत्येक पक्षकार को इस बात का अधिकार है। वास्तव में मैं अभी भी उच्चतम न्यायालय में पक्षकार नहीं हूं। लेकिन अभी भी हम, यथास्थिति न्यायालय या प्राधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं कि वह इस मामले को शीघ्र निपटायें क्योंकि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही का मत है कि यह एक अत्यावश्यक और विशिष्ट मामला है। अतः वे इस मामले की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिन-प्रति-दिन इस मामले पर विचार कर रहे हैं। अतः इस संबंध में किसी प्रकार का अन्तर्विरोध नहीं है और मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं। अब मैं आपको बता दूं कि वास्तव में क्या कुछ हुआ है। मैंने क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था; इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न यह है कि इसमें क्या अन्तर्विष्ट है। लेकिन हम इस पर विचार करेंगे।

इस बारे में सभी ओर तर्क-वितर्क प्राप्त हुए हैं। इससे मुझे बहुत आशा बंधी है। जब आप समझौते की पहली अवस्था में हों तो मुझे या किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यदि प्रत्येक पक्षकार इसका परम रूप से समर्थन करता हो।

इस प्रकार हमने समझौते की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें कुछ उतराव आए हैं, कुछ आदान-प्रदान हुआ है, एक प्रक्रिया को अपनाया गया है और इस प्रक्रिया में हम अन्ततोगत्वा लघुत्तम और महत्तम तक ही पहुंचे हैं। यह एक प्रक्रिया है। समझौते में कहीं भी कोई भी रियायत की बात नहीं करता है।

अतः आज के इस वाद-विवाद के पश्चात् मैंने यह देखा कि इस मामले में इस सभा के सभी सदस्यों, सभी वर्गों ने अपनी-अपनी राय भली-भांति व्यक्त की है। मुझे आशा है कि चार माह अथवा तीन माह और पच्चीस दिन के पश्चात् यह स्थिति नहीं रहेगी।

इसलिए हम दूसरा प्रयोग करेंगे। चर्चा और समझौते को जारी रखते हुए, जैसा कि कल हुआ था, आज हम उन क्षेत्रों, जो प्राधिकारी के समक्ष मुद्दे हो सकते हैं, को निर्धारित करेंगे। हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि हम एक मामले पर विचार करें अथवा दो मामलों पर या 240 साक्षी होने चाहिएं या 520 साक्षी। मेरी समझ के अनुसार सम्पूर्ण मुकदमा अंतर संबंधित है। अन्यथा ऐसी बात नहीं होती। मामला चाहे क न्यायालय में हो या ख न्यायालय में। वह आपस में संबंधित है। यदि अलग करने जैसी कोई चीज होगी, तो हम उसे अवश्य अलग करेंगे। लेकिन यदि मैं किसी मामले में न्याय निर्णय चाहता हूं और यह न्याय निर्णय उसी समय किसी अन्य लम्बित मामले के कारण निष्फल हो जाता है तो मेरी कोशिश का क्या परिणाम निकला।

अतः ऐसे मामलों, मुकदमे के उन भागों, जिनसे वास्तव में अपेक्षित परिणाम निकल सकते हैं, के समेकन के लिए बात होनी चाहिए। मैं इसे थोड़ा-थोड़ा करके नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसे थोड़ा-थोड़ा करके तभी कर सकता हूं जब हम समझौता कर रहे हों।

चन्द्रशेखर जी ने एक प्रक्रिया शुरू की थी। मैं भी इसे शुरू करूंगा। हम आगे बढ़ेंगे। यदि यह प्रक्रिया वास्तव में निष्फल होती तो मैं दूसरी प्रक्रिया कभी शुरू न करता। मैं इसे वहीं पर रोक देता और संसद में आकर कहता कि ऐसा हुआ है और हर एक इस बात से खुश होता।

परसों जब मैंने यह वक्तव्य दिया था तब से मैं संगठनों के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूं। बाबरी मस्जिद एक्शन समिति के प्रतिनिधियों से; बाबरी मस्जिद समन्वय समिति के प्रतिनिधियों से मैं मिला हूं, मैंने लोगों से अलग-अलग भी बात की। आज रात भी, यदि ज्यादा देरी न हो तो—यहां तक कि अभी भी--मैं कुछ और प्रतिनिधियों से मिलूंगा जो आ रहे हैं। मैंने यह अनुरोध किया है कि धार्मिक नेताओं से अनुरोध किया जाए और उन्हें इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे मुझसे बात करें ताकि मैं इसके धार्मिक पहलू को समझ सकूं। यदि मैंने साधुओं से बात की होती तो मैं समान रूप से धार्मिक नेताओं, मुस्लिम धार्मिक नेताओं, इस्लामिक धार्मिक नेताओं से बात करने को तैयार—वास्तव में उसी प्रकार से उत्सुक—रहता, ताकि मैं उनके विचारों को समझ सकता।

अत: मैं एक नये सिरे से शुरू कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से इसमें दूसरों को भी शामिल करने जा रहा हूं। यह मेरे करने का और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुझे सहयोग देने का प्रश्न नहीं है। मैंने विश्वनाथ जी को, आडवाणी जी को इस संबंध में बता दिया है। मैंने सभी को बताया है कि यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें सभी को शामिल करना होगा। आखिर यह कोई ताश का खेल नहीं है और ऐसे मामले को ताश का खेल बनाने का प्रलोभन अत्यधिक खतरनाक है। क्योंकि कोई भी इस श्रेय से मुक्त होना और वंचित रहना नहीं चाहता। वास्तव में, यदि कुछ नहीं होता तो सरकार चाबुक मारने वाली हो जाती है। वह ठीक है। यह परिणाम है। वह सरकार में रहने का तर्क है। परन्तु मेरा अपना आत्मविश्वास है कि यह समाधान योग्य है। इसका समाधान किया जा सकता है।

इसलिए मैंने सभी आकस्मिकताओं को दृष्टि में रखा है। उन आकस्मिकताओं को उचित प्रकार से और सावधानी से तैयार करना होगा। सोमनाथ जी ने कहा है, "अत्यधिक सावधान रहिए"। हां, मैं अत्यधिक सावधान रहूंगा। कोई परेशानी नहीं।

मैं उतना जल्दबाज नहीं हूं जितना कि कुछ सदस्य समझते हैं। वास्तव में कहा यह जाता है कि मैं अत्यधिक सावधान हूं। महोदय, सावधान रहकर गलती करना दूसरी ओर की तुलना में एक बुद्धिमतापूर्ण निर्णय है। विश्व ही इसका निर्णय करेगा; देश ही इसका निर्णय करेगा। अत: मैं तो केवल यही कहूंगा। मैं यह कार्य संसद् की शुभकामनाओं के साथ आरम्भ कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि इस देश को लाखों लोगों के समर्थन से मैं इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा कर लूंगा। इस बार यह प्रयास सफल होगा। पिछली बार हो सकता है कि उनके पास पर्याप्त समय न रहा हो या कोई और करता रहा है। हम जानते हैं कि मामला किस बिंदु पर आकर रुकेगा। अब हमें इसे वहीं से आरम्भ करना होगा। और यदि इसमें कोई अन्य उलझाव, जटिलताएं हैं, तो हमें उस ओर ध्यान देना होगा। उस बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं है जो मैं इस समय प्रस्तुत कर सकूं। प्रत्येक व्यक्ति जो स्पष्टीकरणों के लिए कह रहा है, प्रत्येक माननीय सदस्य भलीभांति जानता है कि यह समय और अधिक स्पष्टीकरण देने का नहीं है क्योंकि जब आप इस सदन में जोरदार ढंग से दिए जा रहे तर्कों को सुन ही रहे हैं तो मुझसे किस प्रकार के स्पष्टीकरण चाहते हैं? रामायण, महाभारत का दर्शन क्या है, जिसकी हमने यहां चर्चा नहीं की है? मुझे अत्यधिक खेद है। तुलसीदास भी !···(व्यवधान) मैं नहीं जानता कि यह सदन राम भक्तों से भरा हुआ है, आदि-आदि। अत: हमें इस प्रकार की चर्चा को रोक देना चाहिए। जो कुछ निष्कर्ष निकला है वही ठीक है। यदि कोई महत्वपूर्ण मामला सामने आया है

तो वास्तविकता यह है कि यह विषय अपने आप में इतना सामान्य नहीं है जैसा कि यह दिखाई पड़ता है। यह अनेक अन्य बातों, जैसे अभियोग पर तथा सद्भावना की आवश्यकता पर निर्भर है जिस पर शायद पर्याप्त जोर नहीं दिया गया है। मैं महसूस करता हूं कि इसका रास्ता निकल सकता है। हमें इच्छाशक्ति का इजहार करना होगा। मुझे यकीन है कि अभी तक हुई सभी बातचीतों के बावजूद, सदन के सभी वर्गों और इस प्रकार राष्ट्र के सभी वर्गों ने इसका रास्ता खोजने के लिए इच्छाशक्ति दिखाने का निर्णय कर लिया है।

व्यक्तिगत रूप से जब मैंने नेताओं से बातचीत की थी तो मैं यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ कि उनमें से प्रत्येक ने पार्टी के वायदे के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी वायदा किया था कि वे मेरे साथ मिलकर कार्य करेंगे, हम सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। यह सच है कि संसद् में उस प्रकार का वायदा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे अपने-अपने कारण हैं। इसलिए, हमें किसी ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते रहना है जिसे हम किसी अनुकूल संदर्भ में देना चाहते हैं। यह ठीक है। परन्तु बात यह है कि अब तक मैंने सदस्यों, संतों और संगठनों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से जो कुछ भी सुना, उससे मैं अत्यधिक प्रोत्साहित हुआ हूं। मुझे यकीन है कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। इससे एक दिशा मिली है। देश में एक नयी प्रवृत्ति पैदा हुई है। यह सत्य है कि विचारों में भिन्नता हो सकती है। इस पर भी ऐसी प्रवृत्ति प्रतीत होती है कि हम सभी को एक सर्वमान्य समाधान ढूंढना चाहिए। और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो कोई भी राजनैतिक दल इस प्रवृत्ति के विरुद्ध जाकर कुछ हासिल करने वाला नहीं है। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। यहां मैं देखता हूं कि दोनों ही पार्टी निस्वार्थ हैं। आडवाणी जी कहते हैं कि आप हमें दिल्ली में ही बैठाना क्यों चाहते हैं। वे कहते हैं कि वास्तव में वे हमें यहां धकेल रहे हैं। मुझे खेद है। न तो ये आपको धकेल सकते हैं और न ही आप उन्हें धकेल सकते हैं। जनता में कहीं अधिक बुद्धिमत्ता है। अतः इस संबंध में हमें वास्तव में इस प्रकार के आदान-प्रदान की आवश्यकता नहीं है। आओ हम शुभारम्भ करें और मैं आशा करता हूं कि हमने वास्तव में जो भी समय-सीमा निर्धारित की है, यदि प्रयास सार्थक हुए, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि न तो साधु, न ही कोई अन्य मुझे और 10 दिन का अथवा एक महीने का समय देने का विरोध करेगा क्योंकि परिस्थितियों की एक शक्ति, सफलता का प्रभाव स्वयं इसका इजहार कर देगा क्योंकि सफलता से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। अतः मैं सदन के समक्ष यही कुछ कहना चाहता था और मैं माननीय सदस्यों के सुझावों के लिए पुनः उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रश्नों के उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं जानता हूं कि प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की जरूरत है।

इसका तात्पर्य यही है। इस वाद-विवाद का निष्कर्ष यह है कि अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। यहां अनेक ऐसी बातें हैं जिन पर हमें विचार करना होगा और अत्यधिक विस्तृत कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमने यही करना आरम्भ कर दिया है। अतः हम···(व्यवधान)

[हिन्दी]

धीरे-धीरे तो नहीं, मगर बहुत ज्यादा, इतनी भी छलांग न लगायें कि टांग टूट जाए। यह भी ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि निर्माण कार्य वास्तव में रुक गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं जानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मेरे विचार से आडवाणी जी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी बातचीत को जारी रखने और कुछ करने के लिए निर्माण कार्य को रोकना बिल्कुल आवश्यक है। निर्माण कार्य रुक गया है। अब उसमें कोई भी अस्थायी मरम्मत कार्य नहीं होना चाहिए। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें मनाने में कामयाब हो जाऊंगा और मैं नहीं जानता कि कोई भी इसके विरुद्ध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्लेटफार्म (चबूतरे) का प्रयोग कैसे किया जाएगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हम देखेंगे कि यह चबूतरा है अथवा एक मन्दिर है। इसे चबूतरा किसने कहा है ? इसे मन्दिर कौन कहता है ? आपने सभी बातें उठाई हैं। आप इस वक्त मुझसे उत्तर की अपेक्षा क्यों करते हैं ? इन मुद्दों को उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं कह सकता हूं कि चर्चा वास्तव में अत्यधिक उत्तरदायी और जानकारीवर्धक रही है ? सभी दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों को बधाई तथा अन्य उन सदस्यों का भी धन्यवाद जिन्होंने भाषणों को शांतिपूर्वक सुना है।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नाली) : मैं कामना करता हूं कि ईश्वर इस समस्या का समाधान करने में हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों में सहायता करें।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामेश्वर ठाकुर वक्तव्य देंगे।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) आयकर अधिनियम के अधीन रियायत

7.22 म० प०

[अनुवाद]

वित्त संराज्य में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं आयकर अधिनियम के अध्यधीन एक महत्वपूर्ण रियायत की घोषणा करने के उद्देश्य से संसद में यह वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सदस्यों को यह याद ही होगा कि दिनांक 24 जुलाई, 1991 को माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट-भाषण में सरकार के इस निर्णय की घोषणा की थी कि साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक निधि की स्थापना की जाएगी। अब राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सौहार्द निधि की एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापना की गई है। सरकार द्वारा इस निधि को दी जाने वाली अनुदान-सहायता के अलावा इसे

निधि को व्यष्टियों तथा अन्य दानकर्त्ताओं से प्राप्त होने वाले अंशदानों पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्प्रेरक निधि के रूप में भूमिका निबाहने के संदर्भ में इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए तथा इसके साथ ही साम्प्रदायिक दंगों में प्रभावित हुए परिवारों के बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के क्षेत्र में इसकी गतिविधियों के स्वरूप पर विचार करते हुए मुझे सरकार के इस निर्णय की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि इस निधि में अंशदान करने वाले दानकर्त्ताओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन शत-प्रतिशत कटौती की अनुमति दी जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 10(23-ग) में इस निधि के नाम को शामिल करके इसकी आय को आयकर से छूट दी जाएगी।

इसके संबंध में आवश्यक संशोधन अगले वित्त विधेयक में किए जाएं।

(दो) श्रीनगर में हमले और डोडा कस्बे में स्थिति

7.24 म० प०

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : मैं इस सदन को, दिनांक 20 जुलाई, 1992 को श्रीनगर स्थित जम्मू एवं कश्मीर के नए राज्य सचिवालय एवं विधानसभा भवनों पर रॉकेट से किए गए हमलों की घटनाओं और जम्मू क्षेत्र के डोडा कस्बे की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

2. जम्मू एवं कश्मीर में यद्यपि अभी भी स्थिति कठिन और चुनौतीपूर्ण है लेकिन पिछले कुछ महीनों में, इसमें बेहतरी की दिशा में काफी परिवर्तन आया है। फिर भी, पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों ने हिंसा में वृद्धि करने के फिर से प्रयास किए हैं। आतंकवादी गिरोहों को यह सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि बातचीत के जरिए समस्या के हल के लिए कार्य कर रहे राजनैतिक नेताओं का चुनिन्दा ढंग से सफाया कर दिया जाएगा। घाटी में राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं को कुछ धमकियां भी दी गई हैं। दूसरी ओर सकारात्मक संकेत भी मिलने जारी हैं। आतंकवादियों के खिलाफ स्वेच्छा से सूचना देने के अतिरिक्त जनता और प्रशासन के बीच सम्पर्क बढ़ा है।

3. 20 जुलाई, 1992 को 13.00 बजे श्रीनगर स्थित जम्मू एवं कश्मीर विधान सभा भवन पर एक रॉकेट दागा गया। इससे भवन को मामूली क्षति पहुंची। आधे घंटे बाद, नए राज्य सचिवालय पर दूसरा रॉकेट दागा गया, जो निशाने पर नहीं लगा और नए राज्य सचिवालय के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति के मकान पर इस रॉकेट का एक टुकड़ा गिरा। इससे कोई हताहत नहीं हुआ। धमाके के प्रभाव से टूट गए शीशों और रॉकेट के टुकड़ों से दो कर्मचारियों को मामूली चोटें लगीं। चूंकि रॉकेट को दूर से फेंका गया था, इसलिए भवन को मामूली नुकसान पहुंचा।

4. दिनांक 18 जुलाई, 1992 को डोडा कस्बे में सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों के हमले और बाद में जवाबी गोलीबारी की एक घटना की सूचना प्राप्त हुई है। जम्मू और कश्मीर सरकार को यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि उग्रवादी डोडा कस्बे में, एक घर में छिपे हुए हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक-एक पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की एक टुकड़ी ने 18 जुलाई, 1992 को 10.30

थे उनके छिपने के स्थान पर छापा मारा। आतंकवादियों ने छापा मारने वाले दल पर हथगोला फेंका, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक उप-निरीक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक हैड-कांस्टेबल घटनास्थल पर ही मारे गए। इसके बाद आतंकवादियों ने आस-पास के कुछ मकानों से गोलियां चलायीं। सुरक्षा बलों ने गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और कूमुद मंगायी गयी। गोलीबारी के दौरान डोडा के दो निवासी मारे गए। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन कार्मिक, और एक परिवीक्षाधीन उप-निरीक्षक जख्मी हुए। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के गंभीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को उपचार के लिए जम्मू में अस्पताल में भेजा गया। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी और हथगोले फेंके जाने के दौरान, आग भी लग गयी, जिससे उस क्षेत्र के 6 मकान और 28 दुकानें प्रभावित हुईं। उसके तुरन्त बाद वहां नजदीक में पहले से तैनात सेना की मदद मांगी गई और एहतियाती उपाय के रूप में कर्फ्यू लगाया गया। स्थिति को नियंत्रित किया गया और अब भी नियंत्रित है। 19 जुलाई को राज्यपाल के सलाहकार ने, पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ, स्थिति का जायजा लेने के लिए कस्बे का दौरा किया। तब से दिन में कर्फ्यू में ढील दी गई और कोई अप्रिय घटना सूचित नहीं की गई।

5. जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि यह रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद है कि उग्रवादियों ने डोडा कस्बे के किसी भाग को या किसी पुलिस स्टेशन और सरकारी कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है।

नियम 377 के अधीन मामले

7.29 म० प०

(एक) मध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में चाय और कॉफी के बागान लगाने का प्रयास करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मोहन लाल झिकराम (मंडला): अध्यक्ष महोदय, चाय एवं कॉफी जो कि अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में हैं एवं साथ ही हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के अन्तर्वर्त अमरकंटक क्षेत्र में चाय की खेती प्रारम्भ करके देश के लिए और भी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहां बेरोजगारी की समस्या भी है। इस क्षेत्र की भूमि, वर्षा, तापमान एवं अन्य वातावरण चाय एवं कॉफी की खेती के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त है, क्योंकि लगभग चार वर्ष पूर्व डिंडोरी वन विभाग द्वारा अमरकंटक के पास जगतपुर एवं चांडा वन ग्राम में कॉफी के पौधे 5 हैक्टेयर भूमि में लगाए गए थे जो आज भी तीन से चार फुट ऊंचे मौजूद हैं एवं पिछले एक साल से निरन्तर फल दे रहे हैं। इस दिशा में सन् 1988 में जबलपुर टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने कलकत्ता चाय व्यवस्था प्रकोष्ठ से प्रेरणा पाकर सिलीगुड़ी (बंगाल) से पांच चाय के पौधे लाकर वन विभाग से निवेदन करके जगतपुर कॉफी बागान के एक किनारे लगाए थे। जो डाई साल तक पूर्ण रूप से सुरक्षित रहकर बड़े होते गए।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह वन विभाग के अधिकारी टी बोर्ड कलकत्ता एवं चाय की खेती से सम्बन्धित अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों को आदेश दे ताकि मध्य प्रदेश का यह क्षेत्र भारत के अन्य चाय-कॉफी उत्पादक क्षेत्रों से जुड़ जाए। यह हमारे प्रदेश के लिए ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि कहलाएगी।

(दो) केरल को चावल की आपूर्ति में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : श्रीमान्, जुलाई, अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर के महीने—मानसून की अवधि—केरल में आम आदमी के दैनिक जीवन के लिए कठिनाई का समय होता है। इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं।

देश में केरल ही ऐसा राज्य है जहां अनौपचारिक राशन प्रणाली है; और यह चावल उत्पादन में कमी वाला राज्य भी है। केरल को केन्द्र से इस समय 1,50,00 मीटरी टन चावल (मांग 1,83,00 मी० टन की है) तथा गेहूं का आबंटन केवल 30,000 मी० टन है।

केरल का राष्ट्रीय पर्व ओणम इस वर्ष सितम्बर में है। केरल में सभी लोग ओणम को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और इस पर्व के समय यदि इन वस्तुओं के उचित मूल्य पर वितरण के लिए कुछ कारगर उपाय न किए जाएं तो खुले बाजार में इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। पर्व के समय चावल उपभोग की मात्रा बढ़ जाती है। इस तथ्य को देखते हुए राज्य सरकार इस मौके पर प्रति राशनकार्ड पांच किलो ग्राम चावल विशेष रूप से देना चाहती है। राज्य में 50 लाख राशन कार्ड धारक हैं। अतः एक महीने में विशेष रूप से चावल देने के लिए 25,000 मी० टन चावल की आवश्यकता होगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और राज्य को दिये जाने वाले चावल के मासिक आबंटन को जुलाई, 1992 से अक्तूबर, 1992 तक 4 महीनों के लिए 1,50,000 मी० टन से 1,65,000 मी० टन बढ़ाने के लिए आवश्यक आदेश दे और अगस्त-सितम्बर, 1992 के दौरान ओणम के लिए विशेष तौर पर चावल का वितरण करने के लिए 25,000 मी० टन चावल विशेष रूप से आबंटित करें।

(तीन) सफाई कर्मचारियों के कल्याण लिए आरम्भ की गई योजनाओं का कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मंगलराम प्रेमी (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान सफाई कर्मचारी वर्ग की दुर्दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, सफाई कर्मचारियों को 10-10 महीनों का वेतन नहीं मिलता, इनके फंड, सबसिडी आदि का कुछ पता नहीं रहता। ये मेहनत, मजदूरी करके भी भूखे मरते हैं और कर्ज लेकर अपना गुजारा करते हैं जिससे इन्हें बाद में नुकसान होता है कहीं-कहीं पर तो ठेके पर सफाई का कार्य होता है और ठेकेदार लोग 10-20 रुपये में इनसे काम कराते हैं और स्वयं 100 और 50 रुपये रोज लेते हैं। कहीं सरकारी संस्थाओं में सवर्ण महिला-पुरुषों को इस काम के लिए रखा गया है किन्तु ये लोग

स्वयं यह कार्य न करके इनको 50 रुपये या 100 रुपए प्रतिमाह पर रख लेते हैं और अपना काम इनसे कराते हैं।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए सरकार ने जो 560 करोड़ रुपए की योजना बनाई है उसके क्रियान्वयन की समीक्षा की जाए एवं संबंधित समिति में सफाई कर्मचारियों का भी प्रतिनिधि होना चाहिए जिससे इस योजना को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके।

(चार) मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे किसानों को दिए गए कर्जों को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) : महोदय, म० प्र० के नर्मदा नदी के किनारे बसे जिलों के हजारों किसानों ने बार-बार पड़ने वाले अकाल एवं वर्षों से बचने के लिए एवं देश और प्रदेश को अकाल के समय खाद्यान्न एवं अन्य अन्य फसलें पैदा करके देने के लिए नर्मदा नदी को नव्वहन सिंचाई योजना-राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर्ज लेकर पाइप लाइन डाल कर अपने खेतों में सिंचाई का प्रबंध किया—इसके लिए एक लाख से लेकर दस लाख रुपये तक कर्ज लिया। बैंक के कृषि विशेषज्ञों ने सही राय नहीं दी, अलाभकारी पाइप लाइन योजनाएं डलवा दीं। रासायनिक खाद, बीज, दवा, मजदूरी में डो से दुगनी वृद्धि हो गई। प्रतिकूल मौसम और संक्रामक रोगों के कारण वर्ष दर वर्ष किसान घाटे में चला गया और आज उस पर बैंक ब्याज दर भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.5 प्रतिशत कर दी गई। इन सब कारणों से किसान का कर्ज भी दो गुना या इससे अधिक बढ़ गया है। म० प्र० सरकार की कर्ज मुक्ति और केन्द्र सरकार की कर्ज मुक्ति का लाभ भी इन किसानों को नहीं मिला।

आज हजारों किसान बरबादी की कगार पर खड़े हैं। आर्थिक हालत जर्जर हो गई है। आज वे इस स्थिति में नहीं है कि कर्ज चुका सकें।

इन किसानों की खेती को भी बीमार मानकर उद्योगों जैसा इनका कर्ज माफ किया जाए। कर्ज माफी के बाद भी सरकार घाटे में नहीं रहेगी क्योंकि इन किसानों ने देश का जितने एकड़ का सिंचाई रकबा बढ़ाया है, सरकारी बांध, तालाब योजना से उसका आधा रकबा भी सिंचित नहीं होता। देश को सिंचाई रकबे का सिंचाई लाभ हो गया है। इन बैंकों द्वारा किसानों से सख्ती से वसूली की जा रही है। उनकी भूमियां बिक जाएं तब भी सारा कर्जा नहीं चुका सकते। यही ठीक समय है जब किसानों को सच्ची राहत दी जा सकती है।

(पांच) कानपुर नगर तथा देहात को प्रदूषण मुक्त सुनिश्चित करने की आवश्यकता

श्री केसरी लाल (घाटमपुर) : अध्यक्ष महोदय, कानपुर नगर व देहात केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सर्वाधिक प्रदूषित नगर हैं। प्रदूषण का स्तर इतना व्यापक और भयानक है कि इससे समस्त जीवधारियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। कानपुर देहात में पांडू नदी का प्रदूषण अधिक है जिसमें मछलियां तक मर गई हैं। परिणामस्वरूप कानपुर देहात में बघेलियों को पीने के पानी के लिए अत्यधिक कठिनाई होती है। पांडू नदी के प्रदूषण के लिए वैसे तो अनेक कारण जिम्मेदार हैं लेकिन लोहिया मशीन के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण के कारण यहां की स्थिति अत्यधिक दयनीय है तथा नदी के प्रदूषण के लिए लोहिया मशीन ही सर्वाधिक जिम्मेदार है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि कानपुर देहात में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारणों तथा फैक्ट्रियों की जांच की जाये तथा वहां पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण रोधी यन्त्र लगवाये जायें और ऐसा न करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाये जिससे कि क्षेत्र के लोग प्रदूषण रूपी दानवी समस्या से मुक्ति पा सके।

(छ:) उड़ीसा के सम्बलपुर में सभी सुविधाओं से युक्त दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमान्, दूरदर्शन कवरेज के क्षेत्र में उड़ीसा, जो एक पिछड़ा क्षेत्र है और जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता बहुत अधिक है, राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र में अधिक ध्यान देना चाहिए।

अत:, संबलपुर में दूरदर्शन का एक परिपूर्ण स्टूडियो तुरन्त खोला जाए। शुरू में आवश्यक रिकार्डिंग, निर्माण तथा संपादन की सुविधाएं छोटे पैमाने पर शुरू की जाएं तथा कुविंडा, देवगढ़ और पेलियारा में कम शक्ति के ट्रांसमिशन केन्द्रों की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाए। रिक्तियों को शीघ्र भरा जाए और वहां से क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन शुरू किया जाए।

(सात) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में रेलवे कोच फैक्टरी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जनपद सर्वाधिक पिछड़ा जनपद है। यहां जनसंख्या का घनत्व 575 वर्ग किलोमीटर है जबकि पूरे प्रदेश में यह घनत्व 377 है। यहां 82 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका कृषि पर निर्भर है। इसमें सीमान्त किसानों की संख्या सर्वाधिक है और उनसे जोत का प्रतिशत न्यूनतम है। ये किसान भी कभी सूखा और कभी बाढ़ से तबाह रहते हैं। इस तरह इनकी आर्थिक हालत दयनीय रहती है। यहां एक ओपियम फैक्ट्री जो अंग्रेजी शासन के समय लगी थी, के अलावा कोई दूसरा उद्योग नहीं है। यही कारण है कि यहां के लोग अपनी रोजी-रोटी की तलाश में बंगाल, असम, पंजाब, दिल्ली, बम्बई और मारीशस जैसी जगहों पर जाकर ठोकरें खाते हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि गाजीपुर जनपद की गरीबी एवं पिछड़ेपन को देखते हुए इस जनपद में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में एक रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना की जाये जिससे इस जनपद के औद्योगिक विकास में गति मिल सके।

(आठ) पुलिचिंतला बेलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट को स्वीकृति किए जाने और इसे पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री लोकनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : श्रीमान्, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती जिलों में कृष्णा डेल्टा में आने वाले 140 वर्ष पुराने 13 लाख एकड़ आयाकर के हितों की रक्षा करने

के लिए पुलिचिंटाला संतुलन जलाशय का बनाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना, श्रीसेलम परियोजना, कर्नाटक में अपर कृष्णा तथा अन्य परियोजनाएं ऊपरी क्षेत्र में बन गई हैं इसलिए अब कृष्णा डेल्टा में पौधों के रोपण के लिए पानी की आपूर्ति नहीं की जा सकती। यह वर्ष गत 50 वर्ष में अप्रत्याशित वर्ष है, पौध रोपण का कार्य डेढ़ महीने पिछड़ गया है जिससे 240 करोड़ रुपये मूल्य के चावल के उत्पादन की हानि हुई है। किसान इस परियोजना के निर्माण की लागत में कुछ अंशदान करने के लिए भी तैयार हैं। 1988 में तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई थी। किन्तु वर्तमान सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए तत्काल कदम उठाए तथा इसे शीघ्र पूरा करने हेतु कम समय में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

7.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 30 जुलाई, 1992/8 श्रावण, 1914 (शक) के ग्यारह म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, श्रीराम मार्ग, मौजपुर, दिल्ली-53

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.